(1)

प्रतिबन्धित
RESTRICTED

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
प्रथम रिपोर्ट

FIRST REPORT OF THE DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES ON THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993

1997 AND 1998

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अभिलेखागार
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
नई दिल्ली
NEW DELHI
2001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
प्रथम रिपोर्ट

1997 तथा 1998

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2001

विषय सूची

	पृष्ठ
1. प्रस्तावना	4
2. आंकड़ों का विश्लेषणः सामान्य सूचना	7
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	8
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	12
5. स्थान की भागीदारी	16
6. अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, समीक्षा व विनष्टीकरण	19
7. अभिलेखों का तालिकाकरण	24
8. अभिलेख - प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	28
9. वर्गीकृत अभिलेखों का अव-श्रेणीकरण	33
10. निष्क्रिय आयोग / समितियाँ	39
11. अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई	42
12. संगठनात्मक इतिहास	46
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	51
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	53
15. संदर्भ माध्यम	55
16. अवाप्ति / अधिग्रहण	57
17. प्रतिधारण समय सूची की जाँच	59
18. परामर्श कार्य	61
19. प्रशिक्षण	62

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

20. अभिलेखीय जागरूकता 66

21. प्राथमिकताएँ 69

अनुबंध - I

71

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993

अनुबंध - II

79

लोक अभिलेख नियम, 1997

अनुबंध - III

91

अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के गठन की अधिसूचना

अनुबंध - IV

93

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रेषित करने वाले मंत्रालयों /विभागों /कार्यालयों की सूची

अनुबंध - V

100

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों की सूची

अनुबंध - VI

103

अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण समीक्षा तथा तालिकाकरण की प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

अनुबंध - VII

108

वर्गीकृत अभिलेखों के अव श्रेणीकरण पर अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय-1

प्रस्तावना

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के पारित होने से पूर्व संघ सरकार के समस्त संगठनों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखागारों एवं अभिलेख प्रबंधन का सभी कार्य अभिलेखीय नीति संकल्प, 1972 द्वारा नियमित होता था । तथापि, जैसी कि आशा की जाती थी, संकल्प का अभीष्ट परिणाम नहीं निकला । ऐसा संभवतः इसके पीछे वैधानिक स्वीकृति बल न होने के कारण हुआ । अभिलेख महानिदेशक की ओर से भारत सरकार को उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के बारे में कुल मिला कर इक्कीस रिपोर्टें (1972-93), संकलित व प्रस्तुत की गईं ।

1.1 अभिलेख महानिदेशक अभिलेखीय नीति संकल्प के दायरे में आने वाले सभी अभिकरणों से अभिलेख के प्रबंधन, परिक्षण, प्राप्ति व विनष्टीकरण की स्थिति में सुधार व उक्त संकल्प के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए समय पर कार्रवाई करने का अनुरोध करते रहे थे । संसद की आकलन समितियाँ, सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन समिति तथा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग वर्षों से सरकार से इस विषय पर समुचित विधान के निर्माण का अनुरोध करते रहे थे । अभिलेख महानिदेशक भी अभिलेखीय नीति संकल्प पर कार्यान्वयन के अपने विभिन्न रिपोर्टों में अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के शासन में और अधिक सकारात्मक परिणाम के लिए एक समग्र विधि के लाये जाने का अनुरोध करते रहे थे । इसके अलावा, 10वीं लोक सभा की सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट,जो 11 मई 1992 को प्रस्तुत की गई थी, में अभिलेखीय विधान के मुद्दे पर विचार करते हुए उक्त विषय पर वैधानिक नियमों के तैयार किये जाने पर हो रहे असाधारण विलंब पर दुख प्रकट किया था ।

1.2 केन्द्र सरकार ने इस सिफारिशों पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया तथा इस बात को स्वीकार करते हुए कि अभिलेखीय नीति संकल्प के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सारे प्रयास किये जाने के बावजूद वह स्थिति में सुधार नहीं ला पाई, वह इस नतीजे पर पहुँची कि अभिलेखीय तथा अभिलेख प्रबंधन की गतिविधियों के शासन को कार्यपालक निर्देशों की दया पर अब और अधिक नहीं रहने दिया जाना चाहिए । दृढ़ वैधानिक प्रावधानों द्वारा उनका नियमन होना चाहिए ।

1.3 इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद भारत सरकार ने 19 अगस्त 1992 को राज्य सभा में लोक अभिलेख पर एक बिल प्रस्तुत किया तथा सदन को यह बताया कि बिल का उद्देश्य इस बात का पालन करवाना है कि अब से लोक अभिलेखों के सर्जन, व्यवस्थापन, प्रबंधन, संरक्षण, एकत्रण, परिरक्षण, प्राप्ति एवं विनष्टीकरण का कार्य वैधानिक प्रावधानों के तहत शासित हो तथा जिसके उत्तरदायित्व के लिए अभिलेख सर्जन अभिकरणों तथा अभिलेखागार के पास विधि की आवृति हो । यह सिर्फ ऐसे कार्यपालक निदेर्शो के तहत नहीं हो जो कभी भी बिना नोटिस दिये बदल दिये जा सकते हैं । इसे राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा उसके पश्चात् लोक सभा ने भी 9 दिसम्बर, 1993 को बिल को पारित कर दिया । 21 दिसम्बर 1993 को इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ तथा 22 दिसम्बर 1993 को सामान्य सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र (लोक अभिलेख अधिनियम 1993, 1993 का 69) में अधिसूचित किया गया । सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् अधिनियम को 1 मार्च 1995 से लागू

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

किया गया । अधिनियम के तहत विस्तृत नियम भी बनाये गये तथा उसे 18 जनवरी 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया । अधिनियम एवं नियमों की प्रतियॉ सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की गईं ।

1.4 यहाँ इस तथ्य का उल्लेख उचित होगा कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के दायरे को इस प्रकार बढ़ाया गया कि इसमें केन्द्र सरकार, संघ शासित प्रशासनों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम तथा केन्द्र सरकार एवं संघ शासित प्रशासन द्वारा गठित सांविधिक निकाय एवं कारपोरेशन व आयोग आ गये हैं ।

1.5 इसके अलावा अधिनियम की एक विशेषता धारा 13 (1) के तहत लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण, व प्रयोग के मामले में केन्द्र सरकार एवं संघ शासित प्रशासनों को सलाह देने के लिए एक अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना है । तदनुसार भारत सरकार ने सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 1 नवम्बर 1995 को एक बोर्ड का गठन (कृपया देखें अनुबंध-3) किया । इसकी अभी तक दिनांक 30 मई 1997, 20 अक्टूबर 1997, 22 मई 1998 तथा 18 मई 1999 को चार बैठकें हो चुकी हैं । बोर्ड ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया तथा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए कई बहुमूल्य सिफारिशें कीं ।

1.6 लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8 (2) के विहितार्थ के अनुसार अभिलेख महानिदेशक भारत सरकार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय) के द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 1 के अनुच्छेद (क) से (ड.) के अनुपालन में अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । तदनुसार, परिपत्र संख्या 16-12/98-आर.एम. दिनांक 9 अप्रैल 1999 के तहत 1902 अभिलेख सर्जक अभिकरणों अर्थात् सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को वर्ष 1997 एवं 1998 के दौरान उनके द्वारा की गई कार्रवाई को लोक अभिलेख नियम 1997 के फ़ार्म-5 में भेजने का अनुरोध किया गया जिससे कि अभिलेख महानिदेशक उसका संकलन कर भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें । त्वरित संदर्भ के लिए लोक अभिलेख नियम, 1993 तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 को अनुबंध 1 एवं 2 पर रखा गया है ।

1.7 प्रस्तुत रिपोर्ट अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा वर्ष 1997 एवं 1998 के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है:-

(i) व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना; अभिलेख अधिकारी का नामांकन;

(ii) अभिलेख अधिकारी एवं स्टाफ का प्रशिक्षण ;

(iii) अर्धप्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी ; अर्ध प्रचलित अभिलेखों का समय-समय पर अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण एवं विनष्टीकरण ;

(iv) अर्ध प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन ;

(v) अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन/पुनरावलोकन ; वर्गीकृत अभिलेखों का समय-समय पर पुनरीक्षण ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(vi) अभिलेखों के वार्षिक अनुक्रम का संकलन ; संगठनात्मक इतिहास का संकलन तथा

(vii) निष्क्रिय हो चुके निकाय आदि के अभिलेखों का हस्तांतरण,

1.8 उपर्युक्त बिन्दुओं के बारे में विस्तृत सूचना रिपोर्ट के अगले अध्यायों में प्रस्तुत की गई है ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय-2

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य सूचना

2.1 वर्ष 1997 तथा 1998 के लिए लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के 1902 मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से सूचना मांगी गई थी । लेकिन सिर्फ 251 संगठनों से ही सूचना प्राप्त हुई । प्राप्त सूचना को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:-

अभिलेख सर्जक अभिकरण	संगठनों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय/विभाग	65	23
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1337	152
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि	500	76
कुल	1902	251

2.2 उपर्युक्त विश्लेषणात्मक तालिका से यह स्पष्ट है कि एक वैधानिक प्रावधान के अनुपालन की जैसी आशा की जाती थी, वैसा अनुपालन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नहीं किया गया । यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 1902 संगठनों में से सिर्फ 251 संगठनों द्वारा सूचना प्रेषित की गई और उसमें से भी अधिकतर संगठनों ने शून्य रिपोर्ट का प्रेषण किया । अतः सिर्फ 13 % ,जिनकी सूचना इस रिपोर्ट में शामिल की गई है, से उत्तर प्राप्त हुआ, 87 % संगठनों ने उत्तर दिया ही नहीं ।

2.3 उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होने सूचना भेजी और जिसे इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, की सूची को अनुबंध-IV पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची को अनुबंध -V पर रखा गया है ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

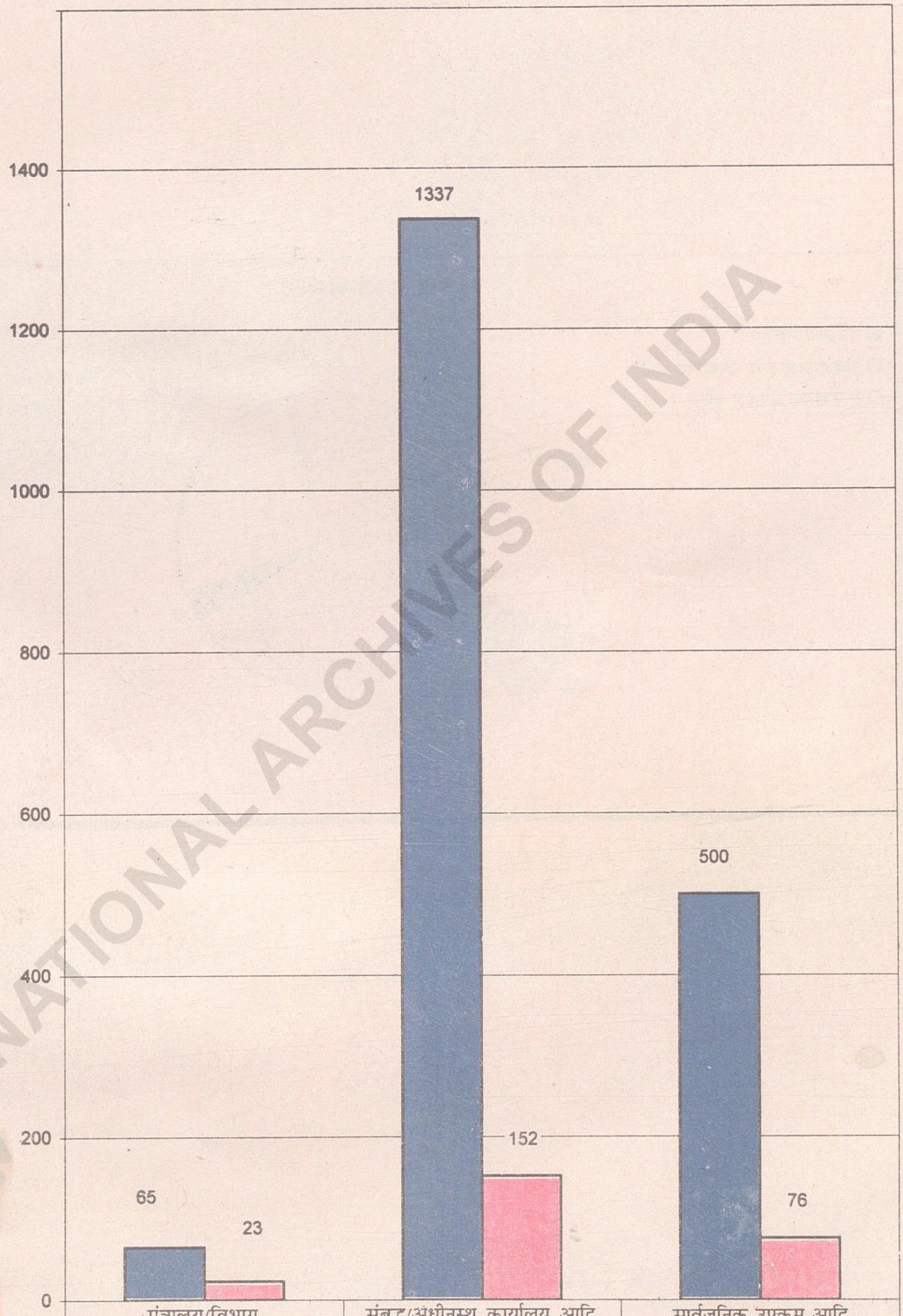

	मंत्रालय/विभाग	संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	सार्वजनिक उपक्रम आदि
कुल संगठनों की संख्या	65	1337	500
कुल प्राप्त उत्तर	23	152	76

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

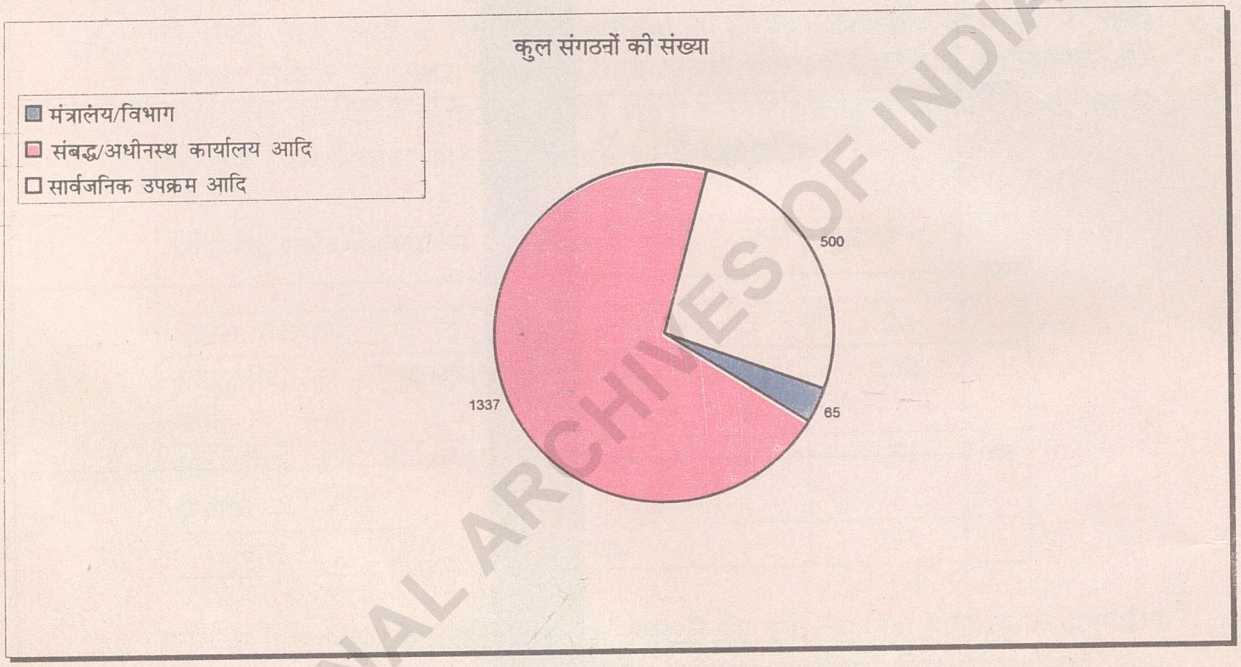

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

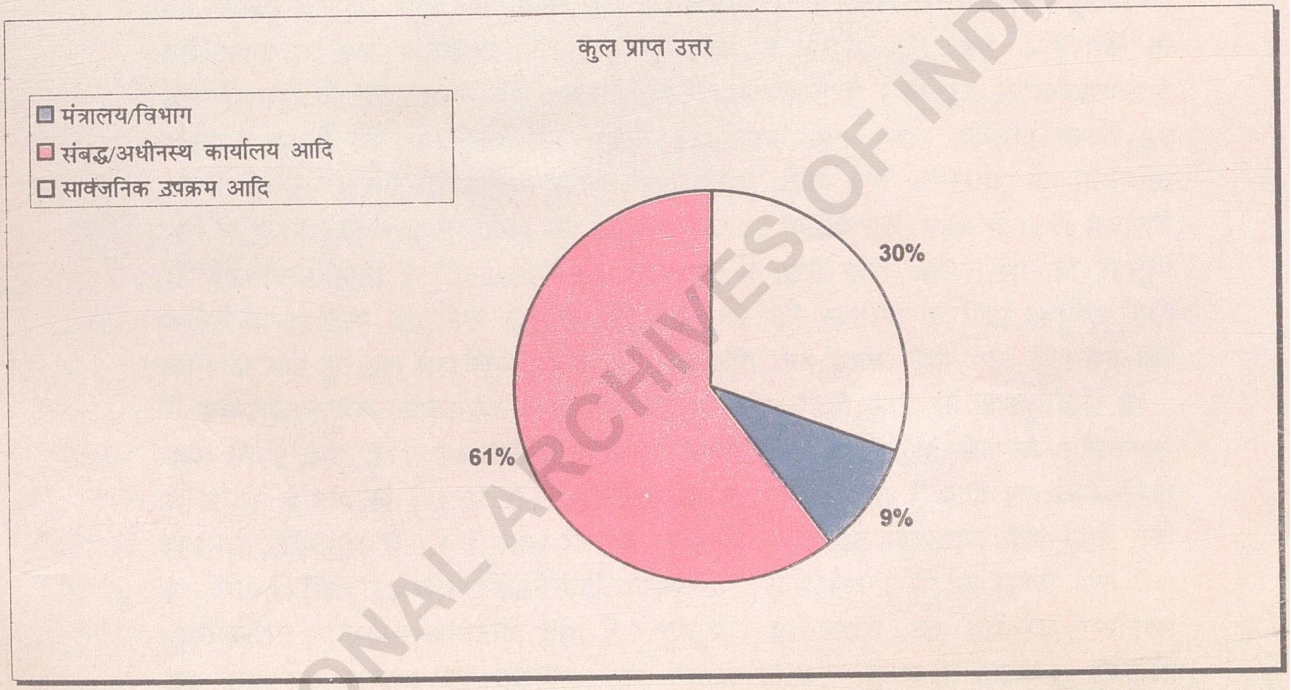

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विभागीय अभिलेख कक्ष

3.1 एक व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना बेहतर अभिलेख प्रबंध प्रणाली की पूर्वशर्त है । लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) में यह निर्देशित है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जहाँ वे उचित समझें वहाँ एक विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना करनी चाहिए तथा उसकी देख-रेख के लिए उन्हें एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त करना चाहिए । विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना का उद्देश्य शाश्वत मूल्य के अभिलेखों का वैज्ञानिक परिरक्षण तथा उनके पुनरीक्षण, तालिकाकरण तथा प्रतिधारण के लिए आवश्यक न समझे जाने वाले अभिलेखों के विनष्टीकरण के लिए समय पर कार्रवाई को संभव बनाना है । राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उक्त प्रावधानों की ओर अभिलेख सर्जक अभिकरणों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों में विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना करने का अनुरोध किया । तथापि इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के दायरे में आने वाले अभिकरणों को राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वैज्ञानिक ढ़ग से अभिलेख कक्ष की स्थापना के लिए अनुरोध किये जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । इस बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा और अधिक प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता हैं।

3.2 कुल मिला कर, 211 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों ने सूचना प्रेषित की । इनमें से 134 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 77 सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण हैं । इस संबंध में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:- निम्नलिखित 73 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचना दी कि उनके पास एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष है:- राष्ट्रपति सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम, भूतल परिवहन व जल संसाधन, संस्कृति विभाग, शिक्षा, महिला व बाल कल्याण, खेल व युवा मामले, विधि एवं विधायी, सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, व महासागर विकास, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, विमानपत्तन महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दृश्य प्रचार निदेशालय, विपणन एवं जॉच, आकाशवाणी, सचिवालय प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान और नैशनल सैम्पल सर्वे संगठन सभी नई दिल्ली में स्थित हैं, फारवर्ड मार्कीट कमीशन, आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एण्ड वोकेशनल रिहैबिलाइटेशन सेन्टर फार हेन्डीकेप्ड सभी मुम्बई में स्थित हैं, औद्योगिक सांख्यिकी विंग (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) और विकास आयुक्त का इस्पात व लोहा कार्यालय दोनों कलकत्ता में, उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फार एस सी /एस टी और मद्रास डाक लेबर बोर्ड सभी चैन्नई में, ब्रॉच सचिवालय (विधि मामले) मुख्य आयुक्त आयकर, कर्नाटक और उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सभी बगलौर में न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलैक्स और रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ आन्ध्र प्रदेश दोनों हैदराबाद में मुख्य कंन्स्ट्रकशन अभियंता (शोध व विकास) और राष्ट्रीय मानसिक विक्लांग संस्थान दोनों सिकन्दराबाद में, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, चण्डीगढ़, पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर और आयुक्त उत्पाद शुल्क दोनो मदुरै में, एअरवर्दीनेस का क्षेत्रीय कार्यालय सुलतानपुर, कार्यालय समापक, इलाहाबाद, करंसी नोट प्रेस, नासिक रोड, आयुक्त

उत्पाद शुल्क व कस्टम, गुंटूर,बेलगाम,रायपुर, नागपुर,देवानगेरे और पूना, सह महानिदेशक विदेश व्यापार, कटक, आकाशवाणी,मेडीकेरी,जयपुर और भोपाल, क्षेत्रीय निदेशालय प्रशिक्षु प्रशिक्षण, फरीदाबाद, व्यावसायिक महिला विक्लांग विकास संस्थान,बदोदरा, कोचीन डॉक लेबर बोर्ड और कार्यालय समापक दोनों कोचीन में, श्रम कल्याण संगठन, कर्मा, बिहार, कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फार एस सी/एसटी, जोवई, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज यूपी, कानपुर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, उप महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय, शिलांग, नेवल सांईस एण्ड टेक्नीकल लेबोरेट्री, विशाखापट्टनम और पासपोर्ट कार्यालय, पटना, पणजी और भोपाल ।

3.3 निम्नलिखित 39 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह बताया कि उनके यहाँ पूर्णतया व्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं है:- विमानपत्तन, भूतल परिवहन और संसदीय कार्य, मंत्रालय कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग , वायु मुख्यालय, ऐरोनोटिकल क्वालिटी एंशोरेंस, महानिदेशक टेक्नीकल कोर्डिनेशन, आर्म्ड फोर्सिज फिल्म एण्ड फोटो डिवीजन, सह महानिदेशालय रिमाउंट वैटीनरी, आफिस आफ द कंट्रोलर जनरलं आफ डिफेंस अकाऊंट्स, अन्तर्राज्यीय सचिवालय परिषद, उत्तर आंचलिक सचिवालय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशालय, और केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण सभी नई दिल्ली में स्थित हैं, आयुक्त सीमा शुल्क का कार्यालय और क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्यालय दोनों मुम्बई में, कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फार एस सी/एस टी, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जूट आयुक्त का कार्यालय, अनुसंधान और विकास यूनिट,रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और सरकारी मेडीकल स्टोर डिपो सभी कलकत्ता में, आफिस आफ द कॉम्पीटेंट अथॉरिटी स्मगलर्स एण्ड फोरन एक्चेंज मैनीपुलेटर्स (फोरफीचर आफ प्रोपर्टी) ,एक्ट,1976 और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस एक्ट,1985, चैन्नई, खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय गैर परंपरागत उर्जा स्त्रोत मामले और मुख्य पोस्ट मास्टर का कार्यालय उडीसा सर्कल दोनों भुवनेश्वर, प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंटल इस्टेबलिस्मेंट, बालासोर, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, चण्डीगढ़, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,शिलांग, औद्योगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर, क्षेत्रीय कार्यालय, (केन्द्रीय क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,लखनऊ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय दोनों हैदराबाद, में क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,शिमला, आकाशवाणी, तिरूवन्नतपुरम, करवार और ईटानगर, कोचिंग कम गाईडेंस सेन्टर फार एस सी/एस टी,सूरत, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फार हैन्डीकैप्ड, कानपुर, कल्याण आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद और केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान स्टेशन, पुणे ।

3.4 निम्नलिखित 6 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ अलग से विभागीय अभिलेख कक्ष नहीं है - केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय दोनों मुम्बई में, खाद्य बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय) भोपाल, सह महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय, गुवाहाटी, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भुवनेश्वर और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, राजकोट.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

3.5 विकलांग व्यावसायिक पुनर्स्थापन केंद्र, अहमदाबाद, गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) तथा अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय) दोनो हैदराबाद स्थित तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर ने यह बताया कि वे अलग से विभागीय अभिलेख कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं ।

3.6 निम्नलिखित कार्यालयों ने 'शून्य' अथवा अस्पष्ट सूचना प्रेषित की:- सह महानिदेशालय आर्मी पोस्टल सर्विस (रक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली, केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना, इलाहाबाद, उत्तरस्पूर्वी पुलिस एकडेमी, ऊमसा, उमियम (मेघालय) ,विपणन निदेशालय,कोचीन, भारतीय रेलवे सिविल ईन्जीनियरिंग संस्थान, पुना और पोर्ट हेल्थ संगठन, मंडपम कैम्प ।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 45 उपक्रमों ने यह बताया कि उनके यहाँ सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष है:- केन्द्रीय भंडार निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम, नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिन्दुस्तान प्रिफैब लि., नेशनल बिल्डिंग कन्शट्रंकशन कारपोरेशन लि., हिन्दुस्तान फर्टीलाईजस कारपोरेशन लि., इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, प्रसार भारती, नेशनल टेक्टसटाईल कारपोरेशन लि., द पेट्रोलियम कनजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन सभी नई दिल्ली में स्थित हैं । पायराइटस फासफेट एण्ड केमीकल्स लि., नोएडा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इण्डिया, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., इण्डियन इस्टींट्यूट ऑफ जियोमैगनिटिजम सभी मुम्बई में स्थित है, दामोदर घाटी निगम, टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि, स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा बोस संस्थान सभी कलकते में, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड दोनों चैन्नई में स्थित है, नारियल विकास बोर्ड, द केश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एण्ड कोचीन सिपयार्ड लि., इण्डिया सभी कोचीन में स्थित है । प्रसार भारती चैन्नई, पाडिचेरी, पणजी (गोवा) ,एच.एम.टी. (इंटरनैशनल लि.) सैट्रल रिसर्च एण्ड टेस्टींग लैबोरेट्री (केन्द्रीय बिजली अनुसंधान संस्थान) ,रमन रिसर्च इस्टीट्युट एण्ड इण्डियन अकेदमी आफ सांईस सभी बंगलौर में स्थित है, नार्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेंस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, ड्रेडगिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. दोनो विशाखापटटनम, नेशनल इस्टीट्यूट आफ हाईड्रोलाजी, रूडकी, इंटरनेशनल एंडवासड रिसर्च सेन्टर फार पावडर मैटलरजी एण्ड न्यू मैटीरियलस एण्ड भारत डायनमिक्स लि. दोनो हैदराबाद में, टेक्नीकल टीचरस ट्रेनिग इस्टीट्यूट,चण्डीगढ़, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट, कोट्टयम, केरल, सेन्टर फार मेटीरियल्स फार ईल्कट्रोनिक्स टेक्नालाजी पुने, इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., और सरदार सरोवर कन्शट्रकंशन एडवाइजरी कमेटी दोनो वडोदरा में, सेन्ट्रल बोर्ड फार वर्कर्स एजूकेशन, नागपुर, एंडवास ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसे इंस्ट्रूमेंटेशन, देहरादून, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लि0, कानपुर, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर, सत्येंद्रनाथ बोस मौलिक विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता ने यह सूचित किया कि उनका भवन अभी भी अधूरा है तथा इंडियन एसोशियेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सायंस, कलकत्ता ने यह सूचित किया कि उन्होंने अभी अस्थाई प्रबंध किया है । नियमित व्यवस्थित अभिलेख कक्ष कोष उपलब्ध होने के बाद बनाया जायेगा । इसी प्रकार का उत्तर राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद से भी प्राप्त हुआ है, इंडियन रेयर अर्थस लि0, मुंबई ने यह सूचित किया है कि उनके कार्यालय की पुर्नसंरचना की जा रही है जिसमें अभिलेखों को रखने के लिए अलग से पर्याप्त जगह वाले अभिलेख कक्ष की व्यवस्था है । भारतीय औषध

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

तथा फार्मास्युटिकल लि0, गुड़गांव के पास अभिलेखों को रखने के लिए पर्याप्त जगह है ।

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक अन्य ऐसी कोटि है जिनके अभिलेख कक्ष का निर्माण हो रहा है । ये हैं - इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी, पुणे, अंडमान और निकोबार द्वीप, वन और रोपण विकास निगम लि0, पोर्ट ब्लेयर, लौह स्क्रैप निगम, भिलाई, अंधों के राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून और राष्ट्रीय उर्वरक लि0, नोयडा ।

3.9 निम्नलिखित 22 सार्वजनिक उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट भेजे हैं - नेहरू युवा केन्द्र संगठन और भारतीय विमापत्तन प्राधिकरण, दोनों नई दिल्ली में, एटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड, भारत होटल निगम लि0, मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेल) सभी मुंबई में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया और वाडिया इंस्टीच्यूट और हमालयन जिओलॉजी, दोनों देहरादून में, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीस रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बंगलोर, राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बटूर, प्रसार भारती, इम्फाल, चंडीगढ और भोपाल, उत्तर पूवी विद्युत निगम लि0, शिलांग, रीजनल रिमोट सेंसिग सर्विस सेन्टर, खड़गपुर, वर्षा नम पत्तझर वन शोध संस्थान, जोरहाट, नैशनल फिल्म आर्काइव, पुणे, राष्ट्रीय सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी, हैदराबाद, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर विमेन, अराइमिले तूरा, मेघालय, गंगा बाढ़ जल आयोग, पटना और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़, सुन्दरनगर और तलवारा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 4

विभागीय अभिलेख अधिकारी

पहले के अध्याय में एक सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष के बारे में बताया गया है ताकि अर्ध प्रचलित अवस्था में अभिलेखों का ठीक ढंग से भंडारण किया जा सके । अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अभिलेख कक्षों की देख रेख प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी करें ।

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 (1) के अनुसार प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने किसी एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामित करेंगे ताकि वह उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) में परिगणित कार्यों को अंजाम दे सके ।

4.1 अभिलेख सर्जक अभिकरणों में अभिलेख अधिकारी का नामांकन उक्त अधिनियम उपयुक्त कार्यान्वयन की दिशा में उठाया गया पहला कदम है क्योंकि उसे ही अपने मंत्रालय/विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अभिलेख प्रबंध के क्षेत्र में कार्यों का समन्वयन अथवा दिशा निर्देश देना पड़ता है । इतना ही नहीं उसे मूल अभिलेखों के प्रतिधारण समयसूची के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थाई संरक्षण के लिए भेजे जाने वाले चुनं गये अभिलेखों के हस्तांतरण के बारे में राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक से संपर्क रखना पड़ता है । राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी संगठनों से अधिनियम के उक्त प्रावधान के शीघ्रातिशीघ्र पालन करने का अनुरोध करते हुए कार्रवाई आरंभ कर दी है । अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों सहित 501 संगठनों ने अपने एक अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामांकित किया है । तथापि, सहायक स्टाफ यथा टंकक, दफ्तरी, बंडल वाहक, चपरासी इत्यादि भी विभागीय अभिलेख कक्ष की गतिविधियों के सही प्रबंधन के लिए आवश्यक माने जाते हैं । कुल मिला कर 164 संगठनों ने अभीष्ट सूचना प्रेषित की है जिसमें से 87 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 77 सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण हैं । विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है -

4.2 जिन 22 मंत्रालयों / विभागों/ कार्यालयों ने यह सूचना दी है कि उनके यहाँ पूर्ण कालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकरी हैं, उनकी सूची इस प्रकार है - रक्षा, पर्यावरण और वन, सूचना और प्रसारण, संसदीय मामले और जल संसाधन मंत्रालय । विधि मामले और लेजिस्लेटिव विभाग, समुद्र विकास, सार्वजनिक वितरण, महिला और बाल विकास, युवा मामले और खेल विभाग । रेलवे बोर्ड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एवियेशन, विपणन और जाँच निदेशालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सभी नई दिल्ली में, मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, विदेश व्यापार सह महानिवेशक कार्यालय, गुवाहटी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलेक्स, हैदराबाद, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद और नेंवल साइंस एण्ड टेक्नीकल लैबोरेटरी, विशाखापट्टनम ।

4.3 निम्निलिखित 24 मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचना दी है कि उनके यहा अनुभाग अधिकारी कनिष्ठ विश्लेषक, अनुसंधान अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रशासनिक अधिकारी, आकलन अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर विभागीय अभिलेख कक्ष का कार्य देख रहे हैं - भूतल परिवहन मंत्रालय, सांख्यिकी प्रोग्राम इम्पलिमेन्टेशन, महिला और बाल विकास, युवा मामले और खेल विभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, अन्तर राज्य परिषद सचिवालय, रक्षा लेखा कंट्रोलर जनरल कार्यालय और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सभी नई दिल्ली में । फाल्टा एक्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कलकत्ता, सेट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मुम्बई, विधि मामले विभाग (सचिवालय शाखा) ,बंगलोर, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्लेक्स, हैदराबाद, विदेश व्यापार सह महानिदेशक कार्यालय, कटक, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब, चंडीगढ़, नेवल साइंस एण्ड टेक्नीकल लैब, विशाखापट्टनम्, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) , शिलौंग, पासपोर्ट ऑफिस, पणजी (गोवा) ,ऑफिस ऑफ द लिक्विडेटर, हाई कोर्ट, इलाहाबाद, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, बेलगाँव कोयम्बटूर और पुणे । कोचिंग-कम-गाइडेंस सेन्टर फॉर एस0 सी0/एस0 टी0, जयपुर, राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी और सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून ।

4.4 रक्षा एवं गृह मंत्रालय, दोनों दिल्ली स्थित ने अपने अभिलेख कंक्ष को सहायकों/सहायक अभिलेखाधिकारी की देख रेख में रखा है, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ने विभागीय अभिलेख कक्ष को कार्यालय सुपरिंटेंडेट की देख रेख में रखा है ।

4.5 निम्नलिखित 9 विभागों/कार्यालयों ने यह सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, दफ्तरी, अभिलेख कीपरों द्वारा प्रचालित हो रहे हैं - आपूर्ति विभाग और जोनल काउंसिल सेक्रिटेरियेट दोनों नई दिल्ली में, रिजिओनल ऑफिस (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) ,शिमला, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) शिलौंग, कस्टम्स एण्ड एक्साइज कमिश्नरेट, राजकोट, पासपोर्ट कार्यालय, पटना और भोपाल, ऑफिस ऑफ द रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और आकाशवाणी, तिरूवनंतपुरम् ।

4.6 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई ने यह सूचित किया कि उनका कार्यालय अभिलेख अधिकारी नामित करने हेतु शक्ति -प्राप्त नहीं है क्योंकि कार्यालय का मुख्य कार्य सभी प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना है । गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता ने यह सूचना दी कि अधिकारियों की कमी की वजह से निम्न श्रेणी के स्टाफ द्वारा अंशकालिक रूप से अभिलेख कक्ष का कार्य देख रहे हैं । अनाज बचत आंदोलन (क्षेत्रीय कार्यालय) , अहमदाबाद ने यह बताया कि एक छोटा कार्यालय होने के नाते उन्हें अभिलेख अधिकारी नामित करने की आवश्यकता नहीं है ।

4.7 जिन 24 मंत्रालयों/ कार्यालयों ने अस्पष्ट /शून्य उत्तर दिया अथवा यह बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता है, वे इस प्रकार हैं - श्रम और सिविल एवियेशन मंत्रालय, वायु मुख्यालय, आर्म्ड फोर्सेस फिल्म एण्ड फोटो डिविजन, अतिरिक्त महानिदेशक रिमाउंट वेटिरिनरीज अतिरिक्त महानिदेशक ऑफ ए पी एस, आकाशवाणी, सभी नई दिल्ली में, फावर्ड मार्केट्स कमीशन और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सभी मुम्बई में, सेन्ट्रल फूड लैबोरेटरी, कलकत्ता, ऑफिस ऑफ द कमिशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, देवागेरी, अनाज बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय) और क्वालिटी कंट्रोल सेल (खाद्य और जन आपूर्त्ति विभाग) दोनों हैदराबाद में, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद और जबलपुर पोर्ट हेल्थ आर्गनाइजेशन, मन्डपम कैम्प, प्रसार भारती (आकाशवाणी,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

इटानगर) , कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, राँची और जयपुर, विपणन और जाँच निदेशालय, कोची , अप्रचलित ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, बंगलोर और भारतीय डाक प्रशिक्षण संस्थान, धारवाड़ । निजी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में स्थित इस प्रकार है -

4.8 प्राप्त 77 उत्तरों में से निम्नलिखित 57 संगठनों ने यह सूचना दी कि उनके यहाँ पूर्णकालिक प्रशिक्षित अधिकारी हैं - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय भंडार निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नेहरू युवक केन्द्र संगठन, हिन्दुस्तान प्रीफैब लि0, इंदिरा गाँधी नैशनल ओपन युनिविर्सिटी, प्रसार भारती, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान सभा, भारतीय उर्वरक निगम और भारतीय वस्त्र निगम लि0 सभी नई दिल्ली में । एटौमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ्स लि0, मेट्रोपोलिटन परिवहन प्रोजेक्ट (रेलवे) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमैग्नैटिस्म, सभी मुम्बई में, बोस संस्थान, भारतीय टायर निगम, दामोदर घाटी निगम, सभी कलकत्ता में, रिजिओनल रिमोट सेसिंग सेन्टर, खड़गपुर, नारियल विकास बोर्ड, काजू निर्यात प्रोन्नति परिषद और कोचिन शिपयार्ड, सभी कोची में, हिन्दुस्तान न्यूज़ प्रिन्ट, कोट्टयम (केरल) , नेवेली लिग्नाइट निगम, मद्रास उर्वरक लि0, प्रसार भारती, सभी चेन्नई में, सरदार बल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इन्टर नैशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटलर्जी न्यू मेटिरियल्स और भारत डायनैमिक्स लि0 सभी हैदराबाद में, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 दोनों विशाखापट्टनम में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, अंधों के लिए राष्ट्रीय संस्थान और एडवान्सड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इन्ट्रूमेन्टेशन, सभी देहरादून में, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिस्सार, अन्डमान निकोबार द्वीप वन रोपण विकास निगम लि0, पोर्ट ब्लेयर, सेन्टर फॉर मेटेरियल फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीयूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरियोलॉजी, दोनों पुणे में, राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बटूर, एच एम टी (अंतर्राष्ट्रीय) लि0, जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, केन्द्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण प्रयोगशाला और रमन संस्थान, सभी बंगलोर में, बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर, प्रसार भारती, पणजी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान दोनों चंडीगढ़ में, लौह स्क्रैप निगम लि0, भिलाई, ब्रिटिश इंडिया कॉपरपोरेशन, कानपुर, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर, पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटैड और राष्ट्रीय उर्वरक लि0, दोनों नोयडा में, भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लि0 और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, दोनों वदोदरा में, गंगा बाढ जल समिति पटना और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ।

4.9 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित तीन उपक्रमों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अंशकालिक तौर पर विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति की है - इंडियन एसोसियेशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सायंस और स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि0, दोनों कलकत्ता में और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि0, गुडगॉव ।

4.10 निम्नलिखित 13 संगठनों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की - राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली, सत्येन्द्रनाथ बोस नैशंनल सेन्टर फॉर बेसिक सायंसेस, कलकत्ता, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, वर्षा और नम पत्तझर वन अनुसंधान संस्थान,

जोरहाट, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि0, शिलौंग, नैशनल फिल्म आर्काइव पुणे, रिजिओर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन अराइमिसि, तूरा (मेधालय) भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, तालवारा और सुन्दर नगर और प्रसार भारती, पांडिचेरी, इम्फाल, चंडीगढ़ और भोपाल ।

4.11 निम्नलिखित दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अस्पष्ट सूचना भेजी - इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बंगलोर तथा एक्सपोर्ट क्रेडिट गांरटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

स्थान की भागीदारी

कुछेक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने अर्धप्रचलित अभिलेखों को अनुभाग के ही आलमीरे अथवा किसी कोने या भवन के कॉरिडोर इत्यादि में इकट्ठा कर देते हैं जो उनके वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है । जब तक कि अभिलेख सर्जक अभिकरण अपना विभागीय अभिलेख कक्ष नहीं स्थापित कर लेते तब तक स्थान की समस्या से निपटने अथवा अंभिलेख के उपयुक्त परिरक्षण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने एनेक्सी भवन अथवा अपने क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल या अभिलेख केन्द्रों यथा जयपुर, पांडिचेरी एवं भुवनेश्वर में स्थान की भागीदारी की पेशकश करता रहा है ।

5.1 कुल मिला कर 139 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस बारे में सूचना प्रेषित की है । इसमें से 62 केन्द्र सरकार के कार्यालय तथा 77सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । केन्द्र सरकार के संगठनों का जहाँ तक सवाल है 54 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है तथा सिर्फ 8 कार्यालयों ने यह कहा है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन अथवा उसके क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे । उत्तर का ब्यौरा इस प्रकार है - श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि 65 में से 15 फाइलों को हस्तांतरित किया जा चुका है तथा शेष बचे फाइलों के बारे में निर्णय संबंधित अनुभागों द्वारा पुनरीक्षा के पश्चात् लिया जायेगा । कोयला विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि वे स्थान की भागीदारी के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए वे अभिलेखों की काफी की मात्रा का मूल्यांकन कर रहे हैं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे लेकिन अभी नहीं । केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई ने यह बताया कि स्थान की भागीदारी संभव नहीं है क्योंकि उनके अभिलेख मुंबई में हैं । कोंचिग कम गाइडेंस सेंटर फॉर एस सी / एस टी, कलकत्ता ने यह बताया कि उनका केन्द्र कलकत्ता में है तथा उसे अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर में रखना काफी दूर हो जायेगा । इलेक्ट्रानिक्स तथा रडार विकास संस्थापना बंगलोर एवं बालासोर ने यह बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ स्थान की भागीदारी करना एक नीतिगत मुद्दा है तथा इस बारे में निर्णय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली द्वारा ही लिया जा सकता है ।

5.2 जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रश्न है, इस संबंध में प्राप्त 77 प्रत्युत्तरों में से 8 संगठनों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा प्रकट की तथा अन्य 58 ने यह सूचित किया कि वे भागीदारी नहीं करना चाहेंगे । सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट भेजी जबकि 3 उपक्रमों ने अस्पष्ट सूचना का प्रेषण किया ।

सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 8 उपक्रमों ने स्थान की भागीदारी के बारे में अपनी इच्छा प्रकट की उनकी सूची इस प्रकार है - नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली, सत्येन्द्र नाथ बोस मौलिक विज्ञान राष्ट्रीय केन्द्र, कलकत्ता, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर । तथापि, नारियल विकास बोर्ड, कोचिन स्थान की भागीदारी कर सकता है यदि वह बिना खर्च के होता है । भारतीय काजू निर्यात प्रोन्नयन परिषद, कोचिन स्थान की

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भागीदारी कर सकता है यदि प्राधिकारी उससे सहमत होते हैं । प्रसार भारती, भोपाल हमारे भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में स्थान की भागीदारी करना चाहते हैं । ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर. ने यह सूचना दी है कि वे स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे लेकिन कॉरपोरेशन को बंद किया जा रहा है । क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, अढ़ाई माईल, तुरा (मेघालय) ने यह सूचना दी है कि नये भवन के निर्माण के बाद स्थान की भागीदारी के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

5.3 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 23 उपक्रमों ने यह सूचना दी कि वे किसी कारणवश स्थान की भागीदारी नहीं करना चाहते -

सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति, वित्त और विकास कारपोरेशन, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, प्रसार भारती, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसियेशन एण्ड नैशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में, द मेट्रोपोलिटन ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) एटम ईनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंन्टी कारपोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ जिओमैग्निटिज्म, सभी मुंबई में, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, मुंबई ने यह सूचना दी कि उनके अभिलेख व्यावसायिक प्रकृति के हैं तथा संदर्भ के लिए उनकी बार बार आवश्यकता पड़ती है । मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, चेन्नई ने यह सूचना दी कि उन्हें संदर्भ के लिए प्रतिदिन अपने अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है । नेवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई तथा राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयंबटूर स्थान की भागीदारी नहीं करना चाहते । दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा बोस संस्थान, सभी कलकत्ता में स्थित, एक ही प्रकार के विचार रखते हैं । इंडियन एसोशियेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सायंस, कलकत्ता ने यह सूचना दी है कि वे एक स्वायत्त संगठन हैं तथा उनके नियम अभिलेखों को कहीं और रखने की इजाजत नहीं देते

5.4 निम्नलिखित 35 उपक्रमों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा उसके क्षेत्रीय कार्यालय या अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी में अपनी असमर्थता जताई - नार्दन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट, हिसार, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, दोनों चंड़ीगढ़ में स्थित, राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार और सेन्टर फॉर मेटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरोलॉजी सभी पुणे में स्थित, सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर । द फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई, सेन्ट्रल वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, जोधपुर, ड्रीजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, दोनों विशाखापट्टनम में स्थित, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया तथा द नेशनल इंस्टीच्यूट फार विजुवल हैन्डीकैप्ट दोनों देहरादून में भारत डायनमिक्स लिमिटेड, तथा सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी दोनों हैदराबाद में, कोचीन, शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन, सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी बोर्ड कमिटी तथा इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों वडोदरा में, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड, एच एम टी (इंटरनेशनल) जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्स साइन्टिफिक रिसर्च एण्ड रमन

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

रिसर्च इंस्टीच्यूट सभी बंगलोर में स्थित, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इलाहाबाद, प्रसार भारती, पांडिचेरी में स्थित, पणजी (गोआ) तथा चेन्नई, कामर्शियल ब्राडकास्टिग सर्विस, इम्फाल तथा चंडीगढ़ एण्ड नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की, नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग, रीजिनल रिमोट सेन्सिंग सर्विस सेन्टर, खड़गपुर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, दोनों नोयडा में और इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गाँव, वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून ने अपूर्ण सूचना प्रेषित की है ।

5.5 चूर्ण धात्विकी अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद ने यह कहा कि आवश्यकतानुसार वे अपनी जरूरतों का प्रेषण करेंगे । अंडमान एवं निकोबार द्वीप वन एवं वानिकी विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर यह महसूस करते हैं कि चूंकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप बहुत अधिक दूरी पर हैं अतः ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा । इंस्टीच्यूट ऑफ रेन म्वायस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रिसर्च, जोरहट ने यह सूचित किया कि वे स्थान की भागीदारी के बारे में वक्त आने पर निर्णय लेंगे ।

5.6 संस्थानों की एक और श्रेणी है जिन्होंने शून्य रिपोर्ट भेजी है । उनकी सूची इस प्रकार है - एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता, सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलोर, गंगा फ्लड वाटर कमीशन, पटना, एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रुमेन्टेशन, देहरादून तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवाड़ा और सुन्दरनगर ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, समीक्षा व विनष्टीकरण

अप्रचलित अभिलेखों का व्यवस्थित एवं समय पर किया जाने वाला अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, नियमकालिक पुनरीक्षण व विनष्टीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है । इससे न केवल अभिलेखों का परिमाण न्यूनतम होता है बल्कि स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अलग करने में भी मदद मिलती है एवं आगत अभिलेखों के लिए अधिक स्थान की उपलब्धता हो पाती है । इस अभ्यास का सृजन एवं विनष्टीकरण के बीच एक उचित अनुपात कायम करने में बहुत बड़ा योगदान होता है । इसके अलावा इससे अभिलेखों के संरक्षण एवं उसके रख - रखाव में भी कमी आती है । लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के खंड 6(1) (ख) में यह विहित है कि सभी लोक अभिलेखों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा एक नियत समय पर अल्पकालिक प्रकृति के अभिलेखों की छंटाई की जानी चाहिए । इसके अलावा, लोक अभिलेख नियम, 1997 में सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित किये जाने का प्रावधान है । सूचना के संकलन हेतु सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को दो परिपत्र सं0 16-3/98 आर0 एम0 तथा 16-2/99 आर0 एम दिनांक क्रमशः 9 मार्च 1998 तथा 9 अप्रैल 1999 को भेजा गया । जिन संगठनों ने सूचना प्रेषित की उनकी सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध VI पर देखी जा सकती है ।

6.1 सूचना के विश्लेषण को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

निम्नलिखित 99 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि वे अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण तथा विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं । वे कार्यालय इस प्रकार हैं - पर्यावरण और वन, सूचना और प्रसारण, संसदीय मामले, रेल मंत्रालयों और शिक्षा, सेकेंण्ड्री और उच्च शिक्षा विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नीति एवं विकास, न्यायिक मामले और विधायी मामले विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार, आर्थिक मामले, राजस्व, अन्तर्राज्यीय काउंसिल सचिवालय, वोकेशनल रीहैबीलिटेशन सेण्टर फार हैण्डीकैप्ड, नेशनल सेम्पुल सर्वे संगठन, सेण्टल इलेक्ट्रीक आथरिटी, महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, विस्तार मुख्यालय, डायरेक्टरेट ऑफ एडवाइजमेण्ट एण्ड विजुअल पब्लिसिटी, महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, लेडी रिडिग हेल्थ स्कूल, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेबिल डीजीजेज, एयरपोर्ट हेल्थ आर्गनाइजेशन, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल सप्लाइस एण्ड डिसपोसल्स और राष्ट्रपति का सचिवालय, जो सभी दिल्ली में है, उप महानिदेशक विदेश व्यापार, डायरेक्टर जनरल कमर्शियल इंटेलीजेन्स और सांख्यिकी, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेण्टल फूड लेबोरेट्री, डेवलपमेण्ट कमिशनर फार आयरन एण्ड स्टील, मोबाइल सिविल एमरेजेन्सी फोर्स, औद्योगिकी सांख्यिकी विंग (सेन्ट्रल स्टैस्टिकल आर्गनाइजेशन) एण्ड नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन जो सभी कलकत्ता में है, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, बी सी जी वैक्सीन लेब्रोट्री, कोंचीग कम गाइडेन्स सेंटर फार एस सी/एस टी तथा मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, यह सभी चेन्नई में हैं, फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्ट्रर फॉर हैन्डीकैफ्ट एडवान्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजिनेल इवीलयूशन आफिस, रीजिनल पासपोर्ट आफिस, कमीशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, सेन्ट्रल गर्वनमेण्ट हेल्थ स्कीम एण्ड फिल्मस डिवीजन ये सभी मुम्बई में हैं । रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन, हिसार, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बैंगलोर, डायरेक्टरेट

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सफिक्श , कोच्चि, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सफिक्श, नासिक, चीफ इन्जीरिंग एण्ड एडमिनिट्रेटर, अण्डमान एण्ड लक्ष्यद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, टर्मिनल बैलिसिटिक्स रिसर्च लेबोरेट्री एण्ड कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, दोनों चण्डीगढ़ में हैं, पासपोर्ट आफिस, पटना, सेव ग्रेन कैम्पेन ऑफिस तथा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्ट्र फॉर हैन्डीकैप्ड, दोनों अहमदाबाद में हैं । रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, यू पी, एण्ड नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोनों ही कानुपर में हैं । संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, शिलांग, कंटक और गुवाहाटी, जनरल मैनजर, दूरसंचार, जिला अम्बाला, रीजिनल ऑफिस (पर्यावरण और वन मंत्रालय) , इलाहाबाद, इडिया सिक्क्यूरिटी प्रेस, नासिक, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम तथा इन्कम टैक्स, अपिलैन्ट टिब्यूनल ये दोनों नागपुर में हैं । कमिश्नर ऑफ कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, सेव ग्रेन कैम्पेन ऑफिस, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश तथा क्वालिटी कन्ट्रोल सेल (फूड एण्ड सिविल सप्लाई मंत्रालय) ये सभी हैदराबाद में हैं,, शाखा सचिवालय, लीगल अफेयर एण्ड लेजिस्लेटिव विभाग, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी तथा इन्कम टैक्स विभाग, सभी बैगलोर में हैं । पोस्ट मास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल) एण्ड रीजिनल आफिस (नान कन्वेशनल एन्र्जी सोरसेज मंत्रालय) एण्ड इस्टर्न रीजिनल आफिस (पर्यावरण तथा वन मंत्रालय) सभी भुवनेशवर में हैं । पोस्टल ट्रेनिंग सेन्ट्रल एण्ड कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, दोनों मदुरई में हैं । चीफ कन्स्ट्रक्शन इंजीनियरिंग (रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट) ,रक्षा मंत्रालय, सिकन्द्राबाद, नेवल साइन्स ऑफ टेक्निकल लेब्रोरेट्री, विशाखापट्टनम, पासपोर्ट ऑफिस भोपाल तथा गोआ, कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, राजकोट, कमिशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज डिवीजन, बेलगाम मुख्यालय, तथा सेन्ट्रल एक्साइज डिवाजन दोनो ही बेलगाम में हैं, सहायक आयुक्त, सेन्ट्रल एक्साइज, गुलबर्ग, सहायक आयुक्त सेन्ट्रल एक्साइज, बेलरी, नार्थ इस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसा, उमीआम (मेधालय) संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, रीजिनल आफिस ऑफ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, शिमला, प्रसार भारती (आकाशवाणी) , मेडीकेरी, तिरूअनंतपुरम तथा जयपुर, रीजिनल डायरेक्टर ऑफ अप्रैन्टिस ट्रेनिंग, फरीदाबाद, रीजिनल वोकेशनल रिलहैबिलेटशन सेन्टर फॉर वोमेन, बड़ौदा, कोचीन डाक लेबर बोडर्, कोच्चि, लेबर वेलफेयर ऑगनाइजेशन, कर्मा (झुमरी तिलैया) तथा कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, सूरत ।

6.2 निम्नलिखित 12 कार्यालयों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है -

भूतल परिवहन और जल संसाधन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड मंत्रालय और महासागर विकास विभाग सभी दिल्ली में हैं । सेन्टर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर स्टेशन दोनों पुणे में हैं । नेवल साइकोलोजी रिसर्च यूनिट, कोच्चि, डायोरेक्टर ऑफ मार्केटिग एण्ड इन्फेक्शन, नागपुर और नासिक, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैटिलिटी हैन्डीकैप्ड, सिकन्द्राबाद और सर्वेयर जनरल्स ऑफिस, देहरादून ।

6.3 राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी ने यह बताया है कि वे यह कार्य जाड़े के दौरान करेंगे जब उनके यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलता । प्रसार भारती (आकाशवाणी), करवार ने यह बताया नया संगठन होने की वजह से यह उन पर लागू नहीं होता ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 6

अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, समीक्षा व विनष्टीकरण

अप्रचलित अभिलेखों का व्यवस्थित एवं समय पर किया जाने वाला अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, नियमकालिक पुनरीक्षण व विनष्टीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है । इससे न केवल अभिलेखों का परिमाण न्यूनतम होता है बल्कि स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अलग करने में भी मदद मिलती है एवं आगत अभिलेखों के लिए अधिक स्थान की उपलब्धता हो पाती है । इस अभ्यास का सृजन एवं विनष्टीकरण के बीच एक उचित अनुपात कायम करने में बहुत बड़ा योगदान होता है । इसके अलावा इससे अभिलेखों के संरक्षण एवं उसके रख - रखाव में भी कमी आती है । लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के खंड 6(1) (ख) में यह विहित है कि सभी लोक अभिलेखों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा एक नियत समय पर अल्पकालिक प्रकृति के अभिलेखों की छंटाई की जानी चाहिए । इसके अलावा, लोक अभिलेख नियम, 1997 में सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित किये जाने का प्रावधान है । सूचना के संकलन हेतु सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को दो परिपत्र सं0 16-3/98 आर0 एम0 तथा 16-2/99 आर0 एम दिनांक क्रमशः 9 मार्च 1998 तथा 9 अप्रैल 1999 को भेजा गया । जिन संगठनों ने सूचना प्रेषित की उनकी सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध VI पर देखी जा सकती है ।

6.1 सूचना के विश्लेषण को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

निम्नलिखित 99 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि वे अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण तथा विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं । वे कार्यालय इस प्रकार हैं - पर्यावरण और वन, सूचना और प्रसारण, संसदीय मामले, रेल मंत्रालयों और शिक्षा, सेकेंण्ड्री और उच्च शिक्षा विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नीति एवं विकास, न्यायिक मामले और विधायी मामले विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार, आर्थिक मामले, राजस्व, अन्तर्राज्यीय काउंसिल सचिवालय, वोकेशनल रीहैबीलिटेशन सेण्टर फार हैण्डीकैप्ड, नेशनल सेम्पुल सर्वे संगठन, सेण्टल इलेक्ट्रीक आथरिटी, महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, विस्तार मुख्यालय, डायेरेक्टरेट ऑफ एडवाइजमेण्ट एण्ड विजुअल पब्लिसिटी, महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेबिल डीजीजेज, एयरपोर्ट हेल्थ आर्गनाइजेशन, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग आर्गनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल सप्लाइस एण्ड डिसपोसल्स और राष्ट्रपति का सचिवालय, जो सभी दिल्ली में है, उप महानिदेशक विदेश व्यापार, डायरेक्टर जनरल कमर्शियल इंटेलीजेन्स और सांख्यिकी, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेर्सिग जोन, सेण्टल फूड लेबोरेट्री, डेवलपमेण्ट कमिशनर फार आयरन एण्ड स्टील, मोबाइल सिविल एमरेजेन्सी फोर्स, औद्योगिकी सांख्यिकी विंग (सेन्ट्रल स्टैस्टिकल आर्गनाइजेशन) एण्ड नेशनल एटलस एण्ड थिमैटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन जो सभी कलकत्ता में है, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, बी सी जी वैक्सीन लेब्रोट्री, कोंचीग कम गाइडेन्स सेंटर फार एस सी/एस टी तथा मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, यह सभी चेन्नई में हैं, फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्ट्रर फॉर हैन्डीकैफ्ट एडवान्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजिनेल इवीलयूशन आफिस, रीजिनल पासपोर्ट आफिस, कमीशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, सेन्ट्रल गर्वनमेण्ट हेल्थ स्कीम एण्ड फिल्मस डिवीजन ये सभी मुम्बई में हैं । रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन, हिसार, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बैंगलोर, डायरेक्टरेट

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सफिक्श , कोच्चि, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सफिक्श, नासिक, चीफ इन्जीरिंग एण्ड एडमिनिट्रेटर, अण्डमान एण्ड लक्ष्यदीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, टर्मिनल बैलिसिटिक्स रिसर्च लेबोरेट्री एण्ड कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, दोनों चण्डीगढ़ में हैं, पासपोर्ट आफिस, पटना, सेव ग्रेन कैम्पेन ऑफिस तथा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्ट्रर फॉर हैन्डीकैप्ड, दोनों अहमदाबाद में हैं । रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, यू पी, एण्ड नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट दोनों ही कानुपर में हैं । संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, शिलांग, कंटक और गुवाहाटी, जनरल मैनजर, दूरसंचार, जिला अम्बाला, रीजिनल ऑफिस (पर्यावरण और वन मंत्रालय) , इलाहाबाद, इडिया सिक्क्यूरिटी प्रेस, नासिक, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम तथा इन्कम टैक्स, अपिलैन्ट टिब्यूनल ये दोनों नागपुर में हैं । कमिश्नर ऑफ कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, सेव ग्रेन कैम्पेन ऑफिस, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश तथा क्वालिटी कन्ट्रोल सेल (फूड एण्ड सिविल सप्लाई मंत्रालय) ये सभी हैदराबाद में हैं,, शाखा सचिवालय, लीगल अफेयर एण्ड लेजिस्लेटिव विभाग, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी तथा इन्कम टैक्स विभाग, सभी बैगलोर में हैं । पोस्ट मास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल) एण्ड रीजिनल आफिस (नान कन्वेशनल एन्र्जी सोरसेज मंत्रालय) एण्ड इस्टर्न रीजिनल आफिस (पर्यावरण तथा वन मंत्रालय) सभी भुवनेशवर में हैं । पोस्टल ट्रेनिंग सेन्ट्रल एण्ड कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, दोनों मदुरई में हैं । चीफ कन्स्ट्रक्शन इंजीनियरिंग (रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट) ,रक्षा मंत्रालय, सिकन्द्राबाद, नेवल साइन्स ऑफ टेक्निकल लेब्रोरेट्री, विशाखापट्टनम, पासपोर्ट ऑफिस भोपाल तथा गोआ, कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, राजकोट, कमिशनर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज डिवीजन, बेलगाम मुख्यालय, तथा सेन्ट्रल एक्साइज डिवाजन दोनो ही बेलगाम में हैं, सहायक आयुक्त, सेन्ट्रल एक्साइज, गुलबर्ग, सहायक आयुक्त सेन्ट्रल एक्साइज, बेलरी, नार्थ इस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसा, उमीआम (मेधालय) संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, रीजिनल आफिस ऑफ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, शिमला, प्रसार भारती (आकाशवाणी) , मेडीकेरी, तिरूअनंतपुरम तथा जयपुर, रीजिनल डायरेक्टर ऑफ अप्रैन्टिस ट्रेनिंग, फरीदाबाद, रीजिनल वोकेशनल रिलहैबिलेटशन सेन्टर फॉर वोमेन, बड़ौदा, कोचीन डाक लेबर बोडर्, कोच्चि, लेबर वेलफेयर ऑगनाइजेशन, कर्मा (झुमरी तिलैया) तथा कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, सूरत ।

6.2 निम्नलिखित 12 कार्यालयों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है -

भूतल परिवहन और जल संसाधन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड मंत्रालय और महासागर विकास विभाग सभी दिल्ली में हैं । सेन्टर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर स्टेशन दोनों पुणे में हैं । नेवल साइकोलोजी रिसर्च यूनिट, कोच्चि, डायोरेक्टर ऑफ मार्केटिग एण्ड इन्फेक्शन, नागपुर और नासिक, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैटिलिटी हैन्डीकैप्ड, सिकन्द्राबाद और सर्वेयर जनरल्स ऑफिस, देहरादून ।

6.3 राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी ने यह बताया है कि वे यह कार्य जाड़े के दौरान करेंगे जब उनके यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलता । प्रसार भारती (आकाशवाणी), करवार ने यह बताया नया संगठन होने की वजह से यह उन पर लागू नहीं होता ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आफीशियल लिक्विडेटर ने यह सूचित किया कि यह तभी किया जाता है जब लिक्विडेशन कार्यवाही परिसमाप्त होती है । आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ने यह बताया कि उनके अभिलेख अत्यंत गोपनीय अभिलेख हैं जिन्हें भेजा नहीं जाता है । सी जी एच एस, मुंबई ने यह सूचित किया कि, कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्य नहीं किया जा सका । केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, कोची ने यह बताया कि शीघ्र ही यह कार्य किया जायेगा । कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंद्राबाद तथा रांची स्थित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कोंचिग कम गाइडेंस सेंटर ने यह सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता ।

6.4 निम्नलिखित 39 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग , आर्मी पर्चेज ऑर्गनाइजेशन, डायरेक्टरेट ऑफ पिविन्टिव आपरेशन कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, जोनल काउंसिल सचिवालय, प्रसार भारती (आकाशवाणी) , प्रिंसिपल एकाउंट्स ऑफिस (सिविल एवियेशन और पर्यटन मंत्रालय) महानिदेशक , आयकर अनुसंधान, आयकर सेटलमेण्ट कमीश्नर तथा डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिलिकेशन सभी दिल्ली में हैं । चीफ पोस्ट मास्टर जनरल (पश्चिम बंगाल सर्किल) जूट आयुक्त, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट यूनिट, तथा डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेन्ट सभी कलकत्त में हैं । कस्टोडियन ऑफ इनमी प्रोपर्टी, मुंबई, मुंबई, केन्दीय सरकारी स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद, कमीश्नर ऑफ सेन्टर एक्साइज, अहमदाबाद, प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेण्ट इस्टेबिलिशमेण्ट, बालासोर, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना और फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, सभी बैंगलोर में हैं । नार्थ ईस्टर्न फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, विश्वनाथ चाराली, इंडस्टियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट, और नार्थ रीजिनल ऑफिस , पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, दोनों चण्डीगढ़ में हैं । सहायक आयुक्त सेन्ट्रल एक्साइज, धरवार, प्रसार भारती (आकाशवाणी) भोपाल, साउथ रीजिनल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, गर्लाडिनी, सिक्यूरिटी प्रेस, न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स एण्ड सेन्टर फॉर एडवान्स टेक्नोलोजी, सभी हैदराबाद में हैं, प्रसार भारती (आकाशवाणी) इटानगर, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, जवाई (मेघालय) तथा जयपुर, सहायक आयुक्त फॉर: सेन्टर एक्साइज, हुबली, पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन मंडापम कैम्प, राज भाषा विभाग, हिन्दी योजना, जबलपुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , रीजिनल ऑफिस, शिमला, रीजिनल सेन्टर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस, सुलतानपुर, नार्थ ईस्टर्न रीजिनल ऑफिस (पर्यावरण और वन मंत्रालय) शिलांग, तथा पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर, वडौदरा ।

6.5 परिपत्र का उत्तर देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 75 उपक्रमों में से 36 ने यह सूचित किया कि वे अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण तथा विनष्टीकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं । उपक्रमों की सूची इस प्रकार है - सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल खुला विश्वविद्यालय, प्रसार भारती और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिशन सभी दिल्ली में हैं । नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कास्पोरेशन तथा द मेट्रोपोलिटियन ट्रासपोटेशन प्रोजेक्ट (रेलवे) लिमिटेड, दोनों मुंबई में हैं । दामोदर वैली कारपोरेशन, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बोस इस्टीट्यूट सभी कलकत्ता में है । कोचीन शिपयार्ड, कोचीन, विशखापट्टनम् पोर्ट ट्रस्ट तथा डेड्रिग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनो विशाखापटनम में हैं । एच एम टी (अंतर्राष्ट्रीय) तथा जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्स साइन्टिफिक रिसर्च,

दोनों बंगलौर में हैं । हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टम (केरल) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलाजी, रूड़की, इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड, वडौदरा, इंटरनेशनल एडवान्स रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मेटरलरिजी तथा न्यू मैटिरिलिटी, हैदराबाद, ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, पाण्डिचेरी, पणजी और चेन्नई, नार्थ रीजिनल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिसार, अण्डमान एण्ड निकोबार आइलैंड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलेवमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, भारतीय राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार, एण्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलॉजी, दोनों पुणे में हैं । तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, चंडीगढ़, सेन्टर बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर, फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई, एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रूमेण्टेशन, देहरादून, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर, गंगा बाढ़ जल आयोग, पटना, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा, इंडियन एसोशियेशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ सायंस, कलकत्ता ने यह सूचित किया कि अनुभाग प्रभारियों द्वारा समय-समय पर यह कार्य किया जाता है ।

6.6 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई ने यह सूचित किया कि उनके अधिकतर अभिलेख कंप्यूटरीकृत हैं अतः वे उनके विनष्टीकरण की आवश्यकता नहीं समझते । मद्रास फर्टिलाइजर, चेन्नई ने यह सूचित किया कि वे इसके लिए अपनी पद्धति अपना रहे हैं । नेशनल शिड्यूल कास्ट्स एंड शिड्यूल ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह सूचित किया कि स्टाफ की कमी की वजह से वे अभिलेखीकरण का कार्य नहीं कर पा रहे । भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद तथा नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून ने अपने संगठनों को निर्देश जारी कर दिये हैं । इंडियन एकैडमी ऑफ सायंस बंगलौर ने यह सूचित किया है कि अभिलेखों को नष्ट किया जा रहा है, नेहरू युवक केंद्र संगठन, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि अभिलेखीकरण का कार्य उनके मुख्यालय द्वारा किया जायेगा । स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर तथा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किये हैं ।

6.7 निम्नलिखित 26 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है -

इंडियन नेशनल एकेडमी फॉर इंजीनियरिंग, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, एयरपोर्ट आर्थरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल टेक्साटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, सभी दिल्ली में हैं । सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक सांइस, कलकत्ता, इंडियन इंस्टीच्यूट फॉर जिओमैगनिटिज्म, एटोमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, तथा होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया सभी मुबई में हैं । कोकोनट डेवलपमेण्ट बोर्ड तथा कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ही कोचीन में हैं । द वाइल्डलाइफ इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया तथा वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ हिमालयन जिओलोजी, दोनों देहरादून में हैं । इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बंगलौर, राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बटूर , प्रसार भारती, इम्फाल, चंड़ीगढ और भोपाल, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़, सुन्दरनगर और तलवारा, सेन्टर फॉर मैटिरियल फॉर इलैक्ट्रानिक्स टैक्नोलॉजी, पुणे, इंस्टीच्यूट ऑफ रेन मोआस्ट डेसीडोऊस फौरेस्ट रिसर्च, जोरहट, सेन्टर वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, जोधपुर, रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वोमेन, अरामाईल तुरा (मेघालय) तथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6.8 अर्ध प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण के बारे में मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई कार्रवाई पर सूचना प्राप्त करने के लिए 9 मार्च 1998 को भेजे गये परिपत्र संख्या 16 -3/98 आर0 एम0 के प्रत्युत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 4 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि वे रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं - भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, वाराणसी, कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोचीन, मारमुगो पोर्ट ट्रस्ट, गोवा तथा रीजिनल रिकार्ड्स सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस, हैदराबाद, ।

6.9 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 6 उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की -

सेन्ट्र इंस्टीच्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, जयपुर, पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट, पाराद्वीप, सेन्टर पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलौर, नार्थ ईस्टर्न रीजिनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी, तकनीकी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, भोपाल तथा इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर ने यह सूचित किया कि परिपत्र उनपर लागू नहीं होता । एयर इंडिया, मुंबई ने स्थल पर आकर निर्देश देकर सहायता दिये जाने की इच्छा जाहिर की ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेखों का तालिकाकरण

किसी संगठन की प्रशासनिक कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को आवश्यकतानुसार समय पर सूचना प्राप्त हो पाती है या नहीं और यह तभी संभव है जब अभिलेखों से सूचना त्वरित गति से निकाली जा सके । अभिलेखों से सूचना के सरल व त्वरित प्राप्ति के लिए एक अच्छे संदर्भ माध्यम की आवश्यकता पड़ती है । ' क, ख तथा ग - 10 ' श्रेणी के अभिलेखों के वार्षिक विभागीय विषयसूची का संकलन इस कार्य को बहुत हद तक सुगम बताता है । राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक समस्त अभिकरणों को अपने परिपत्र संख्या 16-12/98 - आर एम तथा 16-12/99 - आर एम जो क्रमशः दिनांक 24 अगस्त 1998 तथा 9 अप्रैल 1999 को जारी किया गया, के माध्यम से इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचना प्रेषित करने को कहा । मंत्रालयों /विभागों / कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस बारे में प्रशंसनीय प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

7.1 निम्नलिखित 21 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने इस प्रकार की सूचना प्रेषित की है -

गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया कि सन् 1997 तक की वार्षिक तालिका तैयार कर ली गई है । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह बताया कि चूंकि प्रकार्यात्मक फाइलिंग सिस्टम प्रचलित है अतः तालिका के संकलन की आवश्यकता नहीं है । रेल मंत्रालय ने वार्षिक तालिका को तैयार करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार से अधिकारियों की एक टीम को प्रतिनियुक्त कर उन्हें सलाह व निर्देश देने का अनुरोध किया । शिक्षा विभाग ने यह सूचित किया कि तालिका तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं । केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, दोनों दिल्ली में स्थित, ने यह बताया कि कार्य प्रगति पर है । वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता ने यह बताया कि बाध्यकर मदों पर इंडेक्स फाईल रजिस्टर रखा जा रहा है । मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई ने यह सूचित किया कि वर्गीकरण के मुताबिक आर - डिस, डी0 - डिस व विभाग के अनुसार वार्षिक तालिका संकलित की जा रही है । फारवर्ड मार्केट्स कमिशन, मुंबई ने यह सूचित किया राष्ट्रीय अभिलेखागार की टीम द्वारा स्थल पर जाकर की गई सिफारिश के अनुसार कार्य किया जा रहा है । डिपुटी प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेब्लिशमेंट, बालासोर ने यह सूचित किया कि कार्य हाथ में लिया गया है । आयकर विभाग बंगलौर ने यह सूचित किया कि वर्णक्रम व कार्यालय के अनुसार यह कार्य किया गया है । पायनियर कार्प्स, बंगलौर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय क्षेत्र), लखनऊ, निर्माण मुख्य अभियंता (अनुसंधान एवं विकास, रक्षा मंत्रालय) सिकंद्राबाद, पासपोर्ट कार्यालय, गोवा तथा करंसी नोट प्रेस, नासिक ने काम हाथ में लिये जाने का रिपोर्ट किया है । संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, कटक ने यह इंगित किया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रशिक्षण के बाद वार्षिक क्रमणिका तैयार की जायेगी । केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, कोचीन ने कहा कि शीघ्र ही यह कार्य आरंभ किया जायेगा । उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलोर ने यह बताया नवसृजित कार्यालय होने के कारण यह उन पर लागू नहीं होता । उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, शिलांग ने यह बताया कि मुख्यालय के

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

निर्देशानुसार वे वार्षिक क्रमणिका तैयार कर रहे हैं । उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी, उमसा, उमैन (मेघालय) ने वार्षिक क्रमणिका तैयार करने में दिशा - निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया ।

7.2 निम्नलिखित 125 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है -

रक्षा, पर्यावरण और वन, श्रम, संसदीय मामले, भूतल परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कोयला, न्यायिक मामले और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट के विभागों ,संस्कृति, महासागर विकास, जन वितरण, सप्लाई तथा वोमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेन्ट, विपणन और निरीक्षण के महानिदेशक, नागर विमानन के महानिदेशक, प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन और पर्यटन) रक्षा लेखा महानिदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, आर्म्ड फोर्सेस फिल्म एण्ड फोटो डिवीजन, महानिदेशक, आपूर्ति और परिवहन (क्यू एम जी शाखा) अतिरिक्त महानिदेशालय, सेना डाक सेवा, सेना खरीद संगठन, महानिदेशक, क्वालिटी एन्स्योरेन्स तकनीकी बोर्ड, वायुसेना मुख्यालय, (कोर्डिनेशन शाखा),केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, जोनल काउंसिल सचिवालय,(गृह मंत्रालय) , सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन की संस्था, डायरेक्टरेट ऑफ एडवाइटिजमेन्ट एण्ड विजुअल पब्लिसिटी, प्रधान एकाउन्ट्स कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) , योजना आयोग, नेशनल सेम्पुल सर्वे आर्गनिजेशन, कंप्यूटर सेन्टर, (योजना मंत्रालय) , सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक आथरिटी, सप्लाई एण्ड डिसपोसल के महानिदेशक, डायरेक्टरेट ऑफ प्रीविंटिव आपरेशन्स (कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज) , इण्टर स्टेट काउंसिल सचिवालय (गृह मंत्रालय) आसूचक ब्यूरो, प्रसार भारती (आकाशवाणी) , वोकेशनल सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड एण्ड राष्ट्रपति का सचिवालय, सभी दिल्ली में हैं, बी सी जी वैकसीन, लेबोरेट्री, सक्षम प्राधिकरण, समग्लर एण्ड फौरन एक्सचेन्ज मैनिपुलेटर्स, (फोरफिचर ऑफ प्रोपर्टी) एक्ट, 1976 एण्ड नरौकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेन्स एक्ट 1985, इंट्रीगरल कोच फैक्टरी, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ सेन्टर एक्साइज तथा कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फार एस सी / एस टी सभी चेन्नई में हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, मुंबई- III कमिश्नरेट, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, कस्टोडियन फॉर एनेमी प्रोपर्टी, एडवांन्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एण्ड रीजिनियल इवैल्यूशन ऑफिस (योजना आयोग) सभी मंबुई में हैं । सेव ग्रेन कम्पेन ऑफिस, कमिश्नर फॉर सेन्ट्रल एक्साइज तथा वोकेशनल रिहैबिलेटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, सभी अहमदाबाद में हैं, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, श्रम कल्याण आयुक्त और ऑफिश्यल लिक्यूडेटर हाई कोर्ट, सभी इलाहाबाद में हैं । सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रडार डेवलपमेन्ट इस्टैबिलिस्मेन्ट और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सभी बंगलौर में हैं । केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त का मुख्यालय और डिवीजन कार्यालय सभी बेलगाम । सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, बैलेरी, सेव ग्रेन कम्पेन, क्षेत्रीय कार्यालय और पोसपोर्ट ऑफिस दोनों भोपाल में, ईस्टर्न रीजिनल ऑफिस (पर्यावरण और वन मंत्रालय) और पोस्ट मास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल) दोनों भुवनेशवर में । टर्मिनल बैलिस्टिकस रिसर्च लेबोरेट्री तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय का रीजिनल ऑफिस (नार्थ रीजन) दोनों चंडीगढ़ में, ऑफिस ऑफ द कमिशनर ऑफ कस्टम्स तथा सेन्टर एक्साइज, कोयम्ट्बटूर,,कोचीन डौक लेबर बोर्ड, नेवल साइकोलाजी रिसर्च यूनिट, ऑफिश्यल लिक्यूडिटर हाई कोर्ट ऑफ केरला, पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन,तथा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इनफेक्शन सभी कोचीन में । सर्वेयर जनरलस ऑफिस,

देहरादून, खान महानिदेशक, धनबाद, सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद, धारवार, रीजिनल डायरेक्टरशिप ऑफ अप्रैन्टिशिप ट्रेनिंग, फरीदाबाद, साऊथ रीजिनल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट, गर्लडीन, ज्वाइंट डायरेक्टर, फौरेन ट्रेड तथा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, दोनों गौहावटी में । केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय, गुंटूर, केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय, गुलबर्ग, सेव ग्रेन कमपेन ऑफिस, न्यूक्लियर फ्यूल काम्पेलक्स, क्वालिटी कन्ट्रोल सेल (फूड एण्ड सिविल सप्लाईस मंत्रालय), सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, कमिश्नर ऑफ कस्टम एण्ड एक्साइज, हैदराबाद, कमिशनरेट तथा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश, सभी हैदराबाद में,। सहायक कमिश्नर सेन्ट्रल एक्साइज, हुबली, प्रसार भारती (आकाशवाणी) इटानगर, रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वोमेन, इंदौर, कोचिंग-कम-गाइडेन्स सेंटर फॉर एस सी / एस टी और प्रसार भारती (आकाशवाणी) दोनों ही जयपुर में । कोचिंग-कम-गाइडेन्स सेंटर फॉर एस सी / एस टी, ज्वाई (मेघालय), केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, श्रम कल्याण संगठन, कर्मा (झुमरी तलैया), रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज तथा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड दोनों कानपुर में । प्रसार भारती (आकाशवाणी) करवार तथा मैडीकीरी, नेशनल अकादमी ऑफ एडिमिस्टेशन, मंसूरी, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मनडापम कैंप, पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर, कमिशनर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी एण्ड मॉडल वाइटल स्टैटिस्टिक्स यूनिट, सभी नागपुर में । पोसपोर्ट ऑफिस, पटना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (मध्य अंचल) तथा रीजिनल सेन्टर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस, सभी पुणे में । कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज कमिशनरेट, राजकोट, कमिशनरेट कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, रायपुर, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, राँची, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, और मुख्य निर्माण अभियंता, (अनुसंधान और विकास, रक्षा मंत्रालय) दोनों सिकन्दराबाद में । क्षेत्रीय कार्यालय (नार्थ ईस्ट जोन) पर्यावरण और वन मंत्रालय और महानिदेशक विदेश व्यापार, दोनों शिलांग में, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा प्रोग्राम इवैल्यूशन आर्गनाइजेशन दोनों शिमला में, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फार एस सी / एस टी, सूरत, रीजिनल सेन्टर फार एयरवर्थनेस, सुल्तानपुर, प्रसार भारती (आकाशवाणी) तिरूअनंतपुरम, नेवल साइंस एण्ड टेक्नीकल लेबोरेट्री, विशाखापट्टनम तथा रिहैबिलेटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड वोमेन, वडोदरा ।

7.3 जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कॉरपोरेशनों/समितियों का सवाल है, 74 ने इस विभाग के परिपत्र का जवाब दिया । उनमें से सिर्फ 9 ने यह बताया कि यह कार्य उनके यहाँ चल रहा है । 5 ने बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता । 56 ने शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत की । 2 अपनी स्वयं की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं तथा 2 ने अस्पष्ट उत्तर दिया ।

7.4 जैसा कि ऊपर बताया गया है निम्नलिखित 9 संगठन अभिलेखों की क्रमणिका तैयार करने में संलग्न है - सेन्ट्रल हाऊसिंग कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड, नई दिल्ली में दोनों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों मुबंई में, बोस इंस्टीच्यूट, कलकता, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी, रूडकी, जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फार एडवान्स साइन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर, तकनीकी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, चंडीगढ़ तथा पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, नोयडा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

7.5 निम्नलिखित 4 उपक्रमों ने यह बताया कि क्रमणिका तैयार करने का कार्य उन पर लागू नहीं होता है । नेहरू युवा केन्द्र संगठन तथा पेट्रोलियम संरक्षण अनुंसधान एसोसिशयन दोनों नई दिल्ली में, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, चेन्नई तथा इंस्टीच्यूट ऑफ मोआस्ट डेसीडियूस फौरेस्ट रिसर्च, जोरहट ।

7.6 2 संस्थाएँ जो अपने कार्य पद्धति का अनुसरण का रही है वे हैं भारतीय काजू निर्यात प्रोन्नयन परिषद, कोचिन तथा ब्रिटिश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर, । भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, तथा हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट, कोट्टायम (केरल) ने इस संबंध में अस्पष्ट उत्तर दिये हैं ।

7.7 निम्नलिखित एजेंसियों ने शून्य रिपोर्ट अग्रसारित की है -

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति, वित्त एवं विकास कारपोरेशन, इंडियन एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नेशनल बिल्डिंग कंस्टक्शन कारपोरशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, एयर पोर्ट आथरिटी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय और नेशनल टेक्साटइल कारपोरेशन लिमिटेड, सभी दिल्ली में । एटम एन्र्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ्स, होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मेट्रोपोलिटियन ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) तथा इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म सभी मुंबई में, । दामोदर वैली कारपोरेशन, सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक सांइन्सेस, इंडियन एसोसिशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सांइन्स, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सभी कलकत्ता में । कोकोनट विकास बोर्ड, कोचीन, शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन, इंडियन प्लाईवुड इंस्ट्रस्टियल्स रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, एच एम टी, इंडियन एकेडमी ऑफ सांइन्स तथा रमन रिसर्च इंस्टीच्यूट सभी बंगलौर में । इंडियन एसोसिशन फार कल्टीवेशन ऑफ सांइन्स, जादवपुर, नार्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट, हिसार , इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव, वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ हिमालयन जियोलौजी, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया, एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर इलेक्टॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेन्टेशन तथा द नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर विजुवली हैन्डीकैप्ड सभी देहरादून में । राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बयटूर, अण्डमान निकोबार आइलैण्ड फौरेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपेमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, सेन्टर फॉर मेटिरियल्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलाजी, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रापिकल मेट्रोलॉजी तथा राष्ट्रीय चलचित्र अभिलेखागार, सभी पुणे में । भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवारा, सुन्दरनगर और चंडीगढ़, सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमिटी एण्ड इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, दोनों वड़ोदरा में । नार्थ ईस्टर्न इलैक्टिकल्स पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग, सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी तथा इंटरनेशनल एडवान्स रिसर्च सेन्टर फॉर पाऊडर मेटरलर्जी एण्ड न्यू मैटरलर्जी, दोनों हैदराबाद में, विश्वाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट तथा डेड्रिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों विशाखापट्टनम, ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन, पांडिचेरी, पणजी (गोआ), इम्फाल, चंडीगढ़, चेन्नई और भोपाल, रीजिनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, खड़्गपुर, सेन्टर वूल डेवल्पमेंट बोर्ड, जोधपुर, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई, गंगा फल्ड वाटर कमीशन, पटना तथा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड , नोयडा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख - प्रतिधारण समय -सूची का संकलन

सभी संबंधित अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा बहुतायत में अभिलेखों का सृजन यह माँग करता है कि अभिलेखों के सृजन एवं विनष्टीकरण के बीच एक औचित्यपूर्ण अनुपात होना चाहिए । यदि अभिलेखों के परिमाण को व्यवस्था क्षमता - सीमा के भीतर रखा जाये तो इससे उन्हें वैज्ञानिक रूप से परिरक्षित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त फंड, स्थान एवं मानवशक्ति की बचत हो सकती है । इस विशाल समस्या का जिस एक आधारभूत पद्धति द्वारा हल निकाला जा सकता है वह है अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा मूल प्रकृति के कार्यों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन किया जाना जिसके तहत इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए अभिलेखों के समूह की एक समान प्रतिधारण सूची तैयार की जाती है । इसके अलावा प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते कार्यो के पुनर्वितरण के कारण भी हरेक पाँच साल में नवीन विषय शीर्षों/समूहों, प्रतिधारण अवधि के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की सलाह से प्रतिधारण समय सूची की पुनरीक्षा की आवश्यकता पड़ती है । लोक अभिलेख अधिनियम के खंड 6 (i) (ड0) के मुताबिक इस प्रकार की प्रतिधारण सूची राष्ट्रीय अभिलेखागार की सलाह से तैयार की जानी चाहिए । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी संबंधित अभिकरणों से परिपत्र संख्या 16-12/98 आर एम तथा 16-12/99 आर एम क्रमशः दिनांक 24 अगस्त 1998 तथा 9 अप्रैल 1999 के तहत विषयों के बारे में सूचना माँगी । इस संबंध में प्राप्त सूचना के सार को नीचे प्रस्तुत किया गया है -

8.1 26 कार्यालयों ने यह सूचना दी कि उन्होंने प्रतिधारण समय सूची का संकलन किया है । उनकी सूची इस प्रकार है - पर्यावरण और वन, रक्षा, सूचना और प्रसारण, गृह , श्रम, संसदीय मामले, रेलवे, भू परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय, कोयला, विधि मामले और वैधानिक विभाग, सार्वजनिक वितरण, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, उत्तरी क्षेत्र सचिवालय (गृह मंत्रालय) और आपूर्ति और निपटान महानिदेशक जो सभी नई दिल्ली में हैं, अनु0 जा0/अनु0 ज0 जा0 के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र, चेन्नई अग्रवर्ती बाजार आयोग, फिल्म प्रमाणीकरण केन्द्रीय बोर्ड और विक्लांग के लिए व्यवसायिक पुनर्स्थापन केन्द्र जो सभी मुंबई में हैं, मछली तटीय इंजीनियरिंग केन्द्रीय संस्थान, बंगलोर, महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून, शिक्षुता प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, फरीदाबाद और मुख्य निर्माण अभियंता (शोध और विकास), सिकंदराबाद ।

8.2 नीचे उल्लिखित 23 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता है - प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो), गुणवत्ता सुनिश्चयन महानिदेशक (प्रौद्योगिकी समन्वय), प्रशिक्षण और प्रबंधन सचिवालय संस्थान और हवाई मुख्यालय जो सभी नई दिल्ली में हैं, पटसन विकास निदेशालय, कलकत्ता, प्रादेशिक मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई, अनाज बचाओ अभियान प्रादेशिक कार्यालय, अहमदाबाद, पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल, केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, बेल्लारी, प्रादेशिक कार्यालय, (अपारंपरित ऊर्जा स्रोतों का मंत्रालय) भुवनेश्वर, अग्रणी कोर, बंगलोर, केन्द्रीय राजस्व ओर सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, धारवार, केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, हुबली, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना संयुक्त निदेशक, जबलपुर, कम्पनियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश और अनाज बचाओ अभियान प्रादेशिक कार्यालय जो दोनों ही हैदराबाद में हैं, अनु0 जा0 /अनु ज जा के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

नागपुर,प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) माडिफेरी, अनु जा/अनु जन जा0 के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र, राँची, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, सिकंदराबाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रादेशिक कार्यालय, शिमला, प्रसार भारती (आल इंडिया रेडियो) तिरूवनन्तपुरम और विकलांग महिला के लिए पुनर्वास केन्द्र, वदोदरा ।

8.3 निम्नलिखित 58 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है - संस्कृति, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, नागर विमानन (तकनीक केन्द्र), मुख्य लेखा कार्यालय (नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय), सैनिक खरीद संगठन, रक्षा लेखा महानियंत्रक, वायु मुख्यालय, सैन्य बल फिल्म और फोटो-प्रभाग, सैन्य डाक सेवा सहायक महानिदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीमा शुल्क और केन्दीय राजस्व सुरक्षात्मक प्रचालन निदेशालय और राष्ट्रपति सचिवालय जो सभी नई दिल्ली में हैं, मुख्य पोस्टमास्टर (पश्चिम बंगाल सर्किल) फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र, लौह और इस्पात विकास आयुक्त, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान विकास इकाई और औद्योगक सांख्यिकी विंग (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) जो सभी कलकत्ता में हैं, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, चेन्नई, शत्रु संपत्ति रक्षक और केन्द्रीय राजस्व आयुक्त जो दोनों ही मुम्बई में हैं, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त और विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जो दोनों अहमदाबाद में हैं, केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क प्रभाग, सहायक आयुक्त, बेलगाँव, प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो) भोपाल, प्रमाण और प्रायोगिक स्थापना , बालासोर, विदेश व्यापार महानिदेशक, कटक , सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, कोयम्बटूर, पासपोर्ट कार्यालय, गोवा, केन्द्रीय राजस्व सहायक आयुक्त, गुलबर्गा, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त गुण्टूर, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त हैदराबाद कमिश्नरेट, सेक्यूरिटी प्रेस, अनाज बचाओ अभियान कार्यालय और गुणवत्ता नियंत्रण सेल (खाद्य और नागर आपूर्ति विभाग) जो सभी हैदराबाद में हैं प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो), इटानगर, महिलाओं के लिये प्रादेशिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इन्दौर, अनु0 ज0/ अनु0 ज0 जा0 अनुशिक्षण व मार्ग दर्शन केन्द्र और प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो), जो दोनों ही जयपुर में हैं, कोचीन गोदी श्रम बोर्ड , कोची, कम्पनियों के पंजीयक, कानपुर, प्रसार भारती (ऑल इंडिया रेडियो), कारवार, श्रम कल्याण संगठन , कर्मा (झुमरी तलैया), बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मदुरई, केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क आयुक्त और आदर्श महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई जो दोनों ही नागपुर में हैं, सी पी डब्ल्यू डी, पुणे, सीमाशुल्क, और केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, रायपुर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व कमिश्नरेट राजकोट, मिलीटरी उड़न योग्यता प्रादेशिक केंद्र, सुल्तानपुर, उत्तर पूर्वी (प्रादेशिक कार्यालय) (पर्यावरण और वन मंत्रालय), शिलौंग, अनु जा/अनु जन जा के लिए अनुशिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्र, सूरत, कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) जो दोनों शिमला में हैं तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वदोदरा ।

8.4 निम्नलिखित 8 कार्यालयों द्वारा अस्पष्ट उत्तर दिया गया - लेखा कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) और विकलांगों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र जो दोनों ही नई दिल्ली में हैं, समेकित कोच कारखाना, चेन्नई, कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, जल सेना मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इकाई, कोची, मिलीटरी उड़न योग्यता प्रादेशिक केन्द्र, पुणे, विपणन और अन्वेषण निदेशालय, नागपुर और विपणन और अन्वेषण निदेशालय नासिक ।

8.5 निम्नलखित कार्यालयों ने यह सूचना दी कि वे अपने मुख्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं - विदेश व्यापार उप महानिदेशक, शिलौंग, अनाज बचाओ कार्यालय, भोपाल, पासपोर्ट कार्यालय, पटना, जल सेना संबंधी विज्ञान और तकनीक प्रयोगशाला,

विशाखापट्टनम ब्रांच सचिवालय (विधि मामले और वैधानिक विभाग) बंगलोर , सक्षम अधिकारी, तस्कर और विदेश विनियम छल साधक अधिनियम (संपत्ति जब्ती) 1976 और स्वापक (नारकौटिक) दवाइयाँ और साइकोट्रौपिक पदार्थ अधिनियम 1885, चेन्नई ।

8.6 अन्य प्राप्त उत्तरों के सार के नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है - केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन कोचि ने यह सूचित किया कि प्रतिधारण समय सूची के जल्द से जल्द तैयार कर लिया जायेगा । आफिशयल लिक्विडेटर हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने यह सूचना दी है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है क्योंकि कंपनियों के परिसमापन से संबंधित अभिलेख की मिल्कियत उच्च न्यायालय की होती है । इसी प्रकार कोचि स्थित केरल उच्च न्यायालय के ऑफिशियल लिक्विडेटर ने यह बताया कि कंपनियों के परिसमाप्त होने तक सभी अभिलेखों को परिरक्षित किया जाना है उप महानिदेशक विदेश व्यापार, गुवाहाटी ने यह सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वे एक अधीनस्थ कार्यालय हैं । महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली, आयकर विभाग तथा मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) , दोनों बंगलोर में स्थित ने यह सूचित किया कि जहाँ तक संभव हो पाया है एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत अभिलेखों के प्रतिधारण का कार्य किया जा रहा है । उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई ने यह सूचित किया है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई ने यह सूचना उपलब्ध कराई है कि स्टाफ की कमी के कारण उनके द्वारा प्रतिधारण सूची का संकलन संभव नहीं हो पायेगा । करेंसी नोट प्रेस, नासिक तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय दोनों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण / निर्देश की माँग की है । दक्षिण क्षेय फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट, गालीडिन्ने ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण सूची नहीं तैयार की है । वोकेशनल रीहैबिलिटेशन, सैंटर फॉर हैंडीकैप्ड, कानपुर ने अस्पष्ट उत्तर देते हुए यह बताया कि समय - समय पर रिपोर्ट जमा करने के लिए वहाँ रिकार्ड कीपर के एक पद का सृजन किया जा सकता है । इसी प्रकार, कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर ने यह बताया कि उनके मामले में यह आवश्यक नहीं है । मद्रास डॉक लेबर बोर्ड, चेन्नई ने यह बताया कि वे टोटेनहाम प्रणाली की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं । महासागर विकास विकास , नई दिल्ली तथा केन्द्रीय जल तथा बिजली केन्द्र, पुणे दोनों ने यह बताया कि अभिलेख प्रतिधारण समय सूची के अनुसार कार्रवाई की जा रही है । महिला एवं बाल कल्याण विभाग कंप्यूटर सेंटर (योजना मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, सभी नई दिल्ली में स्थित तथा नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकंद्राबाद ने यह सूचित किया है कि जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित है, उस पद्धति का वे अनुसरण कर रहे हैं । बी सी जी वेक्सीन लेबोरेटरी, चेन्नई, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली तथा उत्तर -पूर्व पुलिस अकादमी उमसा, उमैन (मेघालय) ने यह सूचित किया है कि वे कार्यालय पद्धति मैनुअल तथा सामान्य वित्तीय नियमों का अनुसरण कर रहे हैं । राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी ने यह बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कार्य किया जायेगा जिस समय कोई प्रशिक्षण कार्य नहीं चल रहा होता है । विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली ने यह बताया कि इस संबंध में कार्रवाई की प्रक्रिया पर उनके द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है । कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर फॉर एस सी / एस टी, जोवाई ने यह सूचित किया है कि चूंकि उनके संस्थान ने अभी पाँच वर्ष पूरे नहीं किये हैं अतः प्रतिधारण समय सूची के संकलन का अभी प्रश्न नहीं उठता है । उत्तर क्षेत्रीय सचिवालय । (गृह मंत्रालय) , नई दिल्ली ने यह बताया है कि उनका वर्तमान प्रतिधारण समय सूची अभी ठीक प्रकार से चल रहा है और किसी पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

8.7 पर्यावरण एवं वन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) चंडीगढ, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति कोचिंग एवं गाइडेंस सेंटर, कलकत्ता, श्रम कल्याण आयुक्त इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनवाद ने यह सूचित किया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्रतिधारण समय सूची का संकलन करना चाहते हैं ।

8.8 केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त पुणे तथा केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त , बेलगाम मुख्यालय, दोनों ने यह बताया कि वे अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं ।

8.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 77 ने सूचना प्रेषित की । 9 ने यह सूचित किया कि उन्होंने अभिलख प्रतिधारण सूची तैयार कर ली है । एक ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी । 7 ने अस्पष्ट सूचना प्रेषित की । एक राष्ट्रीय अभिलेखागार से निर्देश पाने के बाद संकलन करेंगे । 6 को अभी कार्य आरंभ करना है तथा 46 ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है ।

8.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने प्रतिधारण सूची का संकलन किया उनके नाम इस प्रकार हैं - प्रसार भारती, नई दिल्ली, मद्रास उर्वरक लिमिटेड, चेन्नई, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, मुम्बई , तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिस्सार विशाखापटनम बंदरगाह ट्रस्ट, विशाखापट्टनम, भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लिमिटेड , वदोदरा ओर मजदूर शिक्षण केन्द्रीय बोर्ड नागपुर ।

8.11 इंडियन एसोशियेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सायंस कलकत्ता इसकी आवश्यकता नहीं महसूस करते ।

8.12 जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र तथा बोस संस्थान दोनों कलकत्ता में ने यह सूचित किया कि प्रतिधारण सूची का संकलन किया जा रहा है ।

8.13 सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0, मुंबई, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि0 कोट्टायम (केरल) तथा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटैड, विशाखापट्टनम अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं ।

8.14 न्येवैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि0, चेन्नई ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से दिशा - निर्देश के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार से अनुरोध किया है ।

8.15 नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, मुंबई, स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, वाडिया हिमालय भूगर्भ संस्थान, नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर विजुअली हैंडीकेप्ड, दोनों देहरादून स्थित, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वीमेन, अढ़ाईमाइल तुरा (मेघालय) तथा इंस्टीच्यूट ऑफ रेन एंड म्वाइस्ट डेसिडुअस फारेस्ट रिसर्च, जोरहाट ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है ।

8.16 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 6 उपक्रमों ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रतिधारण सूची का कार्य अभी आरंभ किया जाना है - हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वित्त और विकास निगम जो दोनों ही नई दिल्ली में है, निर्यात ग्रहण गैरंटी निगम लिमिटेड, मुम्बई, भारत डाइनैमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, राज्य वन कॉलेज, कोयम्बटूर और गंगा बाढ़ जल आयोग, पटना ।

8.17 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 46 उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है - भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, जो सभी नई दिल्ली में हैं, पाइराइट्स फॉस्फेट और केमिकल्स लिमिटेड, नोयडा, भारतीय होटल निगम, परमाणु ऊर्जा नियंत्रक बोर्ड, भारतीय दुर्लभ मृदा लिमिटेड और मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्रोजेक्ट (रेलवे) जो सभी मुम्बई में हैं, दामोदर घाटी निगम, सत्येन्द्रनाथ बोस राष्ट्रीय मूल

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विज्ञान केन्द्र, भारतीय टायर निगम और भारतीय विज्ञान विकास सभा, जो सभी कलकत्ता में हैं, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान और एच एम टी लिमिटेड, जो सभी बंगलोर में हैं, रिज्योनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेन्टर, खड्गपुर, नारियल विकास बोर्ड, भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद और कोचीन शिपयार्ड जो सभी कोची में हैं । इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पदार्थ केन्द्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो दोनों ही पुणे में है, भारतीय वन जीवन और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इन्सट्रूमेन्टेशन जो दोनों देहरादून में हैं, अन्दमान और निकोबार द्वीप वन और रोहण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और पाउडर मेटलर्जी और नये पदार्थों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकसित अनुसंधान केन्द्र जो दोनों हैदराबाद में है, राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी संस्थान, रूड़की, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, भिलाई, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वदोदरा, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़, तलवारा और सुन्दरनगर, भारतीय ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगाँव और प्रसार भारती, पांडिचेरी, पानाजी, इम्फाल, चंडीगढ़, चेन्नई और भोपाल ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण

संबंधित प्रौद्योगिकी के साथ सूचना युग का आगमन, सूचना सुरक्षा, उनके अपग्रेडिंग तथा उनकी अनावश्यक गोपनीयता के क्षेत्र में परिवर्तन की मांग करता है । वर्गीकरण के कारण सरकार को अपने क्रियाकलाप में शर्मिदगी उठानी पड़ सकती है । अतः जब अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाये तब सारी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए और यह ध्यान में रखा जाये कि इस प्रकार के अभिलेख आवश्यकता से अधिक समय तक वर्गीकृत न रहें । तथापि विभाग के क्रियाकलाप के हितों की दृष्टि से अभिलेखों की आवधिक समीक्षा तथा उनका निम्नगामी श्रेणीकरण आवश्यक है । लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (च) तथा लोक अभिलेख नियम 1997 का नियम 7 वर्गीकृत अभिलेखों के अवश्रेणीकरण अथवा निम्नगामी श्रेणीकरण के बारे में विस्तृत पद्धति पर प्रकाश डालता है । वर्गीकृत अभिलेखों के अवश्रेणीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए तथा उनके द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना एकत्र करने के लिए अभिलेख महानिदेशक के वार्षिक रिपोर्ट के संकलन हेतु - दो परिपत्र 16-12/98 आर एम दिनांक 24 अगस्त 1998 तथा 16-12/99 दिनांक 9 अप्रैल 1999, जारी किये गये । इसके अलावा दो और परिपत्र संख्या 16-4/98 आर0 एम0 दिनांक 9 मार्च 1998 तथा 16-4/99 आर एम दिनांक 23 मार्च 1999 सभी संगठनों को जारी किया गया । इसमें उनसे लोक अभिलेख नियम 1997 के नियम 7 के उप नियम (5) के तहत अर्धवार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण करने के लिए कहा गया । इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के ब्यौरे को नीचे प्रस्तुत किया गया है -

ऐसे संगठन जिन्होंने अर्धवार्षिक सूचना का प्रेषण किया, उनकी सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध VII पर देखी जा सकती है । कुल मिला कर 83 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने परिपत्र का जवाब दिया । प्राप्त सूचना को वर्गीकृत कर मोटे तौर पर उसे निम्नलिखित समूहों में बाँटा गया है -

9.1 निम्नलिखित 38 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने यह सूचित किया कि वे वर्गीकृत अभिलेखों को समय - समय पर अवश्रेणीकृत किये जाने के संबंध में कार्य कर रहे हैं - सूचना और प्रसारण, रेलवे, भूतल परिवहन, जल संसाधन, गृह मंत्रालय, विधि मामले और विधान विभाग, महासागर विकास विभाग, योजना आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, मार्केटिंग और निरीक्षण महानिदेशालय, अतिरिक्त महानिदेशक, रिमोउंट एण्ड वेटनरी ब्रांच, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा सेंटर फॉर इन्वायरनमेंट एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी (सी ई ई एस) सभी नई दिल्ली में स्थित, आयरन और स्टील विकास आयुक्त और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) दोनों कलकत्ता में स्थित, कपास विकास का निदेशालय, फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, सेन्ट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टीफिकेशन एण्ड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ट सभी मुंबई में स्थित, रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वोमेन, अरामिली तुरा (मेघालय) , श्रम कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगाम मुख्यालय, आयकर विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड रडार विकास स्थापना दोनों बंगलोर में, क्षेत्रीय कार्यालय, (पर्यावरण और वन मंत्रालय) , भुवनेश्वर, प्रूफ और प्रयोगिक स्थापना, बालासोर, टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेब्रोट्री, चंडीगढ़, विदेश व्यापार के संयुक्त निदेशक, कटक, रीजिनल इवलयूशन ऑफिस तथा कमीशनर ऑफ कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, हैदराबाद II कमिशनरेट दोनों हैदराबाद में, पासपोर्ट, गोआ, प्रसार भारती (आकाशवाणी) तथा साल्ट कमिशनर दोनों जयपुर में, सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर

स्टेशन, पुणे, कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स, नागपुर, चीफ कस्ट्रक्शन इंजीनयरिंग (अनुसंधान और विकास, रक्षा मंत्रालय), सिकंदराबाद, रीजिनल ऑफिस (नार्थ ईस्टन रीजन), पर्यावरण और वन मंत्रालय, शिलांग, और प्रसार भारती (एयर), तिरूअनंतरपुरम,

9.2 निम्नलिखित 6 कार्यालयों ने अस्पष्ट सूचना दी है - वोकेशनल रिहैबिलेटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली, इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई, प्रोग्राम इवल्यूशन ऑफिस, अहमदाबाद, विपणन और निरीक्षण महानिदेशक, नागपुर और क्षेत्रीय केन्द्र फॉर एयरवर्थनेस, पुणे ।

9.3 निम्नलिखित 3 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने यह बताया कि वे अपने मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों का इस संबंध में पालन कर रहे है - विदेश व्यापार महानिदेशालय, कलकत्ता, महानिदेशक आपूर्ति एवं यातायात (क्वाटर मास्टर जनरल ब्रांच), नई दिल्ली तथा नौ विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टणम ।

9.4 जिन 16 कार्यालयों ने यह बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता, उनकी सूची इस प्रकार है - कन्ट्रोलर जनरल ऑफ रक्षा एकाउंट्स और प्रसार भारती (एयर) दोनों दिल्ली में स्थित, रीजिनल इवल्यूशन ऑफिस, मुबंई, सेव ग्रेन कैम्पेन (रीजिनल ऑफिस) अहमदाबाद, पासपोर्ट ऑफिस, भोपाल, पोस्ट मास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल), भुवनेश्वर, अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय, फरीदाबाद, विपणन और निरीक्षण निदेशालय और डाक श्रम बोर्ड, दोनों कोच्चि में, रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, पासपोर्ट ऑफिस, पटना, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फार एस टी/एस टी, रांची, रीजिनल ऑफिस (पर्यावरण और वन मंत्रालय), शिमला, कॉलेज ऑफ रक्षा प्रबंधन, सिक्दंराबाद, उप निदेशक जनरल विदेश व्यापार, शिलांग और नार्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी, उमसा, उमिआम (मेघालय) ।

9.5 निम्नलिखित 17 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ वर्गीकृत अभिलेख उपलब्ध नहीं है - संसदीय कार्य मंत्रालय, आपूर्ति विभाग, महानिदेशक, सप्लाई एण्ड डिस्पोजल्स, कंप्यूटर सेन्टर (योजना मंत्रालय) ,अंतर्राज्यीय काउंसिल सचिवालय, जोनल काउंसिल सचिवालय और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सभी दिल्ली में स्थित हैं, बी सी जी. वैक्सीन लेब्रोट्री, चेन्नई, ऑफिस लिक्यूडेटर, हाई कोर्ट,इलाहाबाद, शाखा सचिवालय (लीगल अफैयर्स एण्ड लेजिस्लेटिव विभाग, बंगलोर), संयुक्त निदेशक, सामान्य विदेश व्यापार, पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर, मदुरई, करेंसी नोट प्रेस, नासिक, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, प्रसार भारती (आकशवाणी) मैडीकेरी, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, नागपुर तथा नेशनल इँस्टीच्यूट फॉर मेन्टली हैन्डीकैप्ड, सिकंदराबाद ।

अन्य उत्तरों के सार को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

9.6 कोच्चि स्थित केरल उच्च न्यायालय के आफिशियल लिक्विडेटर ने यह बताया कि कंपनियों के विघटित होने तक अभिलेखों को सुरक्षित रखना पड़ता है और तत्पश्चात् भी अतिरिक्त पाँच वर्षों तक अभिलेखों को रखने की आवश्यकता पड़ती है । श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली, महानिदेशक, खनन सुरक्षा, धनबाद तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई ने यह बताया स्टाफ की कमी की वजह से कार्य नहीं किया जा सका । महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । कोचिन डॉक लेबर बोर्ड, कोचि ने यह सूचित किया कि हाल ही में उनके यहाँ अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति हुई है तथा अभिलेखों के वर्गीकरण का कार्य चलाया जा रहा है । गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता ने

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

यह बताया कि यह कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि वर्गीकृत अभिलेखों की पुनरीक्षा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं है । रक्षा अनुसंधान एवं विकास इकाई, कलकत्ता ने यह बताया कि उनके यहाँ यह कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका कार्यालय मात्र एक संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करता है । सशस्त्र सेना फिल्म व फोटो प्रभाग, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि प्रभाग द्वारा सशस्त्र सेना के लिए जब वर्गीकृत फिल्म बनाई जाती है तो उसे अवश्रेणीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके श्रेणीकरण का महत्व कभी भी समाप्त नहीं होता है । पायनियर कार्पस, बंगलोर ने यह सूचित किया कि जब भी आवश्यक होता है अभिलेखों का अवश्रेणीकरण किया जाता है । सक्षम प्राधिकारी, स्मगलर्स एण्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फोरफीचर ऑफ प्रोपर्टी) एक्ट, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, चेन्नई ने यह बताया कि चूंकि कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है अतः इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई । क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर - पूर्व क्षेत्र), चण्डीगढ़, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा कोच्चि स्थित केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण तकनीकी अभिलेख स्थाई प्रकृति के होते हैं तथा उनके अवश्रेणीकरण की आवश्यकता नहीं है । दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, गारलेंडादून ने यह बताया कि यह कार्य नहीं किया गया क्योंकि उनका अधिकांश अभिलेख ' ग ' श्रेणी का है । महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी, कलकत्ता ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ अभिलेखों को वर्गीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । नई दिल्ली स्थित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा शिक्षा विभाग ने यह बताया कि इस संबंध में सभी अनुभागों को परिपत्र जारी किया जा चुका है । राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने यह बताया कि इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

9.7 निम्नलिखित 97 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है -

औद्योगिकी नीति और प्रोन्नयन विभाग, लघु उद्योग और एग्रो, ग्रामीण उद्योग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, संस्कृति, महिला एवं शिशु कल्याण, केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स, विस्तार निदेशालय (कृषि मंत्रालय) संयुक्त संचिव का कार्यालय (प्रशिक्षण) और सी ए ओ, आर्मी पर्चेज ऑर्गनाइजेशन, स्कूल ऑफ फौरेन लैगवेज, महानिदेशक, स्वास्थ्य सवाएँ, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, कलावती सरण चिल्ड्रेन्स हास्पिटल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनौलॉजी एण्ड फौरन्सिक साइन्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ एडवाइटजमेन्ट एण्ड विजिवल पब्लिसिटी, नेशनल सेम्पुल सर्वे ऑर्गनाइजेशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एवियेशन सिक्यूरिटी, डायरेटरेट ऑफ प्रीवेंटिव ऑपरेशन्स (कस्टम एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज), प्रधान लेखा कार्यालय (नागर उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय), वायु मुख्यालय, अतिरिक्त महानिदेशालय, सेना डाक सेवा, निदेशक, जनरल क्वालिटी एशयूरेन्स (टेक्क कूर्ड) एण्ड इंस्टीच्यूट ऑफ सेकेट्रेरियट ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेन्ट, सभी नई दिल्ली स्थित हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल (पं0 बंगाल अंचल) सेन्ट्रल फूड लेब्रोट्री, इंडस्ट्रियल सांख्यिकी विंग (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) तथा मोबाइल सिविल एमरजेन्सी फोर्स सभी कलकत्ता, कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, कोचिग क़म गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी एण्ड बी सी जी वैक्सीन लेब्रोट्री, सभी चेन्नई में, कस्टोडियन ऑफ इनमी प्रोपर्टी, एडवांन्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, आयुक्त का कार्यालय केन्द्रीयं उत्पाद शुल्क, मुंबई II, आयुक्त का कार्यालय, सहायक ड्रग्स कंट्रोलर एण्ड सेन्ट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेब्रोट्री, सहायक ड्रग्स कन्ट्रोलर एण्ड सेन्ट्रल ड्रग्स टेस्टिंग लेब्रोट्री, सभी मुंबई में स्थित, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और उपायुक्त कल्याण दोनों इलाहाबाद में

स्थित, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड वोकेशनल रिहैबिलटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड दोनों अहमदाबाद में स्थित, चीफ जनरल मैनेजर, हरियाणा टेलिकाम सर्किल, अहमदाबाद, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, आसनसोन, भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापना, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिणी क्षेत्र (पर्यावरण और वन मंत्रालय) उप वन संरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट फॉर कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और मुख्य श्रम आयुक्त सभी बंगलोर में स्थित, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भुवनेश्वर, सेव ग्रेन कैम्पेन ऑफिस, भोपाल, सहायक आयुक्त ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, बेलरी, सहायक कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, बेलगम डिवीजन, बेलगाम, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) तथा क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय) दोनों चंड़ीगढ़ में स्थित । पोस्ट मास्टर जनरल एण्ड कमीश्नर फॉर सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स दोनों कोयम्बटूर, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, कटक, केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, गुंटूर, कोचिंग कम गाइडेन्स सेंटल फॉर एस सी / एस टी, हिसार, सिक्यूरिटी प्रिटिंग प्रेस, सेव ग्रेन कमपेन क्षेत्रीय कार्यालय, और न्यूक्लिक फ्यूल कम्पलेक्स, क्वालिटी कन्ट्रोल सेल (फूड एण्ड सिविल सप्लाई) सभी हैदराबाद में स्थित, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम, धारवाड़, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम, हुबली, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन, गुलबर्ग, सेन्टर फॉर एडवान्स्ड टेक्नोलॉजी एण्ड रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वोमेन, दोनों इंदौर में स्थित, प्रसार भारती (आकाशवाणी) इटानगर, भारत सरकार, पर्यटन कार्यालय, और कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, दोनों जयपुर में स्थित, वोकेशनल रिहैबिलेटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, जबलपुर, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, ज्वाई (मेघालय), रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, उत्तर प्रदेश तथा वोकेशनल रिहैबिलेटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड, दोनों कानपुर में स्थित, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, काठगोदाम, ऑफिस लिक्यूडेटर, हाई कोर्ट, विपणन और निरीक्षण महानिदेशालय, और मनोविज्ञानिक अनुसंधान रक्षा संस्थान, नेवल साइकोलाजिकल रिसर्च यूनिट (एन पी आर यू) सभी कोच्चि में, गर्वनमेण्ट मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मदुरई, पोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, मैनडापाम कैम्प, मॉडल वाइटल हेल्थ स्टैस्टिकक्स यूनिट, नागपुर, सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, भारत का फिल्म एण्ड टेलिविजन संस्थान और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (पुणे मध्य अंचल) सभी पुणे में स्थित, कस्टम और केन्दीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजकोट, क्षेत्रीय कार्यालय, (नार्थ ईस्ट क्षेत्र) (पर्यावरण एण्ड वन मंत्रालय) शिलांग, प्रोग्राम इवल्यूशन आर्गनाइजेशन तथा क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) दोनों शिमला में स्थित, रीजिनल सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, सूरत, पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर फॉर रिहैबिलेटेशन फॉर हैन्डीकैप्ड दोनों वडोदरा में स्थित ।

9.8 परिपत्र के उत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना को इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है - कुल मिला कर सार्वजनिक क्षेत्र के 89 उपक्रमों ने सूचना भेजी । 8 ने यह सूचित किया कि वे वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण कर रहे हैं । 2 ने यह उत्तर दिया कि इस संबंध में वे अपनी नीति का अनुसण कर रहे हैं । 20 ने यह उत्तर दिया कि यह उन पर लागू नहीं होता है । 11 ने अस्पष्ट सूचना भेजी तथा 29 ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है ।

9.9 सार्वजनिक क्षेत्र के वैसे उपक्रम जिन्होंने यह सूचित किया कि उनके पास वर्गीकृत फाइलें हैं तथा वे उनकी निम्नगामी श्रेणीकरण की मंशा रखते हैं - सेन्टर वायर हाऊसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, कोचीन डाक लेबर, कोच्चि, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशापट्टनम, एच एम टी अंतर्राष्ट्रीय, बंगलोर, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंड़ीगढ़, और प्रसार भारती, पटना, चेन्नई और दिल्ली, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट दोनों चेन्नई में स्थित, ने यह सूचना दी कि वे अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं ।

9.10 ऐसी श्रेणी जो यह महसूस करती है कि यह उन पर लागू नहीं होता की सूची इस प्रकार है - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स, हिन्दुस्तान प्रीफेब, लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन, सभी नई दिल्ली में स्थित, रेगुलेटरी बोर्ड तथा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, सभी मुंबई में स्थित, बोस इंस्टीच्यूट, कलकत्ता, क्षेत्रीय रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, खड़गपुर, सेन्ट्रल रिसर्च टेस्ट लेब्रोट्री,बंगलोर, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड, कोट्टम, नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, भारत और काजू निर्यात प्रोन्नयन काउंसिल, सभी कोच्चि में, प्रसार भारती, पाण्डिचेरी, इम्फाल, चंडीगढ़ और भोपाल, इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा और अहमदाबाद, टेक्सटाइल उद्योग अंनुसधान संगठन, अहमदाबाद, एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर इलेक्टॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रमेन्टेशन, देहरादून, द ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर, नार्थन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीच्यूट, हिसार, सेन्टर फॉर मेटेरियल्स फॉर टेक्नोलॉजी, पुणे और सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद ।

9.11 अस्पष्ट सूचना प्रेषित करने वालों की सूची इस प्रकार है - नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली ने अभी सूचित किया है कि अभी हाल में अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया है जो इस कार्य की व्यवस्था देखेंगे । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वित्त और विकास कॉरपोरेशन, नई दिल्ली, ने यह सूचित किया कि अभिलेख का वर्गीकरण किया जाना शेष है । पायराइट फास्फेट्स और केमिकल्स लिमिटेड, नोयडा, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई दोनों ने सूचित किया है कि वर्गीकरण प्रकृति के अभिलेख विद्यमान है । लेकिन कोई संख्या नहीं दी गई है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का कहना है कि अवश्रेणीकरण नहीं किया गया है परन्तु अभिलेख कम्पनी अधिनियम के अनुसार रखे गये है । सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई ने सूचना दी है कि उनका कार्यालय केवल 13 वर्ष पुराना है अतएव काई अभिलेख भेजे नहीं जा सके हैं । दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता अपने अभिलेखों को अवश्रेणीकृत करने का विचार कर रहा है । विकसित वैज्ञानिक शोध के लिए जवाहर लाल नेहरू केन्द्र और भारतीय प्लाई वुड उद्योग शोध प्रशिक्षण संस्थान जो दोनों ही बंगलोर में हैं अपने अभिलेखों को अवश्रेणीकृत करने में राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्रशिक्षण की अपेक्षा करते है । भारत डायनिमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, अपने अभिलेख कक्ष का निर्माण कर रहा है और इस संदर्भ में अधिक जानकारी अभिलेख कक्ष के पूर्ण होने पर उपलब्ध करायी जा सकेगी । इसी तरह का अस्पष्ट उत्तर बाडमेर और लावरी कलकत्ता, अंडमान और निकोबार द्वीप वन और रोपण विकास निगम, पोर्टब्लेयर, वर्षा नम पतझड़ वन संस्थान, जोरहाट, राज्य वन कॉलेज, कोयम्बटूर, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलोजी, रूड़की, विज्ञान प्रगति की

भारतीय सभा, जादवपुर, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ ट्रापिकल मिटिरिओलॉजी, पुणे, का राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद, और लौह स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई, ने दिये है ।

9.12 शून्य रिपोर्ट भेजने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची इस प्रकार है - एनर्जी मैनेजमेन्ट सेन्टर, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रसार भारती, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, सभी दिल्ली में स्थित हैं, होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द मेट्रोपोलिटियन ट्रांस्पोर्टेशन प्रोजेक्ट (रेलवे), इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म, सभी मुबंई में स्थित हैं, नेशनल टेक्साटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, मेट्रो रेलवे, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया सभी कलकत्ता में स्थित, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, वर्दमान, सेन्ट्रल रिसर्च एण्ड टेस्टिंग लेब्रोरेट्री, इंडियन एकेडेमी ऑफ साइंस तथा रमन रिसर्च इंस्टीच्यूट, सभी बंगलोर में स्थित, द नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ विजुअली हैन्डीकैप्ड तथा वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ हिमालय जिओलॉजी दोनों देहरादून में हैं, रीजिनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट फॉर वोमेन, हिसार, एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इस्टैबिलिशमेन्ट आगरा, सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एडुकेशन, नागपुर, सेन्ट्रल वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, जोधपुर, गंगा फ्लड वाटर कमीशन, पटना, सरदार सरोवर कंस्ट्रक्शन एडवाइजरी कमिटी, वडोदरा, भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड, तलवारा तथा सुन्दरनगर, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव तथा पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट, पाराद्वीप ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

निष्क्रिय आयोग/समितियाँ

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित आयोगों/समितियों द्वारा सृजित अभिलेखों का एक बहुत ही ऐतिहासिक व प्रशासनिक महत्व होता है क्योंकि इनमें वे विशिष्ट सूचनाएं सन्निहित होती हैं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं । ऐसी सूचनाएँ किसी खास क्षेत्र यथा वित्तीय, न्यायिक सरकार, मंत्रालयों राज्य-केन्द्र संबंध इत्यादि का इतिहास लिखते समय अपरिहार्य हो उठती हैं । इसे ध्यान में रखते हुए लोक अभिलेख अधिनियम , 1993 के दायरे में आने वाले सभी संगठनों से सूचना मांगी गई । जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (2) (एन) में कहा गया है, दिनांक 23 दिसम्बर 1998 को एक परिपत्र संख्या 16-6/98 आर एम भी जारी किया गया जिसमें अभिकरणों से उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली निष्क्रिय समितियों / आयोगों के अभिलेखों के बारे में सूचना मांगी गई ताकि इस प्रकार के निकायों के अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा विभिन्न क्षेत्रों में उसके अभिलेख केन्द्रों में स्थाई परिरक्षण के लिए रखा जा सके । कुल मिला कर 207 मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि ने इस संबंध में सूचना प्रेषित की । सूचना के विस्तृत विश्लेषण को नीचे प्रस्तुत किया गया है ।

10.1 गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह बताया कि उनके यहाँ अभिलेख की संदर्भ के लिए आवश्यकता पड़ती है । विकास आयुक्त लौह एवं इस्पात, कलकत्ता ने यह सूचित किया कि निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षा के पश्चात् विनष्ट कर दिया गया है ।

10.2 निम्नलिखित 135 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की - रक्षा, सूचना और प्रसारण, पर्यावरण ओर वन, श्रम, संसदीय मामले, रेलवे, भूतल परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय । कृषि और सहकारिता, कोयला, संस्कृति, शिक्षा, विधि मामले और वैधानिक, समुद्र विकास , सार्वजनिक वितरण, आपूर्ति, महिला व बाल विकास । विपणन और जाँच निदेशालय, डिफेन्स एकाउन्ट्स के कंट्रोलर जनरल का कार्यालय, वायु मुख्यालय, आमर्ड फोर्सेस फिल्म एण्ड फोटो डिविजन आपूर्ति और परिवहन (क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच) के डायरेक्टर जनरल, मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय (सिविल एविएशन और पर्यटन मंत्रालय) , सेना डाक सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक , सैन्य खरीद संगठन, क्वालिटी एश्योरेन्स महानिदेशक (रक्षा, तकनीक समन्वय मंत्रालय) , वायु मुख्यालय (समन्वय शाखा) , केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल महानिदेशक, जोनल काउंसिल सेक्रिटेरियट (गृह मंत्रालय) , राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक, सेक्रिटेरियट प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, मुख्य लेखा कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) , योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कम्प्यूटर केन्द्र, योजना मंत्रालय, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, आपूर्ति और निपटान महानिदेशक, प्रिवेन्टिव ऑपरेशन्स निदेशालय, कस्टम और सेन्ट्रल एक्साइज, अन्तर राज्य काउंसिल सचिवालय (गृह मंत्रालय) , आसूचना ब्यूरो, प्रसार भारती (आकाशवाणी) हैन्डीकैप्ड के लिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और राष्ट्रपति सचिवालय जो सभी नई दिल्ली में हैं । पटसन विकास निदेशालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पटसन आयुक्त, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, रक्षा अनुसंधान और विकास यूनिट, कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फॉर एस.सी/एस टी, औद्योगिक सांख्यिकी

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विंग (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन), विदेश व्यापार उप महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कमर्शियल यल इन्टेलिजेन्स एण्ड सांख्यिकी, फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल (पश्चिम बंगाल सर्किल) जो सभी कलकत्ता में हैं । बी सी सी वैक्सिनेशन लैबोरेटरी, कम्पीटेन्ट अथॉरिटी सम्गलर्स एण्ड फॉरेन एक्सचेन्ज मैनिप्यूलेटर्स (फोरफीचर ऑफ प्रापर्टी) एक्ट, 1976 और नारकॉटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्शेस एक्ट, 1985, इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, सेन्ट्रल एक्साइज आयुक्त कार्यालय, कोचिंग-कम-गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी और मद्रास डॉक लेबर बोर्ड जो सभी चेन्नई में हैं । फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेन्ट्रल एक्साइज आयुक्त, मुम्बई, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड , कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रापर्टी, एडवान्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (श्रम मंत्रालय) और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना मंत्रालय) जो सभी मुम्बई में हैं, अनाज बचाओ अभियान कार्यालय, सेन्ट्रल एक्साइज आयुक्त और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फ़ॉर हैन्डीकैप्ट जो सभी अहमदाबाद में हैं, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, श्रम कल्याण आयुक्त ओर ऑफिशियल लिक्विडेडर हाई कोर्ट जो सभी इलाहबाद में हैं । सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रडार डेवलपमेण्ट इस्टैब्लिशमेण्ट, पायोनीर कॉर्प्स, उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), आयकर विभाग, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना और शाखा सचिवालय (विधि मामले विभाग) जो सभी बंगलोर में है । फ्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्टल इस्टैबलिशमेन्ट, बालासोर, विदेश व्यापार सह महानिदेशक और ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो दोनों गुवाहटी में है । कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स, गुन्टूर, पासपोर्ट ऑफिस, गोवा, ऑफिस ऑफ एसिस्टेण्ट कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, गुलबर्ग, अनाज बचाओ, अभियान कार्यालय, न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स, कमीश्नरेट ऑफ कस्मम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, हैदराबाद, कमिश्नरेट, रेजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश, क्वालिटी कंट्रोल सेल (खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय) और सेक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो सभी हैंदराबाद में हैं, एसिस्टेण्ट कमिश्नर सेन्ट्रल एक्साइज, हुबली, प्रसार भारती (आकाशवाणी) ईटानगर, महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था, इन्दौर, प्रसार भारती (आकाशवाणी) और कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी जो दोनों ही जयपुर में हैं । कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी/एस टी जोवाई (मेधालय), केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, श्रम कल्याण, संगठन कर्मी (झुमरी तलैया), रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड जो दोनों ही कानुपर में हैं, प्रसार भारती (आकाशवाणी), करवार, पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय), लखनऊ, प्रसार भारती (आकाशवाणी) मेडिकेरी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, पोर्ट हेल्थ आर्गनाइजेशन, मन्डपम कैम्प, डाक प्रशिक्षण केन्द्र और कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज जो दोनों ही मदुरई में हैं, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स, कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी/ एस टी और मॉडेल वाइटल स्टैटिसटिक्स यूनिट जो सभी नागपुर में हैं, करेन्सी नोट प्रेस, नासिक, पासपोर्ट ऑफिस, पटना, एसिस्टेन्ट कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज, केन्द्रीय जन कार्य विभाग (पुणे केन्द्रीय सर्किल) और रिजिओनल सेन्टर फॉर मिलिटरी एयर वर्दिनेस जो दोनों पुणे में है, कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल इक्साइज कमिश्नरेट, राजकोट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज, रायपुर,

कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, सूरत, रिजिओनल कार्यालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) और कार्यक्रम मूल्योंकन संगठन जो दोनों शिमला में हैं, रिजिओनल सेन्टर फॉर एयर वर्दिनेस, सुल्तानपुर, प्रसार भारती (आकाशवाणी) , तिरूवन्तपुरम, नार्थ इस्टर्न पुलिस अकादमी, ऊमसा, ऊमियाम (मेघालय) रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड विमेन, वदोदरा और नेवल साइंस और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टम ।

10.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रमों ने या तो शून्य अथवा अस्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित की - राष्ट्रीय अभियंत्रण अकादमी, इंदिरा गॉधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेहरू युवक केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वित्त और विकास निगम, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसन्धान संगठन, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि0 जो सभी नई दिल्ली में हैं, भारतीय निर्यात श्रम गारंटी निगम, एटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि0, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमैग्नेटिज्म ओर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) जो सभी मुम्बई में हैं, नेवेली लिग्नाइट निगम लि0 और मद्रास फर्टिलाइजर लि0 जो दोनों ही चेन्नई में हैं , राज्य वन सेवा कॉलेज, कोयम्बटूर, सत्येंन्द्रनाथ बोस नेशनल सेन्टर फॉर बेसिक साइंस, दामोदर घाटी निगम , बोस संस्थान, इंडियन एससोसियेशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ सांइसेस, टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 और स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि0 जो सभी कलकत्ता में हैं, रिजिओनल रिमोट सेंसिग सेन्टर, खड़गपुर, नारियल विकास बोर्ड, भारतीय काजू निर्यात परिषद और कोचिन शिपयार्ड लि0, जो सभी कोचीन में हैं, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि0, कोट्टयम, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार, भारतीय वन्य जीव संस्थान, एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रोनिक्स ओर प्रोसेस इस्ट्रमेन्टेशन, अंधों के लिए राष्ट्रीय संस्थान और वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी जो सभी देहरादून में हैं, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, एच एम टी (अंतर्राष्ट्रीय) लि0, केन्द्रीय शोध और परीक्षण लैबोरेटरी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, रमन अनुसंधान संस्थान और जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्सड साइंटिफिक रिसर्च जो सभी बंगलोर में हैं, अन्डमान निकोबार द्वीप वन और रोपण विकास निगम लि0 पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्नम पोट ट्रस्ट ओर ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 जो दोनों विशाखापट्नम में हैं, भारत डायनैमिक्स लि0 और सरदार वल्लभभाई पटेल, नेशनल पुलिस अकादमी जो दोनों ही हैदराबाद में, प्रसार भारती दिल्ली, पांडिचेरी, पणजी, इम्फाल, चंडीगढ़, चेन्नई और भोपाल, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड चंडीगढ़, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लि0, वदोदरा, राष्ट्रीय उर्वरक और पायराइट्स फॉस्फेट्स और केमिकल्स लि0 जो दोनों नोयडा में है, सेन्टर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स, नैशनल फिल्म आरकाइव और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मिटिरियोलॉजी, पुणे, रिजओनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, अराइमिले तूरा (मेघालय) , उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि0 शिलौंग, वर्षा और नम पतझर वन संस्थान, जोरहाट, श्रमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड, नागपुर, लौह स्कैप निगम लि0, भिलाई, ब्रिटिश भारतीय निगम लि0, कानपुर, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड , जोधपुर, गंगा बाढ़ जल आयोग, पटना, भारतीय ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि0, गुड़गॉव, केन्द्रीय भंडार निगम, नई दिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर देते हुए कहा कि वे अवांछित अभिलेखों को नष्ट कर रहे हैं ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अप्रचिलत अभिलेखों के मूल्यांकन केबारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई

जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम ,1993 की धारा 6(1)ग में विहित है, अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जना एक संवैधानिक आवश्यकता है । अल्पकालिक अभिलेखों की छंटाई से न सिर्फ महत्वपूर्ण शेल्फ स्पेस की प्राप्ति होती है वरन् भंडारण व संस्थापना पर होने वाले आवर्ती खर्चे में भी कमी आती है । इस तरह एक तरफ जहाँ प्राप्त स्थान का इस्तेमाल अभिलेखों के नवीन आगत के लिए किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अभिलेखीय भंडारण में स्थाई परिरक्षण के लिए भी भेजा जा सकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार इस पहलू की ओर खास ध्यान देता रहा है तथा उसने इस विषय पर सूचना प्राप्त करने के लिए सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को परिपत्र सं0 16-1298-आर एम तथा 16-1299 आर एम क्रमश दिनांक 24 अगस्त 1998 तथा 9 अप्रैल 1999 को जारी किया ताकि उस प्रकार के अभिलेखों का मूल्यांकन किया जा सके ।

11.1 कुल मिलाकर 157 संगठनों ने सूचना प्रेषित की । इनमें से 67 मंत्रालय विभागों,जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, ने अभीष्ट सूचना प्रेषित की है । रक्षा, पर्यावरण एवं वन, गृह, सूचना एवं प्रसारण, श्रम, रेलवे, भूतल परिवहन मंत्रालयों तथा शिक्षा विभाग, विधायी विभाग विधि मामले, आपूर्ति विभाग, सभी दिल्ली स्थित, ने यह सूचित किया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से सभी अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया तथा वैसे अभिलेख जिन्हें चिन्हित किया गया है, को स्थाई प्रतिधारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है । कोयला विंग, नई दिल्ली ने यह सूचित किया है कि उनके यहां ऐसे अभिलेखों के अभिनिर्धारण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था । जनवितरण विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि यह एक सतत् प्रक्रिया है । महासागर विकास विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि भविष्य में यह कार्य शुरू किया जायेगा । महिला एवं बाल कल्याण विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि यह पक्ष उन पर लागू नहीं होता है । आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक,नई दिल्ली ने यह बताया कि उनके केन्द्रीय अभिलेख कक्ष में कोई भी अप्रचलित अभिलेख नहीं है । आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ने यह बताया कि चूंकि उनके अभिलेख परम गोपनीय हैं अत मूल्यांकन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है । रष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नई दिल्ली के महानिदेशक ने यह सूचना दी कि अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया गया है । महानिदेशक गुणवत्ता आरकान तक सम0 ,नई दिल्ली ने यह बताया कि उनके पास कोई भी अप्रचलित अभिलेख नहीं है । प्रधान लेखा कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा विकलांग का व्यवसायिक पुनस्थापन केन्द्र,, नईदिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर दिये । विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय,नई दिल्ली ने यह बताया कि उनके पास कुछ अप्रचलित अभिलेख हैं । आपूर्ति एवं यातायात क्वाटर मास्टर जनरल महानिदेशक ने यह बताया कि उनके निदेशालय में ऐतिहासिक महत्व का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि उनके पास कुछ अप्रचलित अभिलेख है । नागरिक उड्डयन महानिदेशक तकनीकी केन्द्र ने यह बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों के मूल्यांकन की स्थिति अभी उत्पन्न

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

नहीं हुई है । वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता ने यह लिखा है कि ऐसे अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से अभी पहचान किया जाना बाकी है । कंपीटेंट अथॉरिटी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फोरफीचर आफ प्रोपर्टी एक्ट, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, चेन्नई दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद चेन्नई ने यह सूचित किया कि, मूल्यांकन के लिए 1144 फाइलें उपलब्ध हैं । गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता ने यह बताया कि अभिलेखों की गणना व आकलन किया जाना अभी शेष है । लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, कलकत्ता ने अधूरी सूचना प्रेषित की है । औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध सी एस ओ, कलकत्ता ने यह सूचित किया है कि मूल्यांकन अभी तक किया नहीं गयाहै । जूट विकास निदेशालय, कलकत्ता ने यह सूचित किया है कि मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है । मद्रास डाक लेबर बोर्ड, चेन्नई ने यह बताया कि उनके यहां अप्रचलित अभिलेखों को स्थाई तौर पर रखा जाता है । फारवर्ड मार्केटस कमिशंस, मुंबई ने यह सूचित किया कि उनके पास मूल्यांकन के लिए उपलब्ध कतिपय अभिलेख उपलब्ध हैं । विकलांगों का व्यवसायिक पुनर्स्थापन केन्द्र, अहमदाबाद ने यह सूचित किया कि उनके केन्द्र में इस प्रकार का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है । नामेम मूल्यांकन अधिकारी, अहमदाबाद ने अस्पष्ट उत्तर दिया है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आफिशियल लिक्विडेटर ने यह बताया कि इसके लिए उच्च न्यायालय का विशेष आज्ञा की आवश्यकता है क्योंकि जिन कंपनियों के अभिलेख हैं वे अभी विघटन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलोर ने यह सूचित कि 25 वर्ष पुराना उनके पास कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है । पॉयनियर कार्प्स, बंगलोर ने यह बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वे अभिलेख राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं तथा उन का संबंध सिर्फ पॉयनियर कार्प्स के सिपाहियों से है । प्रशाखा सचिवालय विधि कार्य विभाग, बंगलोर ने यह बताया कि उनके यहां 10 वर्ष से लंबित कोई फाइल उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, बेलगाम ने यह बताया कि अभिलेखों को नियमानुसार वर्गीकृत किया जाता है । प्रूफ एंड एक्सपेरीमेटस स्टेशन, बालासोर ने यह बताया कि उनके पास लगभग 5000 फाइलें हैं । अनाज बचाओ अभियान कार्यालय, भोपाल ने यह बताया कि उनके अप्रचलित अभिलेखों की प्रकृति ऐसी है जिसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के सलाह की आवश्यकता नहीं है । महा डाकपाल उडीसा सर्किल , भुवनेश्वर ने बताया कि उनके पास करीब 10,000 फाइले हैं तथा वे उसके संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर से बातचीत कर रहे हैं । पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भुवनेश्वर ने बताया कि चूंकि उनका संगठन मात्र 12 वर्ष पुराना है, इसलिए उनके यहां अप्रचलित अभिलेख विद्यमान नहीं हैं । क्षेत्रीय कार्यालय अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर ने यह सूचित किया कि अभी यह उन पर लागू नहीं होता है । टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च प्रयोगशाला, चंडीगढ ने यह बताया कि इस पर कार्रवाई जारी है । कोचिन डॉक लेबर बोर्ड , कोचिन तथा उत्तर क्षेत्रीय फार्म मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्ष्ण संस्थान हिसार नेयह बताया कि अप्रचलित अभिलेखों का अभी अभिनिर्धारण किया जाना बाकी है । केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, कोचीन ने यह सूचित किया कि यह कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जायेगा । सीमाशुल्क और केन्द्रीय राजस्व आयुक्त कोयम्बटूर ने बताया है कि उनके पास 2000 फाइल हैं । विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशालय ने बताया है कि यह आवश्यक नहीं है

महासर्वेक्षक कार्यालय, दूहरादून ने सूचना दी है कि अभिलेखों का 1996 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किया गया । खान महानिदेशक,, धनबाद ने सूचना दी है कि उनके पासं 3000 फाइल हैं और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ इस दिशा में उनके पत्राचार हो रहे हैं । दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गारलाडाइन में बताया है कि अधिकांश फाइल् ' ग ' कोटि के हैं । पासपोर्ट कार्यालय, गोवा ने बताया है कि उनके पास मूल्यांकन के लिए कुछ अभिलेख हैं । विदेश व्यापार उप-महानिदेशक, गुवाहाटी ने कहा है कि ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता । अनाज बचाओ अभियान कार्यालय, हैदराबाद ने इंगित किया है कि उनके पास ऐसे अप्रचलितअभिलेख नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर केसंयुक्त निदेशक ने बताया है कि कोई ऐसे अभिलेख जो 25 वर्ष पुराने अथवा स्थायी प्रकृति के हो उनके पास उपलब्ध नहीं है । वर्षा और नम पतझड वन अनुसंधान संस्थान ,जोरपत ने इंगित किया है कि मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता क्योकि यह एक नवस्थापित संस्थान है । विकलांगों के लिए व्यवसायक पुनर्वास क़ेन्द्र ने इंगित किया है कि उनके पास लगभग 800 फाइल हैं । कम्पनियों के रजिस्ट्रार , उत्तर प्रदेश कानपुर ने उल्लेख किया है कि उनके अभिलेखों के अभी 25 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं । पर्यावरण औरवन मंत्रालय , लखनऊ , प्रादेशिक कार्यालय केन्द्रीय क्षेत्र ने इस संबध में निर्देशों की मांग्र की है । राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने इंगित कियाहै कि यह कार्य जाड़े के महीनों में जब कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता तब करना नियत हुआ है । रक्षा प्रबंधन कालेज,सिकंदराबद ने सूचना दी है कि यह उनके लिए लागू नहीं हैं । मिलिटरी उडन योग्यता के लिएप्रादेशिक केन्द्र, सुल्तानपुर ने सूचना दी है कि उनके पास 360 पुरान फाइल हैं और 15 रजिस्टर हैं । उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी उमसा, उमियाव मेघालय ने प्रेषित किया है किउनका संगठन 1978 में स्थापित हुआ था और इसलिए उसने अभी तक 25वर्ष पूरे नही किये हैं ।

11.2 निम्नलिखित 73 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट दिये हैं ये हैं - संसदीय मामले और जलसंसाधन मंत्रालय, संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श , सर्वेक्षण संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक, योजना आयोग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, निरोधन प्रचालनों सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व निदेशालय, अन्तर राज्य परिषद सचिवालय, थल सेना खरीद संगठन, सैन्य बलैफिल्म औरो फोटो प्रभाग, रिमाउंट वेटिरिनरी महानदेशक क्यू एम जी ब्रांच ,, थलसेना , डाक सेवा महानिदेशक, अनु0 जा0, अनु0 जन0 जा0 के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्ग निर्देशन केन्द्र, विदेशक व्यापार महानिदेशक, फाल्टा निर्यात संसाधन क्षेत्र , केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और मुख्य पोस्ट मास्टर पश्यिम बंगाल सर्किल जो सभी कलकत्ता में हैं । अनु0जा0 अनु0 जन0जा0 के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्ग निर्देशन केन्द्र और बी0सी0जी0 टीका प्रयोगशाला जो दोनों चेन्नई मेंहैं । विकसित प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, मुम्बई-11 कमीशनर और राष्ट्र सम्पत्ति रक्षक जो सभी मुम्बई में हैं । केन्द्रीय राजस्व आयुक्त , अहमदाबाद, मुख्य श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद मत्स्य पालन के लिए तटीय इंजीनियरिंग केन्द्रीय संस्थान और विभाग जो दोनों ही बंगलोर में हैं, प्रसार भारती आल इंडिया रेडियों, भोपाल, प्रादेशिक कार्यालय उत्तरीक्षेत्र पर्यावरण और वन मंत्रालय, चंडीगढ, सरकारी परिसमापन हाई कोर्ट ,केरल, कोचीन, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, धारवाड़, ऐप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, फरीदाबाद, ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, केन्द्रीय राजस्व और सीमाशुल्क आयुक्त, गुण्टुर, केन्द्रीय राजस्व आयुक्त , गुवाहाटी, केन्द्रीय राजस्व और सीमाशुल्क

आयुक्त, हुबली, सीमाशुल्क और केन्द्रीय राजस्व आयुक्त, हैदराबाद,, कमिश्नरेट, सेक्यूरिटी मुद्रण प्रेस, कम्पनियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश जो सभी हैदराबाद में हैं, महिलाओं के लिए प्रादेशिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर, प्रसार भारती ओल इंडिया रेडियो , इटानगर, प्रसार भारती ओल इंडिया रेडियो और अनु0जा0 अनु0जन0जा0 के लिए अनुशिक्षण सह-मार्ग दर्शन केन्द्र जो दोनों ही जयपुर में हैं । अनु0जा अनु0जन0 जा0 के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई, श्रम कल्याण संगठन, कर्मा झुमरी तलैया, जल सेना संबंधी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान इकाई और विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो दोनों ही, कोचीन में है, केन्द्रीय राजस्व उपायुक्त, केन्द्रीय जन कार्य विभाग पुणे केन्द्र सर्किल मिलीटरी उडन योजना के लिए प्रादेशिक केन्द्र और केन्द्रीय जल और शक्ति स्टेशन जो सभी पुणे में हैं । केन्द्रीय राजस्व और डाक प्रशिक्षण केन्द्र आयुक्त जो दोनों ही मदुरई में हैं । बन्दरगाह स्वास्थ्यसंगठन, मण्डपा कैम्प, केन्द्रीय राजस्व और सीमाशुल्क आयुक्त, अनु0जा0 अनु0जन0जा0 के लिए अनुशिक्षण -सह-मार्ग दर्शन केन्द्र, मांडेल महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी ईकाई जो सभी नागपुर में हैं, करेंसी नोट प्रेस, नासिक,, पासपोर्ट कार्यालय, पटना, सीमाशुल्क और केन्द्रीय राजस्व राजकोट और रायपुर, अनु0जा0 अनु0जन0जा0 के लिए अनुशिक्षण सह-मार्ग दर्शन केन्द्र, रॉची, मानसिक विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद, उत्तर पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय और विदेश व्यापार उपमहानिदेशक जो दोनों ही शिलांग में हैं । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय का प्रादेशिक केन्द्र, जो दोनों ही शिमला में है । अनु0जा0 अनु0जन0जा0 के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्ग दर्शन केन्द्र, सूरत, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वदोदरा और नेवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम ।

11.3 12 कार्यालयों ने सूचना दी है कि यह पहलू उन के लिए लागू नहीं होता । ये हैं - सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, रक्षा लेखा नियंत्रक निदेशक, प्रसार भारती, आकाशवाणी और क्षेत्रीय परिषद ससचिवालय, जो सभी नई दिल्ली में हैं, कार्य क्रम मूल्यांकन कार्यालय, विकलांग के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जो सभी मुम्बई में हैं, सह-आयुक्त सीमा शुल्क और केन्द्रीय राजस्व , बेल्लारी, पासपोर्ट कार्यालय भोपाल, मुख्य निर्माण अभियंता अनुसंधान और विकास, रक्षा मंत्रालय, सिकंदराबाद, विकलांग महिलाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र, वदोदरा और प्रसार भारती , आकशवाणी, तिरूवन्तपुरम ।

11.4 निम्नलिखित 5 कार्यालयों ने अस्पष्ट उत्तर दिये हैं । कम्प्यूटर केन्द्र, योजना मंत्रालय, नई दिल्ली , समेकित कोच कारखाना, चेन्नई, नागपुर और नासिक में विपणन और निरीक्षण निदेशालय और प्रसार भारती, आकाशवाणी , माडिकेरी, ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 12

संगठनात्मक इतिहास

प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण के लिए संगठनात्मक इतिहास का संकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय-समय पर हुए संगठनात्मक परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है । यह अभिलेख समीक्षक को विभिन्न अभिलेख समूहों है । उचित अभिधारण अवधि प्रदान करने में मदद करता है चूंकि उसके पास संगठन है मुख्य कार्यों के बारे में निजी अनुभव होगा । ऐसे पहलुओं से संबंधित अभिलेखों को उनके प्रशासनिक और ऐतिहासिक मूल्य के कारण स्थायी रूप से रखे जाने की आवश्यकता है । इसको ध्यान में रखकर लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का अनुभाग 6 (1) (i) सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों से उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन करने की बात करता है । राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों से इस पहलू पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आग्रह करते हुए परिपत्र भेजा है ।

12.1 इस संबंध में 93 संगठनों ने संगठनात्मक प्रपत्र प्रेषित किया है । ये हैं - पर्यावरण और वन, गृह, सूचना और प्रसारण, श्रम, संसदीय मामले, रेलवे, भूतल परिवहन, जल संसाधन मंत्रालयों कृषि और सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी, कोयला, आर्थिक मामले, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, लीगल अफैयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट आपूर्ति और केबिनेट सचिवालय, प्रौद्योगिकी मिशन तेल, बीज और दाल विभागों, महानिदेशक, नागरिक उड्डयन नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो, इतिहास प्रभाग (रक्षा मंत्रालय), केन्द्रीय अनुवादक ब्यूरो, मेडिकल सुपरिटेंडेट, कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, योजना आयोग, महानिदेशक, सप्लाई और डिस्पोजल्स, जोनल काउंसिल सचिवालय, (गृह मंत्रालय) नेशनल सेम्पुल सर्वे आर्गनाइजेशन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर्म्ड फोरसेज फिल्म एण्ड फोटो प्रभाग, महानिदेशक, क्वालिटी इन्सोरेन्स, (टेक कार्ड) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इन्फोरसमेन्ट डायरेक्टरेट, फारेन एक्सचेन्ज रेगुलेशन एक्ट, सभी दिल्ली में स्थित हैं, राजस्व आसूचक निदेशालय, केन्द्रीय मृदा और साम्रगी अनुसंधान स्टेशन, केन्दीय बाढ़ प्रयोगशाला, विकास आयुक्त, आयरन और स्टील, जूट विकास निदेशालय, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स विंग (केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन) भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण और रेफरेन्स पुस्तकालय, सभी कलकत्ता में स्थित हैं, केन्द्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्ट्रल फॉर हैन्डीकैप्ड, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक टिब्यूनल कम लेबर कोर्ट नं0 1, कपास विकास निदेशालय, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, सभी मुबंई में स्थित हैं; आयुक्त का कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद, भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और शाखा सचिवालय (लेजिस्लेटिव विभाग और लीगल अफैयर) सभी बंगलोर में स्थित, ईस्टर्न रीजिनल कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) और सेव ग्रेन कैम्पेन कार्यालय दोनों भुवनेश्वर में, आयुक्त का

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयम्बटूर, श्रम ब्यूरो, शोध और विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय) और पर्यावरण और वन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) जो सभी चंडीगढ़ में हैं । सर्वेयर जनरल का कार्यालय और भारतीय वन सर्वेक्षण जो दोनों देहरादून में हैं, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद, दक्षिणी क्षेत्र, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, गारलिडिने, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण ओर परीक्षण संस्थान ओर कोचिंग कम गाइडेन्स सेन्टर फॉर एस सी / एस टी जों दोनों हिस्सार में हैं, न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थाम और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन जो सभी हैदराबाद में हैं, रिजिओनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, इन्दौर, सह निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जबलपुर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय और कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फॉर एस सी/एस टी जो दोनों जयपुर में हैं । कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर एस टी /एस टी, जोवाई, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड और डाक अधीक्षक कार्यालय जो दोनों कानुपर में हैं, क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) लखनऊ, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल इक्साइज और डाक प्रशिक्षण केन्द्र निदेशालय जो दोनों मदुरई में हैं, भारतीय खान ब्यूरो, इन्कम टैक्स एपैलेट ट्रिब्यूनल तथा हेल्थ स्टैटिसटिक्स यूनिट, राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कॉलेज और कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल इक्साइज एण्ड कस्टम्स जो सभी नागपुर में में हैं, पासपोर्ट कार्यालय, पटना, राष्ट्रीय फिल्म आरकाइव और पश्चिमी भाषा क्षेत्र जो दोनों पुणे में है । मुख्य अभियंता और प्रशासन कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिरियोलॉजी, रांची, मुख्य निर्माण अभियंता (रक्षा मंत्रालय शोध और विकास) और रक्षा प्रबंधन कॉलेज, जो दोनों सिकन्दराबाद में हैं । उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी ऊमियाम, ऊमसन (मेघालय) , रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड , वदोदरा और नेवल साइंस और तकनीकी प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम ।

12.2 65 अभिलेख सर्जक अभिकरण जिन्होंने ' शून्य ' सूचना प्रेषित की है वे निम्नलिखित हैं - संस्कृति, शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग, प्रिवेन्टिव ऑपरेशन्स (कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइज) निदेशालय, आर्मी खरीद संगठन, वोकशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड प्रसार भारती (आकाशवाणी) , डायरेक्टर जनरल सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस बल, क्षेत्रीय कार्यालय (अप्रचलित ऊर्जा स्रोत) , विपणन और जांच निदेशालय, रक्षा लेखा कंट्रोलर जनरल, आपूर्ति और परिवहन महानिदेशक (क्वाटर मास्टर जनरल शाखा) , सेना डाक सेवा सहायक महानिदेशक, वायु मुख्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, कम्प्यूटर केन्द्र योजना मंत्रालय, मुख्य लेखा कार्यालय (सिविल एविएशन विभाग) और राष्ट्रपति सचिवालय जो सभी नई दिल्ली में हैं, कोचिंग - कम - गाइडेंस सेन्टर फॉर एस सी / एस टी, विदेश व्यापार उप महानिदेशक, फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय (पश्चिम बंगाल सर्किल) , रक्षा शोध और विकास इस्टैब्लिशमेन्ट और पटसन आयुक्त कार्यालय जो सभी कलकत्ता में हैं, सेन्ट्रल एक्साइज कार्यालय, कोचिंग कम गाइडेंन्स सेन्टर फॉर एस सी/ एस टी, बी सी जी वैक्सीन सेन्टर, मद्रास डॉक लेबर बोर्ड और कम्पीटेन्ट अथॉरिटी, स्मगलर्स और फॉरेन एक्सचेन्ज मेनीप्यूलेटर्स (फोर फीचर ऑफ प्रापर्टी) एक्ट, 1976 और नारकौटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेन्शेस एक्ट, 1985 जो सभी चेन्नई में हैं, कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रापर्टी , फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (योजना मंत्रालय) एडवान्सड ट्रेनिंग संस्थान (

श्रम मंत्रालय) और कमिश्नरेट ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैन्डीकैप्ड और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय जो सभी अहमदाबाद में हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर हाइकोर्ट और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना जो दोनों इलाहाबाद में हैं, आयकर विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड रडार डवेलपमेन्ट इस्टैबिलिशमेन्ट और उप मुख्य श्रम आयुक्त जो सभी बंगलोर में हैं, सेन्ट्रल एक्साइज विभाग, बेलगाँव, सेन्ट्रल एक्साइज सहायक आयुक्त, वेल्लारी पासपोर्ट ऑफिस और प्रसार भारती (आकाशवाणी) , जो दोनों भोपाल में हैं, पोस्ट मास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल) भुवनेश्वर टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, चंडीगढ, कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज एण्ड कस्टम्स, कोयम्बटूर, सहायक आयुक्त केन्द्रीय राजस्व, धारवाड़, रिजनल डायरेक्टरेट ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, फरीदाबाद, पासपोर्ट ऑफिस, गोवा, केन्द्रीय राजस्व सहायक आयुक्त, गुलबर्ग, विदेश व्यापार उप महानिदेशक और ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो दोनों गुवाहटी में हैं, केन्द्रीय राजस्व सहायक आयुक्त, हुबली, अनाज बचाओ अभियान कार्यालय, क्वालिटी कंट्रोल सेल (खाद्य और आपूर्ति विभाग) , रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आंध्र प्रदेश और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साइस, हैदराबाद कमिश्नरेट I जो सभी हैदराबाद में है, प्रसार भारती (आकाशवाणी) और कोचिंग कम गाइडेंस सेन्टर फॉर एस सी / एस टी जो दोनों ही जयपुर में है ।

12.3 आपूर्ति विभाग, समुद्र विकास और सार्वजनिक वितरण ने जो सभी नई दिल्ली में हैं, यह सूचना दी है कि संगठनात्मक इतिहास उनके वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिबिंबित है । मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद ओर रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली दोनों ने कहा है कि उनका संगठनात्मक इतिहास तैयार हो रहा है । अन्तर राज्य परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली ने कहा है कि चूंकि उनका संगठन केवल 1998 में ही गठित हुआ है, अतएवं संगठनात्मक इतिहास नहीं लिखा जा सकता । राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली ने कहा है कि चूंकि निमार्ण गुप्त प्रकृति का होता है अतएवं सूचना नहीं दी जा सकती । लौह और इस्पात, कलकत्ता के विकास आयुक्त ने अधूरी रिपोर्ट भेजी है । व्यवसायिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक ने जो कि कलकत्ते में ही है कहा है कि ऐसे प्रयास पहले कभी नहीं किये गए हैं । सरकार की स्वास्थ्य योजना, मुंबई ने सूचना दी है कि ऐसा कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं किया जा सका । अनाज बचाओ अभियान, प्रादेशिक कार्यालय, अहमदाबाद, विदेश व्यापार, कटक के सह महानिदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय आबकारी बेलगाँव के आयुक्त के कार्यालय ने संकेत दिया है कि चूंकि उनके क्षेत्र कार्यालय थे अतएवं संगठनात्मक इतिहास का संकलन आवश्यक नहीं समझा गया । केन्द्रीय दवाई स्तर नियंत्रण संगठन, कोचिन ने उल्लेख किया है कि संगठनात्मक इतिहास को पूरा करने के कदम उठाये जा रहे हैं । प्रमाण और प्रायोगिक संस्थापना, बालासोर ने संकेत दिया है कि कार्यारम्भ हो गया है जबकि विपणन और सर्वेक्षण कोचीन ने सूचना दी है कि संगठनात्मक इतिहास प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होगा । सेक्यूरिटी मुद्रण प्रेस, हैदराबाद ने बताया है कि इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया है । राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने लिखा है कि कार्य सर्दी के महीनों में आरंभ किया जायेगा जिस समय कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता ।

12.4 94 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियाँ प्रेषित की हैं वे हैं - भारतीय उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान उर्वरक लिमिटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर और रिसर्च, उच्च प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय सामाजिक

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विज्ञान शोध केन्द्र परिषद, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, वाटर एण्ड पावर काउंसलरी सर्विस इंडिया लि0, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केन्द्रीय विद्युत शोध संस्थान, इंडियन रिन्यूवल एनर्जी डिवलपमेन्ट एजेंसी लि0, नेहरू युवक केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय विद्युत प्रोजेक्ट, निर्माण निगम लि0, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त ओर विकास निगम और इंडियन एयर लाइन्स जो सभी नई दिल्ली में हैं । मद्रास उर्वरक लि0, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आरोविले फाउंडेशन और नेवेली लिग्नाइट निगम लि0 जो सभी वेन्नई में हैं, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, विश्व भारती शान्ति निकेतन, आई बी पी कम्पनी लि0, बामर लारी एण्ड कम्पनी लि0, शेलैद्र निर्यात प्रोन्नति परिषद, भारतीय टायर निगम, स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि0 और दामोदर घाटी निगम जो सभी कलकत्ता में हैं । राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरक लि0, भारतीय कपास निगम, महाराष्ट्र इलेक्टोमेल्ट लि0, सिन्थेटिक एण्ड रेयोन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, भारतीय पोत निगम, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, इंडियन रेयर अर्थस् लि0, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम, इंडियन आयल-ब्लेण्डिंग लि0, एयर इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग लि0 और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग रिसर्च जो सभी मुम्बई में हैं, पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि0 नोयडा, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद, रिजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी दोनों ही इलाहाबाद में हैं, एरियल डिलवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट इस्टैबलिशमेन्ट ओर भारत चर्म निगम दोनों आगरा में, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, रायबरेली, द कैशिव एक्सपोर्ट प्रमोमशन काउंसिल, कोचन डॉक लेबर बोर्ड, कोचिन शिपयार्ड लि0 जो सभी कोचीन में है, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि0, कोट्टयम, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, रिजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेन्टर, भारत अर्थ मूवर्स लि0 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान अकादमी और रमन अनुसंधान संस्थान जो सभी बंगलौर में हैं, भारत गोल्ड माइनस, ऊरगॉव, मिनरल एक्स प्लोरेशन कॉरपोरेशन, सेन्ट्रल बोर्ड फॉर वकर्स एजुकेशन और मैंगनिज अयस्क (भारत) लि0, दोनों नागपुर मे, हिन्दुस्तान नमक लि0, जयपुर, सरदार वल्ल्भभाई रिजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, सूरत, नार्थ इस्टर्न हिल यूनवर्सिटी, शिलौंग , रिजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन और उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान दोनों हिस्सार में, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कॉलेज, भोपाल, हाइ एनर्जी मेटिरियल रिसर्च लैबोरेटरी, सुतारवादी, नैशनल एल्मुनियम कम्पनी लि0, भुवनेश्वर, नर्मदा सेन्ट्रल अथॉरिटी, इन्दौर, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड और तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान दोनों चंडीगढ़ में, गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, पटना, भारत यूरेनियम निगम, सिंगभूम (बिहार), लौह स्क्रैप निगम लि0 भिलाई, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी, राज्य वन कॉलेज, कोयम्बटूर, सेन्टर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, जम्मू, पुणे और चंडीगढ़, विशाखापटनम पोट ट्रस्ट ओर ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोनों विशाखापट्टनम, मारमुगोवा पोर्ट ट्रस्ट और मारमुगोवा डॉक लेबर कोर्ड, दोनोंद मारगुगोवा दमें, पाराद्वीप पोर्ट ट्रस्ट, पाराद्वीप (उड़ीसा) , न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल् इंजीनियरिंग, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि0 और नैशनल फिल्म आर्काइव सभी पुणे में ।

12.5 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने कहा है कि वे नियत समय पर इसका संकलन करेंगे । ये हैं - इंडियन नैशनल एकेडमी और इंजीनियरिंग, नई दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवान्सड सांइटिफिक रिसर्व, बंगलौर और बोस संस्थान, कलकत्ता ।

12.6 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक और कोटि है जिन्होंने ' शून्य ' सूचना दी है - भारतीय होटल निगम, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि0 और प्रसार भारती सभी नई दिल्ली में, वर्षा और नम पत्तझर वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट, भारत डायनैमिक्स लि0 और इंटर नैशनल एडवान्स रिसर्व सेन्टर फॉर पाउडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मेटिरियल्स दोनों हैदराबाद में, रिजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, अराईमिली तूरा (मेघालय), इंडियन एसोसियेशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता , ब्रिटिश इंडिया लि0 कानपुर, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर, सरदार सरोवर कस्ट्रक्शन एडवाइशरी कमिटी, वदोदरा, वाडिया इन्टीट्यूट ऑफ हिमालय जिओलॉजी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैन्डीकैप्ड और एडवान्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेन्टेशन सभी देहरादून में, अन्डमान और निकोबार द्वीप वन और रोपण विकास निगम लि0, पोर्ट ब्लेयर, एच एम टी लि0 ओर सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट दोनों बंगलोर में, प्रसार भारती, पांडिचेरी, इम्फाल, चंडीगढ़, चेन्नई और भोपाल, भारतीय पेट्रोकेमिकल्स निगम लि0, वदोदरा, नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन, शिलौंग, रिजनल रिमोट सेसिंग सेन्टर, खड़गपुर, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड, तालवारा ओर सुन्दरनगर, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लि0, गुडगॉव । इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरियोलॉजी, पुणे और इंडियन एसोसियेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 13

' क ' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म बनाना

सचिवों की समिति ने अव श्रेणीकरण, कंप्यूटरीकरण और अभिलेखों के उचित संरक्षण से संबंधित टिप्पणी पर 17 जून, 1998 को अपनी बैठक में विचार करते समय सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के मुद्दे पर भी विचार किया । कई सिफारिशें को करने के अतिरिक्त, अभिलेख सर्जक अभिकरणों के पास उपलब्ध ' क ' कोटि के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने के प्रश्न पर भी विचार हुआ । समिति का विचार था कि " यह समीक्षा करने के बजाय कि किन पत्रों की माइक्रोफिल्म बनायी जाये, सभी ' क ' कोटि के पत्रों का पहली बार में माइक्रोफिल्म बनाया जा सकता है । " इसके परिणामस्वरूप कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सचिव ने 13 जुलाई, 1998 को भारत सरकार के सभी सचिवों के नाम मंत्रालयों / विभागों कार्यालयों के संरक्षण में पड़े ' क ' कोटि के अभिलेखों के माइक्रोफिल्मिंग को सुनिश्चित समय-सीमाबद्ध कार्य का आरंभ करने का आग्रह करते हुए अर्द्ध शासित पत्र संख्या 24012/1/98 ओ एण्ड एम जारी किया । इसे राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से सम्पन्न किया जाना है ।

13.1 तदनंतर प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव ने 27 जुलाई 1998 को एक अन्य बैठक बुलाई जिसमें ' क ' श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने के तरीकों पर विचार किया गया । बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक नोट तथा मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों से ' क ' श्रेणी के अभिलेखों पर सूचना की अपेक्षा करने वाला प्रोफार्मा तैयार किया गया तथा इस विषय में और निर्देशों के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग को प्रेषित किया गया ।

13.2 प्रशासनिक सुधार व सार्वजनिक शिकायत विभाग ने अपने पत्र सं0 24012/1/98-ओ एण्ड एम दिनांक 24 अगस्त, 1998 को तथा अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने संबंधित प्रोफार्मा सहित सभी मंत्रालयों/विभागों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से ' क ' श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने के कार्य को तेज करने का आग्रह करते हुए प्रेषित कर दिया । कथित पत्रों के उत्तर स्वरूप 13 मंत्रालयों/विभागों आदि ने रिपोर्ट की की अवधि के दौरान में प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिये । इन 13 संगठनों में 6 ने शून्य सूचना दी है । 2 ने सूचना दी है कि उन्होंने अपने नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले सभी कायार्लयों को निर्देश जारी कर दिये हैं, 3 संगठनों ने अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने के संबंध में निर्देश/स्पष्टीकरण की कामना की है और 2 ने कहा है कि उनके पास माइक्रोफिल्म बनाने के लिये ' क ' श्रेणी की फाइलें हैं ।

13.3 जिन मंत्रालयों / विभागों ने शून्य सूचना दी है, वे हैं फूड प्रोसिसेंग इंडस्ट्रीज, भूतल परिवहन, स्टील और रेलवे मंत्रालयों और प्रोग्राम इम्प्लीमेन्टेशन और सांख्यिकी विभाग, सभी दिल्ली में स्थित हैं ।

13.4 प्रशासनिक सुधार व सार्वजनिक शिकायत विभाग तथा शहरी विकास विभाग ने सूचना दी है कि उन्होंने परिपत्र जारी किया है तथा उनके अधीन काम करने वाले सभी

विभागों/अनुभागों के निर्देशकों /अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में आवश्यक सूचना प्रेषित करें ।

13.5 टेलिकम्यूनिकेसन्स विभाग, नई दिल्ली, जिओमैग्नेटिज्म संस्थान, मुम्बई और मद्रास डॉक श्रम बोर्ड, चेन्नई ने इस विषय पर कुछ स्पष्टीकरण/निर्देश की मांग की थी जो उन्हें दे दिये गये हैं ।

13.6 संसदीय मामलों तथा विद्युत मंत्रालय, दोनों नई दिल्ली में ही हैं, ने कहा कि कि उनके पास क श्रेणी के अभिलेख हैं जिनकी संख्या क्रमशः 3 और 789 फाइल हैं । राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक अधिकारी को क श्रेणी के अभिलेखों का उस स्थान-विशेष में अध्ययन करने के लिये, जिससे कि चर्चित अभिलेखों के माइक्रोफिल्म बनाने में सुविधा हो, नियुक्त किया गया था ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 14

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) को सार्वजिनिक अभिलेख नियम, 1997 के विस्तृत नियम 5 के साथ पढ़े जाने पर अभिलेखागार के महानिदेशक को मूल्यांकन करने तथा साथ-ही स्थायी प्रकृति के अभिलेखों की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है । इसी तरह, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ग) भी विभागीय अभिलेख अधिकारी को ऐसे सार्वजनिक अभिलेखों को, जो पच्चीस साल साथ से अधिक पुराने हैं तथा जो स्थायी मूल्य वाले है वैसे सार्वजनिक अभिलेखों को मूल्यांकित कर, राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौपती है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकतां है कि अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और अस्थायी प्रकृति के अभिलेखों के विनष्टीकरण से व न सिर्फ मूल्यवान शेल्फ स्थान और भारत सरकार के अभिलेख कक्षों में जमा अभिलेखों के रख - रखाव पर आ रहे लागत दोनों में बचत होती है बल्कि स्थायी मूल्य वाले अभिलेखों के चयन में भी मदद मिलती है तथा इस प्रयास से अभिलेखों के अविचारित विनष्टीकरण से भी रक्षा होती है ।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल 79,313 फाइलों का मूल्यांकन किया है । इनमें से 37,229 को सुरक्षित रखे जाने तथा 42,084 फाइलों को नष्ट किये जाने की सिफारिश की गयी । इस तरह इससे अभिलेखों के रख - रखाव पर प्रतिवर्ष 42,084 रू0 प्रतिवर्ष की बचत हुई ।

14.2 1997 में 42,809 फाइलों का मूल्यांकन हुआ जिनमें से 21,162 फाइलों को सुरक्षित रखने और 21,647 के नष्ट करने की सिफारिश की गयी । वे संगठन जिनके अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया की सूची इस प्रकार है - - प्रधान मंत्री का कार्यालय (1948-72), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, (1948-72), श्रम मंत्रालय (1966-69.), शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय (1956-72) ,विद्युत मंत्रालय (1897-1972), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (1965-72), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक (1959-72), उर्वरक विभाग (1948-72), विधि विभाग (1951-72), आर्थिक मामलों का विभाग (1955-73), गृह मंत्रालय का पुनर्वास प्रभाग (1948-73) जो सभी नई दिल्ली में है, अग्रवर्ती बाजार आयोग (1954-72) और जहाजरानी और परिवहन महानिदेशक, दोनों मुम्बई में हैं (1943-72), सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई (1892-1964) और रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त का कार्यालय, लखनऊ (1946-73)

14.3 इसके अतिरिक्त 1998 में 36,504 फाइलों का मूल्यांकन हुआ जिनमें से 16,067 फाइलों को सुरक्षित रखे जाने और 20,437 फाइलों को विनष्ट करने की सिफारिश की गयी । ये अभिलेख निम्नलिखित से संबंधित हैं - कृषि मंत्रालय (1954-74), आर्थिक मामलों का मंत्रालय (1954-70), विदेश मंत्रालय (1966-73), शिक्षा विभाग,. सी आर यूनिट (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) (1961-72) और भारतीय पुरातत्व विभाग (1941-74) ,सभी दिल्ली में है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद (1950-72) , और-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुन्टूर (आंध्र प्रदेश) में सहायक आयुक्त का कार्यालय (1943-74) ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय - 15

संदर्भ माध्यम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ड) के अनुसार अभिलेखागार के महानिदेशक को सूची सूचकांक, कैटलॉग तथा सार्वजनिक अभिलेखों के अन्य संदर्भ माध्यम की तैयारी का कार्यभार सौपा गया है । यहाँ यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि संदर्भ माध्यम अभिलेखों को तत्काल प्राप्त करने का साधन हैं । चूंकि अभिलेख सरकार की स्मृति स्वरूप होते हैं जिसमें अतीत में उठाये गये कदम एकत्रित रहते हैं और जो निर्णय लेने में तथा देश के विकास के लिये भविष्य की नीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं अतएव सूचना के तत्काल संदर्भ के लिए पर्याप्त संदर्भ माध्यम की तैयारी नितान्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, शोध छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए भी अभिलेखों के संदर्भ के लिए व्यवहार संदर्भ माध्यम की आवश्यकता होती है । इस संबंध में 1997 और 1998 वर्ष के दौरान किये कार्य नीचे उल्लिखित हैं -

15.1 ' एशिया के ऐतिहासिक स्रोतों की गाइड ' प्रोजेक्ट में खंड 3.4 के 10 राज्यों के अभिलेख संग्रहों पर सर्वाधिक सूचना संकलित करने तथा छपाई के लिए प्रेस को भिजवाये जाने के कार्य में तीव्र प्रगति हुई । ये राज्य हैं, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा ।

15.2 इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रोजेक्ट ' एशिया के ऐतिहासिक स्रोतों की गाइड ' के खंड 3.5 का कार्य प्रगति पर है खंड में 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की अभिलेखागार की सामग्री से संबंधित आलेख भी हैं । ये हैं अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंड़ीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश ।

15.3 1997 और 1998 अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेख सारणियों के संक्षिप्त सूची भी तैयार कर की गयी -

(i) रेवा कंथा अभिकरण (1822-1916) के विविध अभिलेख, और

(ii) (1856-58) और (1860-62) की सेंट्रल इंडिया एजेंसी की पत्र - प्राप्ति श्रृंखला

15.4 अभिलेखागार संग्रह का एक महत्वपूर्ण कार्य उसके पास मौजूद अभिलेखों को शोधकत्ताधों और प्रशासकों को शीघ्र उपलब्ध कराना है । यह तभी संभव है जब संग्रह के पास उसके अभिलेखों के लिए पर्याप्त संदर्भ माध्यम हो । राष्ट्रीय अभिलेखागार का दस्तावेजी विरासत अनुमानतः 30 कि0 मी0 सेल्फ स्थान घेरता है अर्थात् लगभग 35 लाख फाइल, 34,500 फोटोग्राफिक अभिलेख, 1.05 लाख खंड, 43,000 मानचित्र । इसके अतिरिक्त, विभाग ने श्रमपूवर्क महात्मा गाँधी, गोविन्द वल्लभ पंन्त, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रख्यात नेताओं के निजी पत्रों की प्रभावी संग्रह तैयार कर ली है । इन अभिलेखों का इस्तेमाल संदर्भ माध्यम की सहायता से मैनुअल रूप से शोध कर्ता और इतिहासकार दोनों करते हैं । इससे अपेक्षित सूचना की प्राप्ति में न केवल अधिक समय लगता है बल्कि उन फाइलों के संबंध में समस्या भी खड़ी करता है जो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेखागार को स्थांतरित नहीं किये गये हैं, यद्यपि सूचकांकों में इनके संदर्भ दिये जाते हैं । यह एक असुखकर परिस्थिति की सृष्टि करता है जब संबंधित कर्मचारियों द्वारा माँग पत्र " स्थांतरित नहीं " की टिप्पणी के साथ वापस कर दिए जाते हैं । दूसरे, लगभग 30 % अभिलेखों का कोई संदर्भ माध्यम नहीं है और शोधकर्त्ताओं के लिए इन अभिलेख संग्रहों का संदर्भ प्राप्त करना कठिन हो जाता है । इन समस्याओं से निपटने के लिए और सूचना के शीघ्र संदर्भ प्रदान करने के लिए संदर्भ माध्यम के कम्प्यूटरीकरण के लिए इलेक्ट्रोनिक व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायता से वर्ष 1997 में एक अग्रगामी कार्यक्रम का आंरभ किया गया है । इस कार्य को करने के लिए 64.63 लाख खर्च करने के प्रदान किया गया जिसे कई चरणों में खर्च किया जाना था ।

15.5 प्रथम चरण में, होम पोलिटिकल (राजनीतिक) के अभिलेखों के संदर्भ माध्यम का कम्प्यूटरीकरण वर्ष (1907-1968) के लिए और होम (पब्लिक) (1747 - 1859) के लिए मार्च 1998 में शुरू किया गया । होम (पोलिटिकल) के संबंध में 21,000 और होम (पब्लिक) के लिए 1,16,779 डाटा एंट्री दिसम्बर, 1998 तक पूरे किये गये ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अवाप्ति / अधिग्रहण

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) के तहत अधिकृत किया गया है कि वह समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी प्रकृति वाले सार्वजनिक अभिलेखों को संग्रह के लिए स्वीकार करें । इसी तरह कथित अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार को उपहारस्वरूप, खरीद अथवा अन्य किसी माध्यम से निजी स्रोतों से ऐतिहासिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के अभिलेखों की स्वीकृति का भी अधिकार देता है । उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1997 और 1998 के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार वे निम्नलिखित अभिलेख सरणियों तथा निजी लेख प्राप्त किये हैं -

16.1 वाणिज्य मंत्रालय के 217 फाइल (1956-57) ,1304 फाइल खाद्य मंत्रालय के (1943-62) ,140 फाइल रक्षा मंत्रालय (द्वितीय विश्व युद्ध) , 1 फाइल वायु मुख्यालय के (1985-87) ,1087 फाइल आर एन ए और आई आइ एन के रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग से, 541 फाइल विदेश मामलों के मंत्रालय (1893-1968) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 1173 फाइल (1926-70) 228 फाइल संसदीय मामलों के मंत्रालय से (1952-70) , 9264 फाइल डाक विभाग से (1920-63), 6 फाइल प्रधानमंत्री के कार्यालय से, 3515 फाइल रेलवे मंत्रालय से (1938-71) और एक फाइल जम्मू और कश्मीर के संविधान (23वें संशोधन विधयेक, 1997) का ।

16.2 इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र जयपुर ने 1922-1945 वर्षों से संबंधित रक्षा लेखा (अधिकारी) पुणे के नियंत्रण के कार्यालय के 75 फाइल अवाप्त किये ।

16.3 सार्वजनिक अभिलेखों के अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रख्यात भारतियों के निजी अभिलेखों तथा साथ ही भारतीय हित के विदेशों से अभिलेख प्राप्त करना जारी रखा । तद्नुसार ही 1997 में, राष्ट्रीय अभिलेखागार में भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव और चन्द्रशेखर आजाद आदि के कार्यों से संबंधित लेखों की 44 अखबारी कर्तनें प्राप्त कीं । 47 चित्र तथा 31 निगेटिव लाला चिन्त राम थापर, मीर अब्दुल केयन, हकीम नूर-उद-दिन के प्राप्त किये गये हैं जिनमें राजगुरू, भगत सिंह एवं सुखदेव के जन्म स्थान तथा वह स्थान जहाँ तीन शहीदों की अंत्येष्टि आदि की गयी थी से संबंधित सामग्री भी शामिल है । श्री शिव वर्मा जो सुखदेव, भगत सिंह और राजगरू के निकट सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी हैं, के कार्यों से संबंधित 4 आडियो कैसेट प्राप्त किये गये । " लाहौर षडयंत्र कांड " मामले की कार्यवाइयों जो पूच हाउस, लाहौर में 5 मई 1930 को विशेष अधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा सम्पन्न हुआ, के 4 जेरौक्स पन्ने प्राप्त किये गये । श्री मथुरा दास थापर को संबोधित दिनांक 10.3.1991 को कैप्टन सुभाष चन्द दास द्वारा इण्डियन नैशनल आर्मी, युद्ध दल की इकाई के निर्माण के आग्रह संबंधी 2 चिठ्ठियाँ और श्री सुधीर विद्यार्थी से दिनांक 22.8.1992 को फोटोग्राफ और सुखदेव की पुस्तक की प्राप्ति की स्वीकृति पत्र प्राप्त हुए । ये लेख 1930-92 की अवधि को कुछ अन्तरालों के बावजूद व्याप्त करते हैं । श्री एम डी थापर लिखित ' मेरा भाई शहीद

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

सुखदेव ' शीर्षक पुस्तक भी प्राप्त की गयी । ये सामग्री श्रीमती संतोष थापर, शहीद सुखदेव की भाभी और श्री मथुरा दास थापर की पत्नी से प्राप्त हुई है । इसके अतिरिक्त, श्रीमती सन्तोष थापर ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को पवित्र माटी रखा जो श्रीमती रल्ली थापर, शहीद सुखदेव की माता, द्वारा उस स्थान से उठाई गयी थी जहाँ शहीद सुखदेव की भगत सिंह और राजगुरू के साथ अंत्येष्टि की गई । 8 पत्र (पोस्टकार्ड) , 1 लेख, 1 प्रेस कर्तन जो 1902-1982 की अवधि को कुछ अन्तरालों के साथ व्याप्त करते हैं तथा जिनमें श्री ओ0 पी0 पालीवाल और श्री बी0 डी0 चतुर्वेदी के बीच विशेषतया जवाहर लाल नेहरू, लेनिन आदि पर कुछ पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित पत्राचार हैं ये सामग्री श्री ओ पी पालीवाल, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली से प्राप्त किये । ये पुस्तक जिसका शीर्षक ' नेताजी के विरूद्ध, षड्यंत्र करने वाले उनको बंधक बनाने वाले तथा हत्यारे नेताजी के हृदय की व्यथा तथा गूंज ' की एक प्रति प्राप्त की गई । 3 पैम्फलेटों की 5 प्रतियाँ तथा नेताजी शोध फाउंडेशन के संबंध में भारतीय प्रेस रिपोर्ट प्राप्त किया गया । प्रेस कर्तनों के फोटोग्राफ और भारत माता के तथा नेताजी शोध संस्थापना के संबंध में 18 रंगीन फोटोग्राफ अधिप्राप्त हुए हैं । यह प्रकाशित सामग्री श्री वी पी सैनी, अध्यक्ष, नेताजी शोध संस्थापना, रूप नगर (पंजाब) से प्राप्त हुए हैं । 756 जेरौक्स प्रतियाँ जो 1839-1941 की अवधि को व्याप्त करने वाली तथा जो भारतीय थल सेना में नैतिकता की जाँच पर रिपोर्ट /खोज से संबंधित हैं, भारतीय राजस्व और कर आंकड़े, भारत का जीवन बीमा निगम, मद्रास सैनिक कोष और विनियम आदि इंस्टीट्यूट ऑफ ऐक्टेवेरीस लाइब्रेरी, नेपियर हाउस ऑक्सफोर्ड, यू के से 31 मार्च 1933 तक, " भारतीय रेलवे के निर्माण और उसकी प्रगति के इतिहास " पर एक पुस्तक के साथ खरीदी गयी है । भारत और विदेश के गणमान्य व्यक्तियों जैसे एफ वी वाइली, यूनाइटेड प्रोविन्स के पूर्व राज्यपाल, रोमेश भंडारी, गोवा के राज्यपाल, डॉ0 एम चेन्ना रेड्डी तमिलनाडु के राज्यपाल, प्रो0 रसेल आर डचर, भूगर्भशास्त्र विभाग, सं रा अमेरिका के एच एस पारीक और उनके पिता श्री श्याम संदुर संबोधित 19 पत्र प्राप्त किये गये । इनमें से अधिकांश पत्र संपूरक और सामग्री/रिपोर्ट, प्रकाशन आदि की प्राप्ति की स्वीकृति है । यह सामग्री 1945-95 तक की अवधि को कुछ अन्तरालों के साथ व्याप्त करता है ।

16.4 लगभग 700 फाईल श्री गुलजारी लाल नंदा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के, श्री तरलोक सिंहा, नई दिल्ली से प्राप्त हुए हैं । 1936-69 की अवधि से संबंधित लगभग 2000 फाइल श्री एल लालभाई, अहमदाबाद के से प्राप्त हुई है । 990 फाईल आइ एन ए के 1943-47 की अवधि के लिए, रक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं । गृह विभाग के अभिलेख सारणियों के अवतंसों, उड़ीसा सरकार के विशेष प्रभाग, राज्य अभिलेखागार, 1940 न्यायायिका, पुलिस और सामान्य विभाग आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद के 1351 प्रतिलिपि पन्ने प्राप्त हुए हैं ।

16.5 इसके अतिरिक्त प्रवजन समझौता, कनाडा सरकार, न्यूजीलैण्ड, के साथ भारतीय नेवी बिल, सीमा शुल्क समझौते आदि से संबंधित 1926-38 तक की अवधि के डोमिनियन्स कार्यालय के 9 माइक्रोफिल्म रोल पब्लिक रिकार्ड आफिस, लन्दन से खरीदे गये हैं । इसी तरह वर्ष 1906-1976 के ए एन मिचेल कागजातों के इकतीस माइक्रोफिल्म रोल ब्रिटिश पुस्तकालय, यू के से खरीदे गये हैं । साथ ही शहीद भगत सिंह की डायरी वाली एक माइक्रोफिल्म रोल शहीद भगत सिंह के भतीजे श्री बलबीर सिंह से प्राप्त हुआ है ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रतिधारण समय सूची की जाँच

अभिलेखों के प्रतिधारण समयसूची की जाँच सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (6) (1) (ड) के तहत अभिलेख अधिकारी द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से सार्वजनिक अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समयसूची की तैयारी के लिए उत्तरदायी होना अपेक्षित है । राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रत्येक मंत्रालय /विभाग के लिए विशिष्ट अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समयसूची की जाँच और उसे अंतिमरूप प्रदान करने में की गयी प्रगति नीचे उल्लिखित है । इन समय सूचियों को संबंधित अभिलेख सर्जक अभिकरणों में परिवर्तन और विस्तरण कार्य की पर्याप्त परख के लिए पाँच वर्षों में एक बार संशोधित करने की आवश्यकता है ।

तद्नुसारं ही, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्ष 1997 के दौरान 23 मंत्रालयों /विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों के अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समय सूची की जाँच कर ली है और विस्तृत सूचनायें इस प्रकार हैं -

17.1 अध्ययन रिपोर्ट जिनके अध्ययन 1996 में पूरे हो गये थे तथा उन्हें अंतिम रूप भी दे दिया गया था और 1997 में संबंधित संगठनों को भेज दिया गया था । ये हैं - नागरिक उड्डयन मंत्रालय, युवा मामले एवं क्रीड़ा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण - ये सभी नयी दिल्ली में स्थित हैं, तथा देहरादून एवं चंडीगढ़ स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय । इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 18 मंत्रालय आदि के अभिलेख प्रतिधारण समय सूची की जाँच की तथा 1997 में उन्हें रिपोर्ट के साथ कार्यन्वयन के लिए भेजा । ये हैं - कोयला, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय, खाद्य, पर्यटन, शहरी रोज़गार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, प्रधानमंत्री का कार्यालय, विस्तार, मुद्रण, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, एनिमल क्वारेंटाइन तथा प्रमाण सेवा केन्द्र - सभी नई दिल्ली स्थित, कपास विकास निदेशालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कस्टम्स, प्रिवेंशन एण्ड गोल्ड कंट्रोल असिसटेंट कमिश्नर का कार्यालय, एनिमल क्वारंटाइन तथा प्रमाणन सेवा केन्द्र - सभी मुंबई स्थित, तथा चंडीगढ़ एवं लखनऊ स्थित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ।

उनका जिनका 1997 में अध्ययन रिपोर्ट पूरा किया गया था को भी अंतिम रूप दिया गया तथा उन्हें संगत संगठनों को 1998 में भेजा गया । ये हैं - रक्षा मंत्रालय, फर्टिलाइजर तथा डाक विभाग, सभी नई दिल्ली स्थित, भारत सरकार टकसाल तथा फारवर्ड मार्केट्स कमिशन दोनों मुंबई में । रक्षा मंत्रालय, उवर्रक और डाक विभाग, जो सभी दिल्ली में हैं, भारत सरकार टकसाल और अग्रवर्ती बाजार आयोग, जो दोनों मुम्बई में हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित मंत्रालयों /विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण समय सूची की जाँच का स्थल विशेष पर ही अध्ययन द्वारा पूरा कर लिया गया और क्रियान्वयन के लिए भेज दिया गया । ये हैं - संसदीय मामलों का मंत्रालय और अनु जा / अनु जन जा के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र, जो दोनों नई दिल्ली में हैं, भारत सरकार टकसाल, नोयडा और अनु जा / अनु जन जा के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र, हैदराबाद ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

17.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण समय सूची की जाँच के लिए स्थल -विशेष पर ही अध्ययन का कार्य आरंभ किया गया और 1998 में पूरा कर दिया गया तथा उनके प्रतिधारण समय सूची के साथ उनका अध्ययन रिपोर्ट अंतिम रूप प्रदान किये जाने के विभिन्न चरणों में था । ये हैं - समुद्र विकास विभाग, समन्वय निदेशालय, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, आपूर्ति और परिवहन, प्रचालन और संभास-तन्त्र, भूमि, कार्य और पर्यावरण, परिचालन, तकनीक परीक्षाएं, सैनिक फार्म, आर्मी डाक सेवा, कैन्टीन सेवा, पायोनियर्स नये घोड़ों की सप्लाई और पशु-चिकित्सा कार्मिक सेवा, नियुक्ति, समारोह संबंधी और कल्याण, चिकित्सा सेवायें, दंत चिकित्सा सेवा, प्रोवेस्ट मार्शल, जज एडवोकेट जनरल जो सभी दिल्ली में हैं ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

परामर्श कार्य

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (i) के तहत अभिलेखागार के महानिदेशक से अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेखों के निर्माण, श्रेणीकरण और विनष्टीकरण के मामले में तथा अभिलेखों को उनके अर्द्धप्रचलित चरण के दौरान वैज्ञानिक रीति से संरक्षित रखने के सुनिश्चित करने अभिलेख प्रबंधन के मानक प्रक्रिया तकनीकों का प्रयोग करने के मामले में सुझाव देना अपेक्षित है । इस उद्देश्य से मंत्रालयों आदि के विभागीय अभिलेख कक्षों की वार्षिक जाँच-पड़ताल का कार्य किया गया है तथा अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक सुझाव दिये गये हैं । 1997 के दौरान कोयला, वाणिज्य, नागर विमानन, रक्षा, पर्यावरण और वन, विदेश मामले, गृह मामले, सूचना और प्रसारण, श्रम, खान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भूतल परिवहन, आण्विक ऊर्जा विभाग, मुम्बई और संचार, व्यय, उर्वरक, उद्योग विकास, राजस्व और आपूर्त्ति, जो सभी नई दिल्ली में हैं, इन सबकी इस विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच पड़ताल की गयी ।

18.1 इसी तरह, निम्नलिखित 23 विभागीय अभिलेख कक्षों की जाँच पड़ताल भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा 1998 में की गयी और उन्हें अभिलेखों के उचित संरक्षण के लिए सुझाव दिये गये । ये हैं - कृषि और सहयोग मंत्रालय, नागर विमानन, कोयला, विदेश मामले, औद्योगिकी नीति और विकास, सूचना और प्रसारण, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन, रेलवे, स्टील, भूतल परिवहन, सिविल आपूर्त्ति विभाग, कम्पनी मामले, आर्थिक मामले, इलेक्ट्रानिक्स, व्यय, भारी उद्योग, राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आपूर्त्ति, राष्ट्रपति सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, योजना आयोग और राष्ट्रीय अभिलेखागार जो सभी नयी दिल्ली में हैं ।

18.2 इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों, संगठनों तथा अन्य संस्थानों को अभिलेखों के बेहतर रख-रखाव और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं । 1997 वर्ष में, इस विभाग के एक अधिकारी सहायक निदेशक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अनुरोध पर उनके कार्यालय गये और अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विषय पर सुझाव दिये । इसी तरह, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में भी राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारी गये और विभागीय अभिलेख कक्ष की अधिक वैज्ञानिक रीति से स्थापना के संबंध में आवश्यक सुझाव दिये । 1998 वर्ष में, तीन कार्यालयों में यहाँ के अधिकारी गये और अभिलेख प्रबंधन विषय पर स्थल विशेष में निर्देशन/सुझाव उन्हें दिये गये । ये हैं - कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल और दक्षिण-पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, बिलासपुर ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन पीठ अभिलेखीय अध्ययनों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता हैं । इन अभिलेखीय अध्ययनों में एक वर्ष का डिप्लोमा अभिलेख प्रबंधन में अल्प अवधि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, अभिलेख प्रबंधन और पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा अभिलेखागारों के संरक्षण और अभिलेखों की मरम्मत के पाठ्यक्रम शामिल है । सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अपने कर्मियों को विभागीय अभिलेख कक्ष के लिए प्रशिक्षत कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 17 जून, 1998 को हुई बैठक में सचिवों की समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रख राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 (1) के तहत अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा नामोद्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पाँच दिन का ओरियेन्टेशन पाठ्यक्रम आरंभ किया है । एक वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत 1997 में 7 अभ्यर्थियों को तथा 1998 में 10 को, जिन्हें पाठ्यक्रम में क्रमशः वर्ष 1996-97 और 1997-98 में प्रवेश मिला था, डिप्लोमा प्रदान किया गया । 10 अभ्यर्थियों को वर्ष 1998-99 के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला ।

19.1 अकादमी सत्र 1996-97 के लिए एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 7 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश मिला जिनमें जम्मू और कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, प्रत्येक द्वारा प्रायोजित एक अभ्यर्थी तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन स्थापना से तथा शेष निजी अभ्यर्थी थे । वर्ष 1997-98 के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 10 अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला उनमें से एक-एक अभ्यर्थी जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये जर्मन स्थापना द्वारा प्रायोजित तथा शेष निजी अभ्यर्थी थे । इसी तरह, अकादमी वर्ष 1998-99 के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रत्याशियों को प्रवेश मिला । उनमें से एक-एक अभ्यर्थी पश्चिम बंगाल, महासभा गुरूकुल विद्यापीठ, हरियाणा, खानपुर कलां (जिला - सोनीपत) और मोहन मेकिन लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा प्रायोजित और शेष निजी अभ्यर्थी थे ।

19.2 सेवारत सरकारी अधिकारियों तथा साथ ही निजी प्रशिक्षार्थियों के लाभ के लिए अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय ने अभिलेख प्रबंधन, रेप्रोग्रैफी, पुस्तकों के रख-रखाव और संरक्षण, पांडुलिपियों और अभिलेखों को ठीक रखने के उपाय के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये प्रत्येक के दो सत्र तथा अभिलेखीय प्रबंधन का एक सत्र चलाया ।

19.3 केन्द्र सरकार और अन्य संगठनों के 21 मनोनीतों ने जिनमें निजी उम्मीदवार भी शामिल हैं, 1997 में अभिलेख प्रबंधन पाठ्यक्रम के दो सत्रों में भाग लिया । इनमें से एक-एक उम्मीदवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर के राज्य अभिलेखागार द्वारा, दो भारत के विमान पत्तन अधिकारी, एक-एक अन्डमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, बाबा साहेब अम्बेदकर राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, महु इन्दौर, राष्ट्रीय सहारा पुस्तकालय, सहारा भारत काम्पलेक्स, नोयडा (यू पी) द्वारा प्रायोजित तथा शेष 10 निजी अभ्यर्थी थे । इसी तरह, 17 उम्मीदवारों ने 1998 में अभिलेख प्रबंधन पाठ्यक्रम के दो सत्रों में

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भाग लिया । इनमें से , एक वस्त्र मंत्रालय, तीन जल संसाधन मंत्रालय, दो आपूर्ति विभाग, एक हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, जो सभी नई दिल्ली में हैं, एक एक कला और संस्कृति मंत्रालय, मॉरिशस सरकार, फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद, गाँधी स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय मदुरई, गणितीय भौतिकी मेहता संस्थान, इलाहाबाद, लौह स्क्रैप निगम लिमिटेड, भिलाई, रक्षा शोध और विकास स्थापना, ग्वालियर, पर्यावरण और वन मंत्रालय के पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय, भुवनेश्वर और विशाखापटनम बंदरगाह ट्रस्ट, विशाखापट्टनम से थे । शेष दो अभ्यर्थी निजी प्रशिक्षणार्थी थे ।

19.4 अभिलेखीय प्रबंधन के एक सत्र 1997 में 2 अभ्यर्थियों ने भाग लिया । और ये दोनों टर्मिनल बैलिस्ट्री रिसर्च लैबोरिटी तथा रवीन्द्र भवन, शान्ति निकेतन, कलकत्ता द्वारा प्रायोजित थे । इसी तरह 1998 के एक अन्य सत्र में अभिलेखीय प्रबंधन पाठ्यक्रम में 6 प्रशिक्षार्थियों को प्रायोजित किया गया । और इनमें से एक-एक विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, कला और संस्कृति मंत्रालय, मॉरिशस सरकार, शोध निदेशालय, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर और तीन निजी अभ्यर्थी थे । इसी तरह, 1909 में एक सत्र आयोजित हुआ जिसमें चार प्रशिक्षणर्थियों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया । इनमें से एक - एक भाषा और संस्कृति विभाग तथा राज्य अभिलेखागार हिमाचल प्रदेश, शिमला तथा दो राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और एक निजी अभ्यर्थी था ।

19.5 12 प्रशिक्षार्थियों ने पुस्तकों पांडुलिपि और अभिलेखों के रख-रखाव तथा संरक्षण की अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम के दो सत्रों में भाग लिया । इनमें से दो हैवी वाटर प्लांट (आण्विक ऊँर्जा विभाग) मानुगुरू, खम्माम जिला (आं0 प्र0) और कोटा (राजस्थान), एक-एक कोरियन सिफोस के राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑरोविल अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय, श्रीनगर, प्रशासनिक सुधार विभाग, त्रिपुरा सरकार, अगरतल्ला, और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य पाँच निजी अभ्यर्थी थे ।

19.6 इसी तरह, 18 प्रशिक्षार्थियों ने पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के रख-रखाव और संरक्षण के 1998 में आयोजित अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम के दो सत्रों में भाग लिया । इसमें से एक -एक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, वायु मुख्यालय, भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान, 8 वीं धुड़सवार फौज जो सभी नयी दिल्ली में हैं । एक एक भारतीय भगर्भ सर्वेक्षण, कलकत्ता और रामकृष्ण आश्रम, ग्वालियर से तथा शेष 12 निजी अभ्यर्थी थे ।

19.7 अभिलेखों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए 1997 के दौरान दो सत्र चलाये गये । कुल मिलाकर, 14 अभ्यर्थियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया । इनमें से एक एक नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय, विधि और न्याय, डॉ0 जाकिर हुसैन पुस्तकालय, जामिया मीलिया इस्लामिया, विश्वविद्यालय जो सभी नयी दिल्ली में है, राष्ट्रीय अभिलेखागार का क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर से तथा एक जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई द्वारा प्रायोजित और अन्य चार निजी अभ्यर्थी थे ।

19.8 इसी तरह अभिलेखों की सेवा और मरम्मत के लिए 1998 में दो सत्र चलाये गये और 25 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया । इनमें से दो तो लोक सभा सचिवालय और एक प्रधानमंत्री कार्यालय जो दोनों नई दिल्ली में है, से थे । एक-एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, पंजाब राज्य अभिलेखागार, चंडीगढ़, राजकीय बाल उच्चतर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

माध्यमिक विद्यालय, डॉ0 अम्बेदकर नगर, नई दिल्ली, प्रोजेक्ट विभाग तकनीकी अभिलेखागार और निर्माण विस्तार प्रोजेक्ट, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, भिलाई, दो - दो राज्य अभिलेखागार, गोदाम, जम्मू से, तीन बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से, दो बी के गुप्ता और उनके सहयोगी, दिल्ली से, एक एक शिवलाव राम चंद वाचनालय, मध (महाराष्ट्र) , सैण्डिगो कॉन्सल्टेन्ट्स, नई दिल्ली, किसान जनता कृषि सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दूधुम, अलीगढ़ से तथा अन्य शेष निजी अभ्यर्थी थे ।

19.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त दो रेप्रोग्रैफी पाठ्यक्रम चलाये गये और इनमें 1997 में 13 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया । इनमें से एक -एक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली, बिशॉप कॉलेज, कलकत्ता, गुवाहटी और मधुसूदन संस्कृत महाविद्यालय, बालासोर (उड़ीसा) से जबकि अन्य आठ अभ्यर्थी निजी प्रशिक्षणार्थी थे । इसी तरह रेप्रोग्राफी पाठ्यक्रम 1998 में दो बार चलाया गया तथा इसमें 14 प्रशिक्षाणार्थियों ने भाग लिया । इनमें से एक एक प्रशिक्षणार्थी केन्द्रीय विद्यालयख् अलमोड़ा, राष्ट्रीय हाइड्रोफिक कार्यालय कार्यालय, देहरादून सी एस आइ आर पुस्तकालय और मौलान आजाद जो दोनों नई दिल्ली में हैं सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक अन्दमान, पोर्ट ब्लेयर द्वारा प्रायोजित थे और नौ निजी प्रशिक्षणार्थी थे ।

19.10 विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पाँच दिनों का ओरियण्टेशन पाठ्यक्रम सितम्बर, 1998 में चलाया गया । रिपोर्ट की अवधि के दौरान तीन पाठ्यक्रम चलाये गये जिसमें 56 नामोददिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों में पाठ्यक्रमों में भाग लिया ।

19.11 निम्नलिखित 58 मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों ने अपने अधिकारियों को अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन आदि अभिलेखागार संबंधी अध्ययन विद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित करने की इच्छा प्रदत्त की ली । ये है - पर्यावरण और वन, सूचना और प्रसारण, संसदीय मामले, रेलवे, कार्मिक सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन तथा जल संसाधन मंत्रालय, संस्कृति, शिक्षा , विधि मामले, वैधानिक, समुद्र विज्ञान, अन्तर-राज्य काउंसिल सचिवालय तथा ऑल इंडिया रेडियों, जो सभी नई दिल्ली में है, अग्रवर्ती बाजार आयोग, राष्ट्रीय ट्यूबरक्यूलोसिस संस्थान, फिल्म प्रमाणीकरण का केन्द्रीय बोर्ड और एडवांस प्रशिक्षण संस्थान, जो सभी मुम्बई में है । व्यवसायिक सूचना और सांख्ययिकी का महानिदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और विकास आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, केन्द्री राजस्व के आयुक्त का कार्यालय, अनु0 जा0/अनु0 ज0 जा0 के लिए कोचिंग गाइडेंस केन्द्र तथा मद्रास डॉक श्रम बोर्ड जो सभी चेन्नई में है, ब्रांच सचिवालय (विधि मामले विभाग और वैधानिक विभाग) , तटीय इंजीनीयरिंग का केन्द्रीय संस्थान, भारतीय प्लाईवुड उद्योग प्रशिक्षण संस्थान और आयकर के मुख्य आयकर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, कर्नाटक जो सभी बंगलोर में हैं, दक्षिण प्रदेश की फार्म-मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षा संस्थान, गारलाडीने (आं प्र) , विदेश व्यापार उप महानिदेशक का कार्यालय कटक, पर्यावण और वन मंत्रालय का पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय, अपरंपरित ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय का प्रादेशिक कार्यालय और पोस्टमास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल) का कार्यालय जो सभी भुवनेश्वर में हैं, मिलीटीरी एयर वर्दीनेस के प्रादेशिक केन्द्र, सिकंदराबाद, सुल्तानपुर, चंडीगढ़ और विशाखापट्नम, पर्यावरण और वन मंत्रालय का उत्तर-पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय , शिलौंग, वर्षा और नम

पत्तझर वन शोध संस्थान, जोरहाट, पासपोर्ट कार्यालय, पटना और पणजी (गोवा), कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, आं प्र और सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो दोनों हैदराबाद में है , करेंसीनोट प्रेस, नासिक रोड, उत्तर -पूर्वी पुलिस अकादमी, उमसा, उमियन (मेघालय) , ऑल-इंडिया रोड, भोपाल, अप्रेंटिस शिप, प्रशिक्षण प्रादेशिक निदेशालय, फरीदाबाद, विकलांगों के व्यवसायिक पुनस्थापन केन्द्र, अहमदाबाद और वदोछरा, कोचीन डॉक श्रम बोर्ड, कोचीन, श्रम कल्याण संगठन, कर्मा (भुमरी तलैया) , अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 के लिए कोचिंग व गाइडेंस केन्द्र, जोवाई, विकलांगों के लिए व्यवसायिक पुर्नस्थापन केन्द्र, कानपुर, मानसिक विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकंदराबाद, सर्वेक्षण जनरल कार्यालय, देहरादून, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहटी और पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अध्याय 20

अभिलेखीय जागरूकता

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3 (2) (च) में अभिलेख महानिदेशक को सार्वजनिक अभिलेखों की , जन-सामान्य में अभिलेखीय जागरूकता के विस्तार के निमित्त प्रदर्शनी करने का अधिकार प्रदान करने की परिकल्पना है । विभाग के रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोगों तक पहुंचने के निम्नलिखित कार्य किये गये -

20.1 23 जनवरी, 1997 को राष्ट्रपति द्वारा लाल किले में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की सौवीं वर्षगांठ मनाने के कार्यक्रम के अंगस्वरूप, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ नेताजी के जीवन, कार्य और मिशन के विभिन्न पहलुओं की प्रदर्शनी करने में सहयोग किया । इस विषय पर कुछ दुर्लभ और तत्कालीन प्रलेखों और फोटोग्राफों का प्रदर्शन किया गया ।

20.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 'आजाद हिन्द फौज से आजादी तक ' शीर्षक वाली एक प्रदर्शनी जिसका शुभारंभ 28 अगस्त,1997 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष माननीय पी0ए0 संगमा द्वारा माननीय श्री एस0 आर0बोम्मई, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री की उपस्थिति में किया गया । प्रदर्शनी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान विभिन्न घटनाओं पर प्रकाश डाला गया । इस प्रदर्शनी को देखने कई लोग आये । इस प्रदर्शनी का संक्षिप्त रूप देश के कई भागों उदाहरणस्वरूप भोपाल (14 -21 दिसम्बर, 1997), भुवनेश्वर (26-30 नवम्बर, 1997), जयपुर (24-28 नवंबर , 1997) , पणजी , (22-26 दिसंबर , 1997) और शिमला , (17-23 नवम्बर, 1997) में प्रदर्शित किया गया । कुछ प्रदर्शित वस्तुओं को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता को प्रदर्शनी हेतु 24 दिसम्बर , 1997 को भेंट किया गया ।

20.3 एक अन्य,प्रदर्शनी जिसका शीर्षक ' व्यक्तिगत सत्याग्रह ' था, का उद्घाटन माननीय श्री एस आर0 बोम्मई ने 27 अक्टूबर, 1997 को किया । इस प्रदर्शनी का विषय 1940-41 में महात्मा गांधी द्वारा अक्टूबर 1940 को शुभारंभ अनोखे सत्याग्रह, जो उपनिवेशी सरकार द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के एक पक्षीय निर्णय के विरूद्ध प्रतिवाद था, पर केन्द्रित था । इसने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्वानों ,मीडया, प्रशासकों स्वतंत्रता सेनानियों विद्यार्थियों को आकर्षत किया ।

20.4 इसके अतिरिक्त , 22 अप्रैल 1997 को, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सुखदेव, राजगुरू और भगत सिंह जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गयी थी, की अंत्येष्टि स्थान ने एकत्रित पवित्र मिट्टी वाला एक पात्र प्राप्त किया । यह मिट्टी श्रीमती राली थापर सुखदेव की माता द्वारा उठायी गई थी और अभिलेख महानिदेशक को सुखदेव के जीवनी के साथ श्रीमती संतोष थापर , सुखदेव की भाभी ने चार फोटोग्राफ के साथ भेंट किया ।

20.5 डा0 एस0 सरकार, अभिलेख महानिदेशक ने संस्कृति विभाग में 7 जनवरी 1997 को वास्कोडिगामा की भारत यात्रा की 500वीं सालगिरह के लिये भारतीय समिति की बैठक में भाग लिया उन्होंने हरियाणा राज्य अभिलेखागार, हिसार के अभिलेखीय सप्ताह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की । उन्होंने संगीत नाटक अकादमी की सलाहकारी समिति की प्रलेखीकरण के

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

लिए तथा अभिलेखागार के लिए 13 जून 1997 की नई दिल्ली में बैठक में भाग लिया तथा साथ ही पानीपत संग्रहालय की स्थापना के संबंध में 2 अगस्त, 1997 को पानीपत, हरियाणा में हुई बैठक् में भाग लिया । इसके अतिरिक्त, उन्होंने संस्कृति विभाग में 7 अगस्त, 1997 को भारतीय इटालियन संस्कृति विनियम कार्यक्रम में अन्तर्भुक्त करने के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया । भारत की स्वतंत्रता की 50वें वर्ष के अवसर पर विभाग की परिधि में अभिलेखीय विरासत, जिसका राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान और आने वाली पीढियों के लिये परिरक्षण करता है के संग्रहालय को हमारे जन-समूह को जागरूक करने के लिये स्थापित किया गया । इस संग्रहालय का 6 जुलाई, 1998 को भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री के आर नारायणन द्वारा औपचारिक रूप से डा0 करण सिंह, श्री जी0वी0जी0 कृष्णमूर्ति , चुनाव आयुक्त जैसे विशेष व्यक्तित्वों और डिप्लोमैटिक मिशन और स्वतंत्रता सेनानियों के कई प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया ।

20.6 श्री एच0डी0सिंह, अभिलेख उपनिदेशक को 5-7 मई, 1997 से तेहरान में होने वाले स्वारभिबिका के सामान्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया था । अभिलेखीय कार्यो से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गयी । इसके अतिरिक्त विभाग के अन्य अधिकारियों ने भी 3 नवंबर, 1997 को भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद की नई दिल्ली में, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली में 17 मार्च 1997 को, वृन्दावन शोध संस्थान के संसदीय बैठकों में 24-28 फरवरी, 1997 से राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संचित पांडुलिपि और मिनि पेपर पेंटिंग्स के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशाप में भाग लिया ।

20.7 इसी तरह, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रथम गवर्नर जनरल पर भारत के स्वतंत्रता की 50वें वर्ष तथा राजाजी द्वारा गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित किया गया । यह प्रदर्शनी माननीय श्री के0 आर0 नारायणन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटित किया गया और श्री राज मोहन गांधी ,राजा जी के नाती, श्री एस0 के0 सिंह, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय और अन्य विशिष्ट स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे देखा । भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह के उत्सवों की समाप्ति के अवसर पर अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को प्रकाशित करने के लिए स्मृति में प्रदर्शनी लगायी गयी जो 17 अगस्त, 1998 से जन-सामान्य के लिये खुली थी। इसमें ब्रिटिश राज द्वारा प्रतिबंधित साहित्य और कविताओं को भी प्रदर्शित किया गया ।

20.8 एक अन्य प्रदर्शनी आन्ध्र केसरी तंगुतरी प्रकाशम पर 2 नवंबर 1998 से 14 नवंबर, 1998 तक लगायी गयी । इसी तरह, 4 दिसम्बर, 1998 को श्री अरविन्द शीर्षक से पुनर्जीवित भारत के द्रष्टा राजनेता के दर्शन और उनके बहु-आयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया । यह प्रदर्शनी जनवरी, 1999 तक रही और इसे कई दर्शकों ने देखा जिनमें विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के छात्र भी शामिल हैं ।

20.9 डा0 एस0 सरकार0 , अभिलेख महानिदेशक ने अल्जीरिया के इतिहास और विदेशों में परिरक्षित अभिलेखागारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो 16-19 फरवरी, 1998 को अल्जीरिया में हुई, में भाग लिया । उन्हें सिंगापुर अभिलेखागार की 30वीं सालगिरह उत्सव में भाग लेने के लिये तथा 21वीं सदी में अभिलेखागारों की भूमिका पर सिंगापुर के राष्ट्रीय अभिलेखागार मेंगोष्ठी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।

20.10 श्री एच0 डी0 सिंह , अभिलेख उपनिदेशक को 22-28 जून, 1998 में क्वांलालम्पुर , मलेशिया में यांत्रिक युग में सरकार में अनुकूल संसाधन और उत्तरदायित्व के लिये इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के निर्माण विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया । डा0 एस0 सेनगुप्ता , ओ0 एस0 डी0 को अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रादेशिक समिति की बैठक

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

और एशिया पैसिफिक में विश्व कार्यक्रम की स्मृति के लिए योजना निर्धारण और संसाधन संग्रहण पर कार्यशाला जो बीजिंग चीन में 17-20 नवम्बर , 1998 को आयोजित किया गया था, में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया । इसके अतिरिक्त, डा0 एस0 सरकार, अभिलेख महानिदेशक ने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान के लिए गठित समिति की 24 अप्रैल, 1998 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में हुई बैठक की अध्यक्षता की । इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान कलकत्ता की समीक्षा समिति की ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान में 21-22 जनवरी, 1998 को और 24-26 जनवरी को पश्चिम बंग इतिहास संसद में 14वीं वार्षिक सम्मलेन जो दोनों ही कलकत्ता में हुए, 12 फरवरी, 1998 को हिमाचल भवन, नई दिल्ली के हिमाचल प्रदेश संग्रहालय की कला खरीद समिति , 20 अप्रैल,1998 को पानीपत संग्रहालय की विषय-निर्वाचन समिति तथा कला खरीद समिति की संयुक्त बैठक और 28 अगस्त, 1998 को संग्रहालय और संरक्षण पर सम्मेलन क्रमशः हरियाणा भवन और राष्ट्रीय संग्रहालय में हुई ।

20.11 उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया - श्री एच0डी0 सिंह , अभिलेख उपिनदेशक ने तिरूवनन्तपुरम में हुई केरल राज्य अभिलेखागार परिषद की बैठक में भाग लिया । उन्होंने संचार भचन में ओ एण्ड एम अधिकारियों की 19-12-1988 को हुई बैठक में भाग लिया तथा उचित अभिलेख प्रबंधनकी आवश्यकता तथा स्थायी अभिलेखों के माइक्रोफिल्म डुप्लीकेशन की आवश्यकता पर बल दिया । श्री शीतला प्रसाद, अभिलेख उपिनदेशक ने सांस्कृतिक प्रशासन पर 3-6 दिसम्बर, 1998 से भारत अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में होने वाली कार्यशाला में भाग लिया । श्री एस0एम0आर0बाकर, अभिलेख उपनिदेशक ने पानीपत संग्रहालय की विषय-निर्वाचन समिति और कला खरीद समिति की 15 जनवरी, 1998 और 4 फरवरी , 1998 को हरियाणा भवन,नई दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक में भाग लिया ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्राथमिकताएँ -

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अभिलेखीय और अभिलेख प्रबंधन कार्यों को सांविधिक प्रावधानों द्वारा नियमन करने की पूर्त्ति के लिए लम्बे से समय प्रतीक्षित माँग अब दिसम्बर, 1993 में लोक अभिलेख अधिनियम के अधिनियमन द्वारा पूर्ण हो गयी है । जैसा कि रिपोर्ट के परिचयात्मक अध्याय में बताया गया है कि इस अधिनियम को 1 मार्च, 1995 से प्रभावी बताया गया था और अधिनियम के अधीन नियम 1997 में बने । हमलोग इससे अभिलेखों के प्रबंधन में व्यापक परिवर्तन के प्रति आशावान थे । परंतु लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों को नियमित करने में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अब भी बहुत प्रयास किये जाने की अपेक्षा को देखते हुए स्थिति निश्चय ही निराशाजनक है । इस अधिनियम का क्रियान्वयन मुख्य रूप से विभागीय अभिलेख अधिकारी की सहायता से किया जाता है जिन्हें अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर संगठन में विभिन्न अनुभाग अध्यक्षों को निर्देश प्रदान करने का भार सौंपा गया है तथा साथ - ही उन्हें अभिलेखागार के महानिदेशक के साथ संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाने और इस संबंध में उनसे उचित सलाह लेने का कार्यभार भी सौपा जाता है । इस बुरे प्रत्युत्तर का कारण संगठित विभागीय अभिलेख कक्षों का अभाव और उनकी व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी को नामोद्दिष्ट न करना है ।

21.1 जैसा कि आंकड़ों के विश्लेषण अध्याय में देखा जा सकता है, अभिलेख सर्जक अभिकरणों का प्रत्युत्तर वस्तुतः नगण्य रहा है और मेरा विचार है कि अभिलेख सर्जक अभिकरण अभिलेख प्रबंधन कार्यों को अधूरे रूप में न अपनाकर इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को बंधा बंधाया उत्तर देने के बजाय इन्हें अपने नियमित कार्यक्रमों के रूप में अपनायें । स्पष्टतया एक नियमित अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में तथा इस संदर्भ में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेगा । यहाँ मेरे लिए यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी के अधीन संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना, सार्वजनिक अभिलेख अधनियम, 1993 की अपेक्षानुसार आवश्यक है ।

21.2 एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष किसी भी संगठन में सफल अभिलेख प्रबंधन की दिशा में प्रथम कदम है । अतएव कार्यालय पद्धति मैनुअल के पैरा 133 में उल्लिखित की अपेक्षानुसार विभागीय अभिलेख कक्ष की जाँच अभिलेखों के बेहतर रख-रखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा । मैं अभिलेख सर्जक अभिकरणों से विभागीय अभिलेख कक्ष की वार्षिक जाँच में तथा जाँच रिपोर्टों में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने में सहयोग करने का आग्रह करूँगा ।

21.3 इसके अतिरिक्त, अभिलेख सर्जक अभिकरणों को इस विभाग द्वारा चलाये गये अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए । नामांकन को सुविधा जनक बनाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वर्ष के आरंभ में कार्यक्रम सूची की तिथि जारी की जाती है ।

21.4 एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की अपेक्षा है, वह है, श्रेणीकृत् अभिलेखों का अवश्रेणीकरण । पारदर्शिता के वर्तमान युग में श्रेणीकृत अभिलेखों का समय पर अवश्रेणीकरण शोधकर्त्ताओं के लिए

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

नये रास्ते खोलेगा । मेरे विचार से इस संबंध में हमारा आदर्श वाक्य " कम संख्या अधिक सुरक्षा " होना चाहिए ।

21.5 इसी तरह अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अपने महत्वपूर्ण अभिलेखों के लिए अभिलेख अभिधारण सूची बनाने और अप्रचलित अभिलेख जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें स्थायी रूप से परिरक्षित करने के लिए कालान्तर में परिग्रहण किये जाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करने पर बल देना चाहिए । मैं संगठनों का ध्यान इस विभाग के परामर्श के बिना जैसा कि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1997 के नियम 9 (2) के तहत अपेक्षित है, अपने अप्रचलित अभिलेखों को न नष्ट किये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा ।

मुझे आशा है कि अभिलेख सर्जक अभिकरण मेरे सुझावों को गंभीरता से लेंगे और लोक अभिलेखों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उपर्युक्त पहलुओं पर तत्काल कार्रवाई करेंगे ।

(डॉ0 एस सरकार)
अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

पुनर्मुद्रितः-

अनुबन्ध - I

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग - II
खण्ड - I , संख्या 120, नई दिल्ली, बुधवार,
दिसम्बर 22, 1993/पौष 1, 1915

विधि एवं न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1993/पौष 1, 1915 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 21 दिसम्बर 1993 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे यहाँ सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा हैः-

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 69)

(21 दिसम्बर 1993)

केन्द्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, केन्द्रीय सरकार
या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित पब्लिक
सेक्टर उपक्रमों, कानूनी निकायों और निगमों,
आयोगों और समितियों के लोक अभिलेखों के
प्रबंध, प्रशासन और परिरक्षण का तथा
उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक
विषयों का विनियमन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 है ।

(2) यह उस तारीख की प्रवृत्त होना जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(क) " बोर्ड " से धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिलेखागार सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है:

(ख) " महानिदेशक " से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिलेखागार महानिदेशक अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत महानिदेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी है:-

(ग) " अभिलेखागार प्रधान " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अभिलेखागार का भारसाधक है

(घ) " विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) " लोक अभिलेख " के अन्तर्गत हैं किसी अभिलेख सर्जक अभिकरण के ---

(i) कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाईल
(ii) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म्, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रतिः
(iii) ऐसी माइक्रोफिल्मों में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का कोई प्रत्युत्पादन (चाहे दिवर्धित हो या नहीं); और
(iv) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य साम्रगी ;

(च) " अभिलेख सर्जक अभिकरण " के अन्तर्गत है --

(i) केन्द्रीय सरकार के संबंध में उस सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय ;
(ii) केन्द्रीय सरकार, द्वारा पूर्णतः या पर्याप्ततः नियंत्रित या वित्त पोषित कोई कानूनी निकाय या निगम, अथवा उस सरकार द्वारा गठित आयोग या किसी समिति के संबंध में, उक्त निकाय, निगम, आयोग या समिति के कार्यालय ;
(iii) किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंध में, उस प्रशासन का कोई विभाग या कार्यालय

(iv) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पूर्णतः या पर्याप्ततः नियंत्रित या वित्त पोषित किसी कानूनी निकाय या निगम अथवा उस प्रशासन द्वारा गठित आयोग या समिति के संबंध में, उक्त निकाय, निगम, आयोग या समिति के कार्यालय ;

(छ) " अभिलेख अधिकारी " से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख सर्जक अभिकरण द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी अभिप्रेत है ।

लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध आदि से संबंधित संक्रियाओं का समन्वय, विनयमन और पर्यवेक्षण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

3 (1) केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के अधीन लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध परिरक्षण, चयन, व्ययन और निवृत्ति से संबंधित संक्रियाओं का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(2) केन्दीय सरकार, धारा 2 के खंड (च) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध में और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, उक्त खंड के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध में, आदेश द्वारा, तथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, अर्थात् -

(क) अभिलेखागार का पर्यवेक्षण, प्रबंध और नियंत्रण करना ;
(ख) ऐसी अवधि के पश्चात् जो विहित की जाए, स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को निक्षिप्त करने के लिए स्वीकार करना ;
(ग) लोक अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका उपयोग और वापस लिया जाना ;
(घ) लोक अभिलेखों की व्यवस्था, परिरक्षण और प्रदर्शन करना ;
(ड) लोक अभिलेखों की तालिकाएं, अनुक्रमणिकाएं, सूची और अन्य संदर्भ - माध्यम तैयार करना
(च) अभिलेख प्रबंध पद्धति के सुधार के लिए स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकी का विश्लेषण, विकास, संवर्धन और समन्वय करना ;
(छ) अभिलेखागार और अभिलेख सर्जक अभिकरण के कार्यालयों में लोक अभिलेखों का अनुरक्षण, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना ;
(ज) लोक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए उपलब्ध स्थान के उपयोग का संवर्धन करना उपस्करों का अनुरक्षण करना ।
(झ) अभिलेखों के संकलन वर्गीकरण और व्ययन की बाबत और अभिलेख प्रबंध के स्तरम प्रक्रियाओं और तकनीकों के उपयोजन के संबंध में अभिलेख सर्जक अभिकरणों को सलाह दे
(न) लोक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करनाः-
(ट) अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेख प्रबंध की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण कार्यक्र आयोजित करना ;
(ठ) किसी प्राइवेट स्रोत से अभिलेख स्वीकार करना ;
(ढ) लोक अभिलेखों तक पहुँच विनियमित करना निष्क्रिय निकायों से अभिलेख प्राप्त क और राष्ट्रीय आपात की दशा में लोक अभिलेख प्राप्त करने की व्यवस्था ;
(ण) अभिलेख अधिकारों से अभिलेख प्रबंध और व्ययन पद्धति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त क ;
(त) लोक अभिलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियां या उनसे उद्धरण उपलब्ध कराना ;
(थ) लोक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका व्ययन करना ;
(द) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी दस्तावेज को पट्टे पर प्राप्त करना अथवा क्रय करना या दान के रूप में स्वीकार करनाः

लोक अभिलेखों को भारत के बाहर ले जाने का प्रतिषेध

4. कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई लोक अभिलेख न तो भारत के बाहर ले जाएगा और न ले जाने देगा ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

परन्तु यदि कोई लोक अभिलेख किसी शासकीय प्रयोजन के लिए भारत के बाहर ले जाए जाते है या भेजे जाते है तो ऐसा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

अभिलेख अधिकारी

5 (1) प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपने किसी अधिकारी की अभिलेख अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित करेगा ।

(2) प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण ऐसी संस्था में और ऐसे स्थानों में, जो वह उचित समझे, अभिलेख कक्षों की स्थापना पर सकेगा और प्रत्येक अभिलेख कक्ष को किसी अभिलेख अधिकारी के भारसाधन में रखेगा ।

अभिलेख अधिकारी के उत्तरदायित्व

6. (1) अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् -

(क) अपने भार सांधन में लोक अभिलेखों की उचित व्यवस्था, अनुरक्षण और परिरक्षण करना ;

(ख) सभी लोक अभिलेखों का कालिक पुनर्विलोकन करना और अल्पकालिक महत्व के लोक अभिलेखों की छटाई करना ;

(ग) स्थायी महत्व के लोक अभिलेखों को प्रतिधारित करने की दृष्टि से पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने लोक अभिलेखों का यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिलेखागार से परामर्श करके अंकन करना ;

(घ) लोक अभिलेखों को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए नष्ट करना जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित की जाएं ;

(ड) लोक अभिलेखों के लिए, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार से परामर्श करके, प्रतिधारण अनुसूची का संकलन करना ;

(च) वर्गीकृत लोक अभिलेखों की श्रेणी कम करने के लिये उनका ऐसी रीति से कालिक पुनर्विलोकन करना जो विहित की जाए

(छ) अभिलेख प्रबंन्ध पद्धति में सुधार के लिए, और लोक अभिलेखों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकों को अपनाना, जिनकी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर सिफारिश की जाए ।

(ज) लोक अभिलेखों की वार्षिक अनुक्रमणिकाओं का संकलन करना ;

(झ) संगठनात्मक इतिवृत और उसके वार्षिक अनुपूरक का संकलन करना

(न) लोक अभिलेख प्रबन्ध के लिए, यथास्थिति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिलेखागार को सहायता प्रदान करना ;

(ट) यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति से प्रस्तुत करना, जो विहित की जाए ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ठ) किसी निष्क्रिय निकाय के अभिलेखों का, यथास्थिति, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिलेखागार को परिरक्षण के लिए अन्तरण करना ।

(2) अभिलेख अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान के निदेशानुसार कार्य करेगा ।

अपनी अभिरक्षा में लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किए जाने आदि की दशा में अभिलेख अधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई का किया जाना

7. (1) अभिलेख अधिकारी अपने भारसाधन में किन्हीं लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किए जाने, विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने की दशा में, ऐसे लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के लिए तुरन्त समुचित कार्रवाई करेगा ।

(2) अभिलेख अधिकारी, अपने भारसाधन में के लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किए जाने विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने के बारे में तथा अपने द्वारा प्रारम्भ की गई किसी कार्रवाई के बारे में किसी जानकारी के संबंध में लिखित रिपोर्ट, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करेगा, और, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान द्वारा दिए गए निदेशों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) अभिलेख अधिकारी, लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या व्यक्ति ऐसे अभिलेख अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा ।

लोक अभिलेखों का नष्ट किया जाना या व्ययन किया जाना

8. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी लोक अभिलेख को ऐसी रीति से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, नष्ट किया जाएगा या उसका अन्यथा व्ययन किया जाएगा ।

(2) वर्ष 1892 के पूर्व सूचित किसी भी अभिलेख को तब के सिवाय नष्ट नहीं किया जाएगा जब यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान की आय में वह इस प्रकार विरूपित हो गया है या ऐसी दशा में है कि उसे किसी अभिलेखागार संबंधी उपयोग में नहीं लाया जा सकता ।

उल्लघनों के लिए

9. जो कोई धारा 4 या धारा 8 के किन्हीं उपबंधों का उल्लधंन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

सुरक्षा वर्गीकरण वाले लोक अभिलेख

10. सुरक्षा वर्गीकरण वाले किसी लोक अभिलेख का भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राजक्षेत्र के अभिलेखागार की अंतरण नहीं किया जाएगा ।

प्राइवेट स्रोतों से अभिलेखों की प्राप्ति

11. (1) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख को किसी प्राइवेट स्रोत से दान के रूप, क्रय द्वारा या अन्यथा स्वीकार कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र का अभिलेखागार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई लोक अभिलेख, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सद्भावी अनुसंधानविद् को उपलब्ध करा सकेगा ।

लोक अभिलेखों तक पहुँच

12. (1) ऐसी सभी अवर्गीकृत लोक अभिलेख, जो तीस वर्ष से अधिक पुराने हैं और जिनका भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार को अंतरण् कर दिया गया है; ऐसे अपवादों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सदभावी अनुसंधानविद् को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयाजनों के लिए, तीस वर्ष की अवधि की गणना, लोक अभिलेख प्रारम्भ करने के वर्ष से की जाएगी ।

(2) कोई भी अभिलेख सर्जक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में के किसी लोक अभिलेख तक किसी व्यक्ति की ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, पहुँच होने देगा, जो विहित की जाएं ।

अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड

13. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् -

(क) केन्द्रीय सरकार के संस्कृति कार्य से संबंधित मंत्रालय के भारत सरकार का सचिव

भारत सरकार का सचिव

पदेन - अध्यक्ष

(ख) मंत्रिमण्डल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में से प्रत्येक का एक-एक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो

- पदेन सदस्य

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो प्रतिनिधि जो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संयक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

- सदस्य

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें एक अभिलेकाध्यक्ष हों और जिनमें से दो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के इतिहास के स्नातकोत्तर विभाग के आचार्य हों

(ड) महानिदेशक

पदेन - सदस्य सचिव

(3) उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाए ।

बोर्ड के कृत्य

(14) बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् -

(क) लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंध, परिरक्षण और उपयोग से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह देना ;

(ख) अभिलेखाध्यक्षों के प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना

(ग) प्राइवेट अभिरक्षा से अभिलेखों के अर्जन के लिए निर्देश देना ;

(घ) ऐसे अन्य विषयों के संबंध में कार्रवाई करना, जो विहित किए जाए ।

अभिलेखागार संबंधी विज्ञान की पाठ्ययोजना के लिए मानक और स्तरमान अधकथित करने की महानिदेशक की शक्ति

15 महानिदेशक को अभिलेखागार संबंधी विज्ञान और अन्य आनुषंगिक विषयों में प्रशिक्षण से संबंधित पाठ योजना, पाठयचर्या, निर्धारण और परीक्षाओं के लिए मानक और स्तरमान अभिकथित करने की शक्ति होगी ।

सदभावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

16. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति

1 (1) केन्द्रीय सरकार , इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यन्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यपाकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपलब्ध किया जा सकेगा, अर्थात् -

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(क) वह अवधि जिसके पश्चात् स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(ख) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, लोक अभिलेखों की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नष्ट किया जा सकता है

(ग) वह रीति जिससे श्रेणी कम करने के लिए वर्गीकृत लोक अभिलेखों का कालिक पुनर्विलोकन धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किया जाएगा

(घ) वह रीति जिससे अभिलेख अधिकारी धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान की रिपोर्ट देगा ;

(ड) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, लोक अभिलेखों की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नष्ट किया जा सकेगा या उनका व्ययन किया जा सकेगा ;

(च) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख के अभिलेख धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अनुसंधानविदों को उपलब्ध कराए जा सकेगा ;

(छ) वे अपवाद और निबंधन जिनके अधीन रखते लोक अभिलेख हुए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी अनुसंधान हुए विद् को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ;

(ज) वह रीति जिससे वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, कोई अभिलेख सर्जक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में के किसी लोक अभिलेख तक, धारा 12 उपधारा (2) के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की पहुँच होने देगा :

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के सदस्यों को संदेश भत्ते

(त्र) वे विषय जिनकी बाबत बोर्ड धारा 14 के खंड (घ) के अधीन अपने कृत्यों का पालन कर सकेगा ;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

संसद के समक्ष नियमों का रखा जाना

18. इस अधनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबंध - II

भारत के राजपत्र भाग II - खंड 3 उपखंड (I)
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 18, 1997 में प्रकाशित

लोक अभिलेख नियम 1997

(संस्कृति विभाग)
नई दिल्ली 9 जनवरी, 1997

सा0 का0 नि0 - केन्द्रीय सरकार लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक अभिलेख नियम 1997 है ।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवत्त होंगे ।

(2) परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) " अधिनियम " से लोक अभिलेख अधिनियम 1993 (1993 का 69) अभिप्रेत है ;

(ख) " अंकन " से यथास्थिति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार या संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार के सहयोजन से लोक अभिलेखों का मूल्यांकन अभिप्रेत है :

(ग) " वर्गीकृत अभिलेख " से गृह मंत्रालय द्वारा समय - समय पर परिचालित विभागीय सुरक्षा अनुदेश अनुदेश निर्देशिका में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अति गोपनीय, गुप्त गोपनीय और निर्वधित होने के रूप में वर्गीकृत लोक अभिलेखों से संबंधित फाइलें अभिप्रेत हैं ।

(घ) " अभिरक्षा " से लोक अभिलेख का कब्जा अभिप्रेत है

(ड) " निष्क्रिय निकाय " से ऐसा निगम या निगमेतर निकाय अभिप्रेत है जिसे इसके कृत्यों का निर्वहन करने वाले उत्तराधिकारी के अभाव में बंद कर दिया गया है

(च) " वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण " से उनके मूल्यांकन के पश्चात् सुरक्षा वर्गीकरणों करना अभिप्रेत है

(छ) " फाइल " से किसी विनिर्दिष्ट विषय वस्तु संबंधी लोक अभिलेखों से संबंधित कागजों का संग्रह अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उनके पत्र - व्यवहार टिप्पण और परिशिष्ट हैं तथा उन्हें फाइल संख्यांक दिया गया है

(ज) " प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत हैं

(झ) " प्राइवेट अभिलेखों " से ऐसे अभिलेख अभिप्रेत हैं जो प्राइवेट व्यक्ति के कब्जे में हैं या किसी गैर - सरकारी संगठन के पास हैं

(न) " अभिलेखन " से किसी फाइल के सभी मुद्दों पर विचार करके कार्रवाई पूरी होने के पश्चात् उसे बंद करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है

(ट) " स्थायी स्वरूप के अभिलेख " से ऐसे लोक अभिलेख अभिप्रेत हैं जिन्हें अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा इस विषय पर अपनी कार्यालय प्रक्रिया या अनुदेश निर्देशिका में अभिकथित प्रक्रिया अभिप्रेत है :

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(ठ) " अभिलेखों को प्रतिधारण अनुसूची " से अनुसूची अभिप्रेत है जिसमें प्रतिधारण की अवधि उपबंधित है

(ड)" पुनर्विलोकन " से अभिलिखित फाइलों का प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर यथास्थिति उनके और प्रतिधारण या उन्हें नष्ट करने के संबंध में अवधारणा के लिए कालिक मूल्यांकन अभिप्रेत है

(न)" धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है

(ण)" स्थायी गार्ड फाइल " से किसी विशिष्ट विषय वस्तु से संबंधित कागजों का संकलन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत नीतिगत विनिश्चयों, आदेशों, अनुदेशों या उस अनुषांगिक किसी अन्य विषय की कालानुक्रम में रखी गई प्रतियां हैं

(त) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. अभिलेख अधिकारी का नाम निर्देशन - अभिलेख सृजक अभिकरण अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में कार्यालय आदेश जारी करके अपने अधिकारियों में से किसी एक को जो अनुभाग अधिकारी की पंक्ति या श्रेणी से नीचे का नहीं हो अभिलेख अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित करेगा । ऐसे कार्यालय आदेश की एक प्रति यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को भेजी जाएगी ।

4. स्थायी गार्ड फाइल का अनुरक्षण - अभिलेख अधिकारी स्थायी गार्ड फाइल के और यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान द्वारा धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में जारी किए गए निदेशों के उचित अभिलेख के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा और यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए उसके निरीक्षण के लिए उसे प्रस्तुत करेगा ।

5. स्थायी स्वरूप के लोक अभिलेखों का प्रतिधारण -

1) यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान स्थायी स्वरूप के ऐसे लोक अभिलेखों को जमा करने और परिरक्षण के लिए प्रतिमाह करेगा जिन्हें अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा पिछले पच्चीस वर्ष या उससे अधिक तक अपने अभिलेख कक्ष में अभिलेखन के पश्चात रखा गया है ।

2) अभिलेख अधिकारी यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पहले प्ररूप 1 में स्थायी स्वरूप के ऐसे सभी लोक अभिलेखों की विशिष्टियां सूचित करेगा जिनका उस वर्ष के दौरान अंकन किया जाना है ।

3) उपनियम (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान, अपने अधिकारियों के माध्यम से लोक अभिलेखों का अंकन करने में अभिलेख अधिकारी की सहायता करेगा । अंकन पूरा हो जाने पर अभिलेख अधिकारी, सभी लोक अभिलेखों की एक अन्तरण सूची, प्रारूप -2 में, तीन प्रतियों में तैयार करेगा तथा उसे यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान के पास परिरक्षण के लिये जमा करेगा जो अन्तरण सूची की एक प्रति, अपना समाधान हो जाने के पश्चात् अभिलेख अधिकारी को पावती के रूप में वापस करेगा ।

4) यदि अंकन के पश्चात् अभिलेख अधिकारी स्थायी स्वरूप के किसी अभिलेख या फाइल को पच्चीस वर्षों की अवधि के आगे भी प्रतिधारित करने के लिये आवश्यक समझता है तो वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को सूचित कर के ऐसा कर सकेगा ।

6. लोक अभिलेखों की निकासी -

1) यदि यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान के पास जमा किये गये और परिरक्षित लोक अभिलेख, अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा किसी शासकीय प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तो अभिलेख अधिकारी, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को, प्रारूप 3 में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई मांग पर्ची भेजेगा ।

2) उप नियम (1) के अधीन मांगे गये लोक अभिलेख को प्रयोजन द्वारा पूरा हो जाने के पश्चात् यथा शीघ्र लौटा दिया जायेगा किन्तु उन्हें अभिलेख अधिकारी या अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा छह मास की अवधि से अधिक प्रतिधारित नहीं किया जायेगा ।

7. वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण -

(1) अभिलेख सृजक अभिकरण कार्यालय आदेश द्वारा एक ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के अवर सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, उसके द्वारा रखे गये वर्गीकृत अभिलेखों का मूल्यांकन और अवश्रेणीकरण करने के लिये प्राधिकृत करेगा । ऐसे कार्यालय आदेश की एक प्रति यथा स्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को अग्रेषित की जायेगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी अवश्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पांचवें वर्ष वर्गीकृत अभिलेखों का मूल्यांकन करेगा ।

(3) यदि अधिकारी अवश्रेणीकरण के पश्चात् किसी अभिलेख को स्थायी स्वरूप का घोषित करता है तो यह इसके अंकन के पश्चात् यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान के पास जमा परिरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस नियम के अधीन जमा किये गये अभिलेख किसी शासकीय प्रयोजन के लिए मंगाया जा सकता है और नियम 6 में उपबंधित रीति से यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को लौटाया जा सकता है ।

(5) उप नियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के जून और दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में, प्रारूप - 1 में, वर्गीकृत अभिलेखों के मूल्यांकन और अवश्रेणीकरण की बाबत की गई कार्रवाई का एक अर्धवार्षिक विवरण यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को भेजेगा ।

8. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना -

1) नियम 3 के अधीन नामनिदेशित अभिलेख अधिकारी आगामी वर्ष के मार्च मास में, प्रत्येक वर्ष, वार्षिक रिपोर्ट, प्रारूप - 5 में, यथास्थित, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को भेजेगा ।

2) तत्पश्चात, यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ट) के उपबन्धों के अनुसरण में अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

9. लोक अभिलेखों का नष्ट किया जानाः

1) कोई भी लोक अभिलेख, अभिलिखित और पुनर्विलोकित किये बिना नष्ट नहीं किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास में, प्रत्येक अभिलेख सृजक अभिकरण अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची को विचार को विचार में लेने के पश्चात् उन सभी फाइलों को जिन पर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अभिलिखित करेगा । यह कार्य अभिलेख अधिकरी के परामर्श से पूरा किया जायेगा ।

2) किसी अभिलेख सृजक अभिलेख द्वारा पच्चीस वर्ष से अधिक पुराना कोई भी लोक अभिलेख तब तक नष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि इसका अंकन न कर लिया गया हो ।

3) अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा नष्ट किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसे सभी लोक अभिलेखों की एक सूची प्ररूप - 6 में, तैयार की जायेगी और यह भविष्य में निर्देश के लिये, स्थायी रूप से प्रतिधारित की जायेगी ।

4) अभिलेख अधिकारी अभिलेखों को अभिलिखित करने, अनुक्रमणिका बनाने पुनर्विलोकन करने और उनकी छटनी करने के संबंध में एक अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप - 7 में, यथा स्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को भेजेगा ।

5) अभिलेखों को अभिलेख, अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर या फाड़कर नष्ट किया जायेगा ।

10. प्राइवेट अभिलेखों तक पहुंच - 1) ऐसे अभिलेख जो प्राइवेट स्रोतों से दान या क्रय या अन्यथा रीति से अर्जित किये गये हों, दानकर्ता द्वारा अधकथित शर्तों के अधीन सद्भावी अनुसंधान के लिये उपलब्ध कराये जायेगें ।

2) अनुसंधानविद् अभिलेखों के अध्ययन की अनुज्ञा के लिये प्ररूप 3 में, एक आवेदन यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को प्रस्तुत करेगा । यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को प्रस्तुत करेगा । यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान लोकहित में और उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेगें, उक्त आवेदन के संबंध में अनुज्ञा से इंकार कर सकेगा ।

3) जब कभी माइक्रोफिल्म रोल उपलब्ध कराए जाएं, मूल अभिलेखों को अनुसंधानविदों को अध्ययन के लिए प्रदाय नहीं किए जाएगा । कोई व्यक्ति किसी अभिलेख की कोई भी प्रति यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान की पूर्व अनुज्ञा के बिना तैयार नहीं करेगा ।

11. लोक अभिलेखों तक पहुंच - (1) नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन जमा और परिरक्षण के लिए प्रतिग्रहीत लोक अभिलेख धारा 12 की उपधारा (1) के उपबंधों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन सद्भावी अध्ययन और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराए जायेंगे, अर्थात् -

i) कोई व्यक्ति जो लोक अभिलेखों के अध्ययन का आशय रखता है यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान को आवेदन प्ररूप - 8 में करेगा । यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान लोक हित में और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे उक्त आवेदन के संबंध में ऐसी अनुज्ञा से इंकार कर सकेगा ।

ii) ऐसा विदेशी राष्ट्रीय जो लोक अभिलेखों के अध्ययन करने का आशय रखता है, अपनी प्रायेजित संस्था और राजनयिक मिशन से परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

iii) अरूणाचल प्रदेश (जिसके अन्तर्गत चीन - भारत सीमा का पूर्वी भाग), सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन और म्यांमार विदेश मंत्रालय और रक्षा

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

मत्रालय से संबंधित अभिलेख, नक्शे तथा मानचित्रकारी अभिलेख भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा और रक्षा को ध्यान में रखते अध्ययन के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं । जम्मू - कश्मीर (जिसके अन्तर्गत गिलगिल और चितराल हैं) की बाबत विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अभिलेख भी भारत या उस राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा और रक्षा को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन के लिए उसको ध्यान में रखते हुए, अध्ययन के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।

परन्तु यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान से अध्ययन से इकार कर सकेगा ।

(iv) जहाँ कही माइक्रोफिल्म रोल उपलब्ध कराए जाएं वहां अनुसंधानविद् को अध्ययन के लिए मूल अभिलेख का प्रदान नहीं किया जाएगा

(v) प्ररूप -9 में आवेदन किए जाने पर प्रत्युत्पादन और प्रतिलिपि को सुविधाएं उपलब्ध करा दी जा सकेंगी और ऐसी सेवा प्रभागों का संदाय करना होगा जो यथास्थिति महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं ।

(vi) ऐसा व्यक्ति जो अनुसंधान के प्रयोजन के लिए लोक अभिलेखों का अध्ययन करता है और उक्त अभिलेखों से ली गई सामग्री पर आधारित किसी कृति को प्रकाशित करता है, उसकी अभिस्वीकृति करेगी ।

(2) ऐसा व्यक्ति जो लोक अभिलेखों के अध्ययन करने का आशय रखता है, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा, अर्थात् -

(क) लोक अभिलेखों पर लिखना और उनमें कोई चिन्ह या संकेत लगाना

(ख) लोक अभिलेखों को मोड़ना, फाड़ना, काटना, चुन्नट डालना या अन्यथा नुकसान पहुंचाना या विकृत करना

(ग) यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान से अनुज्ञा लिए बिना किसी लोक अभिलेख को हटाना

(घ) लोक अभिलेखों का अध्ययन करते समय किसी खाद्य वस्तु को खाने या पेय उत्पादों को पीने या धूम्रपान करने के लिए अनुज्ञात किया जाना

(ड) किन्हीं लोक अभिलेखों की प्रति बनाने की दृष्टि से उक्त अभिलेखों पर कोई चीज या वस्तु रखना

(च) लोक अभिलेखों का अध्ययन करते समय किसी अन्य व्यक्ति का बाधा पहुंचाना या बिघ्न डालना, और

(छ) ऐसी रीती में व्यवहार करना जो यथास्थिति, महानिदेशक या अभिलेखागार प्रधान की राय में, लोक अभिलेखों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए हानिकर है ।

12. अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को भत्ता भारत सरकार द्वारा नामित अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड के सदस्य धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (घ) के तहत अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के समूह " क " के अधिकारियों को देय दरों के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्ररूप - 1

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

वर्ष ---------- के दौरान अंकन के लिए स्थायी स्वरूप के अभिलेखों की विशिष्टयां

अभिलेख सृजक अभिकरणों के अभिलेख कक्षों में रखी हुई प्रवर्ग " क " और " ख " की फाइलों की कुल संख्या	रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अनुभागों द्वारा अभिलेख कक्षों को अन्तरित प्रवर्ग " क " और " ख " फाइलों की कुल संख्या	स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के अधीन निर्दिष्ट फाइलों की कुल संख्या	अंकन के लिए फाइलों की कुल संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हो
1	2	3	4	5

प्ररूप - 2

(नियम 5 का उपनियम (3) देखिए)

अन्तरण सूची

अभिलेख सृजक अभिकरण अर्थात् मंत्रालय / विभाग / कार्यालय -

लोक उपक्रम आदि का नाम -

अभिलेख अधिकारी का नाम और विशिष्टयां -

शाखा/ अनुभाग का नाम -

वर्ष -

क्रम सं0	फाइल सं0	फाइल की विषय वस्तु	टिप्पणियां, यदि कोई हो
			---------- अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर ----------

प्ररूप - 3

(नियम 6 का उपनियम (1) देखिए)

मांग पर्ची

अभिलेख सृजक अभिकरण का नाम -

(अर्थात् मंत्रालय/विभाग/कार्यालय)

अभिलेख अधिकारी का नाम और विशिष्टयां -

मांगे गए अभिलेखों की विशिष्टयां या फाइल सं0 -

वह प्रयोजन जिसके लिए अपेक्षित है -

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभिलेख अधिकारी द्वारा वचन बंध - मैं ---------- यह घोषित करता हूँ कि मांगे गए अभिलेख/फाइल नियम 6 के उपनियम (2) की अपेक्षा के अनुसार महानिदेशक/अभिलेखागार प्रधान को छः माह समाप्त होने से पहले लौटा दिए जाएंगे/दी जाएंगी ।

---------- अभिलेख अधिकारी

के हस्ताक्षर और मुहर ----------

तारीख ----------

प्ररूप - 4

(नियम 7 का उपनियम (5) देखिए)

वर्गीकृत अभिलेखों के कालिक पुनर्विलोकन का अर्ध वार्षिक विवरण

संगठन के इस समय पास रखे हुए वर्गीकृत अभिलेखों की कुल संख्या	पुनर्विलोकन के लिए वर्गीकृत अभिलेखों की संख्या	रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान पुनर्विलोकित तथा अवश्रेणीकृत फाइलों की संख्या	टिप्पणियां

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्ररूप - 5

अभिलेखागार के महानिदेशक/अभिलेखागार प्रधान को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

(नियम 8 का उपनियम (1) देखिए)

1. क. संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना -,
क्या आपके संगठन ने कोई संगठित अभिलेख कक्ष स्थापित किया है
और यदि हां तो क्या उसमें पर्याप्त स्थान है ----------

ख. अभिलेख अधिकारियों का नामनिर्देशन -
क्या आपके संगठन ने किसी अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामनिर्देशित किया है और यदि नहीं तो कारण बताएं ? ----------

ग. अभिलेख अधिकारी और कर्मचारीवृन्द का प्रशिक्षण -

(i) क्या विभागीय अभिलेख अधिकारी ने अभिलेख प्रबन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

(ii) क्या विभागीय अभिलेख कक्ष में कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीवृन्द अभिलेख प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित हैं ?

(iii) यदि नहीं तो क्या आप भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक हैं ?

घ. I राष्ट्रीय अभिलेखागार/संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार में अर्ध-चालू अभिलेख रखने के लिए स्थान में हिस्सेदारी -

(i) क्या आपका संगठन राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर स्थित अभिलेख केन्द्रों तथा भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान में हिस्सेदारी के लिए इच्छुक है ?

(ii) यदि हाँ तो कृपया अन्तरित किए जाने वाले प्रस्तावित अभिलेखों की मात्रा बताएं

II. (i) क्या आपका संगठन संघ राज्य क्षेत्र के अभिलेखागार के स्थान में हिस्सेदारी के लिए इच्छुक है ?

(ii) यदि हाँ तो कृपया अन्तरित किए जाने वाले प्रस्तावित अभिलेखों की मात्रा बताएं

2. अर्ध - चालू अभिलेखों का कालिक अभिलेखन पुनर्विलोकन और छंटाई:

(i) क्या आपके संगठन ने क्षणभंगुर/अभिलेखों, के अभिलेखन पुनर्विलोकन तथा छंटाई के लिए कार्रवाई की है ?

(ii) रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अभिलिखित पुनर्विलोकन तथा छंटाई किए गए अभिलेखों की कुल संख्या उपदर्शित करें -

3. गैर चालू अभिलेखों का अंकन

(i) क्या आपके संगठन ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके गैर - चालू अभिलेखों के अंकन की कार्रवाई आरम्भ की है ?

(ii) अंकन के लिए प्रतीक्षित अभिलेखों की कुल मात्रा बताएं ?

4. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/पुनरीक्षण:

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(i) क्या आपके संगठन ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके मूल कृत्यों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची को संकलित किया है और यदि नहीं तो आप इसके लिए क्या कार्यवाई करके मूल कृत्यों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची को संकलित किया है और यदि नहीं तो इसके लिए क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव करते हैं ?

(ii) क्या आपके संगठन ने पांच वर्ष पश्चात् उक्त अनुसूची को पुनरीक्षण करने के लिए कार्रवाई की है ?

5. वर्गीकृत अभिलेखों का कालिक पुनर्विलोकनः

(i) क्या आपके संगठन ने रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान अभिलेखों का अव-वर्गीकरण किया है ?

(ii) यदि नहीं तो कारण बताएं

6. अभिलेखो की वार्षिक अनुक्रमणिकाओं का संकलन -

(i) क्या आपके संगठन ने वार्षिक अनुक्रमणिकाओं का संकलन किया है ?

(ii) आवतियों केनाम के साथ सम्मिलित वर्ष बताएं

7. संगठनात्मक इतिहास का संकलन -

क्या आपके संगठन ने ऐसे संगठनात्मक इतिहास को संकलित किया है जो उनके सृजन की तारीख के साथ विभिन्न कृत्यों पर प्रकाश डालता है और यदि हां, तो इसकी एक प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजें ।

8. निष्क्रिय निकायों के अभिलेख -

(i) क्या आपके संगठन के पास निष्क्रिय निकायों के अभिलेख हैं, ब्यौरे दीजिए ?

(ii) यदि हाँ, तो आपने उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को अन्तरित करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्ररूप - 6

(नियम 9 का उपनियम (3) देखिए)

वर्ष ---------- के दौरान नष्ट किए गए अभिलेखों की विशिष्टयाँ

क्रम सं0	फाइलों की संख्या	फाइलों के विषय	टिप्पणियाँ

प्ररूप - 7

(नियम 9 का उपनियम (4) देखिए)

----------को समाप्त होने वाली अर्धवार्षिक के दौरान अभिलेखों का अभिलेखन, अनुक्रमणिका बनाना, पुनर्विलोकन और छंटाई से संबंधित अधवार्षिक रिपोर्ट -

क्रम सं0	अभिलिखित फाइलों की कुल सं0	अनुक्रमणिका बनाई गई फाइलों की कुल संख्या	पुनर्विलोकित फाइलों की कुल संख्या	छंटाई की गई फाइलों की कुल संख्या, यदि, कोई हो	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6

प्ररूप - 8

(नियम 10 का उपनियम (2) तथा नियम II उप नियम (1) का खण्ड (1) (अभिलेखों का अध्ययन करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप)

सेवा में,

महानिदेशक अभिलेखागार,
भारत सरकार
नई दिल्ली - 1

महोदय,

मैं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसंधान कक्ष में अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान विद् के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करता हूँ । मैं प्रवृत्त नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ और प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में अध्ययन की गई सामग्री पर आधारित अपनी प्रत्येक कृति की एक प्रति, जमा कराने का वचन देता हूँ ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

1. नाम , उपनाम सहित - श्री/श्रीमती/कुमारी/डा0
2. पिता /पति का नाम -
3. जन्म की तारीख -
4. अर्हताएं -
5. राष्ट्रीयता -
6. वृति -
7 अनुसंधान का विषय़
8. विश्वविद्यालय/संस्था * जहां रजिस्ट्रीकृत हैं
9. अवधि, जिसके लिए प्रवेश चाहिए
10 हस्ताक्षर और तारीख
11 पता (i) स्थानीय
(ii) स्थायी

अध्ययन किए जाने वाले अभिलेखों की विशिष्टयां

विभाग	अवधि	टिप्पणियां
1 2 3		

* अनुसंधानविदों से यह अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्था/विभाग से एक सिफारिश पत्र संलग्न करें । तथापि, विदेशी अनुसंधानविदों से यह अनुरोध है कि वे अपने देश के भारत में राजनयिक प्रतिनिधियों से एक प्रत्यायन पत्र भी लाएं ।

प्ररूप - 9

(नियम 11 के उपनियम (1) का खण्ड (5) देखिए)

प्रत्युत्पादन और प्रतिलिपि की सुविधाओं के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक; अभिलेखागार,
भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार,
नई दिल्ली - 1

महोदय,

कृपया मुझे अपने अनुसंधान/प्रकाशन/विश्वविद्यालय के लिए संलग्न सूची में उपदर्शित सामग्री की माइक्रोफिल्म (एल एफ जी / पी ओ एस) फोटो प्रतियां/जीरोक्स प्रतिलिपियां

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रदान करें । यह सामग्री मंत्रालय/विभाग (मंत्रालयों / विभागों) से हैं । इसमें ---------- मद है और उसके अन्तर्गत ---------- से ---------- तक की अवधि है ।

1. मैं यह घोषित करता हूँ कि उक्त सामग्री मेरे अनुसंधान /प्रकाशन/विश्वविद्यालय के लिए है ।
2. मैं कार्य पूरा होने के समय विद्यमान दरों की अनुसूची प्रभारों का संदाय करने के लिए वचन देता हूँ । मैं मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि जब उसका प्रदाय किया जाए तब उसकी प्राक्कलित लागत मात्रा अनन्तिम है और दरों में भी बिना सूचना की पुनरीक्षण किया जा सकताहै ।
3. प्रदाय की गई फोटो प्रतियां/प्रतिलिपियों का अभिलेखागार के महानिदेशक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय/अन्तरण नहीं किया जाएगा ।
4. यदि सामग्री प्रकाशित की जाती है तो उसकी यथोचित रूप से अभिस्वीकृति की जाएगी और प्रतिलिप्याधिकार के उपबंधों का, जहां वे लागू होते हैं, पालन किया जाएगा ।
5. मैं अग्रिम रूप में ---------- रूपए की राशि जमा करता हूँ ।

भवदीय
हस्ताक्षर
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
स्थानीय पता

स्थायी पता
(स्पष्ट अक्षरों में)

कार्यालय प्रयोग के लिए

---------- रूपए के लिए रसीद सं0 ---------- तारीख ----------
------ द्वारा प्राप्त अग्रिम/सेवा प्रभारों---------- रूपए है ।
---------- रूपए की रसीद सं0 ---------- तारीख --
---------- द्वारा अतिशेष प्राप्ति ।

फोटो प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित के अधीन रहते हुए अनुज्ञा -
(1) ----------

अभिलेखाध्यक्ष के हस्ताक्षर
तारीख -
फा0 सं0 16/2/94 आर0 एम0
ह0/-
कस्तुरी गुप्ता मेनन, संयुक्त सचिव

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबन्ध - III

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii)
संख्या - 613
नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 1, 1995/कार्तिक 10, 1917

प्राधिकार से प्रकाशित

मानव संसाधान विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)
नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1995

अधिसूचना

का0 आ0 869 (अ) - केन्द्रीय सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 1995 से एक अभिलेख सलाहकार बोर्ड का गठन करती है जो निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर बनेगी, अर्थात्

धारा 13 की उप - धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट -

1. सचिव, भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) — अध्यक्ष, पदेन

धारा 13 के उप - धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट -

2. श्री एस के मिश्रा
संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय — सदस्य, पदेन

3 श्री आर आर शाह
संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य, पदेन

4 श्री एम एस सोखान्दा,
संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय — सदस्य, पदेन

5. श्री ए चौधरी,
संयुक्त सचिव, (पी0 पी0) विदेश मंत्रालय — सदस्य, पदेन

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

6 वित्त सलाहकार
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय), वित्त मंत्रालय — सदस्य, पदेन

7 श्री जेम्स के जोसेफ,
संयुक्त सचिव, कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय — सदस्य, पदेन

धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट -

8. श्री जलज श्रीवास्तव — सदस्य, पदेन
उप सचिव, गृह मंत्रालय

9 श्री प्रदीप सेन, — सदस्य, पदेन
उप सचिव, गृह मंत्रालय

धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन बोर्ड के गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट -

10 डा0 एस एन प्रसाद — सदस्य, पदेन
अभिलेखाध्यक्ष

11 डा0 एस आर मेहरोत्रा, — सदस्य, पदेन
आचार्य, एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक

12 डा0 वी रामकृष्ण, — सदस्य, पदेन
आचार्य, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद

खण्ड 13 की उप धारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन नामनिर्दिष्ट -

13 महानिदेशक, — सदस्य सचिव, पदेन
अभिलेखागार, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

सं0 एफ 16 - 2 (क) 94 - आर एम
अशोक वाजपेयी, संयुक्त सचिव

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबंध- IV

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रेषित करने वाले मंत्रालयों /विभागों /कार्यालयों की सूची

कृषि मंत्रालय
विपणण एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
जूट विकास निदेशालय, कलकत्ता
सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल ईंनजीनियरिंग फार फिसरी, बंगलोर
साऊर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इस्टीट्यूट, गरलाडिंनी
नार्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टींग इस्टीट्यूट, हिसार

विमानपत्तन एवं पर्यटन मंत्रालय

सिविल विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली
प्रिसिपल एकाऊंट्स आफिस, विमानपत्तन एवं पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली

वाणिज्य मंत्रालय
डिपार्टमेंट आफ सप्लाई, नई दिल्ली
डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स, नई दिल्ली
चीफ कंट्रोलर ऑफ एकाऊंटस, डिपार्टमेंट आफ सप्लाई, नई दिल्ली
ज्वांइट डायरेक्टर जनरल फारेन ट्रेड, कलकत्ता
डायरेक्टर जनरल कर्मिशियल इंटेलिजेंसी एण्ड स्टैटिस्टिक्स, कलकत्ता
फालटा एक्सपोर्ट प्रोसेसिगं जोन, कलकत्ता
डिप्टी डायरेक्टर जनरल फोरन ट्रेड, गुवाहाटी
डिप्टी डायरेक्टर जनरल फोरन ट्रेड, कटक

संचार मंत्रालय

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल (पश्चिम बंगाल सर्कल),कलकत्ता
पोस्ट मास्टर जनरल (उत्तरी क्षेत्र) ,धारवाड़
पोस्टल ट्रेनिंग सेन्टर, मदुरै
पोस्ट मास्टर जनरल, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर
उपभोक्ता मामला एवं वितरण मंत्रालय
जन वितरण विभाग
चीनी एवं खाद्य तेल विभाग

रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
रक्षा लेखा महानियत्रंयक, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

वायु मुख्यालय (वी बी) ,नई दिल्ली
जाग विभाग, वायु मुख्यालय, नई दिल्ली
वायु मुख्यालय (समन्वय) ,नई दिल्ली
वायु मुख्यालय (प्रशासन) ,नई दिल्ली
सेना खरीद संगठन, नई दिल्ली
सेन्टर फार एनवायरमेंट एण्ड एक्सपलोसिव सेफ्टी, नई दिल्ली
आर्मी फोरसिज फिल्म एण्ड फोटो डिवीजन, नई दिल्ली
महानिदेशक वितरण व परिवहन (क्यू एम जी ब्रॉच) ,सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
एडीशनल डायरेक्टरेट जनरल, रिमाऊट एण्ड वेटरनरी (क्यू एम जी ब्रॉच) ,सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
एडीशनल डायरेक्टरेट जनरल, सेना डाक सेवा, नई दिल्ली
डीजीए/क्यूए/टेक कोर्डि, नई दिल्ली
जनरल स्टाफ ब्रॉच, नई दिल्ली
रक्षा अनुसंधान एवं विकास युनिट, कलकत्ता
पायोनियर कोर्पस, बंगलोर
इलकट्रोनिकस एण्ड रेडार डिवलपमेंट ईस्टेबलिसमेंट, बंगलोर
टर्मीनल बेलिस्टिक रिसर्च लेबोटरी, चण्डीगढ़
नेवल सायक्लोजिकल रिसर्च युनिट, कोची
सेना उड़नयोग्यता का क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर
सेना उड़नयोग्यता का क्षेत्रीय केन्द्र, पुने
रक्षा प्रबंधन कालेज, सिकंदराबाद
मुख्य निमार्ण अंभियता (आर एण्ड डी) ,सिकंदराबाद
नेवल साईंस एण्ड टेक्नीकल लेबोरेट्ररी, विशाखापत्तनम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) , चण्डीगढ़
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) , लखनऊ

विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट कार्यालय, पटना
पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल
पासपोर्ट कार्यालय, पणजी (गोवा)

वित्त मंत्रालय

निवारक संक्रिया निदेशालय, सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली
उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

सक्षम प्राधिकारी, स्मगलर एण्ड फोरन एक्चेंज मेनीपुलेटर्स (फोरफिटर आफ प्रोपर्टी), एक्ट, 1976 एण्ड नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साईकोट्रोपिक सबसटेनसिज एक्ट, 1985, चेन्नई

कस्टोडियन फार एनिमी प्रोपर्टी फार इण्डिया, मुम्बई
उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई-2, मुंबई
सीमाशुल्क आयुक्त, मुम्बई
शासकीय समापक उच्च न्यायालय का कार्यालय, इलाहाबाद
पंजीयक, कम्पनी मामले का कार्यालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
आयुक्त उत्पाद शुल्क, मदुरै
करंसी नोट प्रैस, नासिक रोड
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद
उत्पाद शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद-1, अहमदाबाद
आयकर आयुक्त, कनार्टक एवं गोवा, बंगलौर
सीमा एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, राजकोट
सीमा एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोयम्बटूर
उत्पाद शुल्क आयुक्त मुख्यालय, बेलगाम
उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगाम डिवीजन
सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, धारवार
सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, हुबली
सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, बैल्लरी
आयुक्त उत्पाद शुल्क का कार्यालय, कानपुर
आयुक्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, रायपुर
सहायक आयुक्त उत्पाद शुल्क, देवनागरे
आयुक्त उत्पाद शुल्क, पुणे-1, पुणे
आयुक्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क, गुंटूर

खाद्य मंत्रालय,

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता
अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुंबई
गुणता नियंत्रक सैल (खाद्य एवं नागरिक पूर्ती विभाग), हैदराबाद
खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
खाद्य बंचाओ अभियान, कार्यालय, अहमदाबाद

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सहायक औषध नियत्रंक, कलकत्ता
बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई
सह-निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

मॉडल वीटल एण्ड हैल्थ स्टेस्टिक्स यूनिट, नागपुर
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलौर
क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) , शिमला
पोर्ट हैल्थ ओर्गनाईजेशन, मंडापम कैम्प
केन्द्रीय औषध स्टेंडर्ड कंट्रोल संगठन, कोच्ची
पोर्ट हैल्थ संगठन, विशाखापट्टनम
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, नई दिल्ली
आसूचना ब्यूरो, नई दिल्ली
महानिदेशक, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल, नई दिल्ली
आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नई दिल्ली
सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली
सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी, उमसा, उमेन (मेघालय)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग, नई दिल्ली
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली
युवा मामला व खेल विभाग, नई दिल्ली
माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
प्रसार भारती (आकाशवाणी), नई दिल्ली
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली
राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुंबई
प्रसार भारती (आकाशवाणी), मेड़ीकेरी
प्रसार भारती (आकाशवाणी), तिरूवनंनतपुरम
प्रसार भारती (आकाशवाणी), करवार
प्रसार भारती (आकाशवाणी), जयपुर
प्रसार भास्ती (आकाशवाणी), भोपाल
प्रसार भारती (आकाशवाणी), ईटानगर

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली
विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली
विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुंबई
विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद
विक्लांग महिला व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा
विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कानपुर
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, कलकत्ता
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, चैन्नई
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, जयपुर
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, राँची
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, जोवई (मेघालय)
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, सूरत
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, नागपुर
उच्चस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई
क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इन्दौर
क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद
श्रम कल्याण संगठन, बिहार, कर्मा, झुमरी तलैया
कोचीन डॉक लेबर बोर्ड, कोचीन
कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद
खान सुरक्षा महनिदेशालय, धनबाद
उप मुख्य श्रम आयुक्त, बंगलौर

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधि कार्य, एवं विधायिका विभाग, नई दिल्ली
शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली
कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर
शासकीय समापक, केरल उच्च न्यायलय, कौची

गैर-स्त्रौत उर्जा मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय, गैर-स्त्रौत उर्जा मंत्रालय, भुवनेश्वर

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मंसूरी

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

योजना मंत्रालय

नेशनल सैम्पल सर्वे ओर्गनाईजेशन, नई दिल्ली
योजना आयोग, नई दिल्ली
कम्प्यूटर केन्द्र, नई दिल्ली
उद्योग सांख्यिकी विंग (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन) ,कलकत्ता
क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, शिमला

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली

विद्युत् मंत्रालय

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
इन्टिग्रल कोच फैक्ट्री, चैन्नई

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोच्ची

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सर्वे ऑफ इण्डिया, देहरादून

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय मानसिक विक्लांग संस्थान, सिकंदराबाद

इस्पात एवं खान मंत्रालय

कोयला विभाग, नई दिल्ली
लोहा और इस्पात विकास आयुक्त, कलकत्ता

भूतल परिवहन मंत्रालय

भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

वस्त्र मंत्रालय

जूट आयुक्त, कलकत्ता

जल संसाधन मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
केन्द्रीय जल एवं वैधुत अनुसंधान केन्द्र, पुणे

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग (पूना केन्द्रीय कार्यालय), पूना

परमाणु उर्जा विभाग

न्यूक्लीय फ्यूल कम्पलैक्स, हैदराबाद

महासागर विकास विभाग, नई दिल्ली

राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबंध - V

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों की सूची

कृषि मंत्रालय

कोकोनट डवलपमेंट बोर्ड, कोची

द् केशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिंल ऑफ इण्डिया, कोचीन

नोदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार

परमाणु उर्जा मंत्रालय

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मुम्बई

इण्डियन रेयर अर्थ लि., मुंबई

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., नई दिल्ली

द् इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. गुड़गाँव

द स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मीस्यूटिकल्स लि., कलकत्ता

मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., चैन्नई

द पयरिटस फासफैट एण्ड केमिकल्स लि., नोएड्ा

द नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा

नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय

एअर पोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, नई दिल्ली

होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि., मुंबई

कोयला विभाग

नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन लि., चैन्नई

रक्षा मंत्रालय

भारत डायनामिक्स लि., हैदराबाद

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

द वाइल्ड लाइफ इस्टीट्यूट आफ इण्डिया, देहरादून

इण्डियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्ज एण्ड ट्रेनिंग इस्टीट्युट, बंगलौर

अंदमान एण्ड निकोबार आईलैंड फोरेस्ट एण्ड प्लानटेंशन डवलपमेंट कारपोरेशन लि., पोर्ट ब्लेयर

स्टेट फोरेस्ट एण्ड सर्विस कॉलेज, कोयम्बटूर

इंस्टीट्यूट आफ रेन मायस्ट डिसाईडियस फोरेस्टस रिसर्च, जोरहाट

खाद्य प्रसाधन एवं उद्योग मंत्रालय

सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इण्डियन नेशनल अकादमी आफ इंजीनियरिंग, हौज़खाज, नई दिल्ली

नेहरू युवक केन्द्र संगठन, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चण्डीगढ़

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

उद्योग मंत्रालय

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., मुंबई
टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., कलकत्ता
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., कोट्टायम, केरल
एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) ,लि., बंगलौर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

प्रसार भारती, पांडिचेरी, पणजी (गोवा), इम्फाल, चण्ड़ीगढ, चैन्नई, भोपाल, नई दिल्ली
राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सेन्टर फार मटीरियल्स फार ईलेक्ट्रानिक्स टेक्नालाजी, पुणे
नार्थ इस्टर्न इलक्ट्रीकल कारपोरेशन लि., शिलांग

श्रम मंत्रालय

महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरिमिली टूरा, मेघालय
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

द पेट्रोलियम कनजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली
द हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुंबई

विद्युत मंत्रालय

सेंट्रल रिसर्च एण्ड टेस्टिंग लैबोरेट्री , बंगलौर
एडवांसड़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्टरूमेनटेशन, देहरादून

रेल मंत्रालय

द मैट्रोपोलिटिन ट्रांस्पोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) , मुंबई

अंतरिक्ष विभाग

द रीजनल रिमोट सेंसिग सर्विस सेन्टर, खरगपुर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ जियोमैगनिटीजम, मुंबई
सत्येन्द्र नाथ बोस नैशनल सेन्टर फॉर बेसिक सांईस, कलकत्ता
बोस संस्थान, कलकत्ता
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर
एमन रिसर्च संस्थान, बंगलौर
जवाहरलाल नेहरू सेन्टर फॉर एडवांसड् साइंन्टिफिक रिसर्च, बंगलौर
इण्डियन एसोशिएसन फॉर द कल्टीवेशन आफ साइंस, जादवपुर
राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद
इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मैट्रोलॉजी, पुणे
वाडिया इंस्टीट्युट आफ हिमालयन जियोलाजी, देहरादून
इंटरनेशनल एडवांसड् रिसर्च सेन्टर फॉर पावडर मेटल्लरजी एण्ड न्यू मीटीरियलस, हैदराबाद

इस्पात और खान मंत्रालय

द फैरो स्क्रैप निगम लि., भिलाई

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम
कोचीन सीपयार्ड, कोचीन

सामाजिक़ न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

द नेशनल इंस्टीट्युट फार विजुअली हैन्डीकैप्ड़, देहरादून

वस्त्र मंत्रालय

नैशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि., नई दिल्ली
द ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि., कानपुर
सेन्ट्रल वुल डिवेलपमेंट बोर्ड, जोधपुर

शहरी और रोजगार मंत्रालय

हिन्दुस्तान प्रीफैब लि., नई दिल्ली
नैशनल बिल्डिंग कन्शट्रक्शन कारपोरेशन लि., नई दिल्ली

जल संसाधनं मंत्रालय

दमोदर वैली कारपोरेशन, कलकत्ता
गंगा फ्लड वाटर कमीशन, पटना
सरदार सरोवर कन्शट्रक्शन एडवाईजरी कमेटी, वडोदरा
नैशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी, रूड़की
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन संस्थान, तलवाड़ा
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन संस्थान, सुन्दरनगर
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन संस्थान, चंडीमढ़

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबंध - VI

अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण समीक्षा तथा तालिकाकरण की प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क्रम.स. संगठन का नाम	अर्धवार्षिक वापिसी की सख्या
कृषि मंत्रालय	
विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	1
पटसन निदेशालय, कलकत्ता	1
डायरेक्टरेट आफ एरिकानट एण्ड स्पाईसिज डिवेलपमेंट, कालीकट,केरल	1
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सब-आफिस, बंगलौर	2
सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल इंजिनियरिंग फार फिशरी बंगलोर	2
भारतीय मछली सर्वेक्षण, बंगलौर	1
नार्थ ईस्ट्रन रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टींग इस्टीट्युट, बिश्वानाथ चरयाली, जिला सोनितपुर	2
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय	
खाद्य एवं नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली	1
केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता	2
खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	1
खाद्य बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	1
चीनी एवं खाद्य तेल विभाग, कानपुर	1
वाणिज्य मंत्रालय	
सयुंक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय, कानपुर	1
उप महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय, शिलौंग	1
सयुंक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का कार्यालय, गुवाहाटी	1
संचार मंत्रालय	
दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली	2
मुख्य प्रबंधक, दूरसंचार , जिला अम्बाला	1
रक्षा मंत्रालय	
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) चंडीगढ़	2
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विदेश मंत्रालय

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुंबई	1

वित्त मंत्रालय

आर्थिक मामले विभाग, नई दिल्ली	1
राजस्व विभाग, नई दिल्ली	1
आयकर व्यवस्थापन आयोग, नई दिल्ली	1
महानिदेशक आयकर (जॉच) नई दिल्ली	1
आयुक्त सीमाशुल्क, मुंबई	2
आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, हैदराबाद	1
आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, कोयम्बटूर	1
आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क, नागपुर	1
आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चण्डीगढ़	2
सहायक पंजीयक, आयकर एपलेट ट्रिब्यूनल, नागपुर	1
क्षेत्रीय प्रबंधक, इण्डिया सिक्युरिटी प्रैस, नासिक रोड	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, दिल्ली	1
नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनीकेबल डिसीज, नई दिल्ली	1
विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली	1
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	2
केन्द्रीय औषधि जॉच प्रयोगशाला, मुंबई	1
बी.सी.जी.वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई	2
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद	1
क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) , शिमला	1

गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	2
आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	2
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नइ दिल्ली	1
महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली	1
राष्ट्रीय अपराध एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	1
कमांडेंट का कार्यालय, चल नागरिक आपातकाल बल, कलकत्ता	1
राजभाषा विभाग, हिन्दी योजना, जबलपुर	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	2
माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	1

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली	2
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	1
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुंबई	1
फिल्म डिवीजन, मुंबई	1
राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	1

श्रम मंत्रालय

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता	1
विकलांग व्यवसायिक पुर्नवास केन्द्र, मुंबई	1
क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	1
क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरामाईल टूरा, मेघालय	2
अनुसूचित जाति/जनजाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, जयपुर	1
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद	1
औद्योगिक प्राधिकरण-व-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़	1
फोरमैन ट्रेनिंग संस्थान, बंगलौर	2

विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तथा अरूणाचल प्रदेश, शिलौंग	1

संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	**2**
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली	**1**
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली	**1**

योजना एवं कार्यक्रम मूल्यांकन मंत्रालय

योजना एवं कार्यक्रम मूल्यांकन मंत्रालय, नई दिल्ली	1
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कलकत्ता	1

रेल मंत्रालय, नई दिल्ली	**2**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय,नई दिल्ली	1
विपणन सवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	1
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोची	1
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड़	1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	1
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली	1
नेशनल एटलस एण्ड थीमिटीक्स मैंपिंग आरगेनाईजेशन, कलकत्ता	2

भूतल परिवहन मंत्रालय

भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
आफिस आफ द लाईट हाऊसिज एण्ड लाईटशिप्स, नई दिल्ली	2
मुख्य अभियंता एवं प्रशासक, अण्डमान लक्ष्यद्वीप हर्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2

शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय

प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली	1
नगर एवं ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली	1

जल संसाधन मंत्रालय

भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चण्डीगढ़	1
गंगा बाढ़ कंट्रोल कमीशन, पटना	1

परमाणु उर्जा विभाग

न्यूक्लीयर फ्यूल कम्पलेक्स, हैदराबाद	2
उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर	1

अंतरिक्ष विभाग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बंगलौर	1
रीजनल रीमोट सेन्सीग सर्विस सेन्टर, खरगपुर	1

आपूर्ति विभाग

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कलकत्ता	1
योजना आयोग, नई दिल्ली	
योजना आयोग, नई दिल्ली	1
क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, (योजना आयोग) ,मुंबई	1
राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली	1
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अनुबंध- VII

वर्गीकृत अभिलेखों के अव श्रेणीकरण पर अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क्रम सं. सगंठन का नाम	छःमाही के दौरान वापस की सख्या
कृषि मंत्रालय	
विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	1
कपास विकास निदेशालय, मुंबई	1
धान विकास निदेशालय, पटना	1
नागरिक आपूर्ति, ग्राहक मामले एवं सामान्य वितरण मंत्रालय	
अग्रवर्ती विपणन आयोग, मुंबई	1
अनाज बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1
परमाणु उर्जा विभाग	
सेन्टर फार एडवास टेक्नोलॉजी, इन्दोर (म.प्र.)	2
न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलेक्स, हैदराबाद	1
उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय	
उर्वरक विभाग, नई दिल्ली	2
रसायन व तेल रसायन विभाग, नई दिल्ली	1
वाणिज्य मंत्रालय	
सह-महानिदेशक विदेश व्यापार, कटक	1
नमक आयुक्त, जयपुर	1
संचार मंत्रालय	
मुख्य महाप्रबंधक, हरियाणा टेलीकाम सर्कल, अम्बाला	1
डाक विभाग	
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, कलकत्ता	1
पोस्ट मास्टर जनरल (टी.एन.), कोयम्बटूर	1
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, (ए.पी. सर्कल), हैदराबाद	1
रक्षा मंत्रालय	
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

आफिस आफ द जे.एस. (ट्रेंनिग) एण्ड सीएओ, नई दिल्ली	2
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सेन्टर फॉर एनवायरमेंट एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी (सीईईएस) ,नई दिल्ली	1
आर्मी परचेज ओसगनाईजेशन, नई दिल्ली	1
स्कूल आफ फोरन लैग्वेंजिज, नई दिल्ली	2
ईल्क्ट्रोनिक्स एण्ड रडार डेवलपमेंट ईस्टेबलिसमेंट, बंगलौर	2
डिफेन्स इंस्टिट्यूट आफ साइक्लोजी रिर्सच, नेवल साईक्लोजिकल रिसर्च यूनिट (एनआरपीयु) ,नेवल बेस, कोची	2

पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलाग	1
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़	1
वन-संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, (दक्षिण क्षेत्र) , बंगलौर	1
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण जोन) ,बंगलौर	1

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन विल्ड्रन हस्पताल, नई दिल्ली	2
महानिदेशालय स्वास्थय सेवायें, नई दिल्ली	1
लेडी रीड़िंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली	1
सहायक दवा नियत्रंक (भारत) नई मुंबई	1
केन्द्रीय दवा जॉच प्रयोगशाला, मुंबई	2
बी.सी.जी.वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई	1
सह निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)	1
क्षेत्रीय कार्यालय (हेल्थ एण्ड एफ डब्ल्यु) ,शिमला	1
पोर्ट हेल्थ संगठन, मंडपम कैम्प	1
क्षेत्रीय कार्यालय एच एण्ड डब्ल्यु, चण्डीगढ़	2
केन्द्रीय दवा नियत्रण सगंठन, गाजियाबाद (यू.पी.)	1
अतिरिक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थय योजना, इलाहाबाद	1

गृह मंत्रालय

अन्तर्राज्यीय परिषद् सचिवालय, नई दिल्ली	2
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, नई दिल्ली	2
राष्ट्रीय अपराध एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2
आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	2
कमांडेंट, चल नागरिक आपालकाल फोर्स, कलकत्ता	2

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली	1
फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया, पुना	2

उद्योग मंत्रालय

लघु उद्योग व कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग, नई दिल्ली	1
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2

श्रम मंत्रालय

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सेन्ट्रल), कलकत्ता	2
क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), आसनसोल	1
विकलांग व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, जबलपुर	1
कल्याण उपायुक्त, इलाहाबाद (यू.पी.)	1
क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरलीमिली टूरा (मेघालय)	2
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, अनु जाति/जनजाति अनुशिक्षक एवं निर्देशन केन्द्र, हिसार	1
मानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, काठगोदाम (नैनीताल)	1

विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

शासकीय समापक, केरल, कोच्ची	1

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	2

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली	1

योजना एवं कार्यक्रम मूल्यांकन मंत्रालय

योजना आयोग, नई दिल्ली	2
नैशनल सैम्पल सर्वे ओरगनाईजेशन, नई दिल्ली	1
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (औद्योगिक सांख्यिकी विंग), कलकत्ता	2
कार्क्रम आंकलन संगठन, शिमला	1
क्षेत्रीय आंकलन कार्यालय, हैदराबाद	2

रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली	1

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोच्ची	1

भूतल परिवहन मंत्रालय

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	2
पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय	
नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	2
भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, बंगलौर	1
भारत सरकार पर्यटन कार्यालय, जयपुर	1
इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
इलेक्ट्रानिक्स रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मुंबई	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

First Report of the Director General of Archives on the Implementation of the Public Records Act, 1993

1997 and 1998



Government of India
National Archives of India
New Delhi
2001

15—124 Archives/2001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

CONTENTS

1. INTRODUCTORY 4
2. ANALYSIS OF THE DATA: GENERAL OBSERVATIONS 7
3. DEPARTMENTAL RECORD ROOMS 8
4. DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS 12
5. SHARING OF SPACE 16
6. RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS 19
7. INDEXING OF RECORDS 24
8. COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORD 29
9. DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS 35
10. DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES 41
11. ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS 45
12. ORGANISATIONAL HISTORY 49
13. MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS 54
14. APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS 56
15. REFERENCE MEDIA 57
16. ACCESSIONS/ ACQUISITIONS 59
17. VETTING OF RETENTION SCHEDULE 61
18. ADVISORY WORK 63
19. TRAINING 64
20. ARCHIVAL AWARENESS 68
21. PRIORITIES 71

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE- I

Public Records Act, 1993. 73

ANNEXURE- II

Public Records Rules, 1997. 82

ANNEXURE- III

Notification on the Constitution of the Archival Advisory Board. 93

ANNEXURE- IV

List of Ministries/ Departments/ Offices Who Have Furnished Information On Implementation of The Public Records Act, 1993. 95

ANNEXURE- V

List of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies Who Have Furnished Information on Implementation of The Public Records Act, 1993. 101

ANNEXURE - VI

List of Organisations Who Have Furnished Half-Yearly Returns on The Progress Made By Them in Recording, Reviewing and Indexing of Semi-Current Records. 104

ANNEXURE- VII

List of Organisations Who Have Furnished Half-Yearly Returns on De-Classification of Classified Records. 108

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

INTRODUCTORY

Prior to the passing of the Public Records Act, 1993, all activities in the field of Archives and Records Management in respect of Union Government Organisations i.e. Ministries/ Departments/ Attached and Subordinate offices were being regulated by the Archival Policy Resolution, 1972. However, the Resolution did not yield the desired results as was expected from it, perhaps due to the lack of statutory sanction behind it. The Director General of Archives, in all, prepared and submitted twenty-one reports (1972-93) to the Government of India on the implementation of the said Resolution.

1.1 Needless to mention here that while the Director General of Archives had been trying to persuade all the agencies falling within the gamut of the Archival Policy Resolution to initiate timely action for the effective implementation of the said Resolution for improving the state of management, preservation, access and disposal of records etc. various Estimates Committees of Parliament, Committee on Subordinate Legislation, Indian Historical Records Commission over the years have urged the Government to bring forth a suitable legislation on the subject. The Director General of Archives in his various reports on the implementation of the Archival Policy Resolution also pleaded for a comprehensive law to govern the records management activities for a more positive result. Further, the Committee on Subordinate Legislation of 10th Lok Sabha in its Third Report presented on 11th May, 1992 while considering the issue of archival legislation noted with distress the inordinate delay in framing, the statutory rules on the subject.

1.2 The Central Government considered these recommendations very carefully and on getting convinced that in spite of the best efforts made for the effective implementation of the Archival Policy Resolution it has failed to improve the situation came to the conclusion that the matter governing archival and records management activities should no longer be left to the mercy of the executive instructions, but they should be regulated by the firm statutory provisions.

1.3 After thoughtful consideration, of all these aspects, the Government of India introduced a Bill on Public Records on 19th August, 1992 in Rajya Sabha and apprised the House that the objective of the Bill was to see that records management activities henceforth should be governed by the statutory provisions to provide legal cover for the responsibilities of the records creating agencies and the Archives in regard to the creation, arrangement, management, custody, deposit, preservation, access and disposal of public records and not by the executive instructions which are liable to be changed without notice any time. It was passed by the Rajya Sabha and subsequently, the Lok Sabha also passed the Bill on 9th December, 1993. It received the assent of the President of India on 21st December, 1993 and was duly notified

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

in the Gazette of India (Public Records Act, 1993, 69 of 1993) on 22nd December, 1993 for general information. After completing all administrative requirements, the Act was made operative on 1st March, 1995. Elaborate Rules under the Act were also framed and published in the Gazette of India on 18th January, 1997. The copies of the Act and Rules, then were forwarded to all the records creating agencies for their information and necessary action at their end.

1.4 It is worthwhile to mention here that the scope of the Public Records Act, 1993 has been enlarged to bring under its purview apart from the public records of Central Government, Union Territory Administrations, all Public Sector Undertakings, Statutory Bodies and Corporations, Commissions and Committees appointed by the Central Government/Union Territory Administrations.

1.5 Further, the other characteristic of the Act is to constitute an Archival Advisory Board under Section 13(1) with a view to advise the Central Government and Union Territory Administrations on matters concerning administration, management, conservation and use of public records. Accordingly, the Central Government constituted the Board under the Chairmanship of Secretary, Culture, Government of India on 1st November, 1995 (see ANNEXURE III) and so far held four meetings on 30th May, 1997, 20th October, 1997, 22nd May, 1998, and 18th May, 1999 respectively. The Board considered various important issues and made many invaluable recommendations for effective implementation of the Public Records Act, 1993.

1.6 Rule 8(2) of the Public Records Rules, 1997 stipulates about the submission of Annual Report by the Director General of Archives to the Government of India, in the Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Tourism and Culture) every year on the action taken by the Records Officer in pursuance of clauses (a) to (e) of sub-section 1 of Section 6 of the Act. Accordingly, Circular letters No. 16-12/98-RM and 16-12/99-RM dated 24th August, 1998 and 9th April, 1999 respectively were issued to 1902 records creating agencies i.e. Government Organisations, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies etc. requesting them to furnish the, report in Form -5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them during the years 1997 and 1998 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India. The Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997 are reproduced in Annexure I and II for ready reference.

1.7 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the years 1997 and 1998 on the following aspects.

i. Setting up organised Departmental Record Rooms; Nomination of

Records Officers;

ii. Training of Records Officers and Staff;

iii. Sharing of Space for housing semi-current records; Periodical recording, reviewing and weeding out of semi-currant records;

iv. Appraisal of non-current records;

v. Compilation/Revision of Retention Schedule of Records; Periodical review of classified records;

vi. Compilation of Annual indices to records; Compilation of Organisational history and

vii. Transfer of Records of Defunct Bodies etc.

1.8 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANALYSIS OF THE DATA

General Information

2.1 Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the years 1997 and 1998 was sought from 1902 Ministries/ Departments/ Attached/ Subordinate Offices, Public Sector Undertakings etc of the Government of India. But replies were received from 251 Organisations only. Information received in response is indicated below in tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Organisations	Total Response Received
Ministries/ Departments	65	23
Attached/Subordinate offices etc.	1337	152
Public Sector Undertakings etc.	500	76
Total	**1902**	**251**

2.2 From the above analytical table, it may be observed that the response is not so encouraging from the Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings as was expected from them in compliance of a statutory provision. It is most alarming that the information has been furnished only by 251 Organisations out of 1902 Organisations and that too, the majority of organisations have furnished 'NIL' or incomplete information. The total replies thus come to approx 13% whose information has been incorporated in the present report and 87% Organisations have not furnished information at all.

2.3 A list of Ministries/ Departments/ Offices which have furnished information for incorporation in this report has been reflected in Annexure-IV and that of Public Sector Undertakings in Annexure V.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DEPARTMENTAL RECORD ROOMS

3.1 A well-organised Departmental Record Rooms is the prerequisite for the better Records Management system. Sub Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set-up their Records Rooms in such places as it deems fit and also place each records Rooms under the charge of a Records Officer. The objective of setting-up of the Departmental Record Rooms is to preserve the records of enduring value scientifically and take timely action for their reviewing, indexing and weeding out those which are no longer required to be retained. Drawing the attention of records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set-up Record Rooms in their respective Ministry/ Department/ Office/ Public Sector Undertaking. However, response received in this behalf reveals that in spite of the fact that the National Archives of India has been requesting all agencies falling under the purview of the Act to organise and set-up their Departmental Record Rooms in scientific way, very little attention has been paid towards this important aspect. More efforts on the part of the records creating agencies are required to be made in this regard.

3.2 In all, 211 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Out of this 134 are Ministries/ Departments/ Offices and 77 are Public Sector Undertakings. The detailed analysis of the information received in this regard is given below:- 73 Ministries/ Departments/ Offices have reported that they have well organised Departmental Record Rooms. These are:- President Secretariat, Ministries of Defence, Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Labour, Surface Transport and Water Resources, Departments of Culture, Education, Women and. Child Welfare, Youth Affairs and Sports, Legal Affairs and Legislative Department, Statistics, Programme Implementation and Ocean Development, Planning Commission, Railway Board, Directorate General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Directorate of Visual Publicity, Marketing and. Inspection, All India Radio, Institute of Secretariat Training and Management and National Sample Survey Organisation all in New Delhi; Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Central Board of Film Certification, Advance Training Institute and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Industrial Statistical Wing (Central Statistical Organisation) and Office of the Development Commissioner for Iron and Steel both in Calcutta; Office of the Commissioner of Central Excise, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Madras Dock Labour Board all in Chennai; Branch Secretariat (Legal Affairs), Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka and Office of Deputy Chief Labour Commissioner (Central) all in Bangalore; Nuclear Fuel Complex and Office of the Registrar of Companies Andhra Pradesh both in Hyderabad; Chief Construction Engineer (Research and Development) and National Institute for

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

the Mentally Handicapped both in Secunderabad; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Postal Training Centre and Office of the Commissioner of Central Excise both in Madurai; Regional Centre for Airworthiness, Sultanpur; Office of the Official Liquidator, Allahabad; Currency Note Press, Nasik Road; Offices of the Commissioner of Customs and Central Excise, Guntur; Belgaum, Raipur, Nagpur, Devangere and Pune; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; All India Radio, Madikeri, Jaipur and Bhopal; Regional Directorate of Apprentiship Training, Faridabad; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara; Cochin Dock Labour Board and Office of the Official Liquidator both in Cochin; Labour Welfare Organisation, Karma Bihar; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Registrar of Companies U.P. Kanpur; Lal Sahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Surveyor General's office, Dehradun; Brahamputra Board, Guwahati; Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam and Passport Offices Patna, Panaji and Bhopal.

3.3 The following 39 Ministries/ Departments/ Offices have mentioned that their Records Rooms are not fully organised. These are:- Ministries of Civil Aviation and Parliamentary Affairs, Departments of Agriculture Research and Education, Air Headquarters, Director General of Aeronautical Quality Assurance, Technical Co-ordination, Armed Forces Film and Photo Division, Additional Directorate General Remount Veterinary, Office of the Controller General of Defence Accounts, Inter-State Council Secretariat, Northern Zonal Council Secretariat, Directorate General National Security Guard and Central Electricity Authority all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs and Regional Evaluation office both in Mumbai; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Falta Export Processing Zone, Office of the Jute Commissioner, Research and Development Unit of Ministry of Defence, Central Food Laboratory and Government Medical Store Depot all in Calcutta; Office of the Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai; Save Grain Campaign Regional Office, Ahmedabad; Regional Office of Non-Conventional Energy Sources and Office of the Chief Postmaster General Orissa Circle both in Bhubaneswar; Proof and Experimental Establishment, Balasore; Regional Office (Northern Region) of Ministry of Environment and Forests, Chandigarh; North-Eastern Regional Office of the Ministry of Environment and forests, Shillong; Industrial Research and Training Institute, Bangalore; Regional Office (Central Region) of Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Security Printing Press and Save Grain Campaign Regional Office both in Hyderabad; Regional Office of Health and Family Welfare, Shimla; All India Radio, Thiruvananthapuram; Karwar and Itanagar; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Kanpur; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad and Central Water and Power Research Station, Pune.

ARCHIVES OF INDIA

3.4 The following 6 Ministries/Departments/Offices have informed that they do not have separate Departmental Record Rooms. These are:- Central Government Health Scheme and Office of the Commissioner of Central Excise both in Mumbai; Save Grain Campaign (Regional Office), Bhopal; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati; Eastern Regional Office Ministry or Environment and Forests, Bhubaneswar and Custom and Excise Commissionerate, Rajkot.

3.5 Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad; Quality Control Cell (Department of food and Civil Supplies) and Save Grain Campaign (Regional Office) both in Hyderabad and Central Government Health Scheme, Jabalpur have stated that they do not feel it necessary to have separate Departmental Record Rooms.

3.6 The following Offices have furnished 'NIL' and Vague information. These are:- Additional Directorate General of Army Postal Service (Ministry of Defence), New Delhi; Central Government Health Scheme, Allahabad; North-Eastern Police Academy, Umsaw, Umiam (Meghalaya); Directorate of Marketing, Cochin; Indian Railway Institute of Civil Engineering, Pune and Port Health Organisation, Mandapam Camp.

3.7 The following 45 Public Sector Undertakings have reported that they have well organised Departmental Record Rooms:- Central Warehousing Cooperation, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, Indian National Academy of Engineering, Hindustan PREFAB Ltd., National Building Construction Corporation Ltd., Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., Indira Gandhi National Open University, Prasar Bharati, National Textile Corporation Ltd., The Petroleum Conservation Research Association all in New Delhi; Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Noida; Export Credit Guarantee Corporation of India, Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Indian Institute of Geomagnetism all in Mumbai; Damodar Valley Corporation, Tyre Corporation of India Ltd., Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd., and Bose Institute all in Calcutta; Madras Fertilizers Ltd. and Neyveli Lignite Corporation Ltd., both in Chennai; Coconut Development Board, The Cashew Export Promotion Council and Cochin Shipyard Ltd. India all in Cochin; Prasar Bharati, Chennai, Pondicherry, Panaji (Goa); H.M.T. (International Ltd.), Central Research and Testing Laboratory (Central Power Research Institute), Raman Research Institute and Indian Academy of Science, all in Bangalore; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Visakhapatnam Port Trust, Dredging Corporation of India Ltd., both in Visakhapatnam; National Institute of Hydrology, Roorkee; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Bharat Dynamics Ltd., both in Hyderabad; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh; Hindustan Newsprint, Kottayam, Kerala; Centre For Materials For Electronics Technology Pune; Indian Petrochemicals

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Corporation Ltd. and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee both in Vadodara; Central Board for Workers Education, Nagpur; Advance Training Institute For Electronics and Process Instrumentation, Dehrådun; British India Corporation Ltd. Kanpur and Central Wool Development Board, Jodhpur. Satyendra Nath Bose National Centre For Basic Science, Calcutta has informed that their building is still incomplete and Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta has informed that they have made a makeshift arrangement and a regular organised Records Rooms would be established when funds can be provided. Similar type of reply has been received from National Academy of Science, Allahabad; Indian Rare Earths Ltd. Mumbai has informed that as a part of renovation of their corporate office, a separate records Rooms is being set up with sufficient space for keeping records. Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. Gurgaon has sufficient space to keep their records.

3.8 There is yet another category of Public Sector Undertakings whose Record Rooms are under Process. These are:- Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; Andaman and Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair, Ferro Scrap Nigam Bhilai; National Institute of Visually Handicapped, Dehradun and National Fertilizers Ltd., Noida.

3.9 The following 22 Public Sector Undertakings have forwarded NIL report. These are:- Nehru Yuva Kendra Sangathan and Airport Authority of India both in New Delhi; Atomic Energy Regulatory Board, Hotel Corporation of India Ltd; The Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; The Wild Life Institute of India and Wadia Institute of Himalayan Geology both in Dehradun; Indian Plywood Industries Research Training Institute, Bangalore; State Forest Service College, Coimbatore; Prasar Bharati, Imphal, Chandigarh and Bhopal; North Eastern Electrical Power Corporation Ltd., Shillong; Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur; Institute of Rain Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; National Film Archive, Pune; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura, Meghalaya; Ganga Flood Water Commission, Patna and Bhakra Beas Management Board, Chandigarh, Sundernagar and Talwara.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

In the preceding chapter mention has been made about the organised Departmental Record Rooms to house the records properly during their semi-current stage. It is equally important and imperative on the part of the records creating agencies that these Record Rooms are manned by trained Departmental Records Officers.

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 lays down that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as enumerated under Section 6 (1) of the said Act.

4.1 The nomination of Records Officers in the records creating agencies is the first step for proper implementation of the said Act as he has to coordinate and guide the Sections/ Divisions in respective Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in the field of Records Management as also to have proper liaison with the Director General of Archives in connection with compilation of Retention Schedule for substantive records, appraisal of non-current records, transfer of records selected for permanent preservation to National Archives of India. National Archives of India initiated action by requesting all the organisations to comply with the said provisions of the Act at their earliest possible. So far 501 organisations including Public Sector Undertakings have nominated one of their officers as Records Officer. However, the need for supporting staff such as typist, daftary, bundle lifter, peon etc, is considered essential for proper manning of the activities of the Departmental Record Rooms. In all 164 organisations have furnished the requisite information out of which 87 are the Ministries/ Departments/ Offices and 77 are Public Sector Undertakings. Details are as under:

4.2 Ministries/Departments/Offices numbering 22 have informed that they have got full time trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Defence, Environment and Forests, Information and Broadcasting, Parliamentary Affairs and Water Resources, Departments of Legal Affairs and Legislative Department; Ocean Development, Public Distribution, Women and Child Development, Youth Affairs and Sports. Railway Board, Central Electricity Authority; Directorate General of Civil Aviation, Directorate of Marketing and Inspection, Central Translation Bureau and National Sample Survey Organisation, all in New Delhi; Madras Dock Labour Board, Chennai; Surveyor General's Office, Dehradun; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati; Nuclear Fuel Complex, Hyderabad; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

4.3 Following 24 Ministries/ Departments/ Offices have reported that officers of the rank of Section Officers, Junior Analysts, Research Officers, Assistant

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Personnel Officers, Administrative Officers, Assessing Officers, Scientific Officers/ Engineers are supervising the work of Departmental Record Rooms. These are:- Ministries of Surface Transport and Departments of Statistics and Programme Implementation, Women and Child Development, Youth Affairs and Sports, National Sample Survey Organisation, Inter-State Council Secretariat, Office of the Controller General of Defence Accounts and Central Translation Bureau, all in New Delhi; Falta Export Processing Zone. Calcutta; Central Board of Film Certification, Mumbai; Department of Legal Affairs (Secretariat Branch), Bangalore; Nuclear Fuel Complex, Hyderabad; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Terminal Ballistics Research Lab, Chandigarh; Naval Science and Technical Lab, Visakhapatnam; North-Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Passport Office, Panaji (Goa); Office of the Liquidator, High Court, Allahabad; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Belgaum, Coimbatore and Pune; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Surveyor General's Office, Dehradun.

4.4 Ministries of Defence and Home Affairs both in New Delhi and All India Radio, Madikeri have placed their Record Rooms under the charge of Assistants/ Assistant Archivist whereas office of the Directorate General of Central Reserve Police Force has placed its Departmental Record Room under the supervision of Office Superintendent.

4.5 The following 9 Departments/ Offices have stated that their Records Rooms are being manned by UDCs, LDCs, Daftaries and Record Keepers. These are:-Department of Supply and Zonal Council $ecretariat both in New Delhi, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; North-Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Customs and Excise Commissionerate, Rajkot; Passport Offices, Patna and Bhopal; Office of the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad and All India Radio, Thiruvananthapuram.

4.6 Regional Evaluation Office, Mumbai has intimated that their office is not empowered to nominate Records Officer for setting up Records Room as the main function of the office is to carry out all evaluation studies, and Government Medical Store Depot Calcutta has informed that due to shortage of officers their lower staff members are working on part time basis in the Record Rooms whereas Save Grain Campaign (Regional Office), Ahmedabad has stated that being a small office, it does not require to nominate the Records Officers.

4.7 24 Ministries/ Offices have given vague/NIL replies or stated that it is not applicable to them. These are: Ministries of Labour and Civil Aviation, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Additional Directorate General Remount Veterinary, Additional Directorate General of APS, All India Radio, all in New Delhi; Forward Markets Commission and Central

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Government Health Scheme both in Mumbai; Central Food Laboratory, Calcutta; Office of the Commissioner of Central Excise, Devangere; Save Grain Campaign (Regional Office) and Quality Control Cell (Department of Food and Civil Supplies) both in Hyderabad; Central Government Health Scheme, Allahabad and Jabalpur; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Prasar Bharati (All India Radio), Itanagar; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi and Jaipur; Directorate of Marketing and Inspection, Kochi; Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar; Central Water and Power Research Station, Pune; Office of the Chief Labour Commissioner (Central) Bangalore and Indian Postal Training Institute, Dharwar.

As regards Public Sector undertakings the position is as follows:-

4.8 Out of 77 replies received, the following 57 organisations have informed that they have full time trained officers. These are:- Airport Authority of India, Central Warehousing Corporation, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, Nehru Yuvak Kendra Sangathan, Hindustan PREFAB Ltd, Indira Gandhi National Open University, Prasar Bharati, The Petroleum Conservation Research Association, The Fertilizers Corporation of India and National Textile Corporation Ltd., all in New Delhi; Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., The Metropolitan Transport Project (Railways) and Indian Institute of Geomagnetism, all in Mumbai; Bose Institute, Tyre Corporation of India and Damodar Valley Corporation, all in Calcutta; Regional Remote Sensing Centre, Khargpur; Coconut Development Board, Cashew Export Promotion Council and Cochin Shipyard, all in Kochi, Hindustan News Print, Kottayam (Kerala), Nevyeli Lignite Corporation, Madras Fertilizers Ltd., Prasar Bharati, all in Chennai; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Bharat Dynamics Ltd., all in Hyderabad; Visakhapatnam Port Trust and Dredging Corporation of India Ltd., both in Visakhapatnam; Wadia Institute of Himalayan Geology, The National Institute for Visually Handicapped and Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, all in Dehradun; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Andaman Nicobar Island Forest Plantation Development Corporation Ltd, Port Blair; Centre for Material for Electronics Technology and Indian Institute of Tropical Metrology, both in Pune; State Forest Service College, Coimbatore; H.M.T. (International) Ltd , Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Central Research Testing Laboratory and Raman Research Institute, all in Bangalore; Board for Workers Education, Nagpur; Prasar Bharati, Panaji, National Institute of Hydrology, Roorkee, Bhakra Beas Management Board and Technical Training Institute both in Chandigarh; The Ferro Scrap Nigam Ltd, Bhilai; British India Corporation Ltd, Kanpur; Central Wool Development Board, Jodhpur; Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., and National Fertilizers Ltd., both in Noida; Indian Petrochemicals Corporation

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ltd and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, both in Vadodara; Ganga Flood Water Commission, Patna and National Academy of Sciences, Allahabad.

4.9 The following three Public Sector Undertakings have informed that they have appointed Departmental Records Officers on part time basis. These are:- Indian Association for the Cultivation of Science and Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd., both in Calcutta and Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon.

4.10 The following 13 organisations have forwarded NIL report: National Building Construction Corporation, New Delhi; Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Calcutta; The Wild Life Institute of India, Dehradun; Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; North Eastern Electrical Power Corporation Ltd, Shillong; National Film Archive, Pune; Regional Vocational Training Institute for Women Araimile Tura (Meghalaya); Bhakra Beas Management Board, Talwara and Sundernagar and Prasar Bharati, Pondicherry, Imphal, Chandigarh and Bhopal.

4.11 2 Public Sector Undertakings have sent vague information. These are: Indian Plywood Industries Research Training Institute Bangalore and Export Credit Guarantee Corporation of India. Mumbai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

SHARING OF SPACE

Some records creating agencies are housing their semi-current records either in the almirahs of their sections or in some corner or corridors of their building under conditions which are not conducive to their scientific preservation. To combat this problem of shortage of space and in the interest of their proper preservation till such time the records creating agencies are unable to set-up their Departmental Record Rooms, National Archives of India has been offering to all the organisations to share space in its Annexe Building and also at its Regional Office at Bhopal and Records centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar.

5.1 In all, 139 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have furnished information in this regard. Out of which 62 Central Government Offices and 77 Public Sector Undertakings have sent information. As regards the Governmental Organisations, 54 Organisations have given negative response and only 8 Offices have reported that they are willing to share space in the Annexe Building of the National Archives of India and its Regional Records Centres. Details of replies are as follows: Ministry of Labour, New Delhi has informed that 15 files out of 65 have been transferred and decision regarding remaining files would be taken after their review by the concerned sections. Department of Coal, New Delhi has stated that they may like to share space for which bulk of records is being assessed. Department of Public Distribution is willing to share space in National Archives of India annexe building at New Delhi. Directorate General Central Reserve Police Force, New Delhi has informed that they are willing to share space in National Archives of India, New Delhi but not presently. Central Board of Film Certification, Mumbai has stated that sharing of space is not feasible as their records are in Mumbai. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Calcutta stated that the centre being in Calcutta, keeping records in the Records Centre at Bhubaneswar may be too far of. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore and Balasore have mentioned that sharing of space in National Archives of India is a policy matter and the decision to this effect is to be taken by Defence Research and Development Organisation (Headquarters) at New Delhi.

5.2 As far as Public Sector Undertakings are concerned out of the 77 replies received in this regard 8 Organisations have desired to share space and the others 58 have informed that they do not want to share it. 8 Public Sector Undertakings have sent NIL information whereas 3 undertakings have sent vague information.

The 8 Public Sector Undertakings who have expressed their desire to share space are as under:- Nehru Yuvak Kendra Sangathan, New Delhi, Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Calcutta; and Indian Plywood Industries Research Training Institute, Bangalore. However, The

7—124 Archives/2001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Cocunut Development Board, Cochin can share space if it is free of cost and Cashew Export Promotion Council for India, Cochin, can share if the authorities so desire, Prasar Bharati, Bhopal is willing to share space at our, Regional Office Bhopal. The British India Corporation Limited, Kanpur has informed that they want to share space but Corporation is being wound up. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura, (Meghalaya) has informed that sharing of space will be decided after the new building comes up.

5.3 The 23 following Public Sector Undertakings have informed that they do not want to share space for one reason or the other. These are:- Central Warehousing Corporation, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, Indian National Academy of Engineering, Hindustan PREFAB Ltd., National Building Construction Corporation Ltd., Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., Indira Gandhi National Open University, Prasar Bharati, the Petroleum Conservation Research Association and National Textile Corporation Ltd., all in New Delhi; The Metropolitan Transport Project (Railways), Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths Ltd., Export Credit Guarantee Corporation of India and Indian Institute of Geomagnetism, all in Mumbai. The Hindustan Petroleum, Mumbai, has informed that their Records are commercial records and are frequently required for reference purpose. Madras Fertilizers Limited, Chennai has informed that they need their records for reference on daily basis at their place. Neyveli Lignite Corporation Limited, Chennai and State Forest Service College, Coimbatore do not want to share space. Damodar Valley Corporation, Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd. and Bose Institute, all in Calcutta feel the same manner. Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta has informed that theirs is an autonomous organisation and their rules do not permit to keep records elsewhere.

5.4 The following 35 Undertakings have shown their inability to share space with the National Archives of India or its Regional Office or Records Centres. Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Technical Teachers Training Institute and Bhakra Beas Management Board, both in Chandigarh; National Film Archive and Centre for Material for Electronics Technology, Institute of Tropical Meteorology all in Pune; Central Board for Workers' Education, Nagpur. The Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Central Wool Development Board, Jodhpur; Dredging Corporation of India Ltd., and Visakhapatnam Port Trust both in Visakhapatnam; The Wild Life Institute of India and The National Institute for Visually Handicapped both in Dehradun; Bharat Dynamics, Ltd. and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy both in Hyderabad; Cochin Shipyard Limited, Cochin; Sardar Sarovar Construction Advisory Board Committee and Indian Petrochemicals Corporation Limited, both in Vadodara; Hindustan Newsprint Limited, H.M.T. (International), Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Raman Research Institute all in Bangalore, National Academy of Science, Allahabad, Prasar Bharati located at Pondicherry, Panaji (Goa) and

Chennai; Commercial Broadcasting Service, Imphal and Chandigarh and National Institute of Hydrology, Roorkee; North Eastern Electrical Power Corporation Ltd., Shillong; Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur; National Fertilizers Ltd. and Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., both in Noida and Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun has sent incomplete information

5.5 The International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad will be submitting their requisitions as and when required and Andaman and Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair feels that Andaman Nicobar Islands are very far, so it will not be practicable Institute of Rain Moist Deciduous Forest Research, Jorhat will be deciding to share the space in due course.

5.6 There is yet another category of Institutions who have furnished NIL information. These are:- Airport Authority of India, New Delhi, Hotel Corporation of India Ltd., Mumbai; Tyre Corporation of India Ltd., Calcutta; Central Power Research Institute, Bangalore; Ganga Flood Water Commission Patna; Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun and Bhakra Beas Management Board, Talwara and Sundernagar.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Systematic and timely recording, classification, periodical review and weeding out of semi-current records is a vital aspect of records management as this does not only minimise the quantum of records but at the same time also helps in segregating records of permanent nature resulting in carving out more space for fresh accruals. This exercise contributes a lot in maintaining reasonable proportion between creation and destruction. It further minimises the cost of preservation and maintenance of records. Section 6 (1) (b) of the Public Records Act, 1993 envisages that all public records should be reviewed and ephemeral records be weeded out periodically. Further, as stipulated under the Public Records Rules, 1997 all records creating agencies are required to furnish half yearly returns on the action taken by them in this regard. To facilitate the collection of information two circular letters no. 16-3/98-RM and 16-2/99-RM dated 9th March, 1998 and 9th April, 1999 respectively were issued to all the records creating agencies. A list of the Organisations who have furnished returns may please be seen in Annexure – VI of the report.

6.1 The analysis of the information is given below:

The following 99 Offices have informed that they are attending the job of recording, reviewing and weeding out of semi-current records. These are:- Ministries of Environment and Forests, Information and Broadcasting, Parliamentary Affairs, Railways and Departments of Education, Secondary and Higher Education, Bio-technology, Industrial Policy and Promotion, Legal Affairs and Legislative Department, Food and Civil Supplies, Telecommunications, Economic Affairs, Revenue, Inter State Council Secretariat, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, National Sample Survey Organisation, Central Electricity Authority, Director General Central Reserve Police Force, Directorate of Extension, Directorate of Advertisement and Visual Publicity, Director General Indo Tibeten Border Police, Lady Reading Health School, National Institute of Communicable Diseases, Airport Health Organisation, Town and Country Planning Organisation, Director General of Supplies and Disposals and President's Secretariat all in New Delhi; Deputy Director General Foreign Trade, Director General Commercial Intelligence and Statistics, Falta Export Processing Zone,. Central Food Laboratory, Development Commissioner for Iron and Steel, Mobile Civil Emergency Force, Industrial Statistics Wing (Central Statistical Organisation) and National Atlas and Thematic Mapping Organisation all in Calcutta; Commissioner of Central Excise, B.C.G. Vaccine Laboratory, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Madras Dock Labour Board all in Chennai; Forward Markets Commission, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Advanced Training Institute, Regional Evaluation Office, Regional Passport Office,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Commissioner of Central Excise, Central Government Health Scheme and Films Division all in Mumbai; Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar; Foremen Training Institute, Bangalore; Directorate of Marketing and Inspection, Kochi; Directorate of Marketing and Inspection, Nashik; Chief Engineer and Administrator, Andaman and Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Terminal Ballistics Research Laboratory and Commissioner of Central Excise both in Chadigarh; Passport Office, Patna; Save Grain Campaign Office and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Ahmedabad; Registrar of Companies, U.P. and National Sugar Institute both in Kanpur; Joint Director General Foreign Trade, Shillong, Cuttack and Guwahati; General Manager, Telecommunication District, Ambala; Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Allahabad; India Security Press, Nashik; Commissioner of Central Excise and Customs and Income Tax Appellate Tribunal both in Nagpur; Commissioner of Customs and Central Excise, Save Grain Campaign Office, Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Quality Control Cell (Ministry of Food and Civil Supplies) all in Hyderabad; Branch Secretariat, Department of Legal Affairs and Legislative Department, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Income Tax Department, all in Bangalore; Post Master General (Orissa Circle) and Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in Bhubaneswar; Postal Training Centre and Commissioner of Central Excise both in Madurai; Chief Construction Engineer (Research and Development) of Ministry of Defence, Secunderabad; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; Passport Offices, Bhopal and Goa; Customs and Central Excise, Rajkot; Commissioner of Central Excise Division, Belgaum Headquarter and Central Excise Division both in Belgaum; Assistant Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary; North Eastern Police Academy Umsaw, Umiam (Meghalaya); Joint Director Central Government Health Scheme, Jabalpur; Regional Office of Health and Family Welfare, Shimla; Prasar Bharati (AIR), Madikeri; Thiruvananthapuram and Jaipur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad; Regional Vocational Rehabilitation Centre for Women, Vadodara; Cochin Dock Labour Board, Kochi; Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritelaiya) and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat.

6.2 The following 12 Offices have sent vague replies. Ministries of Surface Transport and Water Resources, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Department of Ocean Development all in New Delhi; Centre for Military Airworthiness, Central water and Power Station both in Pune; Naval Psychological Research Unit, Kochi; Directorates of Marketing and Inspection, Nagpur and Nashik; Brahmaputra Board, Guwahati; National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad and Surveyor General's Office, Dehradun.

6.3 National Academy of Administration, Mussoorie has stated that this work

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

would be taken up during winter when they do not have training Programme. Prasar Bharati (AIR), Karwar has indicated that it does not arise as it is a newly created organisation. Official Liquidator High Court, Allahabad has stated that it is done when liquidation proceedings are concluded. Intelligence Bureau, New Delhi has stated that their records are top secret and secret as such no report is being sent. Central Government Health Scheme, Mumbai has informed that this work could not be taken up due to shortage of staff. Central Drugs Standard Control Organisation, Kochi has stated that this work would be taken up shortly. College of Defence Management, Secunderabad and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi have stated that this is not applicable to them.

6.4 The following 39 offices have sent NIL report:- Department of Agricultural Research and Education, Army Purchase Organisation. Directorate of Preventive Operation Customs and Central Excise, Zonal Council Secretariat, Prasar Bharati (AIR), Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation and Tourism), Director General of Income Tax Investigation, Income Tax Settlement Commissioner and Directorate of Publications all in New Delhi; Chief Post Master General (West Bengal Circle), Jute Commissioner, Government Medical Store Depot, Defence Research and Development Unit and Directorate of Jute Development all in Calcutta; Custodian of Enemy Property, Mumbai; Central Government Health Scheme, Allahabad; Commissioner of Central Excise, Ahmedabad; Proof and Experimental Establishment, Balasore; Central Government Health Scheme and Fishery Survey of India all in Bangalore; North Eastern farm Machinery Training and Testing Institute, Biswanath Chariali; Industrial Tribunal-Cum-Labour Court and Northern Regional Office of Ministry of Environment and Forests both in Chandigarh; Assistant Commissioner of Central Excise, Dharwar; Prasar Bharati (AIR), Bhopal; Southern Regional farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne; Security Press, Nuclear Fuel Complex and Centre for Advanced Technology, all in Hyderabad; Prasar Bhatati (AIR), Itanagar; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jowai (Meghalaya) and Jaipur; Assistant Commissioner of Central Excise, Hubli; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Raj Bhasha Vibhag Hindi Yojana, Jabalpur; Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; and Postal Training Centre, Vadodara.

6.5 Out of 75 Public Sector Undertakings who have responded to the Circular letter 36 have replied that they are attending to recording, reviewing and weeding of semi-current records. These are:- Central Warehousing Corporation, Hindustan PREFAB Ltd., Hindustan Fertilizers Corporation of India, Indira Gandhi National Open University, Prasar Bharati and Petroleum Conservation Research Association all in New Delhi; Neyveli Lignite Corporation Ltd., Chennai; Hindustan Petroleum Corporation and The Metropolitan Transport Project (Railways) Ltd., both in Mumbai; Damodar

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Valley Corporation, Tyre Corporation of India, Bose Institute all in Calcutta; Cochin Shipyard, Cochin; Visakhapatnam Port Trust and Dredging Corporation of India Ltd. both in Visakhapatnam; H.M.T. (International) and Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, both in Bangalore; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam, (Kerala); National Institute of Hydrology, Roorkee, Indian Petrochemical Corporation Ltd., Vadodara; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Broadcasting Cooperation of India, Pondicherry; Panaji and Chennai; Northern Regional Farm Machinery Training Institute, Hissar; Andaman and Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair; National Film Archive of India and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh; Central Board for Workers Education, Nagpur; Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Advance Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; British India Corporation. Ltd., Kanpur; Ganga Flood Water Commission, Patna; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta has informed that it is periodically being done by Sections in-Charge.

6.6 Export Credit Guarantee Corporation of India, Mumbai has informed that most of their records are computerised so they do not feel the need of Weeding out the records. Madras Fertilizers Ltd., Chennai has informed that they are following their own procedure, and National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation has informed that due to shortage of staff they are unable to attend the recording work. Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad and National Institute for Visually Handicapped, Dehradun have issued instructions to their organisations. Indian Academy of Science, Bangalore has informed that the records are being shredded; Nehru Yuvak Kendra Sangthan, New Delhi has informed that the recording work will be done by their Headquarters. Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Calcutta, Raman Research Institute, Bangalore and National Academy of Science, Allahabad have sent vague replies.

6.7 The following 26 offices have sent NIL report. These are: Indian National Academy of Engineering, National Building Construction Corporation Ltd., Airport Authority of India and National Textile Corporation Ltd., all in New Delhi; Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Calcutta; Indian Institute of Geomagnetism; Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths Ltd., and Hotel Corporation of India all in Mumbai; Coconut Development Board and Cashew Export Promotion Council of India both in Cochin; The Wildlife Institute of India and Wadia Institute of Himalayan Geology, both in Dehradun; Indian Plywood Industries Research Training Institute, Bangalore; State Forest Service College, Coimbatore; Prasar Bharati, Imphal; Chandigarh and Bhopal; Bhakra Beas Management Board, Chandigarh, Sundernagar and Talwara; Centre for Material for Electronics Technology, Pune; Institute of Rain Moist Deciduous Forest Research, Jorhat,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Centre Wool Development Board, Jodhpur; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya) and Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon.

6.8 In response to the other Circular letter No. F. 16-3/98-RM dated 9th March, 1998 which was issued to the Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings seeking information, in particular about the action taken by them on recording, reviewing and weeding out of semi-current records, the following 4 Public Sector Undertakings have informed that they are sending their reports. These are :- Government of India Tourist Office, Varanasi; Cochin Dock Labour Board Cochin; Marmugao Port Trust, Goa and Regional Records Centre for Military Airworthiness, Hyderabad.

6.9 The following 6 Public Sector Undertakings have sent NIL reports:- Central Institute of Plastic Engineering and Technology, Chennai; Government of India Tourist Office, Jaipur; Paradip Port Trust, Paradip; Central Power Research Institute, Bangalore; North. Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati. Technical Teachers Training Institute, Bhopal and Indian Institute of Management, Bangalore have informed that the circular is not applicable to them. Air India, Mumbai has sought spot guidance in the matter.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of an organisation depends upon the submission of information to the decision making authorities on time and as per requirement which can only be done if the information is culled out from amongst records quickly. Easy and quick retrieval of information from records requires good reference media. Compilation of annual departmental indices for 'A', 'B' and 'C-10' category of records will go a long way in facilitating this job. National Archives of India requested all the records creating agencies vide its Circular Nos. 16-12/98-RM and 16-12/99-RM dated 24th August, 1998 and 9th April, 1999 respectively to furnish information on the action taken by them in this regard. No appreciative response has been received from the Ministries/Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings on this work.

7.1 The following 21 records creating agencies have sent information as under:-

Ministry of Home Affairs has informed that Annual Indices have been prepared upto 1973 whereas the Ministry of Information and Broadcasting has conveyed that as functional filing system is in vogue, need for compiling indices is not felt. Ministry of Railways has requested that a team of officials from National Archives of India may be deputed to advise and guide them in preparing annual indices. Department of Education have intimated that relevant instructions are being issued to prepare indices. Central Translation Bureau and Director General, National Security Guard both in New Delhi have communicated that work is in progress. Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta has stated that Index File Register on obligatory items is being maintained. Madras Dock Labour Board, Chennai has informed that annual indices are being compiled as per classification R-Dis, D-Dis and department wise. Forward Markets Commission, Mumbai has stated that this work is being done on the recommendation of National Archives of India team after their spot stuDeputy Proof and Experimental Establishment, Balasore has informed that work is in hand. Income Tax Department Bangalore, has intimated that this job has been done alphabetically and office wise whereas Pioneer Corps, Bangalore, Regional Office (Central Region) of Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Chief Construction Engineer (R&D, Ministry of Defence) Secunderabad; Passport Office, Goa and Currency Note Press, Nashik reported to have taken up the job. Joint Director General, Foreign Trade, Cuttack has pointed out that annual indices will be prepared after officers and staff have been trained by National Archives of India. Central Drugs Standard Control Organisation, Cochin has said that this job will be taken up shortly. Whereas Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Bangalore has apprised that theirs being a newly created office question does not arise. Deputy Director General Foreign

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

18—124 Archives/2001

Trade, Shillong has stated that they are preparing annual indices as per Headquarters' instructions. North East Police Academy, Umsaw, Umiam (Meghalaya) has requested for guidelines on preparing the annual indices.

7.2 The following 125 Ministries/Departments/Offices have sent NIL reports: Ministries of Defence, Environment and Forests, Labour, Parliamentary Affairs, Surface Transport and Water Resources, Departments of Agricultural Research and Education, Coal, Legal Affairs and Legislative Department, Culture, Ocean Development, Public Distribution, Supply and Women and Child Development, Directorate of Marketing and Inspection, Director General of Civil Aviation, Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation and Tourism), Controller General of Defence Accounts, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Director General, Supplies and Transport (QMG Branch), Additional Directorate General of Army Postal Services, Army Purchase Organisation, Director General of Quality Assurances Technical Coord, Air Headquarters (Co-ordination Branch), Director General of Central Reserve Police Force, Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), Institute of Secretariat Training and Management, Directorate of Advertisement and Visual Publicity, Principal Accounts Office (Ministry of Information and Broadcasting), Planning Commission, National Sample Survey Organisation, Computer Centre (Ministry of Planning), Central Electricity Authority, Director General of Supplies and Disposals, Directorate of Preventive Operations (Customs and Central Excise), Inter State Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), Intelligence Bureau, Prasar Bharati (AIR), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and President's Secretariat all in New Delhi; BCG Vaccination, Laboratory, Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Integral Coach Factory, Office of the Commissioner of Central Excise and Coaching Cum-Guidance Centre for SC/ST, all in Chennai; Central Government Health Scheme, Commissioner of Central Excise, Mumbai-III-Commissionerate, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Custodian of Enemy Property, Advanced Training Institute of Ministry of Labour and Regional Evaluation Office (Ministry of Planning) all in Mumbai; Save Grain Campaign Office, Commissioner of Central Excise and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Ahmedabad; Central Government Health Scheme, Labour Welfare Commissioner and Official Liquidator High Court, all in Allahabad; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Electronics and Radar Development Establishment and Central Government Health Scheme all in Bangalore; Commissioner of Central Excise Headquarter and also Division Office, Balgaum; Assistant Commissioner, Central Excise and Customs, Bellary; Save Grain Campaign Regional Office and Passport Office, both in Bhopal; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Post Master General (Orissa Circle) both in Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory and Regional Office (Northern Region) of Ministry of Environment and Forest

MEDIA ARCHIVES OF INDIA

both in Chandigarh; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise Coimbatore; Cochin Dock Labour Board, Naval Psychological Research Unit, Official Liquidator High Court of Kerala, Port Health Organisation and Directorate of Marketing and Inspection all in Cochin; Surveyor General's Office, Dehradun; Director General of Mines, Dhanbad; Assistant Commissioner of Central Excise, Dharwar; Regional Directorship of Apprenticeship Training, Faridabad; Southern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne; Joint Director General, Foreign Trade and Brahmaputra Board, both in Guwahati; Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Guntur; Office of the Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Save Grain Campaign Office, Nuclear Fuel Complex, Quality Control Cell (Ministry of Food and Civil Supplies), Security Printing Press, Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad I Commissionerate and Registrar of Companies, Andhra Pradesh, all in Hyderabad; Assistant Commissioner Central Excise, Hubli; Prasar Bharati (AIR) Itanagar; Regional Vocational Training Institute for Women, Indore; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Prasar Bharati (AIR) both in Jaipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya); Central Government Health Scheme, Jabalpur; Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritelaiya); Registrar of Companies and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Kanpur; Prasar Bharati (AIR) Karwar and Madikeri; National Academy of Administration, Musoorie; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Postal Training Centre, Commissioner of Central Excise and Customs, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Model Vital Statistics Unit, all in Nagpur; Passport Office, Patna; Assistant Commissioner of Central Excise, Central Public Work Department (Central Circle) and Regional Centre for Military Airworthiness, all in Pune; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Commissionerate of Customs and Central Excise, Raipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi; College of Defence Management and Chief Construction Engineer (Research and Development, Ministry of Defence) both in Secunderabad; Regional Office (North East Zone) Ministry of Environment and Forests and Director General of Foreign Trade both in Shillong; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) and Programme Evaluation Organisation, both in Shimla; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Regional Centre for Airworthiness, Sultanpur; Prasar Bharati (AIR) Thiruvananthapuram; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam and Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara.

7.3 So far as the Public Sector Undertakings/ Corporations/ Committees are concerned 74 have responded to the circular letter of this Department Out of which only 9 have replied that they are attending this work. 5 have communicated that it is not applicable to them. 56 have furnished NIL report, 2 are following their own procedure whereas 2 have sent vague replies.

7.4 The following 9 Organisations as stated above are attending to the work of Indexing of records: Central Warehousing Corporation and Hindustan

PREFAB Ltd., both in New Delhi; Export Credit Guarantee Corporation of India and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., both in Mumbai; Bose Institute Calcutta; National Institute of Hydrology, Roorkee; Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh and Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Noida.

7.5 The following 4 undertakings etc. have informed that Indexing is not applicable to them. Nehru Yuvak Kendra Sangathan and Petroleum Conservation Research Association both in New Delhi; Neyveli Lignite Corporation, Chennai and Institute of Rain Moist Deciduous Forest Research, Jorhat.

7.6 The 2 Institutions which are following their own procedure are Cashew Export Promotion Council of India; Cochin and British Corporation of India, Kanpur. Bharat Dynamics Ltd:, Hyderabad and Hindustan Newsprint, Kottayam (Kerala) have given vague information in this regard.

7.7 Below mentioned agencies have forwarded the reports as NIL:-

National Schedule Castes and Schedule Tribes Finance and Development Corporation, Indian National Academy of Engineering, National Building Construction Corporation Ltd., Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., Airport Authority of India, Indira Gandhi National Open University and National Textile Corporation Ltd., all in New Delhi; Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths, Hotel Corporation of India, Metropolitan Transport Project (Railways) and Indian Institute of Geomagnetism all in Mumbai; Damodar Valley Corporation, Satyandra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Indian Association for the Cultivation of Science, Tyre Corporation of India and Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd., all in Calcutta; Coconut Development Board, Cochin Shipyard Ltd., Cochin; Indian Plywood Industries Research Training Institute, HMT, Indian Academy of Science and Raman Research Institute all in Bangalore; Indian Association for Cultivation of Science, Jadavpur; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon; Wadia Institute of Himalayan Geology, The Wild Life Institute of India, Advance Training Institute for Electronics and Process Instrumentation and The National Institute for Visually Handicapped, all in Dehradun; State Forest Service College, Coimbatore; Andaman Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair; Centre for Materials for Electronics Technology, Indian Institute and Tropical Meteorology and National Film Archive, all in Pune; Bhakra Beas Management Board, Talwara, Sundernagar and Chandigarh; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee and Indian Petrochemicals Corporation Ltd., both in Vadodara; North Eastern Electrical Power Corporation Ltd., Shillong; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and International Advanced Research Centre for Powder

ARCHIVES OF INDIA

Metallurgy and New Materials both in Hyderabad; Visakhpatnam Port Trust and Dredging Corporation of India Ltd. both in Visakhapatnam; Broadcasting Corporation, Pondicherry, Panaji (Goa); Imphal, Chandigarh, Chennai and Bhopal; Regional Remote Sensing Centre, Kharagpur; Central Wool Development Board, Jodhpur; Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Ganga Flood Water Commission, Patna and National Fertilizers Ltd., Noida.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

Tremendous growth of records by all concerned records creating agencies demands that there should be a reasonable ratio between creation and destruction of records. If quantum of records is kept within manageable limits it will obviate additional requirements of funds, space and manpower that is needed to preserve them scientifically. The basic tool by which this gigantic conundrum can be solved is the compilation of Retention Schedules for substantive functions by the records creating agencies which lays down a uniform retention period for groups of records according to their utility. Further, re-allocation of functions due to administrative convenience also necessitates the revision of retention schedule after every five years in consultation with National Archives of India so as to include new subject heads/groups and provide them adequate retention periods. Section 6 (1) (e) of the Public Records Act lays down that such retention schedule should be compiled in consultation with National Archives of India. Keeping this in view, the National Archives of India issued Circular letters No. 16-12/98-R.M and 16-12/99-RM dated 24th August, 1998 and 9th April, 1999 respectively soliciting information on the subject from all concerned agencies. Information received in this respect is summarised below:-

8.1 26 Offices have informed that they have compiled Retention Schedules. These are:- Ministries of Environment and Forests, Defence, Information and Broadcasting, Home Affairs, Labour, Parliamentary Affairs, Railways, Surface Transport and Water Resources, Departments of Coal, Legal Affairs and Legislative Department, Public Distribution Planning Commission, Central Electricity Authority, National Sample Survey Organisation, Directorate of Advertisement and Visual Publicity, Northern Zonal Secretariat (Ministry of Home Affairs) and Director General of Supplies and Disposals all in New Delhi; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Chennai; Forward Markets Commission, Central Board of Film Certification and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Surveyor General's Office, Dehradun; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad and Chief Construction Engineer (Research and Development), Secunderabad.

8.2 Under mentioned 23 Offices have stated that this is not applicable to them: Prasar Bharati (AIR), Director General Quality Assurance (Tech Coord); Institute of Secretariat Training and Management and Air Headquarters all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Calcutta; Regional Evaluation Office, Mumbai; Save Grain Campaign Regional Office, Ahmedabad; Passport Office, Bhopal; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Bellary; Regional Office, (Ministry of Non-Convention al Energy Sources), Bhubaneswar; Pioneer Corps, Bangalore; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Dharwar; Assistant Commissioner of Central Excise and

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Customs, Hubli; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Save Grain Campaign Regional Office both in Hyderabad; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur; Prasar Bharati (AIR) Madikeri; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi; College of Defence Management, Secunderabad; Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla; Prasar Bharati (AIR) Thiruvananthapuram and Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara.

8.3 The following 58 Offices have sent NIL reports:- Departments of Culture, Agricultural Research and Education, Director General Civil Aviation (Technical Centre), Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation and Tourism), Army Purchase Organisation, Controller General of Defence Accounts, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Additional Directorate General of Army Postal Services, Central Translation Bureau, Directorate of Preventive Operations Customs and Central Excise and President's Secretariat all in New Delhi; Chief Post Master General (West Bengal Circle), Falta Export Processing Zone, Development Commissioner for Iron and Steel, Central food Laboratory, Defence Research and Development Unit and Industrial Statistics Wing (Central Statistical Organisation) all in Calcutta; Commissioner of Central Excise, Chennai; Custodian of Enemy Properties and Commissioner of Central Excise, both in Mumbai; Central Government Health Scheme, Allahabad; Commissioner of Central Excise and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Ahmedabad; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs Division, Belgaum; Prasar Bharati (AIR) Bhopal; Proof and Experimental Establishment, Balasore; Director General of Foreign Trade, Cuttack; Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore; Passport Office, Goa; Assistant Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Commissioner of Central Excise, Guntur; Commissioner of Central Excise, Hyderabad I Commissionerate, Security Press, Save Grain Campaign Office and Quality Control Cell (Department of Food and Civil Supplies) all in Hyderabad; Prasar Bharati (AIR), Itanagar; Regional Vocational Training Institute for Women, Indore; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Prasar Bharati (AIR) both in Jaipur; Cochin Dock Labour Board, Kochi; Registrar of Companies, Kanpur; Prasar Bharati (AIR), Karwar; Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritelaiya); Port Health Organisation, Mandapam Camp; Postal Training Centre, Madurai; Commissioner of Central Excise and Customs and Model Vital Health Statistics Unit both in Nagpur; C.P.W.D, Pune; Commissioner of Customs and Central Excise, Raipur; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; North East (Regional Office) (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Programme Evaluation Office and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) both in Shimla and Postal Training Centre, Vadodara.

8.4 Vague replies have been given by the following 8 Offices:- Accounts Office

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(Ministry of Information and Broadcasting) and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in, New Delhi; Integral Coach Factory, Chennai; Programme Evaluation Office, Ahmedabad; Naval Psychological Research Unit, Kochi; Regional Centre for Military Airworthiness, Pune; Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur and Directorate of Marketing and Inspection, Nashik.

8.5 The following offices have informed that they are following the instructions issued by their Head Office:- Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong; Save Grain Campaign Office, Bhopal; Passport Office, Patna; Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam; Branch Secretariat (Department of Legal Affiars and Legislative Department) Bangalore; Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai.

8.6 The other replies received in this respect are summarised below:-

Central Drugs Standard Control Organisation, Kochi has informed that Retention Schedule would be compiled at the earliest. Official Liquidator High Court, Allahabad has informed that orders of High Court are required as the records of the Companies in liquidation belong to the High Court. Similarly, Official Liquidator High Court of Kerala, Kochi has stated that all the records are to be preserved till the dissolution of companies. Deputy Director General of Foreign Trade, Guwahati has conveyed that question does not arise as it is a subordinate office. Directorate General Central Reserve Police Force, New Delhi; Income Tax Department and Chief Labour Commissioner (Central) both in Bangalore have informed that as far as possible, work of retention of records is being carried out as per schedule. Advanced Training Institute, Mumbai has stated that action is being taken as per rules. Central Government Health Scheme, Mumbai has provided information that it will not be possible for them to compile Retention Schedule due to shortage of staff. Currency Note Press, Nashik and Regional Office (Central Region) of Ministry of Environment and Forests, Lucknow both have sought clarification/Guidance in this regard. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne has furnished the information indicating that it has not yet framed its Records Retention Schedule. Vocational Rehabilitation, Centre for Handicapped, Kanpur has furnished a vague reply by stating that one post of records keeper may be created to furnish reports from time to time. Similarly, Registrar of Companies, Kanpur has stated that this is not required in their case.

Madras Dock Labour Board, Chennai has indicated that they are following procedures as detailed in Tottenham system. Department of Ocean Development, New Delhi and Central Water and Power Station, Pune both have intimated that action is being taken as per the records retention schedule. Department of Women and Child Development, Computer Centre

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(Ministry of Planning) and Director General, National Security Guard all in New Delhi and National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad have informed that procedure as stipulated in General Financial Rules is being followed by them.

B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai; Zonal Council Secretariat, New Delhi and North East Police Academy Umsaw, Umiam (Meghalaya) have conveyed that they are following Manual of Office Procedure and General Financial Rules.

National Academy of Administration, Mussoorie has apprised that work will be taken up during winter season when there is no training programme. Directorate of Marketing and Inspection, New Delhi has informed that they have yet to decide the course of action in this regard. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai has intimated that as their establishment has not completed 5-year period, the need of compilation of retention schedule has not arisen. Northern Zonal Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi has stated that their existing retention schedule still holds good and no revision is required.

8.7 Regional Office (Northern Region) of Ministry of Environment and Forests, Chandigarh, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Calcutta; Labour Welfare Commissioner, Allahabad; Brahmaputra Board, Guwahati, Director General of Mines Safety, Dhanbad have informed that they propose to compile Retention Schedule in consultation with National Archives of India in future.

8.8 Assistant Commissioner of Central Excise, Pune and Commissioner of Central Excise, Belgaum Headquarter, both have stated that they are following their own Manuals.

8.9 As regards Public Sector Undertakings, 77 undertakings have furnished information in this regard. 9 have informed that they have prepared Retention Schedule of Records, 1 does not feel it necessary, 2 have reported that it is under compilation, 4 are following their own schedule, 7 have sent vague information, 1 will be compiling after receiving guidance from National Archives of India, 6 have yet to start the work and 46 have sent 'NIL' information.

8.10 9 Public Sector Undertakings who have compiled the schedule are:- Prasar Bharati, New Delhi; Madras Fertilizers Ltd., Chennai; Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh; National Film Archive, Pune; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara and Central Board for Workers Education, Nagpur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

8.11 Indian Association for Cultivation of Science, Calcutta does not feel it necessary.

8.12 Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Bose Institute, both in Calcutta have informed that the retention schedule is under compilation.

8.13 Central Warehousing Corporation, New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam (Kerala) and Dredging Corporation of India Ltd., Vishakhapatnam are following their own manual.

8.14 Neyveli Lignite Corporation Ltd., Chennai has requested for guidance from National Archives of India.

8.15 Nehru Yuvak Kendra Sangathan, New Delhi; Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai; Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd., Calcutta, Wadia Institute of Himalayan Geology and National Institute for Visually Handicapped both in Dehradun, Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya) and Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research, Jorhat have sent vague replies.

8.16 The following 6 Public Sector Undertakings have informed that they have yet to start the compilation of records retention schedule. These are:- Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., and National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation both in New Delhi; Export Credit Guarantee Corporation of India, Mumbai; Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad; State forest College, Coimbatore and Ganga Flood Water Commission, Patna.

8.17 The following 46 Public Sector Undertakings have sent NIL reports: Airport Authority of India, Indian National Academy of Engineering, Hindustan PREFAB Ltd., National Building Construction Corporation, Indira Gandhi National Open University and National Textile Corporation Ltd., all in New Delhi; Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Noida; Hotel Corporation India; Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths Ltd and The Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; Damodar Valley Corporation, Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Tyre Corporation of India and Indian Association for the Cultivation of Science, all in Calcutta; Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Raman Research Institute, Central Power Research Institute and HMT Ltd., all in Bangalore; Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur; Coconut Development Board, Cashew Export Promotion Council of India and Cochin Shipyard all in Kochi; Centre for Materials for Electronics Technology and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune; The Wild Life Institute of India and Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation both in Dehradun; Andaman and Nicobar Island

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Forest and Plantation Development Corporation Ltd. Port Blair; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, both in Hyderabad; National Institute or Hydrology, Roorkee; North Eastern Electrical Power Corporation, Ltd., Shillong, British Indian Corporation Ltd., Kanpur; The Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Central Wool Development Board, Jodhpur; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; Bhakhra Beas Management Board, Chandigarh, Talwara and Sundernagar; Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon and Prasar Bharati, Pondicherry, Panaji, Imphal, Chandigarh, Chennai and Bhopal.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

The advent of the information age and its connected technologies call for changes in the field of information security, upgrading or uncalled for security, classification will cause embarrassment to the Government in its functioning. Every precaution is, therefore, to be taken while giving security classification to the files and it is also to be taken into account that such files should not remain classified for a period longer than required. However, in the interest of the functioning of the Department, a periodical review and their down-gradation is essential. Section 6 (1) (f) of the Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997 provide elaborate procedure for de-classification downgrading the classified records. Emphasising the need for undertaking the de-classification of classified records and also seeking information on the action taken by them, two Circular letters No. 16-12/98-RM dated 24th August, 1998 and 16-12/99 dated 9th April, 1999 were issued in connection with compiling annual report of the Director General of Archives. Besides, two more circular letters No.16-4/98-RM dated 9th March, 1998 and 16-4/99-RM dated 23rd March, 1999, were also issued to all the organisations seeking Half Yearly returns as required under Sub-rule (5) of Rule 7 of the Public Records Rules, 1997. The replies received in this regard are detailed hereunder:

A list of Organisations who have furnished Half-Yearly returns may be seen in Annexure VII of the report. In all 83 records creating agencies have responded to the Circular letters and given replies in different ways. Broad grouping have been made by dividing the information as follows:

9.1 The following 38 records creating agencies have informed that they are attending to the job of periodical De-classification of classified records:- Ministries of Information and Broadcasting, Railways, Surface Transport, Water Resources, Home Affairs, Department of Legal Affairs and Legislative Department, Department of Ocean Development, Planning Commission, Central Electricity Authority, Directorate of Marketing and Inspection, Additional Director General Remount and Veterinary Branch, Central Translation Bureau and Centre for Environment and Explosive Safety (CEES) all in New Delhi; Development Commissioner for Iron and Steel and Regional Labour Commissioner (Central) both in Calcutta; Directorate of Cotton Development, Forward Markets Commission, Central Board of film Certification and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimili Tura (Meghalaya), Labour Welfare Commissioner, Allahabad; Commissioner of Central Excise, Balgaum Headquarter; Income Tax Department and Electronics and Radar Development Establishment both in Bangalore; Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar; Proof and Experimental Establishment, Balasore; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack;

Regional Evaluation Office and Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad II Commissionerate both in Hyderabad; Passport Office, Goa; Prasar Bharati (AIR) and Salt Commissioner, both in Jaipur; Central Water and Power Station, Pune; Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Chief Construction Engineer (Research and Development, Ministry of Defence), Secunderabad; Regional Office (North Eastern Region), Ministry of Environment and Forests, Shillong and Prasar Bharati (AIR), Thiruvananthapuram.

9.2 6 offices which have given vague replies are: Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi; Integral Coach Factory, Chennai; Programme Evaluation Office, Ahmedabad; Directorate of Marketing and Inspection, Nagpur and Nashik and Regional Centre for Airworthiness, Pune.

9.3 There are 3 Offices which have reported that they are working in consonance with instructions issued by their Headquarters: Directorate General foreign Trade, Calcutta; Directorate General, Supplies and Transport (Quarter Master General Branch), New Delhi and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

9.4 16 offices which have indicated that this is not applicable to them are: Controller General of Defence Accounts, and Prasar Bharati (AIR), both in New Delhi; Regional Evaluation Office, Mumbai; Save Grain Campaign (Regional Office), Ahmedabad; Passport Office, Bhopal; Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad; Directorate of Marketing and Inspection and Dock Labour Board both in Kochi; Registrar of Companies Andhra Pradesh, Hyderabad; Passport Office, Patna; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi; Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shimla; College of Defence Management , Secunderabad; Deputy Director General Foreign Trade, Shillong and North East Police Academy, Umsaw, Umiam,(Meghalaya).

9.5 The following 17 offices have informed that they do not have classified files: Ministry of Parliamentary Affairs, Department of Supply, Director General of Supplies and Disposals, Computer Centre (Ministry of Planning), Inter-State Council Secretariat, Zonal Council Secretariat and Director General Central Reserve Police Force, all in New, Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai; Official Liquidator, High Court, Allahabad; Branch Secretariat (Department of Legal Affairs and Legislative Department, Bangalore; Joint Director General Foreign Trade, Cuttack; Postal Training Centre, Madurai; Currency Note Press, Nashik; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Prasar Bharati (AIR), Madikeri; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur and National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad.

The other replies are summarised hereunder:-

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

9.6 Official Liquidator High Court of Kerala, Kochi has stated that records are to be preserved till the dissolution of companies and thereafter for another period of five years. Ministry of Labour, New, Delhi. Director General of Mines Safety, Dhanbad and Central Government Health Scheme, Mumbai have stated that this work could not be taken up due to shortage of staff. Director General, National Security Guard, New Delhi has informed that information is being gathered and the report will be submitted shortly. Cochin Dock Labour Board, Kochi has stated that action is being taken to classify files as record officer has recently been posted. Govt Medical Store Depot, Calcutta has stated that this job could not be taken up as trained officials are not available to review classified records. Defence Research and Development Unit, Calcutta has stated that this job is not being done as it is a small liaison unit. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has stated that once a classified film is produced by the Division for Armed forces it cannot be declassified as it does not loose its importance of classification. Pioneer Corps, Bangalore has informed that records are declassified wherever applicable. Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai has stated that since no guidelines have been issued this job has not been taken up. Regional Office (North East Zone), Chandigarh; Regional Office of Ministry of Environment and Forests, Lucknow and Central Drugs Standard Control Organisation, Kochi have stated that they require guidelines from National Archives of India. Prasar Bharati (AIR), Karwar has stated that this job has not been done as station was commissioned recently. Prasar Bharati (AIR), Bhopal has stated that this job could not be done due to non-availability of Record Keeper. Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritelaiya) has stated that since a Record Officer has been nominated recently, steps would be taken in this regard. Madras Dock Labour Board, Chennai has stated that they are doing the job as per Tottenham system. National Academy of Administration, Mussoorie has stated that this job will be taken up during winter months when there is no training programme. Surveyor General's Office, Dehradun has stated that Survey of India's technical records are of permanent nature and therefore, not required to be de-classified. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne has stated that this job has not been done as most of the records are of 'C' Category. Director General, Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, has stated that no such endeavour has been made to identify classified records. Ministry of Environment and Forests and Department of Education both in New Delhi have stated that Circular has been issued to all concerned sections in this regard. President's Secretariat, New Delhi has stated that information is being collected in this regard.

9.7 The following 97 offices have sent NIL report. Departments of Industrial Policy and Promotion, Small Scale Industries and Agro, Rural Industries, Administrative Reforms and Public Grievances, Culture, Women and Child

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Development, Chemicals and Petrochemicals, Directorate of Extension (Ministry of Agriculture), Office of the Joint Secretary (Training) and CAO, Army Purchase Organisation, School of Foreign Languages, Director General Health Services, Lady Reading Health School, Kalawati Saran Children's Hospital, Central Bureau of Investigation, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Directorate of Advertisement and Visual Publicity, National Sample Survey Organisation, Bureau of Civil Aviation Security, Directorate of Preventive Operations (Customs and Central Excise), Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation and Tourism) Air Headquarters, Additional Directorate General Army Postal Services, Director, General Quality Assurance (Tech Coord) and Institute of Secretariat Training and Management, all in New Delhi; Chief Post Master General (West Bengal Circle), Central Food Laboratory, Industrial Statistical Wing (Central Statistical Organisation) and Mobile Civil Emergency Force all in Calcutta; Commissioner of Central Excise, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and B.C.G. Vaccine Laboratory, all in Chennai; Custodian of Enemy Property, Advanced Training Institute, Commissionerate of Central Excise Mumbai II Commissionerate, Assistant Drugs Controller and Central Drugs Testing Laboratory, all in Mumbai; Central Government Health Scheme and Deputy Commissioner of Welfare, both in Allahabad; Commissioner of Central Excise and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Ahmedabad; Chief General Manager, Haryana Telecom Circle, Ambala; Regional Labour Commissioner, Asansol; Govt of India Tourist Office, Electronics and Radar Development Establishment, Regional Office Southern Region (Ministry of Environment and Forests), Deputy Conservator of Forests Regional Office, Central Institute for Coastal Engineering for Fishery, Central Government Health Scheme and Chief Labour Commissioner, all in Bangalore; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar, Save Grain Campaign Office, Bhopal; Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary; Assistant Commissioner of Central Excise, Belgaum Division) Belgaum; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) both in Chandigarh; Post Master General and Commissioner of Central Excise and Customs both in Coimbatore; Joint Director General Foreign Trade, Cuttack; Central Drugs Control Organisation, Ghaziabad; Commissioner of Central Excise, Guntur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar; Security Printing Press, Save Grain Campaign Regional Office and Nuclear Fuel Complex, Quality Control Cell (Food and Civil Supplies), all in Hyderabad; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Dharwar; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli; Assistant Commissioner of Central Excise Division, Gulbarga; Centre for Advanced Technology and Regional Vocational Training Institute for Women, both in Indore; Prasar Bharati (AIR) Itanagar; Government of India Tourist Office and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, both in Jaipur, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya); Registrar of Companies, U.P. and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Kanpur, Coaching-cum-

INDIAN ARCHIVES ONLINE

Guidance Centre for SC/ST Kothgudem; Official Liquidator, High Court, Directorate of Marketing end Inspection and Defence Institute of Psychological Research, Naval Psychological Research Unit (NPRU) all in Kochi; Government Medical Store Depot, Karnal; Commissioner of Central Excise, Madurai; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Model Vital Health Statistics Unit, Nagpur; Assistant Commissioner of Central Excise, Film and Television Institute of India and Central Public Works Department (Pune Central Circle) all in Pune; Commissioner of Customs and Central Excise, Rajkot; Regional Office (North East Zone), (Ministry of Environment and Forests) Shillong; Programme Evaluation Organisation and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) both in Shimla; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Postal Training Centre and Rehabilitation for Handicapped both in Vadodara.

9.8 The information received from the Public Sector Undertakings in response to these Circulars can be analysed in the following manner:- In all 89 Public Sector Undertakings have furnished information. 8 have informed that they are doing the de-classification of classified files, 2 have replied that they are following their own policy, 20 have replied that it is not applicable to them, 11 have supplied vague information whereas 29 have forwarded NIL information.

9.9 The Public Sector Undertakings who have informed that they are having classified files and intend to downgrade them are:- Central Warehousing Corporation, New Delhi; Cochin Dock Labour, Kochi; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; H.M.T. International, Bangalore; Technical Teachers Training Institute, Chandigarh and Prasar Bharati, Patna, Chennai and Delhi; Madras Fertilizers Ltd. and Madras Port Trust both in Chennai have informed that they are following their own procedure.

9.10 The other category who feel that it is not applicable to them are: Airport Authority of India, Indian National Academy of Engineers, Hindustan PREFAB, Ltd., National Building Construction Corporation, Indira Gandhi National Open University and the Petroleum Conservation Research Association all in New Delhi; Export Credit Guarantee Corporation of India, Atomic Energy Regulatory Board and Indian Rare Earths Ltd. all in Mumbai; Bose Institute Calcutta; Regional Remote Sensing Centre, Kharagpur; Central Research Test Laboratory, Bangalore; Hindustan News Print Ltd., Kottayam; Coconut Development Board, Cochin Shipyard Ltd. India and the Cashew Export Promotion Council of India all in Kochi; Prasar Bharati, Pondicherry, Imphal, Chandigarh and Bhopal; Indian Petrochemical Corporation Ltd. Vadodara and Ahmedabad, Textile Industry Research Association, Ahmedabad; Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; The British India Corporation Ltd. , Kanpur; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune and Sardar Vallabhbhai

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Patel National Police Academy, Hyderabad.

9.11 The Organisations who have supplied vague information are:. Nehru Yuva Kendra Sangthan, New Delhi has informed that they have recently appointed a Departmental Records Officer who will be attending the job whereas Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., New Delhi is still distinguishing these records as classified. National Scheduled Castes and. Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi has informed that classification of records is yet to be finalised by them. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Noida and Neyveli Lignite Corporation Ltd., Chennai both have informed that they have records of classified nature but no number is given, whereas Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai says that no de-classification is carried out but the records are kept as per Company Act. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai informs that their office is only 13 years old hence NIL report is sent. Damodar Valley Corporation, Calcutta is considering to de-classify their records. Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Indian Plywood Industries Research Training Institute both in Bangalore require training from National Archives of India to de-classify their records. Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad is organising its Records Room and further details will be made available on completion of Records Room. Similar type of vague replies have been received from Balmer and Lawrie, Calcutta; Andaman Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair; Institute of Rain Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; State Forest College, Coimbatore; National Institute of Hydrology, Roorkee; Indian Association of Cultivation of Science, Jadavpur; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; National Academy of Science, Allahabad and Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai.

9.12 The other category of Public Sector Undertakings who have sent NIL replies are: Energy Management Centre, National Book Trust of India, Prasar Bharati, National Textile Corporation Ltd. all in New Delhi; Hotel Corporation of India, Hindustan Petroleum Corporation Ltd., The Metropolitan Transport Project (Railways), Indian Institute of Geomagnetism, all in Mumbai; National Textile Corporation Ltd., Metro Railway, Falta Export Processing Zone, Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd., Tyre Corporation of India all in Calcutta; Eastern Coal Fields Ltd., Burdwan; Central Research and Testing Laboratory, Indian Academy of Science and Raman Research Institute all in Bangalore; The National Institute of Visually Handicapped and Wadia Institute of Himalayan Geology both in Dehradun; Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar; Aerial Delivery Research and Development Establishment Agra; Central Board for Workers Education, Nagpur; Central Wool Development Board, Jodhpur; Ganga Flood Water Commission, Patna; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; Bhakhra Beas Management Board, Talwara and Sundernagar; Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon and Paradip Port Trust, Paradip.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES

Records created by Commissions/Committees constituted by Government of India from time to time are of great historical and administrative importance as specific information contained in these records will not be available anywhere else. Such information becomes indispensable while attempting to write the history of specific areas like financial, judicial, administrative structure of Government Ministries, State Central Government relations etc. Accordingly, information was sought from all the organisations coming under the purview of Public Records Act, 1993. As required under Section 3 (2) (n) of the Act, a separate Circular 16-6/98-RM dated 23rd December, 1998 was also issued to different records creating agencies seeking information about records of defunct Committees/Commissions under their administrative control, so as to take over the records of such bodies in the National Archives of India or its Records Centres in different Zones for their permanent preservation. In all, 207 Ministries, Departments, Public Sector Undertakings etc. have furnished information in this regard. The detailed analysis of the information is given below.

10.1 Ministry of Home Affairs, New Delhi has stated that the records are required for reference purposes. Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta has informed that records of defunct bodies were destroyed after review by Competent Authority.

10.2 The following 135 Offices have given NIL report: Ministries of Defence, Information and Broadcasting, Environment and Forests, Labour, Parliamentary Affairs, Railways, Surface Transport and Water Resources and Department of Agriculture and Cooperation, Coal, Culture, Education, Legal Affairs and Legislative Department, Ocean Development, Public Distribution, Supply and Women and Child Development and Directorate of Marketing and Inspection, Director General of Civil Aviation, Office of the Controller General of Defence Accounts, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Director General of Supplies and Transport (Quarter Master General Branch), Office of the Principal Accounts Officer (Ministry of Civil Aviation and Tourism), Additional Directorate General of Army Postal Service, Army Purchase Organisation, Director General Quality Assurance (Ministry of Defence, Tech Coord), Air Headquarters (Coordinate Branch), Central Translation Bureau, Director General, Central Reserve Police Force, Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), Director General, National Security Guard, Institute of Secretariat Training and Management; Directorate of Advertisement and Visual Publicity, Principal Accounts Office (Ministry of Information and Broadcasting), Planning Commission, National Sample Survey Organisation, Computer Centre, (Ministry of Planning), Central Electricity Authority, Director General of Supplies and Disposals, Directorate of Preventive Operations Customs and Central Excise, Inter State Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), Intelligence Bureau, Prasar

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Bharati (AIR), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and President's Secretariat all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Central Food Laboratory, Jute Commissioner, Government Medical Store Depot, Defence Research and Development Unit, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Industrial Statistics Wing (Central Statistical Organisation), Deputy Director General, Foreign Trade, Director General Commercial Intelligence and Statistics, Falta Export Processing Zone, Chief Post Master General (West Bengal Circle) all in Calcutta; BCG Vaccination Laboratory, Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Integral Coach Factory, Office of the Commissioner of Central Excise, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Madras Dock Labour Board all in Chennai; Forward Markets Commission, Central Government Health Scheme, Commissioner of Central Excise, Mumbai III, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Custodian of Enemy Property, Advance Training Institute (Ministry of Labour) and Regional Evaluation Office (Ministry of Planning) all in Mumbai; Save Grain Campaign Office, Commissioner of Central Excise and Vocational Rehabil1tatlon Centre for Handicapped all in Ahmedabad, Central Government Health Scheme, Labour Welfare Commissioner and Official Liquidator High Court all in Allahabad; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Electronics and Radar Development Establishment, Pioneer Corps, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Income Tax Department, Central Government Health Scheme and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Proof and Experimental Establishment, Balasore; Joint Director General Foreign Trade and Brahmaputra Board both in Guwahati; Commissioner of Central Excise and Customs, Guntur; Passport Office, Goa; Office of Assistant Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Save Grain Campaign Office, Nuclear Fuel Complex, Commissionerate of Customs and Central Excise, Hyderabad I Commissionerate, Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Quality Control Cell (Ministry of Food and Civil Supplies) and Security Printing Press all in Hyderabad; Assistant Commissioner Central Excise, Hubli; Prasar Bharati (AIR), Itanagar; Regional Vocational Training Institute for Women, Indore; Prasar Bharati (AIR) and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Jaipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST Jowai (Meghalaya); Central Government Health Scheme, Jabalpur; Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritelaiya); Registrar of Companies and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Kanpur; Prasar Bharati (AIR), Karwar; Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Prasar Bharati (AIR), Madikeri; National Academy of Administration, Mussoorie; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Postal Training Centre and Commissioner of Central Excise both in Madurai; Commissioner of Central Excise and Customs, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Model Vital Statistics Unit all in Nagpur; Currency Note Press, Nashik; Passport Office, Patna; Assistant Commissioner of Central Excise, Central Public Works Department (Pune Central Circle) and

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Regional Centre for Military Airworthiness both in Pune; Customs and Central Excise Commissionerate, Rajkot; Commissioner of Customs and Central Excise, Raipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi; College of Defence Management and Chief Construction Engineer R&D both in Secunderabad, Regional Office North East Zone, Ministry of Environment and Forests and Director General of Foreign Trade both in Shillong; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Regional Office (Ministry of Health and Family, Welfare) and Programme Evaluation Organisation both in Shimla; Regional Centre for Airworthiness, Sultanpur; Prasar Bharati (AIR), Thiruvananthapuram; North Eastern Police Academy Umsaw, Umiam (Meghalaya); Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

10.3 The following 72 Public Sector Undertakings have either furnished NIL or vague information:- Indian National Academy of Engineering, Indira Gandhi Open University, Nehru Yuvak Kendra Sangthan, The National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, The Petroleum Conservation Research Association, Hindustan PREFAB Ltd., National Building Construction Corporation Ltd., Hindustan Fertilizers and National Textile Corporation Ltd. all in New Delhi; Export Credit Guarantee Corporation of India, Atomic Energy Regulatory Board, Indian Rare Earths Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Indian Institute of Geomagnetism and Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; Neyveli Lignite Corporation Ltd. and Madras Fertilizers Ltd., both in Chennai; State Forest Service College, Coimbatore; Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Damodar Valley Corporation, Bose Institute, Indian Association for Cultivation of Sciences, Tyre Corporation of India Ltd. and Smith Stainistreet Pharmaceuticals Ltd. all in Calcutta; Regional Remote Sensing Centre, Kharagpur; Coconut Development Board, Cashew Export Council of India and Cochin Shipyard Ltd., all in Cochin; Hindustan Newsprint Ltd. Kottayam; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; The Wild Life Institute of India, Advance Training Institute for Electronics and Process Instrumentation, The National Institute for Visually Handicapped and Wadia Institute of Himalayan Geology all in Dehradun; Indian Plywood Industries Research Training Institute, HMT (International) Ltd., Central Research and Testing Laboratory, Indian Academy of Science, Raman Research Institute and Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research all in Bangalore; Andaman Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair; Visakhapatnam Port Trust and Dredging Corporation of India Ltd. both in Visakhapatnam; Bharat Dynamics Ltd. and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy both in Hyderabad; Prasar Bharati, Delhi, Pondicherry, Panaji, Imphal, Chandigarh, Chennai and Bhopal; Bhakra Beas Management Board Chandigarh, Talwara and Sundernagar; Technical Training Institute Chandigarh; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara; National Fertilizers and Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., both in Noida; Centre for Materials for Electronics, National Film Archive and

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Indian Institute for Tropical Metrology, Pune; Regional Vocational Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya), North Eastern Electrical Power Corporation Ltd., Shillong; Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; Central Board of Workers Education, Nagpur; The Ferro Scrap Nigam Ltd. Bhilai; The British Indian Corporation Ltd., Kanpur; Central Wool Development Board, Jodhpur; Ganga Flood Water Commission, Patna; Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon. The Central Warehousing Corporation, New Delhi has given vague reply by stating that they are weeding out their unwanted records.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records by records creating agencies in consultation with National Archives of India is a statutory requirement as stipulated under section 6 (1) (c) of the Public Records Act,1993. Weeding of ephemeral records releases valuable shelf space thereby reducing recurring expenditure on their storage and establishment. Further, on the one hand shelf space thus created can be utilised for storing fresh accrual of records and on the other hand the records of permanent nature will be transferred to the archival repository for permanent preservation. Keeping this in view, National Archives of India has been emphasising on this aspect and Circular letters No.16-12/98-RM and No.16-12/99-RM dated 24th August, 1998 and 9th April 1999 respectively have been issued to all records creating agencies seeking information on this subject so as to undertake the appraisal of such records.

11.1 In all, 157 Organisations have furnished information. Out of which 67 Ministries/ Departments mentioned below have furnished desired information. Ministries of Defence, Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Labour, Railways, Surface Transport, Departments of Education, Legislative Department and Legal Affairs, Supply, all in New Delhi have informed that all non-current records have been appraised in consultation with National Archives of India and records marked "Keep" have been transferred to it for permanent retention. Department of Coal, New Delhi have intimated that a special drive was launched to identify such records. Department of Public Distribution, New Delhi has stated that it is an ongoing process whereas the Department of Ocean Development, New Delhi has apprised that this job will be taken up in future. Department of Women and Child Development, New Delhi has reported that this aspect is not applicable to them. Director General of Supplies and Disposals, New Delhi has said that there are no non-current record in their Central Records Room. Intelligence Bureau, New Delhi has stated that as their records are Secret and Top Secret there were no records for appraisal. Director General National Security Guard, New Delhi has informed that appraisal of non-current records has not been carried out. Director General Quality Assurance (Techn Coord), New Delhi has communicated that there are no non-current records. Principal Accounts Office (Ministry of Information and Broadcasting) and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi have given vague replies. Directorate of Advertisement and Visual Publicity, New Delhi has conveyed that they have a few non-current records. Director General of Supplies and Transport (Quarter Master General's Branch), New Delhi has reported that no records of historical value are being maintained in their Directorate. Central Electricity Authority New Delhi has informed that they have few non-current records. Director General Civil Aviation (Technical Centre), New Delhi has stated that

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

need for appraisal of records by National Archives of India has not arisen. Director General Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta has written that such records are yet to be identified in consultation with National Archives of India. Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai are awaiting for guidelines. Commissioner of Central Excise, Chennai has informed that 1144 files are available for appraisal. Government Medical Store Depot, Calcutta said that records are yet to be counted/assessed. Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta has sent incomplete report. Industrial Statistics Wing (CSO), Calcutta has intimated that appraisal has not yet been done. Directorate of Jute Development, Calcutta has stated appraisal is not required. Madras Dock Labour Board, Chennai reported that non-current records are kept permanently. Forward Markets Commissions, Mumbai has informed that they have a few records ripe for appraisal. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad has informed that no such records are available in the Centre. Programme Evaluation Office, Ahmedabad has given vague reply. Official Liquidator High Court, Allahabad has stated that special orders of High Court are required as records pertain to companies are in liquidation. Central Government Health Scheme, Bangalore has informed that there are no records of 25 years old. Pioneer Corps, Bangalore has said that this is not applicable as records are not of national interest and pertain to soldiers of Pioneer Corps only. Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore has stated that there are no files pending for more than 10 years. Commissioner of Central Excise, Belgaum has communicated that records are classified as per rules. Proof and Experimental Station, Balasore has intimated that they have approximately 5000 files with them. Save Grain Campaign Office, Bhopal has stated that nature of their non-current record does not attract consultation with National Archives of India. Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar bas mentioned that they have approximately 10,000 files and discussions with National Archives of India, (Record Centre) Bhubaneswar are going on for further action. Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar has stated that since their organisation is only 12 years old, non-current records do not exist. Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar informed that this is not applicable at this stage. Terminal Ballistics Research Lab., Chandigarh has indicated that this process is in progress. Cochin Dock Labour Board, Cochin and Northern Region Farm Machinery Testing and Training Institute, Hissar have stated that non-current records are yet to be ascertained. Central Drugs Standard Control Organisation, Cochin has informed that this work will be taken up shortly. Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore has pointed out that they have 2000 files. Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack has stated that this is not necessary. Surveyor General's Office, Dehradun has reported that records were appraised by National Archives of India in 1996. Director General Mines, Dhanbad has informed that they have 3000 files and correspondence with National Archives of India is being undertaken in this

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

direction. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne has stated that most of the files are of 'C' Category. Passport Office, Goa has stated that they have some records for appraisal. Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Guwahati has said that question does not arise. Save Grain Campaign Office, Hyderabad has intimated they do not have such non-current records. Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur has stated that no records which are 25 years old or of permanent nature are available with them. Institute of Rain and Moist Deciduous Forests Research, Jorhat has indicated that question of appraisal does not arise, as it is a newly established institute. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Kanpur has indicated that they have 800 files approximately. Registrar of Companies, U.P., Kanpur. has stated that this is not required. Prasar Bharati (AIR), Karwar has mentioned that their records have not completed 25 years period. Regional Office (Central Region), Ministry of Environment and Forests, Lucknow has asked for the guidelines in this regard. National Academy of Administration, Mussoorie has 1ndicated that this work is scheduled to be taken up during winter months when there is no training programme. College of Defence Management, Secunderabad has informed that it is not applicable to them. Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur has reported that they have 360 old files and 15 registers. North East Police Academy Umsaw, Umiam (Meghalaya) has communicated that their organisation was established in 1978 and, therefore, it has not completed 25 years as yet.

11.2 The following 73 offices have given NIL report. These are: Ministries of Parliamentary Affairs and Water Resources, Department of Culture, National Sample Survey Organisation, Director General of Central Reserve Police Force, Planning Commission, Central Translation Bureau, Directorate of Preventive Operations (Customs and Central Excise), Inter State Council Secretariat, Army Purchase Organisation, Armed Forces Film and Photo Division, Directorate General Remount Veterinary (QMG Branch); Additional Directorate General of Army Postal Service, Air Headquarters and President's Secretariat all in New Delhi; Coaching-cum-Guidance Centre SC/ST, Deputy Director General of Foreign Trade, Falta Export Processing Zone, Central Food Laboratory and Chief Post Master General (West Bengal Circle) all in Calcutta; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and B.C.G. Vaccine Laboratory both in Chennai; Advanced Training Institute, Commissioner of Central Excise, Mumbai-II Commissionerate and Custodian of Enemy Property all in Mumbai; Commissioner of Central Excise, Ahmedabad; Chief Labour Welfare Organisation, Allahabad; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Income Tax Department both in Bangalore; Prasar Bharati (AIR), Bhopal; Regional Office (Northern Region) (Ministry of Environment and Forest), Chandigarh; Official Liquidator High Court, Kerala, Cochin; Commissioner of Central Excise, Dharwar; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad; Brahmaputra Board, Guwahati; Commissioner of Central Excise and Customs, Guntur; Assistant Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Assistant Commissioner of

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Central Excise and Customs, Hubli; Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad I Commissionerate, Security Printing Press, Registrar of Companies, Andhra Pradesh all in Hyderabad; Regional Vocational Training Centre for Women, Indore; Prasar Bharati (AIR), Itanagar; Prasar Bharati (AIR) and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Jaipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai; Labour Welfare Organisation, Karma (Jhumritalaiya); Naval Psychological Research Unit and Directorate of Marketing and Inspection both in Kochi; Assistant Commissioner of Central Excise, Central Public Works Department (Pune Central Circle); Regional Centre for Military Airworthiness and Central Water and Power Station all in Pune; Commissioner of Central Excise and Postal Training Centre both in Madurai; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Commissioner of Central Excise and Customs, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Model Vital Health Statistics Unit, all in Nagpur; Currency Note Press, Nashik; Passport Office, Patna; Customs and Central Excise, Rajkot and Raipur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi; National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Deputy Director General of Foreign Trade both in Shillong; Regional Office of Health and Family Welfare and Programme Evaluation Office, both in Shimla; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat; Postal Training Centre, Vadodara and Naval Science and Technology Laboratory, Visakhapatnam.

11.3 12 Offices have informed that this aspect is not applicable to them. These are: Institute of Secretariat Training and Management, Controller General of Defence Accounts, Prasar Bharati (AIR) and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Programme Evaluation Office, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Government Health Scheme, all in Mumbai; Assistant Commissioner, Central Excise and Customs, Bellary; Passport Office, Bhopal; Chief Construction Engineer (Research and Development) of Ministry of Defence, Secundarabad; Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara and Prasar Bharati (AIR), Thiruvananthapuram.

11.4 The following 5 Offices have sent vague reply: Computer Centre (Ministry of Planning), New Delhi; Integral Coach Factory, Chennai; Directorates of Marketing and Inspection at Nagpur and Nashik and Prasar Bharati (AIR), Madikeri.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ORGANISATIONAL HISTORY

Compilation of Organisational history for each records creating agency is of singular importance as it gives a better understanding of various organisational changes which have taken place from time to time. It helps the appraiser of records in according reasonable retention period of different records groups as he will be having first hand knowledge about the main functions of the organisation and its gradual expansion. Records pertaining to such aspects need to be retained permanently because of their administrative and historical value. Keeping this in view Sec 6 (1) (i) of the Public Records Act, 1993 lays down that all records creating agencies shall compile their organisational history. National Archives of India has sent Circulars to all Ministries/ Departments/ Offices/ PSUs etc. requesting them to furnish information on this aspect.

12.1 In this connection 93 organisations have furnished Organisational histories. These are:- Ministries of Environment and Forests, Home Affairs, Information and Broadcasting, Labour, Parliamentary Affairs, Railways, Surface Transport, Water Resources, Departments of Agriculture and Cooperation, Bio-Technology, Coal, Economic Affairs, Chemicals and Petrochemicals, Legal Affairs, Legislative Department, Supply and Cabinet Secretariat, Technology Mission on Oil Seeds and Pulses, Director General of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, History Division (Ministry of Defence), Central Translation Bureau, Medical Superintendent, Kalavati Saran Children Hospital, Central Hindi Directorate, Planning Commission, Director General of Supplies and Disposals, Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), National Sample Survey Organisation, Central Electricity Authority, Armed Forces Film and Photo Division, Director General Quality Assurance (Tech Coord), Director General Central Reserve Police Force and Enforcement Directorate, Foreign Exchange Regulation Act, all in New Delhi; Directorate of Revenue Intelligence, Central Soil and Materials Research Station, Central Food Laboratory, Development Commissioner for Iron and Steel, Directorate of Jute Development, Government Medical Store Depot, Industrial Statistics Wing (Central Statistical Organisation), Anthropological Survey of India and Central and Reference Library all in Calcutta; Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court No.1, Kapas Vikas Nideshalaya, Office of the Commissioner of Central Excise all in Mumbai; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Aurangabad; Govt of India Tourist Office, Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Central Government Health Scheme and Branch Secretariat (Legislative Department and Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Save Grain Campaign Office both in Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Central Excise, Coimbatore;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Labour Bureau, Research and Development Organisation (Ministry of Defence) and Regional Office (Northern Region) of Ministry of Environment and Forests all in Chandigarh; Surveyor General's Office and Forest Survey of India both in Dehradun; Director General Mines Safety, Dhanbad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Hissar; Nuclear Fuel Complex, Indian Grain Storage Management and Research Institute and Programme Evaluation Organisation all in Hyderabad; Regional Vocational Training Institute for Women, Indore; Joint Director Central Government Health Scheme, Jabalpur; Regional Office of Health and Family Welfare and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Jaipur; Coaching-cum-Guidance Centre SC/ST, Jowai; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Office of the Superintendent of Post Offices, both in Kanpur; Regional Office(Ministry of Environment and Forests) Lucknow; Commissioner of Central Excise and Directorate Postal Training Centre both in Madurai; Indian Bureau of Mines, Income Tax Appellate Tribunal, Model Vital and Health Statistics Unit, National Civil Defence College and Commissioner of Central Excise and Customs all in Nagpur; Passport office, Patna; National Film Archive and Western Regional Language Centre both in Pune; Office of the Chief Engineer and Administrator, Port Blair; Indian Institute of Tropical Metrology, Ranchi; Chief Construction Engineer (Research and Development Ministry of Defence) and College of Defence Management, both in Secunderabad; North Eastern Police Academy Umiam, Umsaw (Meghalaya); RehabilItation Centre for Handicapped Women, Vadodara and Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

12.2 65 records creating agencies which have furnished 'NIL' information are as follows:- Department of Culture, Education, Women and Child Development, Directorate of Preventive Operations (Customs and Central Excise), Army Purchase Organisation, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Prasar Bharati (AIR), Director General Central Reserve Police Force, Regional Office (Non-Conventional Energy Sources), Directorate of Marketing and Inspection, Controller General of Defence Accounts, Director General Supplies and Transport (Quarter Master General Branch), Additional Director General of Army Postal Service, Air Headquarters, Directorate of Advertisement and Visual Publicity, Institute of Secretariat Training and Management, Computer Centre (Ministry of Planning), Principal Accounts Office (Department of Civil Aviation) and President's Secretariat all in New Delhi; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Deputy Director General foreign Trade, Falta Export Processing Zone, Office of the Chief Post Master General (West Bengal Circle), Defence Research and Development Establishment and Office of the Jute Commissioner all in Calcutta; Office of the Central Excise, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, B.C.G. Vaccine Centre, Madras Dock Labour Board and Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 all in Chennai;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Custodian of Enemy Property, Forward Markets Commission, Regional Evaluation Office (Ministry of Planning), Advanced Training Institute (Ministry of Labour) and Commissionerate of Central Excise, Mumbai-III Commissionerate all in Mumbai; Commissioner of Central Excise, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Programme Evaluation Office all in Ahmedabad; Official Liquidator High Court, and Central Government Health Scheme both in Allahabad; Income Tax Department, Electronics and Radar Development Establishment and Deputy Chief Labour Commissioner (Central) all in Bangalore; Central Excise Department, Balgaum; Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary; Passport Office and Prasar Bharati (AIR) both in Bhopal; Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Commissioner of Central Excise and Customs, Coimbatore; Assistant Commissioner of Central Excise, Dharwar; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad; Passport Office, Goa; Assistant Commissioner of Central Excise, Gulbarga; Deputy Director General of Foreign Trade and Brahmaputra Board both in Guwahati; Assistant Commissioner Central Excise, Hubli; Save Grain Campaign Office, Quality Control Cell (Department of Food and Civil Supplies), Registrar of Companies, Andhra Pradesh and Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad Commissionerate I all in Hyderabad; Prasar Bharati (AIR) and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Jaipur.

12.3 Departments of Supply, Ocean Development and Public Distribution all in New Delhi have informed that organisational history is reflected in their Annual Report. National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad and Ministry of Defence, New Delhi both have said that their organisational histories are under preparation. Inter-State Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), New Delhi has stated that as their organisation was set up only in 1990, organisational history has not been prepared. National Security Guard, New Delhi has conveyed that since the formation is of secret nature information cannot be supplied. Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta has sent incomplete report. Director General Commercial Intelligence and Statistics also in Calcutta has stated that no such endeavour has been made earlier. Central Government Health Scheme, Mumbai has informed that the same was not taken up due to the shortage of staff. Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack, Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum (HQ), Belgaum have indicated as theirs were field offices it was not found necessary to compile organisational history. Central Drugs Standard Control Organisation, Cochin has mentioned that steps are being taken to complete organisational history. Proof and Experimental Establishment, Balasore has indicated that action has been initiated whereas Directorate of Marketing and Inspection, Cochin have informed that organisational history would be available at Headquarter. Security Printing Press, Hyderabad has indicated that a Committee has been constituted for this purpose. National Academy of Administration, Mussoorie has written that

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

work will be taken up during winter months when there is no training programme.

12.4 94 Public Sector Undertakings which have furnished copies of their organisation histories are:- The Fertilizers Corporation of India, Hindustan Fertilizers Ltd., Institute of Applied Man Power and Research, Indian Council of Social Science Research Centre for High Technology, Oil Industries Safety Directorate, Water and Power Consullary Service India Ltd., National Water Development Agency, Central Power Research Institute, Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., Nehru Yuvak Kendra Sangathan, National Building Organisation, Hindustan PREFAB, National Power Project Construction Corporation Ltd., Press Council of India, National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and Indian Airlines all in New Delhi; The Madras Fertilizers Ltd., Regional Engineering College, Auroville Foundation and Neyveli Lignite Corporation Ltd all in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals, Visva Bharati, Santiniketan; I.B.P. Company Ltd., Balmer Lawrie and Company Ltd., Shellac Export Promotion Council, Tyre Corporation of India, Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd, and Damodar Valley Corporation all in Calcutta; The Rashtriya Chemicals Fertilizers Ltd., the Cotton Corporation of India, Maharastra Elektrosmelt Ltd., Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, National Safety Council, Shipping Corporation of India, Export Credit Guarantee Corporation of India Indian Rare Earths Ltd., Hindustan Petroleum Corporation, Indian Oil-Blending Ltd., Air India, Indian Institute of Packaging Ltd. and Society for Applied Microwave Electronics Engineering Research, all in Mumbai; Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Noida; National Bio-fertilizers Development Centre, Ghaziabad; Regional Vocational Training Institute for Women and National Academy of Science both in Allahabad; Aerial Delivery Research and Development Establishment and Bharat Leather Corporation of India both in Agra; National Institute of Hydrology, Roorkee; Betwa River Board, Jhansi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademy, Rai Bareilly; The Cashew Export Promotion Council, Cochin Dock Labour Board, Cochin Shipyard Ltd., all in Cochin; Hindustan News Print Ltd., Kottayam; Central Silk Board, Indian Plywood Industries Research Training Institute, Regional Remote Sensing Service Centre, Bharat Earth Movers Ltd., Central Power Research Institute, Indian Academy of Science and Raman Research Institute all in Bangalore; Bharat Gold Mines, Oorgaum; Mineral Exploration Corporation, Central Board for Workers Education and Manganese Ore (India) Ltd., both in Nagpur; Hindustan Salt Ltd., Jaipur; Sardar Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology, Surat; North Eastern Hill University, Shillong; Regional Vocational Training Institute for Women and Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute both in Hissar; Maulana Azad College of Technology, Bhopal; High Energy Material Research Laboratory, Sutarwadi; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Narmada Central Authority Indore; Bhakra Beas Management Board and Technical Teachers Training Institute both in Chandigarh; Ganga Flood Control Board, Patna; Uranium

Corporation of India, Singhbhum (Bihar); The Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Brahmputra Board, Guwahati; State Forest College, Coimbatore; Centre for Electronics Design and Technology of India, Jammu, Pune and Chandigarh; Visakhapatnam Port Trust and Dredging Corporation of India both in Visakhapatnam; Mormugao Port Trust and Mormugao Dock Labour Board both in Mormugao; Paradip Port Trust, Paradip (Orissa); New Mangalore Port Trust, Mangalore; Indian Railway Institute of Electrical Engineering, Hindustan Antibiotics Ltd. and National Film Archive all in Pune.

12.5 The following 3 offices have replied that they will be compiling it in due course. These are: Indian National Academy of Engineering, New Delhi; Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore and Bose Institute, Calcutta.

12.6 There is yet another category of 31 Public Sector Undertakings who have given NIL information: Hotel Corporation of India, Airport Authority of India, National Textile Corporation Ltd., and Prasar Bharati all in New Delhi; The Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; Bharat Dynamics Ltd., and International Advance Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials both in Hyderabad; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimili Tura (Meghalaya); Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta; British India Ltd., Kanpur; Central Wool Development Board, Jodhpur; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; Wadia Institute of Himalayan Geology, Wild Life Institute of India, The National Institute for the Visually Handicapped and Advance Training Institute for Electronics and Process Instrumentation all in Dehradun; Andaman and Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair; H.M.T. Ltd. and Central Power Research Institute both in Bangalore; Prasar Bharati, Pondicherry, Imphal, Chandigarh, Chennai and Bhopal; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodara; North Eastern Electrical Power Corporation, Shillong; Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur; Bhakra Beas Management Board Talwara and Sundernagar; Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., Gurgaon; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and Indian Association of Cultivation of Science, Jadavpur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

The Committee of Secretaries while considering the note on de-classification, computerisation and proper storage of records in their meeting held on 17th June, 1998, also discussed the issue of implementation of Public Records Act, 1993. Besides, making several recommendations, the question of microfilming of 'A' category records lying under the custody of records creating agencies was also considered. The Committee was of the opinion that "instead of doing a review as to which papers are to be microfilmed, all 'A' category papers could be microfilmed in the first instance". Consequently, the Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions addressed a D.O. letter No. 24O12/1/98-O & M dated 13th July, 1998 to all the Secretaries of the Government of India requesting them to initiate time bound action for microfilming of 'A' category records lying in the custody of the respective Ministries/ Departments/ Offices in association with the National Archives of India.

13.1 Subsequently, another meeting was convened by the Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances on 27th July, 1998, in which the modalities of microfilming of 'A' category records were deliberated upon. As per decision of the meeting a note along with proforma seeking information on the microfilming of 'A' category records from the Ministries/ Departments/ Offices was prepared by the National Archives of India and forwarded to the Administrative Reforms and Public Grievances for further directives in the matter.

13.2 The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, vide their letter No. 24012/1/98-0andM dated 24th August, 1998 forwarded the said note alongwith the proforma on microfilming of records to all the Ministries/ Departments. requesting them to expedite the work of microfilming of 'A' Category records in collaboration with National Archives of India. In response to the said letter 13 Ministries/ Departments etc. furnished replies during the period under report. Of these 13 Organisations, 6 have reported 'NIL' information 2 have informed that they have issued instructions to all the offices functioning under their control, 3 Organisations have sought guidance/ clarification about microfilming of records and 2 have stated that they have 'A' category files for microfilming.

13.3 Ministries/Departments who have reported 'NIL' information are: Ministries of Food Processing Industries, Surface Transport, Steel and Railways and Departments of Programme implementation and Statistics, all in New Delhi.

13.4 Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Urban Development have informed that they have issued circulars and directed all the Directors/ Officers of the Departments/ Sections

functioning under their control to furnish the required information in this regard.

13.5 Department of Telecommunications, New Delhi; Institute of Geomagnetism, Mumbai and Madras Dock Labour Board, Chennai have sought certain clarification/guidance on the subject, which was provided to them.

13.6 Ministries of Parliamentary Affairs and Power both in New Delhi have stated that they have 'A' category records, numbering 3 and 789 files, respectively. An Officer from the National Archives of India was deputed to study the 'A' category records on the spot to facilitate the microfilming of records in question.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under Section 3 (2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with the elaborate Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorised to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, Section 6 (1) (C) of the Public Records Act, 1993 also made the Departmental Records Officer responsible for appraisal of Public Records which are more than twenty five years old in consultation with the National Archives of India with a view to retaining only public records of permanent value. It may be mentioned here on the one hand the appraisal of non-current records and weeding out records of ephemeral nature results in saving of valuable shelf space and cost of maintenance of records housed in various record rooms of the Government of India and, on the other, helps in selecting the records of permanent value. This exercise also saves records from wanton destruction.

14.1 During the period under report the National Archives of India, in all appraised 79,313 files. Out of these 37,229 were recommended for retention and 42,084 files for destruction. Thus, resulting in saving of Rs. 42,084 per annum on the upkeep of records.

14.2 42,809 files were appraised in 1997, out of which 21,162 files were recommended for retention and 21,647 for destruction. The Organisations whose records were appraised are: Prime Minister's Office (1948-72), Ministry of Information and Broadcasting (1948-72), Ministry of Labour (1966-69), Ministry of Urban Affairs and Employment (1956-72), Ministry of Power (1897-1972), Department of Personnel and Training (1965-72), Directorate General of Employment and Training (1959-72), Department of Fertilizer (1948-72), Department of Legal Affairs (1951-72), Department of Economic Affairs (1955-73), Rehabilitation Division of the Ministry of Home Affairs (1948-73) all in New Delhi; Forward Markets Commission (1954-72) and Directorate General of Shipping and Transport both in Mumbai (1943-72); Office of the Commissioner of Customs, Chennai (1892-1964) and Office of the Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow (1946-73).

14.3 Besides, 36,504 files ware appraised in 1998, out of which 16,067 files were recommended for retention and 20,437 files marked for destruction. These records pertain to the Ministry of Agriculture (1954-74), Department of Economic Affairs, (1954-70), Ministry of External Affairs (1966-73), Department of Education, C.R. Unit (Ministry of Human Resource Development) (1961-72) and Archaeological Survey of India (1941-74) all in New Delhi; Office of the Commissioner Central Excise, Hyderabad (1950-72) and Office of the Assistant Commissioner, Central Excise, Guntur (A.P.) (1943-74).

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

REFERENCE MEDIA

As per Section 3 (2) (e) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives has been assigned the job of preparation of inventories, indices, catalogues and other reference media of public records. Needless to mention here that reference media is a tool for quick retrieval of records. Since records serve as the memory of the Government which contains pooled wisdom of the past and help in taking decisions and formulating future policies for the development of the country, preparation of adequate reference media for quick retrieval of information is absolutely essential. Further, to facilitate research scholars also need workable reference media for consulting records. The work attended during the year 1997 and 1998 in this regard is indicated below:

15.1 The Project 'Guide to the Sources of Asian History' made rapid progress as Volume 3.4 contains the largest information on the record holdings of 10 States has been compiled and forwarded to press for printing. These are: Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Orissa, Rajasthan and Tripura.

15.2 Besides, Volume 3.5 of the above project 'Guide to Sources of Asian History' is in progress. The volume contains write-ups on the holdings of 14 States/ Union Territory Archives. These are: Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Lakshadweep, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Pondicherry, Punjab, Sikkim and Arunachal Pradesh.

15.3 During the period 1997 and 1998 summary list of the following records series has also been prepared:-

i. Miscellaneous Records of Rewa Kantha Agency (1822-1916), and
ii. Letter Receipts series of Central India Agency (1856-58) and (1860-62).

15.4 One of the important functions of an archival repository is to provide quick access to its records holdings to the researchers and administrators. This is possible only if the repository has adequate reference-media to its records. The documentary heritage of the National Archives of India occupy approx. 30 Km shelf space i.e. approx 35 lakhs files, 34,500 Cartographic records, 1.05 lakhs volumes, 43,000 maps. Besides, the Department has also assiduously built up impressive collection of private papers of eminent leaders and personalities like Mahatma Gandhi, G.B. Pant, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, Dr. B.R. Ambedkar, G.K. Gokhale etc. These records are being consulted by the research scholars and historians with the help of indices which are to be handled manually. This not only takes lot of time in retrieving the desired information but, at the same time, also poses the problem in

respect of those files which have not been actually transferred to the National Archives of India though the references are made in the indices. This creates an unpleasant situation when the requisitions are returned by the concerned staff with the remark "not transferred". Secondly, approx 30% of the records have no reference media at all and it becomes difficult for the researchers to consult these record holdings. To overcome these problems and also to provide quick retrieval of information, a pilot project for computerisation of reference media was taken up in the year 1997 with the assistance of Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd. (ETandT), New Delhi. An out lay of Rs. 64.63 lakhs was provided to undertake the job which was to be spent in phases.

15.5 In the first phase, computerisation of reference media of records of Home (Political) for the years (1907-1968) and Home (Public) (1747-1859) was started in March, 1998. 21,000 data entries in respect of Home (Political) and 1,16,779 data entries of records of Home (Public) were made upto December, 1998.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

The Director General, National Archives of India has been authorised under Section 3 (2) (b) of the Public Records Act, 1993 to accept for deposit public records of permanent nature from all the records creating agencies. Similarly, Section 11 (1) of the said Act also stipulates acceptance of any record of historical or national importance from any private sources by way of gift, purchase or otherwise. In compliance with the above said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and also the Private Papers during the years 1997 and 1998:-

16.1 217 files of Ministry of Commerce (1956-67), 1304 files of Ministry of Food (1943-62), 140 files of Ministry of Defence (Second World War), 1 file of Air Headquarters (1985-87), 1087 files of INA and RIN from History Division, Ministry of Defence, 541 files of Ministry of External Affairs (1893-1968), 1173 files of Ministry of Information and Broadcasting (1926-70), 228 files of Ministry of Parliamentary Affairs (1952-70), 9264 files of Department of Posts (1920-63), 6 files of Prime Minister's Office, 3515 files of Ministry of Railways (1938-71) and one file of the Constitution of Jammu and Kashmir (23rd Amendment Bill,1997).

16.2 Besides, National Archives of India, Record Centre Jaipur accessioned 75 files of the Office of the Controller of Defence Accounts (Officers) Pune, pertaining to the years 1922-1945.

16.3 In addition to Public Records, National Archives of India continued to acquire Private Records of eminent Indians as well as records of Indian interest from abroad. Accordingly, in 1997, National Archives of India acquired 44 Newspaper cuttings of the articles relating to the activities of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and Chandra Shekhar Azad etc. 47 Photographs and 31 negatives of Lala Chint Ram Thapar, Mir Abdul Qayyain, Hakim Noor-ud-din which also include the photographs and negatives pertaining to Rajguru, Bhagat Singh the birth place of Sukdev and the place where the three martyrs were cremated etc. 4 Audio Cassettes of interview of Sh. Shiv Verma, a Freedom Fighter and close associate of Sukhdev, Bhagat Singh and Rajguru pertaining to their activities, 4 Xerox pages of the proceedings of the case known as "The Lahore Conspiracy Case" held in the Pooch House, Lahore by the special tribunal on 5th May, 1930, 2 letters addressed to Sh. Mathura Das Thapar dated 10.3.1991 from Captain Subhas Chand Das regarding the request for the formation of a unit of Indian National Army, Youth Wing and dated 22.8.1992 from Sh. Sudhir Vidyarthi acknowledging the receipt of the photographs and book on Sukdev. The papers cover the period 1930-92 with gaps. One book entitled 'Mera Bhai Shaheed Sukhdev written by Sh. M. D. Thapar was also acquired. This material has been received from Smt. Santosh Thapar, Sister-in-Law of Martyr Sukhdev and w/o Sh. Mathura Das Thapar. Besides this, Smt. Santosh Thapar

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

has also presented the 'Sacred Soil' to Director General of Archives which was collected by Smt. Ralli Thapar, mother of Martyr Sukhdev where he was cremated along with, Bhagat Singh and Rajguru. 8 letters (Postcards), 1 note, 1 Press-Clipping covering the periods 1902-1982 with gaps containing correspondence between Sh. O.P. Paliwal and Sh. B.D. Chaturvedi regarding publication of certain books on Jawahar Lal Nehru, Lenin etc. have been accessioned. These items have been received from Sh. O.P. Paliwal, New Rohtak Road; New Delhi. A book entitled 'Conspirators, Abductors and Killers of Netaji' has been acquired along with a copy of 'Aches and Echoes of Netaji's Heart', 5 copies of 3 Pamphlets and of the Indian Press reports about Netaji Research Foundation, 9 Photographs of Press Clippings and 18 coloured photographs of 'Bharat Mata' and about Netaji Research Foundation have been acquired. This published material has been received from Sh. V.P. Saini, Chairman, Netaji Research Foundation, Roopnagar (Punjab). 756 Xerox copies covering the period 1839-1941 relating to the reports/studies on investigation of mortality in Indian Army; Statistics of Indian Revenue and Taxation; Life Insurance Corporation of India; Madras Military Fund Regulations etc. has been purchased from Institute of Actavaries Library, Napier House, Oxford, U.K. along with one book on the "History of Indian Railways Constructed and in Progress" up to 31st March 1933, 19 letters written by some dignitaries from India and abroad like F. V. Wylie, Ex-Governor of United Provinces, Romesh Bhandari, Governor of Goa; Dr. M. Chenna Reddy, Governor of Tamil Nadu; Prof. Russel R. Dutcher, Department of Geology, U.S.A. addressed to H.S. Pareek and his father Sh. Shyam Sunder Pareek. Most of these letters are complimentary and the acknowledgement of receipt of material/ reports/ Publications etc. These papers cover the periods 1945-95 with some gaps.

16.4 Approximately 700 files of Sh. Gulzari Lal Nanda, Ex. Prime Minister of India have been acquired from Sh. Tarlok Singh, New Delhi. About 2000 files pertaining to the period 1936-69 have been received from Shri L. Lalbhai of Ahmedabad. 990 files of I.N.A. for period 1943- 47, have been received from Ministry of Defence. 1351 Xerox pages of extracts of the records series of Home Department, Special Section, Government of Orissa, Orissa State Archives 1940; Judicial, Police and General Department Andhra Pradesh State Archives, Hyderabad have been received from T.F. Unit of National Archives of India.

16.5 Besides 9 microfilm rolls of Dominions Office pertaining to the period 1926-38 relating to Migration Agreements with Government of Canada, New-Zealand, Indian Navy Bill, Tariff Agreements etc. have been purchased from Public Record Office, London. Similarly, thirty-one microfilm rolls of A.N. Mitchell papers for the years 1906-1976 have been purchased from British Library, U.K. Also one microfilm roll containing the Diary of Shaheed Bhagat Singh has been received from Sh. Balbir Singh nephew of Shaheed Bahgat Singh.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

It is required under Section (6) (1) (e) of the Public Records Act, 1993, that the Records Officer shall be responsible for Compilation of Retention Schedule for Public Records in Consultation with the National Archives of India. The progress made by the National Archives of India in vetting and finalising the Retention Schedule for records peculiar to each Ministry/ Department/ Office is indicated below. These schedules also are required to be revised once in five years so as to take adequate notice of the changing and expanding activities of the concerned Records Creating Agencies.

Accordingly, National Archives of India has vetted Retention Schedules for records of substantive functions of 23 Ministries/ Departments/ Offices during the year 1997 and detailed information is as follows:-

17.1 Study reports whose studies were completed in 1996 were finalised and sent to respective organisations for implementation in 1997. These are: Ministry of Civil Aviation, Department of Youth Affairs and Sports, Central Electricity Authority, all in New Delhi and Survey of India Circles at Dehradun and Chandigarh.

Besides, National Archives of India vetted Record Retention Schedules of 18 Ministries etc. and sent them along with their study reports in 1997 for implementation. These are:- Ministries of Coal, Power, Rural Areas and Employment, Departments of Food, Tourism, Urban Employment and Poverty Alleviation, Prime Minister's Office, Directorates of Extention, Printing, Bureau of Industrial Costs and Prices and Animal Quarantine and Certification Services Station, all in New Delhi; Directorate of Cotton Development, Central Board of Film Certification, Office of Assistant Commissioner of Customs, Prevention and Gold Control and Animal Quarantine and Certification Services Station, all in Mumbai; Regional Offices of Ministry of Environment and forests in Chandigarh and Lucknow.

Study reports whose studies were completed in 1997 were also finalised and sent to the respective organisations in 1998. These are:- Ministry of Defence, Department of Fertilizers and Posts, all in New Delhi; India Government Mint and Forward Markets Commission, both in Mumbai.

Besides above, on the spot study for vetting the Records Retention Schedule of the following Ministries/ Departments/ Offices were completed and sent for implementation. These are:- Ministry of Parliamentary Affairs and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, both in New Delhi; India Government Mint, Noida and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hyderabad.

17.2 On the spot study for vetting the Records Retention Schedule of the

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

following Ministries/ Departments/ Offices were taken up and completed in 1998 and their study reports along with the Retention Schedule were under various stages of finalisation. These are: Department of Ocean Development, Directorates of Coordination, Quarter Master General Branch, Supply and Transport, Operations and Logistics, Land, Works and Environment, Movements, Technical Examination, Military Farms, Army Postal Service, Canteen Services, Pioneers, Remount and Veterinary, Personnel Services, Recruiting, Ceremonial and Welfare, Medical Services, Dental Services, Provost Marshal, Judge Advocate General, all in New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ADVISORY WORK

As per Section 3 (2) (i) of the Public Records Act, 1993 Director General of Archives is required to tender advice to records creating agencies on the creation, classification and disposal of records and application of standards, procedures techniques of records management in order to ensure records are preserved scientifically during their semi-current stage. For this purpose, annual inspection of Departmental Record Rooms of the Ministries, etc has been undertaken and necessary advice in the area of records management has been tendered to them. During 1997 Departmental Record Rooms of Ministries of Coal, Commerce, Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Home Affairs, Information and Broadcasting, Labour, Mines, Science and Technology and Surface Transport; Departments of Atomic Energy, Mumbai and Communications, Expenditure, Fertilizers, Industrial Development, Revenue and Supply, all in New Delhi were inspected by officers of this Department.

18.1 Similarly, following 23 Departmental Record Rooms were inspected in 1998 by the officers of National Archives of India and tendered advice for the proper preservation of records. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Civil Aviation, Coal, External Affairs, Industrial Policy and Promotion, Information and Broadcasting, Personnel, Public Grievances and Pensions, Railway, Steel, Surface Transport, Departments of Civil Supplies, Company Affairs, Economic Affairs, Electronics, Expenditure, Heavy Industry, Revenue, Science and Technology and Supply, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission and National Archives of India, all in New Delhi.

18.2 Besides, the National Archives of India has also provided necessary guidance to Central Government Offices/ Organisations and other Institutions for better up-keep and preservation of their records. In the year 1997, an officer of this Department visited office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai on their request and rendered advice on Records Management system. Similarly, Prime Minister's Office, New Delhi was also visited by the officers of National Archives of India and necessary advice was rendered for setting up of Departmental Record Rooms in a more scientific manner. In the year 1998, three offices were visited and on the spot guidance/ advice was given to them on records management. These are:- Cabinet Secretariat, New Delhi, Bharat Heavy Electricals Ltd, Bhopal and South-Eastern Coalfield Ltd, Bilaspur.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India is conducting training courses in Archival Studies. These are One Year Diploma Course in Archival Studies, Short-Term Certificate Courses in Records Management, Records Administration and Conservation of Books, Manuscripts and Archives and Repair of records. Ministries/ Departments/ Offices can avail of this facility and train their staff for their Departmental Record Rooms. Further, keeping in view the recommendations made by the Committee of Secretaries in their meeting held on 17 June, 1998, National Archives has introduced a five day Orientation Course in Records Management for the Departmental Records Officers designated by the Records Creating agencies under Section 5 (1) of the Public Records Act, 1993. Under the One Year Course, Diploma was awarded to 7 candidates in 1997 and to 10 in 1998 who were admitted for the courses during the year 1996-97 and 1997-98 respectively. 10 Candidates were admitted to the One Year Diploma Course for the year 1998-99.

19.1 A batch of 7 trainees who were admitted to the One Year Diploma Course for the the academic Session 1996-97 included one candidate each sponsored by State Archives of JandK, Kerala,West Bengal and one from German Foundation for International Development, Bonn, Germany and rest were private candidates. In the year 1997-98, 10 candidates were admitted in the one year Diploma course. Out of them one Candidate each had been sponsored by State Archives of JandK, Maharashtra, West Bengal and two from German Foundation for International Development and rest were private candidates. Similarly, 10 Candidates for the academic year 1998-99 were also admitted in the one year Diploma Course. Among them one Candidate was sponsored by State Archives of West Bengal, Mahasabha Gurukul Vidyapeeth, Haryana, Khanpur Kalan (Dist. Sonepat) and Mohan Meakin Ltd., Ghaziabad and rest were private candidates.

19.2 For the benefit of in-service Government officials and also for private trainees, School of Archival Studies conducted two sessions each of in service training courses in Records Management, Reprography, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives, Servicing and Repair of Records and One Session of Archives Administration.

19.3 21 nominees of Central Government and other Organisations including private candidates attended two sessions of Records Management Course in 1997. Of these one candidate each was sponsored from State Archives of Maharashtra, Tamil Nadu and Manipur, two from Airport Authority of India, One each from Andaman and Nicobar Administration, Port Blair, Baba Saheb Ambedkar National Institute of Social Science. Mhow, Indore, Rastriya Sahara Library, Sahara India Complex, Noida (U.P.), and rest 10 were private candidates. Similarly, 17 candidates attended two sessions of Records

Management Course in 1998. Out of them, one from Ministry of Textiles, three from Ministry of Water Resources, two from Department of Supply, one from Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., all in New Delhi; one each from Ministry of Arts and Culture, Government of Mauritius; Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad; Gandhi Memorial Museum and Library Madurai; Mehta Institute of Mathematical Physics, Allahabad; Ferro Scrap Nigam Ltd., Bhilai; Defence Research and Development Establishment, Gwalior; Eastern Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneswar and Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam. Rest two candidates were private trainees.

19.4 One session of Archives Administration was attended by 2 candidates in 1997. Each were sponsored by Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh and Ravindra Bhawan, Santiniketan, Calcutta. In the same way 6 trainees were sponsored in Archives Administration Course in another session of 1998. Each one from Ministry of External Affairs, New Delhi; Ministry of Arts and Culture, Government of Mauritius; Directorate of Research, Government of Arunanchal Pradesh, Itanagar and three were private trainees in the same session. Similarly, one session was held in 1999 in which four trainees attended the course. One each was sponsored by Department of Languages and Culture State Archives wing Himachal Pradesh, Shimla, two from National Archives of India, New Delhi and one was a private candidate.

19.5 12 trainees attended two sessions of Short-term Course in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives held in 1997. Of these two were from Heavy Water Plant (Department of Atomic Energy) Manuguru, Khammam Dist. (A.P.) and Kota (Rajasthan), one each from National Library of Korea, Seoul; Auroville Archives, Auroville, Archives, Archaeology and Museums Srinagar; Administrative Reforms Department, Government of Tripura, Agartala; and Swami Shardhanand College University of Delhi, and other five were private candidates.

19.6 Similarly, 18 trainees attended two sessions of Short-term Course in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives held in 1998. Out of them one each from Jawaharlal Nehru University, Air Headquarters, United Service Institution of India, 8th Light Cavalary all in New Delhi. One each from Geological Survey of India, Calcutta and Ram Krishna Ashram, Gwaliar. Remaining twelve were private candidates.

19.7 Two sessions of Servicing and Repair of Records were conducted during 1997. In all, 14 candidates attended the Course. One each from Ministry of Civil Aviation and Tourism, Law and Justice, Dr. Zakir Hussain Library, Jamia Millia Islamia University all in New Delhi; Regional Centre National Archives of India, Bhopal; Punjab University, Chandigarh; four trainees from Directorate of Archaeology, Archives and Museums, JandK Govt; Srinagar; one from Jwaharlal Nehru Library, University of Mumbai, Mumbai and other

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

four were private candidates.

19.8 Similarly, two sessions of Servicing and Repair of Records were held in 1998 and 25 trainees attended the same. Of these two trainees attended from Lok Sabha Secretariat and one from Prime Minister's Office both in New Delhi; one trainee each attended from Aligarh Muslim University, Aligarh; Punjab State Archives, Chandigarh; Government Boys Sr. Secondary School, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi; Project Department Technical Archives and Expansion Building Project, Steel Authority of India Ltd. Bhilai; two each from State Archives Repository, Jammu; three from Balmer Lawrie and Co. Ltd, Calcutta; two from B.K. Gupta and Associates, Delhi; one each from Shivalal Ram Chand Wachanalaya, Madha (Maharastra), Sandigo Consultants, New Delhi; Kisan Janta Krishi Co-ed Sr. Sec. School, Dudhme, Aligarh and other nine were private candidates.

19.9 Besides above, two Reprography Courses were conducted and were attended by 13 trainees in 1997. Of these one each from Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi; Bishop's College Calcutta; J.V. College Baraut; Vivekananda Kendra Institute of Culture, Guwahati and Madhusudan Sanskrit Mahavidyalaya, Balasore (Orissa), while other eight candidates were private trainees. Similarly Reprography Course were held twice in 1998 also which were attended by 14 trainees. Out of them one trainee each was sponsored by Central School, Almora; National Hydrographic Office Dehradun; C.S.I.R. Library and Maulana Azad Medical College both in New Delhi; Cellular Jail National Memorial Andamans, Port Blair and nine were private trainees.

19.10 Five day Orientation Course in Records Management for Departmental Records Officers was introduced in Sept., 1998. During the period under report three courses were held in which 56 designated Departmental Records Officers attended the Courses.

19.11 The following 58 Ministries/ Department/ Offices have indicated their willingness to sponser their officials for in-service training in Records Management, Archives Administration etc. at the School of Archival Studies, National Archives of India. These are:- Ministries of Environment and Forests, Information and Broadcasting, Parliamentary Affairs, Railways, Personnel Public Grievances and Pensions and Water Resources, Departments of Culture, Education, Legal Affairs and Legislative and Ocean Development, Inter-State Council Secretariat and All India Radio, all in New Delhi; Forward Markets Commission, National Tuberculosis Institute, Central Board of Film Certification and Advance Training Institute, all in Mumbai; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Central Food Laboratory and Office of the Development, Commissioner all in Calcutta; Directorate General of Health Services, Office of the Commissioner of Central Excise, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Madras Dock Labour Board all in Chennai; Branch Secretariat (Department of Legal Affairs and

Legislative Department), Central Institute of Coastal Engineering, Indian Plywood Industries Training Institute and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Karnataka all in Bangalore; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (A.P.); Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Guwahati; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack; Eastern Regional Office of Ministry of Environment and Forests, Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources and Office of the Postmaster General (Orissa Circle), all in Bhubaneswar; Regional Centres for Military Airworthiness, Secunderabad, Sultanpur, Chandigarh and Visakhapatnam; North-Eastern Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Shillong; Institute of Rain and Moist Deciduous Forest Research, Jorhat; Passport Offices, Patna and Panaji (Goa); Office of the Registrar of Companies A.P. and Sardar Vallabhbhai National Police Academy both in Hyderabad; Currency Note Press, Nasik Road; North-Eastern Police Academy, Umsaw, Umiam (Meghalaya); All India Radio and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST both in Jaipur; All India Radio, Bhopal; Regional Directorate of Apprenteship Training Faridabad; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Ahmedabad and Vadodara; Cochin Dock Labour Board Cochin; Labour Welfare organisation, Karma (Jhumritelaya); Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST Jowai; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Kanpur; National Institute for Mentally Handicapped, Secunderabad; Surveyor General's Office, Dehradun; Brahamputra Board,Guwahati and Central Water and Power Research Station, Pune.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ARCHIVAL AWARENESS

It is envisaged in Section 3 (2) (d) of the Public Records Act 1993 that Director General of Archives is empowered to hold exhibition of public records with a view to spreading archival awareness among the common people. Thus, in the outreach programme of the Department the following activities were undertaken during the period under report:-

20.1 On 23 January, 1997 as a part of launching of the year-long birth centenary celebrations of Netaji Subhas Chandra Bose by the President of India, in Red Fort, National Archives of India co-opted the Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP) to mount an exhibition on the various facets of Netaji's life, career and mission. Some rare and contemporary documents and photographs on the theme were displayed.

20.2 National Archives of India organised an exhibition entitled 'Azad Hind Fauj Se Azadi Tak' which was inaugurated on 28th August, 1997 by Shri Hon'ble P.A. Sangma, the then Speaker of Lok Sabha in the presence of Shri Hon'ble S.R. Bommai, the then Minister of Human Resource Development. This exhibition highlighted various developments during this momentous phase of our freedom struggle. A large number of visitors visited this exhibition. A condensed version of this exhibition was mounted in various parts of the country viz. Bhopal (14-21 December, 1997), Bhubaneswar (26-30 November, 1997), Calcutta (5-8 December, 1997), Hyderabad (17-21 November, 1997), Jaipur (24-28 November, 1997), Panaji (22-26 December, 1997) and Shimla (17-23 November, 1997). A set of exhibits was also presented to Netaji Subhas Bose Open University, Calcutta on 24 December, 1997 for display in the university.

20.3 Another exhibition was held on 27 October, 1997 entitled 'Individual Satyagraha', Hon'ble Sh. S.R. Bommai Union Minister of Human Resource Development inaugurated the Exhibition. The theme of which was centred on the unique Satyagraha of 1940-41 launched by Mahatma Gandhi in October 1940, a moral protest against the unilateral decision of the Colonial Government dragging India into the vertex of World War II. It drew visitors from all walks of life including academicians, administrators, freedom fighters, students, media etc.

20.4 Besides, on 22 April 1997, National Archives of India received an urn containing the sacred soil collected from the cremation site of martyrs Sukdev, Rajguru and Bhagat Singh who were executed on 23 March. 1931. The soil which was collected by Smt. Ralli Thaper (Mother of Sukhdev) was handed over to the Director General of Archives along with four rare photographs on the life of Sukhdev, by Smt. Santosh Thaper sister-in-law of Sukhdev.

20.5 Dr. S. Sarkar, Director General of Archives attended the meeting of

Indian Committee for celebration of 500th Anniversary of Vasco-da-Gama's Voyage to India on 7th January, 1997 in the Department of Culture. He presided over the inaugural function of Archives Week Celebrations of Haryana State Archives at Hissar on 15 January, 1997. He also attended the meeting of the Sangeet Natak Academy Advisory Committee for Documentation and Archives on 13 June, 1997 in New Delhi and also another meeting in connection with setting up of Panipat Museum on 2 August, 1997 at Panipat, Haryana. Besides, he also attended an Inter-Departmental Meeting to consider various proposals for inclusion in the Indo-Italian Cultural Exchange Programme 1997-2000 on 7th August, 1997 in Department of Culture. On the occasion of 50th year of India's Independence, a Museum was set up in the premises of the Department to make our people aware of the documentary heritage which National Archives preserves for the present generation and posterity. This Museum was formally declared open by Hon'ble Shri K.R. Narayanan, President of India on 6 July, 1998 in the presence of eminent personalities viz. Dr. Karan Singh, Sh. G.V.G. Krishnamoorthy, Election Commissioner and many representatives from diplomatic missions and freedom fighters.

20.6 Shri H.D. Singh, Deputy Director of Archives was deputed to Iran to attend the General Conference of SWARBICA from 5-7 May, 1997 held in Tehran. Several important matters relating to membership dues and archival activities were discussed in the meeting. Apart from this, other officials of the Department also attended meetings namely Indian Council of Historical Research at New Delhi on 3 November, 1997, Governing Council of Vrindavan Research Institute on 17 March 1997 at Department of Culture, New Delhi, International Workshop on Conservation of Illustrated Manuscripts and Miniature Paintings in National Museum, New Delhi from 24-28 February, 1997.

20.7 Similarly, an exhibition on "Shri Chakravarti Rajagopalachari, First Governor General" was organised in National Archives of India in New Delhi on 6 July, 1998, coinciding with 50th year of India's Independence as well as Golden Jubilee of the assumption of Office of Governor General by Rajaji. This exhibition was inaugurated by Hon'ble Sh. K.R. Narayanan, President of India wherein early life of Rajaji, his role as First Governor General and his legacy were highlighted. The function was also attended by Shri Raj Mohan Gandhi, grandson of Rajaji, Shri S. K. Singh, Former Secretary, Ministry of External Affairs and many other prominent freedom fighters. To mark the completion of 50th anniversary of Indian Independence Celebrations visual display "In Their Memory" to highlight the role of unknown and unsung freedom fighters was organised and opened to public from 17 August, 1998. It also portrayed popular literature and poems which were banned by the British Raj.

20.8 Another exhibition on "Andhra Kesari-Tanguturi Prakasam" was mounted from 2 November 1998 to 14 November, 1998. Similarly, on 4

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

December, 1998 an exhibition 'Sri Aurbindo" portraying the different aspects of the multi faceted personality and philosophy of the Seer-Statesman of renascent India was declared open. This exhibition which lasted till the January, 1999 was visited by numerous visitors including students of different educational institutions.

20.9 Dr. S. Sarkar, Director General of Archives attended the "International Symposium on Archives regarding the history of Algeria and Archives Preserved abroad" held on 16-19 Feb. 1998 at Algeria. He was deputed to Singapore to attend the 30th Anniversary Celebrations of Singapore Archives and deliver a keynote lecture at a Seminar on 'Role of the Archives in the 21st Century' at National Archives of Singapore.

20.10 Sh. H.D. Singh, Deputy Director of Archives was deputed to attend International Seminar on "The Transition to Electronic Records as a Strategic Resource and Accountability in Government in an electronic Age" at Kuala Lumpur (Malaysia) 22-28 June, 1998. Dr. S. Sengupta, O.S.D. was deputed to attend the IS and Regional Committee Meeting and Workshop on Strategy Formulation and Resource Mobilization for the Memory of World programme in Asia Pacific held in Beijing China, 17-20 November, 1998. Besides, Dr. S. Sarkar , Director General of Archives chaired first meeting of a Group Constituted by the Government of India for identification of rare manuscripts of National and International value held on 24th April, 1998 at National Archives of India. Besides he also attended the first meeting of Review Committee of the Institute of Historical Studies, Calcutta held on 21-22 January, 1998 at the Institute of Historical Studies, and 14th Annual Conference at *Paschim Banga Itihas Samsad* held on 24-26 January, 1998 both at Calcutta; Art Purchase Committee of the Museum of Himachal Pradesh held on 12 February, 1998 at Himachal Bhawan, New Delhi, on 20th April, 1998; Joint Meeting of Panipat Museum Steering Committee and Art Purchase Committee and Conference on 'Museum and Conservation' on 28th August, 1998 at Haryana Bhawan and National Museum, respectively.

20.11 Apart from above, officials of the Department also attended the following meetings:- Shri H.D. Singh, Deputy Director of Archives attended meeting of Kerala State Archives Council held at Thiruvananthapuram. He also attended meeting of the O & M officers in Sanchar Bhawan on 19-12-1998 and emphasised the need for proper Records Management and also the use of microfilms for duplication of permanent records. Shri Shitla Prashad, Deputy Director of Archives attended the Workshop on 'Cultural Administration' from 3-6 December, 1998 at India International Centre, New Delhi. Sh. S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives also attended joint Meeting of Panipat Museum Steering Committee and Art Purchase Committee on 15th January, 1998 and 4th February, 1998 held at Haryana Bhawan New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

PRIORITIES

I am happy to note that the long awaited demand for governing archival and records management activities by statutory provisions has been fulfilled by enacting the Public Records Act in December, 1993. As has been stated in the report in the Introductory Chapter that the Act was made operative with effect from 1st March, 1995 and rules were framed under the said Act in 1997, we were hopeful for a sea change in the management of records. But it is, indeed disheartening to note that a lot of efforts are still required on the part of the records creating agencies to regulate their records management activities in accordance with the provisions of Public Records Act, 1993. The Act is primarily required to be implemented with the help of Departmental Records Officer who are entrusted with the job of providing guidance to the various Section Heads in an Organisation on various aspects of records management as also to act as liaison officer with the Director General of Archives and get proper advice from him in this regard. The reason of this poor response appears to be the lack of organised Departmental Record Rooms and nomination of trained Departmental Records Officer to man them.

21.1 As may be seen in the Chapter of Analysis of Data, the response of the records creating agencies is in fact negligible, I am of the opinion that the records creating agencies should take up the records management activities as one of their regular programmes instead of taking it in a piece-meal manner and furnishing stereotype replies to various circular letters being issued in this regard. Obviously, a regular records management programme will help us in implementing the various aspects of records management and achieving the desired results in this behalf. I need not mention here that setting up of an organised Departmental Records Room under the charge of a trained Departmental Records Officer is essential as required under the Public Records Act, 1993.

21.2 An organised Departmental Records Room is a stepping stone for a successful records management in any organisation. As such, a regular inspection of Departmental Records Room as required under Para 133 of the *Manual of Office Procedure* would indeed ensure better up-keep and management of records, I would request the records creating agencies to co-operate with us in getting the Departmental Records Room inspected annually and also implement the suggestions given in the inspection reports.

21.3 Further, the records creating agencies should also depute their Departmental Records Officers for training in Orientation Courses in Records Management conducted by this Department. To facilitate the nomination, a Calendar of Programme is circulated in the beginning of the year by the National Archives of India.

21.4 Another important area which requires urgent attention of the records

creating agencies is the de-classification of classified records. In the present age of transparency, timely de-classification of classified records will open new avenues for the researchers. In my opinion the motto in this regard should be "lesser the number the higher the security".

21.5 Similarly, the thrust should also be given by the records creating agencies for compilation of Records Retention Schedule for their substantive records and the appraisal of non-current records which are more than 25 years old in consultation with National Archives of India so that these could be accessioned at a subsequent stage for permanent preservation. I may also like to draw the attention of the organisations not to destroy their non-current records unilaterally without the consultation of this Department as required under Rule 9(2) of the Public Records Rules, 1997.

I hope the records creating agencies will take my suggestions seriously and initiate action quickly on the above-cited aspects to facilitate better management of Public Records.

(Dr. S.SARKAR)
Director General of Archives,
Government of India.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE – I

Reprinted from :

The GAZETTE OF INDIA, Extraordinary, Part II, Section 1, No. 120
New Delhi, Wednesday, December 22, 1993/Pausa 1, 1915

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 22nd December, 1993/Pausa 1, 1915 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 21st December, 1993, and is hereby published for general information:-

THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993

No. 69 of 1993

[22nd December 1993.]

An Act to regulate the management, administration and preservation of public records of the Central Government, Union territory Administration, public sector undertakings, statutory bodies and corporations, commissions and committees constituted by the Central Government or a Union territory Administration and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (*1*) This Act may be called the Public Records Act, 1993. — Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- — Definitions.

(*a*) "Board" means the Archival Advisory Board constituted under sub-section (*1*) of section 13;

(*b*) "Director General" means the Director General of Archives appointed by the Central Government and includes any Officer authorised by that Government to

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

perform the duties of the Director General;

(*c*) "head of the Archives" means a person holding the charge of the Archives of the Union territory Administration;

(*d*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*e*) "public records" includes–

(*i*) any document, manuscript and file;

(*ii*) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(*iii*) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(*iv*) any other material produced by a computer or by any other device,

of any records creating agency;

(*f*) records creating agency includes,–

(*i*) in relation to the Central Government, any ministry, department or office of that Government;

(*ii*) in relation to any statutory body or corporation wholly or substantially controlled or financed by the Central Government or commission or any committee constituted by that Government, the offices of the said body, corporation, commission or committee;

(*iii*) in relation to a Union territory Administration, any department or office of that Administration;

(*iv*) in relation to any statutory body or corporation wholly or substantially controlled or financed by Union territory Administration or commission or any committee constituted by that Administration, the offices of the said body, corporation, commission or committee;

(*g*) "records officer" means the officer nominated by the records creating agency under sub-section (*1*) of section 5.

Power of the Central Government to coordinate, regulate and supervise

3. (*1*) The Central Government shall have the power to coordinate, regulate and supervise the operations connected with the administration, management, preservation, selection, disposal and retirement of public records under this Act.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

operations connected with administration, management, etc., of public records.

(*2*) The Central Government in relation to the public records of the records creating agencies specified in sub-clause (*i*) and (*ii*) of clause (*f*) of section 2 and the Union territory Administration in relation to the public records of the records creating agencies specified in sub-clause (*iii*) and (*iv*) of the said clause, may, by order, authorise the Director General or the head of the Archives, as the case may be, subject to such conditions as may be specified in the order, to carry out all or any of the functions, namely:–

(*a*) supervision, management and control of Archives;
(*b*) acceptance for deposit of public records of permanent nature after such period as may be prescribed;
(*c*) custody, use and withdrawal of public records;
(*d*) arrangement, preservation and exhibition of public records;
(*e*) preparation of inventories, indices, catalogues and other reference media of public records;
(*f*) analysing, developing, promoting and coordinating the standards, procedures and the techniques for the improvement of records management system;
(*g*) ensuring the maintenance, arrangement and security of public records in the Archives and in the offices of the records creating agency;
(*h*) promoting utilisation of available space and maintenance of equipments for preserving public records;
(*i*) tendering advice to records creating agencies on the compilation, classification and disposal of records and application of standards, procedures and techniques of records management;
(*j*) survey and inspection of public records;
(*k*) organising training programmes in various disciplines of Archives administration and records management;
(*l*) accepting records from any private source;
(*m*) regulating access to public records;
(*n*) receiving records from defunct bodies and making arrangement for securing public records in the event of national emergency;
(*o*) receiving reports on records management and disposal practices from the records officer;
(*p*) providing authenticated copies of, or extracts from, public records;
(*q*) destroying or disposal of public records;

obtaining on lease or purchasing or accepting as gift any document of historical or national importance.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

4. No person shall take or cause to be taken out of India any public records without the prior approval of the Central Government:

Prohibition against taking of public records out of India.

Provided that no such prior approval shall be required if any public records are taken or sent out of India for any official purpose.

5. (*1*) Every records creating agency shall nominate one of its officers as records officer to discharge the functions under this Act.

Records Office.

(*2*) Every records creating agency may set up such number of record rooms in such places as it deems fit and shall place each record room under the charge of a records officer.

6. (*1*) The records officer shall be responsible for–

Responsibilities of records officers.

(*a*) proper arrangement, maintenance and preservation of public records under his charge;

(*b*) periodical review of all public records and weeding out public records of ephemeral value;

(*c*) appraisal of public records which are more than twenty five years old in consultation with the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union territory with a view to retaining public records of permanent value;

(*d*) destruction of public records in such manner and subject to such conditions as may be prescribed under sub-section (*1*) of section 8;

(*e*) compilation of a schedule of retention for public records in consultation with the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union territory;

(*f*) periodical review for downgrading of classified public records in such manner as may be prescribed;

(*g*) adoption of such standards, procedures and techniques as may be recommended from time to time by the National Archives of India for improvement of record management system and maintenance of security of public records;

(*h*) compilation of annual indices of public records;

(*i*) compilation of organisational history and annual supplement thereto;

(*j*) assisting the National Archives of India or, as the case may be, the Archives of the Union territory for public records management;

(*k*) submission of annual report to the Director General or, as the case may be, head of the Archives in such manner as may be prescribed;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(*l*) transferring of records of any defunct body to the National Archives of India or the Archives of the Union territory, as the case may be, for preservation.

(*2*) The records officer shall act under the direction of the Director General or, as the case may be, head of the Archives while discharging the responsibilities specified in sub-section (*1*).

Records officer to take appropriate action in the event of unauthorised removal, destruction, etc., of public records in his custody

7. (*1*) The records officer shall, in the event of any unauthorised removal, destruction, defacement or alteration of any public records under his charge, forthwith take appropriate action for the recovery or restoration of such public records.

(*2*) The records officer shall submit a report in writing to the Director General or as the case may be, the head of the Archives without any delay on any information about any unauthorised removal, destruction, defacement or alteration of any public record under his charge and about the action initiated by him and shall take action as he may deem necessary subject to the directions if any given by the Director General or, as the case may be, head of the Archives.

(*3*) The record officer may seek assistance from any Government officer or any other person for the purpose of recovery or restoration of public records and such officer or person shall render all assistance to the records officer.

Destruction or disposal of public records.

8. (*1*) Save as otherwise provided in any law for the time being in force, no public record shall be destroyed or otherwise disposed of except in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(*2*) No record created before the year 1892 shall be destroyed except where in the opinion of the Director General or, as the case may be, the head of the Archives, it is so defaced or is in such condition that it cannot be put to any archival use.

Penalty for contraventions.

9. Whoever contravenes any of the provisions of section 4 or section 8 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Public records bearing security classification.

10. No public records bearing security classification shall be transferred to the National Archives of India or the Archives of the Union territory.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Archives of the Union territory.

11. (*1*) The National Archives of India or the Archives of the Union territory may accept any record of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Receipt of records from private sources.

(*2*) The National Archives of India or as the case may be, the Archives of any Union territory may, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, make any record referred to in sub-section (*1*) available to any *bona fide* research scholar.

12. (*1*) All unclassified public records as are more than thirty years old and are transferred to the. National Archives of India or the Archives of the Union territory may be, subject to such exceptions and restrictions as may be prescribed made available to any *bona fide* research scholar. Access to public records.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the period of thirty years shall he reckoned from the year of the opening of the public record.

(*2*) Any records creating agency may grant to any person access to any public record in its custody in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

13. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute an Archival Advisory Board for the purposes of this Act. Archival Advisory Board.

(*2*) The Board shall consist of the following members,

(*a*) Secretary to the Government of India in the Ministry of Central Government dealing with culture	Chairman *ex-officio*;
(*b*) one officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, each from the Cabinet Secretariat, Ministry of Home Affairs, Ministry of Defence, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension	Members *ex-officio*;
(*c*) two representatives not below the rank of Joint Secretary in the Union territory Administrations to be nominated by the Central Government	Members;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(*d*) three persons to be nominated by the Central Government for a period not exceeding three years, one being an Archivist and two being Professors in the Post-graduate Department of History in any recognised University.	Members;
(*e*) Director General	Member-Secretary *ex-officio*

(*3*) The members nominated under clause (*d*) of sub-section (*2*) shall be paid such allowances as may be prescribed.

14. The Board shall perform the following functions, namely:- Functions of the Board.

(*a*) advise the Central Government and Union territory Administrations on matters concerning the administration, management, conservation and use of -public records;

(*b*) lay down guidelines for training of Archivists;

(*c*) give directions for acquisition of records from private custody;

(*d*) deal with such other matters as may be prescribed.

15. The Director General shall have the power to lay down norms and standards for courses curricula, assessment and examinations relating to the training in archival science and other ancillary subjects. Power of the Director General to lay down norms and standards for courses in archival science.

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith.

17. (*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules Power to make rules.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

to carry out the provisions of this Act.

(*2*) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(*a*) the period after which public records of permanent nature may be accepted under clause (*b*) of sub-section (*2*) of section 3;

(*b*) the manner in which and the conditions subject to which public records can be destroyed under clause (*d*) of sub-section (*1*) of section 6;

(*c*) the manner in which periodical review of classified public records for downgrading shall be undertaken under clause (*f*) of sub-section (*1*) of section 6;

(*d*) the manner in which the records officer will report to the Director General or the head of the Archives under clause (*k*) of sub-section (*1*) of section 6;

(*e*) the manner in which and the conditions subject to which public records may be destroyed or disposed of under sub-section (*1*) of section 8;

(*f*) the manner in which and the conditions subject to which records of historical or national importance may be made available to research scholar under sub-section (*2*) of section 11;

(*g*) exceptions and restrictions subject to which public records may be made available to a research scholar under sub-section (*1*) of section 12;

(*h*) the manner in which and the conditions subject to which any records creating agency may grant to any person access to public records in its custody under sub-section (*2*) of section 12;

(*i*) the allowances payable to members of the Board under sub-section (*3*) of section

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

13;

(*j*) the matters with respect to which the Board may perform its functions under clause (*d*) of section 14;

(*k*) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Laying of rules before Parliament.

18. Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

K. L. MOHANPURIA,
Secy. to the Government of
India.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE – II

Reprinted from:

The GAZETTE OF INDIA, Part II – Section 3, Sub-section (i)
New Delhi, Saturday, January 18, 1997

THE PUBLIC RECORDS RULES, 1997

Department of Culture
New Delhi, the 9th January, 1997

G.S.R. 43:- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Public Records Act, 1993 (69 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely : -

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Public Records Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Public Records Act, 1993 (69 of 1993);

(b) "appraisal" means the evaluation of public records in association with the National Archives of India or Archives of the Union Territory as the case may be;

(c) "classified records" means the files relating to the public records classified as top-secret, secret, confidential and restricted in accordance with the procedure laid down in the Manual of Departmental Security Instructions circulated by the Ministry of Home Affairs from time to time;

(d) "custody" means the possession of public records;

(e) "defunct body" means a corporate or non-corporate body which has been wound up with no successor to carry on its functions;

(f) "Declassification" means downgrade the security classifications after their evaluation;

(g) "file" means a collection of papers relating to the public records on a specific subject-matter consisting of correspondence, notes and appendix thereto and assigned with a file number;

(h) "form" means the form appended to these rules;

(i) "private records" means records lying in the possession of a private individual or with any non-governmental organisation;

(j) "recording" means the process of closing a file after action on all issues considered thereon has been completed;

(k) "records of permanent nature" means the public records being maintained after recording for a period specified, under sub-rule (1) of rule 5 by the records creating agency in accordance with the procedure laid in its Manual of Office Procedure or Instructions on the subject;

(l) "retention Schedule of records" means a Schedule which provides the period of retention;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(m) "review" means periodical evaluation of recorded files on the expiry of the period of retention for determining their further retention or destruction, as the case may be;

(n) "Section" means the section of the Act;

(o) "Standing guard file" means a compilation of papers on a particular subject-matter consisting of copies of policy decision, orders, instructions or any another matter incidental thereto arranged in a chronological order;

(p) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Nomination of records officer:- The records creating agency shall by an office order issued in pursuance of the provision of sub-section (1) of section 5 of the Act nominate one of its officers, not below the rank or grade of a Section Officer, as the Records Officer. A copy of such office order shall forwarded to the Director General or head of the Archives, as the case may be.

4. Maintenance of standing guard file:- The records officer shall be responsible for maintaining and keeping a standing guard file and proper record of the directions issued by the Director General or head of the Archives, as the case may be, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 6 and shall produce the same for inspection as and when required by the Director General or head of the Archives, as the case may be.

5. Acceptance of public records of permanent nature:- (1) The Director General or head of the Archives, as the case may be, shall accept for deposit and preservation public records of permanent nature which have been retained after recording by the records creating agency in its records room for the last twenty five years or more.

(2) Records officer shall intimate to the Director General or head of the Archives, as the case may be, each year before 31st day of January, in Form-1, the particulars of all public records of permanent nature which are due for appraisal during the year.

(3) On receipt of an intimation under sub-rule (2), the Director General or head of the Archives, as the case may be, through his officers, shall assist the records officer in conducting the appraisal of public records. When the appraisal is over, the records officer shall prepare, in triplicate, a transfer list in Form-2 of all public records and deposit the same for preservation with the Director General or head of the Archives, as the case may be who shall after his satisfaction return one copy of the transfer list to the records officer as a receipt of the public records.

(4) If the records officer after appraisal deems it necessary to retain any record or file of permanent nature beyond the period of twenty five years, he may do so for reasons to be recorded in writing and under intimation to the Director General or head of the Archives, as the case may be.

6. Withdrawal of public records:- (1) If public records deposited and preserved with the Director General or head of the Archives, as the case may be, is required by the records creating agency for any official purpose, then the records officer shall send a duly signed and stamped requisition slip in Form-3 to the Director General or head of the Archives as the case may be.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(2) The public records requisitioned under sub-rule (1) may be returned as soon as the purpose is achieved but shall not be retained beyond the period of six months by the records officer or the record creating agency.

7. Down-grading of classified records:- (1) The records creating agency shall by an office order authorise an officer not below the rank of the Under Secretary to the Government of India to evaluate and downgrade the classified records being maintained by it. A copy of such office order shall be forwarded to the Director General or head of the Archives, as the case may be.

(2) The officer so authorised under sub-rule (1) shall evaluate the classified records every fifth year for the purpose of downgrading.

(3) After down-grading if the officer declares any record as of permanent nature, the same shall be deposited, and preserved with the Director General or head of the Archives, as the case may be, after its appraisal.

(4) The records deposited under this rule can be requisitioned for any official purpose and returned to the Director General or head of the Archives, as the case may be, in the manner provided under rule 6.

(5) Every year in the last week of June and December, a. half-yearly statement in Form-4 shall be furnished by the officer authorised under sub-rule (1) to the Director General or head of the Archives, as the case may be, on the action taken for evaluation and downgrading the classified records.

8. Submission of Annual Report:-(1) The records officer nominated under rule 3 shall furnish to the Director General or head of the Archives, as the case may be, an Annual Report in Form-5 every year in the month of March of the following year.

(2) The Director General or head of the Archives, as the case may be, shall, thereafter, submit a report to the Government in the Ministry of Human Resource Development every year on the action taken by the Records Officer in pursuance to the provisions of clauses (a) to (l) of sub-section 1 of section 6 of the Act.

9. Destruction of Public Records:- (1) No public record shall be destroyed without being recorded and reviewed. In the month of January every year, each records creating agency shall record after consulting the records retention Schedule all those files on which action has been completed. This work shall be accomplished in consultation with the records officer.

(2) No public records which is more than twenty-five years old shall be destroyed by any records creating agency unless it is appraised.

(3) A list of all such public records which are proposed to be destroyed shall be prepared by the record creating agency in Form-6 and retained permanently for future reference.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(4) The records officer shall furnish a half yearly report in Form-7 on recording, indexing, reviewing and weeding of records to the Director General or head of the Archives, as the case may be.

(5) Records shall be destroyed either by burning or shredding in the presence of records officer.

10. Access to private records:- (1) Records acquired from private sources by way of gift or purchase or otherwise shall be made available for bona fide research subject to the conditions laid down by the donor.

(2) Research scholar shall submit an application in Form-8 to the Director General or head of the Archives, as the case may be, for permission to consult records. The Director General or head of the Archives, as the case may be, may refuse such permission in public interest and for reasons to be recorded on the said application.

(3) Wherever microfilm rolls may be available, the original records shall not be supplied for consultation to research scholars. No copy of any records shall be made by any one without the prior permission of the Director General or head of the Archives, as the case may be.

11. Access to public records:- (1) The public records accepted for deposit and preservation under sub-rule (1) of rule 5 shall be made available for bonafide consultation and research purposes subject to the provision of sub-section 1 of section 12 and the following conditions namely:-

(i) a person who intends to consult the public records shall apply to the Director General or head of the Archives, as the case may be, in Form-8. The Director General or head of the Archives, as the case may be, may refuse such permission in public interest and for reasons to be recorded on the said application;

(ii) foreign national intending to consult the public records may be permitted only on the production of letters of introduction from their sponsoring institution and diplomatic Mission;

(iii) record, maps and cartographic records relating to the Ministry of External Affairs and Ministry of Defence, in respect of Arunachal Pradesh (including Eastern Section of the Sino-Indian border) Sikkim, Bhutan, Nepal, Tibet, China and Myanmar and areas comprising Pakistan and Bangladesh may be made available for consultation keeping in view the security and the defence of India or of any part of the territory thereof. Records relating to the Ministry of External Affairs, Home Affairs and Human Resource Development in respect of Jammu and Kashmir (including Gilgit and Chitral) may also be made available for consultation keeping in view the security and defence of India or of any part of the territory thereof;

Provided that the Director General or head of the Archives, as the case may be, refuse such consultation;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(iv) wherever microfilm rolls may be made available, the original records shall not be supplied for consultation to research scholar;

(v) reprographic and transcription facilities may be made available on submission of an application in Form-9 and for such services the applicant shall have to make the payment of such service charges as may be fixed by the Director General or head of the Archives, as the case may be, from time to time;

(vi) a person consulting public records for the purpose of research and publishes the work which is based upon the material taken from the said records may acknowledge the same.

(2) A person intending to consult the public records shall not,-

(a) write and put any marks or indications on public records;
(b) fold, tear, cut, crease, or otherwise damage or mutilate public records;
(c) remove any public records without obtaining the permission from the Director General or head of the Archives, as the case may be;
(d) be allowed to take any eatable or drinking products or smoking while consulting public records;
(e) place any thing or object on any public records with a view to make out any copy of the said records;
(f) disturb or interrupt any other person while consulting the public records; and
(g) behave in a manner which, in the opinion of the Director General or head of the Archives, as the case may be, is detrimental to the maintenance and preservation of public records.

12. Allowances to the members of the Archival Advisory Board:- The members of the Archival Advisory Board nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section 2 of Section 13 shall draw travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Archival Advisory Board at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Form-1
[See sub-rule (2) of rule 5]

Particulars of records of permanent nature due for appraisal during the year .....

Total numbers of files of 'A' and 'B' categories lying in the records rooms of the records creating agencies	Total numbers of files of 'A' and 'B' categories transferred to records rooms by the Sections during the period under report	Total numbers of files referred to under column 1 and 2	Total numbers of files due for appraisal	Remarks, if any
1	2	3	4	5

Form-2
[See sub-rule (3) of rule 5]
Transfer List

Name of the records creating agency i.e. Ministry/ Department/ Office/ Public Undertakings etc. :
Name and particulars of the records officer:
Name of the Branch/Section:
Year:

Sl. No.	File No.	Subject matter of the file	Remarks, if any
1	2	3	5

Signature and seal of the records officer .....

Form-3
[See sub-rule (1) of rule 6]
Requisition slip

Name of the records creating agency (i.e. Ministry/Department/Office):
Name and particulars of the records officer:
Particulars of records or File No. requisitioned:
Purpose for which required:
Undertaking by the records officer.- I..... hereby declare that the records/ file requisitioned shall be returned to the Director General/the head of the Archives before the expiry of six months as required under sub-rule (2) of rule 6.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Date Signature and seal of the records officer.

Form-4

[See sub-rule (5) of rule 7]

(Half Yearly Statement on periodical review of classified records)

Total No. of classified records lying at present in the organization	No. of classified records due for reviewing	No. of files reviewed and downgraded during the period under report	Remarks
1	2	3	4

Form-5

Form for the submission of Annual Report to Director General of Archives/head of the Archives

[See sub-rule (1) of rule 8]

1. A. Setting up organised Departmental Records Room-Whether your organisation has set up an organised Records Room, and if so, is the space sufficient?

B. Nomination of Records Officers.- Whether your organization has nominated an officer as Departmental Records Officer, and if not, give reasons ?

C. Training of Records Officer and Staff:

(i) Whether Departmental Records Officer has received training in Records Management?

(ii) Whether the junior staff working in the Departmental Records Room are trained in various aspects of Records Management?

(iii) If not, are you willing to avail training facilities existing at National Archives of India.

D. I. Sharing of space for housing semi-current records at National Archives/Archives of the Union Territory:-

(i) Whether your organisation is willing to share space at National Archives, New Delhi and its Records Centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar and Regional Office at Bhopal ?

(ii) If Yes, please state bulk of records proposed to be transferred.

II. (i) Whether your organisation is willing to share space at the Archives of the Union Territory ?

(ii) If yes, please state the bulk of records proposed to be transferred.

2. Periodical recording, reviewing and weeding out of semi-current records:

(i) Whether your organisation has taken steps for recording, reviewing and weeding out of ephemeral records?

(ii) Indicate the total number of records recorded, reviewed and weeded out during the period under report.

26—124 Archives/2001

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

3. Appraisal of Non-Current records:

(i) Whether your organisation has initiated action to get non-current records appraised in consultation with National Archives?

(ii) State the total bulk of records awaiting appraisal.

4. Compilation/Revision of Retention Schedule of Records:

(i) Whether your organisation has compiled Record Retention Schedule of substantive functions in consultation with National Archives and if not what action do you propose to take?

(ii) Has your organisation taken steps to revise the above schedule after five years?

5. Periodical review of classified records:

(i) Whether your organisation has de-classified the classified records during the period under report?

(ii) If not, state reasons ?

6. Compilation of Annual Indices to Records:

(i) Whether your organisation has compiled annual indices ?

(ii) State inclusive years with the name of the series ?

7. Compilation of Organisational history:

Has your organisation compiled organisational history reflecting various functions along with the date of their creation and if so furnish a copy to National Archives.

8. Records of Defunct Bodies

(i) Whether your organisation has got records of defunct bodies, give details ?

(ii) If yes, what action have you initiated for their transfer to National Archives?

Form-6

[See sub-rule (3) of rule 9]

Particulars of records destroyed during the year.....

Sl. No.	File Nos.	Subject of files	Remarks
1	2	3	4

Form-7

[See sub-rule (4) of rule 9]

Half yearly report on recording, indexing, reviewing and weeding of records during the half-year ending.....

Sl. No.	Total no. of	Total no. of	Total no. of	Total no. of	Remarks

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

	files recorded	files indexed	files reviewed	files weeded out, if any	
1	2	3	4	5	6

Form-8

[See sub-rule (2) of rule 10 and clause (i) of sub-rule (1) of rule 11]

(Application form for permission to consult records)

To

The Director General of Archives
Government of India,
New Delhi-110001.

Sir,

I hereby apply for enrolment as a research scholar for consulting records in the Research Room of the National Archives of India. I agree to comply with the rules and conditions in force and promise to deposit a copy of each of my work based on materials consulted at the National Archives of India immediately after the publication.

1. Name, including Surname: Sh./ Smt./ Km./ Dr. .....
2. Father's/ Husband's name: .....
3. Date of Birth: .....
4. Qualifications: .....
5. Nationality: .....
6. Profession: .....
7. Subject of search: .....
8. University/Institutions* registered with: .....
9. Period for which admission is sought: .....
10. Signature and date: .....
11. Address: (i) Local:
    (ii) Permanent:

Particulars of records to be consulted:

Department	Period	Remarks
1.		
2.		
3.		
4.		

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

* Scholars are requested to attach a letter of recommendation from their University/Institution/Department. However, the foreign scholars are requested to bring a letter of accredition from the diplomatic representatives of their country in India as well.

Form-9

[See clause (v) of sub-rule (1) of rule 11]

Application for Reprographic/Transcription facilities

Dated:

To
The Director General of Archives,
National Archives of India,
New Delhi.

Sir,

Kindly supply me Microfilm (NEG/POS) PHOTO COPIES/XEROX TRANSCRIPTS of the material(s) indicated in the enclosed list for my research/publication/University. The material is from the Ministry(s)/Department(s) of ----------it consists of ---------- items and covers the period from----------to ----------.

1. I declare that the above material is for my research/publication/university
2. I undertake to pay the charges as per schedule of rates prevailing at the time of completion of work. I understand and accept that the estimated cost, when supplied is only tentative and the rates are also liable to revision without notice.
3. The photocopies/transcripts supplied will not be sold/transferred to any other person without prior permission of the Director General of Archives.
4. The material, if published, will be suitably acknowledged and provisions of copyright, where applicable, will be cornplied with.
5. I hereby deposit a sum of Rs. ----------as advance.

Yours faithfully

Permanent address
(in block letters)

Signature
Name (in block letters)
Local address

FOR OFFICE USE

Advance received vide receipt No. ..... Dated.....for Rs..... Service charges have come to Rs..... Balance receipt vide Receipt No. .....dated.....Rs.....

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Cleared for photo-copying transcription subject to following:

(1) .....

Signature of Archivist
Date

[No. F. 16-2/94-RM]
Sd/- KASTURI GUPTA MENON, Joint Secy.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Reprinted From:
The GAZETTE OF INDIA, Part II, Section 3, Sub-section (ii), No. 41
New Delhi, Saturday, October 9, 1999/Asvina 17, 1921

DEPARTMENT OF CULTURE
CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th September, 1999

S.O. 2857.- In the Notification of the Government of India, in the Department of Culture No. G.S.R. number 43 dated the 9th January, 1997, published at pages 725 to 740 of the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) dated the 18th January, 1997- At Page No. 734, in rule 2,-

(i) After clause (e), for "(g) file means a collection of papers relating downgrade the security classifications after evaluations" read "(f) down grading of classified records means to down grade the security classifications after their evaluation;"

(ii) In clause (g), for "collection tf" read "collection of."

[File No. 16-8/99-R.M.]
S. SATHYAMOORTHY, Joint Secy.

ANNEXURE – III

Reprinted from :

The GAZETTE OF INDIA, Extraordinary, Part II, Section 3, No. 613
New Delhi, Wednesday, November 1, 1995/Kartika 10, 1917

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 1st November, 1995

NOTIFICATION

S.O. 869(E).– In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Public Records Act, 1993 (69 of 1993), the Central Government hereby constitutes an Archival Advisory Board with effect from the 1st day of November, 1995 consisting of the following members namely :--

Nominated under clause (a) of Sub-section (2) of Section 13 :--

1. Secretary to the Government of India, in the Ministry of Central Government dealing with Culture — Chairman ex-officio

Nominated under clause (b) of Sub-section (2) of Section 13 :--

2. Shri S. K. Misra, Joint Secretary, Cabinet Secretariat — Member, ex-officio
3. Shri R. R. Shah, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. — -do-
4. Shri M. S. Sokhanda, Joint Secretary, Ministry of Defence. — -do-
5. Shri A. Choudhry, Joint Secretary, (P.P.), Ministry of External Affairs. — -do-
6. Financial Adviser, (Ministry of Human Resource Development), Ministry of Finance. — -do-
7. Shri James K. Joseph, Joint Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. — -do-

Nominated under clause (c) of Sub-section (2) of Section 13 :--

8. Shri Jalai Shrivastava, Deputy Secretary, Ministry of, Home Affairs, — Member, ex-officio
9. Shri Pradeep Sen, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. — -do-

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Nominated under clause (d) of Sub-section (2) of Section 13 for a period of three years from the date of constitution of the Board :--

10. Dr. S. N. Prasad , Archivist. — Member
11. Dr. S. R. Mehrotra, Professor, M. D. University, Rohtak. — -do-
12. Dr. V. Ramakrishna, Professor, Central University, Hyderabad. — -do-

Nominated under clause (e) of Sub-section (2) of Section 13 :--

13. Director General of Archives, National Archives of India. — Member-Secretary, Ex-Officio.

[NO. F. 16-2(a)/94-RM]
ASHOK VAJPEYI, Joint Secy.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE- IV

List of Ministries/ Departments/ Offices Who Have Furnished Information On Implementation of The Public Records Act, 1993.

Ministry of Agriculture

1. Directorate of Marketing and Inspection, New Delhi.
2. Department of Agricultural Research and Education, New Delhi.
3. Directorate of Jute Development, Calcutta.
4. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
5. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne.
6. Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar.
7. Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.

Ministry of Civil Aviation and Tourism

8. Director General Civil Aviation, New Delhi.
9. Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation and Tourism), New Delhi.

Ministry of Commerce

10. Department of Supply, New Delhi.
11. Director General Supplies and Disposals, New Delhi.
12. Chief Controller of Accounts (Department of Supply), New Delhi.
13. Joint Director General Foreign Trade, Calcutta.
14. Director General Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
15. Falta Export Processing Zone, Calcutta.
16. Deputy Director General Foreign Trade, Guwahati.
17. Deputy Director General Foreign Trade, Shillong.
18. Joint Director General Foreign Trade, Cuttack.

Ministry of Communication

19. Chief Post Master General (W.B. Circle), Calcutta.
20. Post Master General (Northern Region), Dharwar.
21. Postal Training Centre, Madurai.
22. Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar.

Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution.

23. Department of Public Distribution.
24. Department of Sugar and Edible Oils.

Ministry of Defence

25. Ministry of Defence, New Delhi.
26. Controller General of Defence Accounts, New Delhi.
27. Air Headquarters (VB), New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

28. Department of Jag, Air Headquarters, New Delhi.
29. Air Headquarters (Coord.), New Delhi.
30. Air Headquarters (Admn.), New Delhi.
31. Army Purchase Organisation, New Delhi.
32. Centre for Environment and Explosive Safety, New Delhi.
33. Army Forces Film and Photo Division, New Delhi.
34. Director General Supplies and Transport (QMG Branch), Army Headquarters, New Delhi.
35. Additional. Directorate General, Remount and Veterinary (QMG Branch), Army Headquarters, New Delhi.
36. Additional Directorate General, Army Postal Service, New Delhi.
37. DGA/QA//Tech. Coord, New Delhi.
38. General Staff Branch, New Delhi.
39. Defence Research and Development Unit, Calcutta.
40. Pioneer Corps, Bangalore.
41. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore.
42. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.
43. Naval Psychological Research Unit, Kochi.
44. Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur.
45. Regional Centre for Military Airworthiness, Pune.
46. College of Defence Management, Secunderabad.
47. Chief Construction Engineer (R&D), Secunderabad.
48. Naval Science and Technical Laboratory, Visakhapatnam.

Ministry of Environment and Forests

49. Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
50. North Eastern Regional Office, Shillong.
51. Eastern Regional Office, Bhubaneswar.
52. Regional Office (Northern Region) Chandigarh.
53. Regional Office (Central Region), Lucknow.

Ministry of External Affairs

54. Passport Office, Patna.
55. Passport Office, Bhopal
56. Passport Office, Panaji (Goa).

Ministry of Finance

57. Directorate of Preventive Operations, Customs and Central Excise, New Delhi.
58. Commissioner of Central Excise, Chennai.
59. Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai.
60. Custodian for Enemy Property for India, Mumbai.
61. Commissioner of Central Excise, Mumbai-II, Mumbai.
62. Commissioner of Customs, Mumbai.
63. Office of Official Liquidator High Court, Allahabad.
64. Office of the Registrar of Company Affairs, Andhra Pradesh, Hyderabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

27—124 Archives/2001

65. Commissioner of Central Excise, Madurai.
66. Currency Note Press, Nashik Road.
67. Security Printing Press, Hyderabad.
68. Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-I, Ahmedabad.
69. Commissioner of Income Tax Karnataka and Goa, Bangalore.
70. Customs and Central excise Commissionerate, Rajkot.
71. Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore.
72. Commissioner of Central Excise Headquarter, Belgaum.
73. Commissioner of Central Excise Belgaum Division.
74. Assistant Commissioner of central Excise, Dharwar.
75. Assistant Commissioner of central Excise, Hubli.
76. Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary.
77. Central Excise Commissionerate, Kanpur.
78. Commissioner Customs and Central Excise, Raipur.
79. Assistant Commissioner of Central Excise, Devanagare.
80. Commissioner of Central Excise, Pune-I, Pune.
81. Commissioner of Customs and Central Excise, Guntur.

Ministry of Food

82. Central Food Laboratory, Calcutta.
83. Forward Markets Commission, Mumbai.
84. Quality Control Cell (Department of Food and Civil Supplies), Hyderabad.
85. Save Grain Campaign Regional Office, Hyderabad.
86. Save Grain Campaign Regional Office, Bhopal.
87. Save Grain Campaign Office, Ahmedabad.

Ministry of Health and Family Welfare

88. Assistant Drugs Controller, Calcutta.
89. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.
90. Central Government Health Scheme, Mumbai.
91. Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.
92. Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur.
93. Central Government Health Scheme, Bangalore.
94. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.
95. Port Health Organisation, Mandapam Camp.
96. Central Drugs Standard Control Organisation, Kochi.
97. Port Health Organisation, Visakhapatnam.
98. Central Government Health Scheme, Allahabad.

Ministry of Home Affairs.

99. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
100. Inter-State Council Secretariat, New Delhi.
101. Intelligence Bureau, New Delhi.
102. Director General. Central Reserve Police Force, New Delhi.
103. Zonal Council Secretariat, New Delhi.
104. Central Translation Bureau, New Delhi.
105. Director General, National Security Guard, New Delhi.
106. Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

107. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
108. North Eastern Police Academy, Umsaw, Umiam (Meghalaya).

Ministry of Human Resource Development

109. Department of Culture, New Delhi.
110. Department of Education, New Delhi.
111. Department of Women and child Development, New Delhi.
112. Department of Youth Affairs and Sports, New Delhi.
113. Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi.

Ministry of Information and Broadcasting

114. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
115. Prasar Bharati (AIR), New Delhi.
116. Directorate of Advertisement and Visual Publicity, New Delhi.
117. Central Board of Film Certification, Mumbai.
118. Prasar Bharati (AIR), Madikeri.
119. Prasar Bharati (AIR), Thiruvananthapuram.
120. Prasar Bharati (AIR), Karwar.
121. Prasar Bharati (AIR), Jaipur.
122. Prasar Bharati (AIR), Bhopal.
123. Prasar Bharati (AIR), Itanagar.

Ministry of Labour

124. Ministry of Labour, New Delhi.
125. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi.
126. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai.
127. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad.
128. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped Women, Vadodara.
129. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Kanpur.
130. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Calcutta.
131. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Chennai.
132. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur.
133. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Ranchi.
134. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya).
135. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat.
136. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur.
137. Advanced Training Centre, Mumbai.
138. Regional Vocational Training Institute for Women, Indore.
139. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Faridabad.
140. Labour Welfare Organisation Bihar, Karma, Jhumritelaiya.
141. Cochin Dock Labour Board, Cochin.
142. Welfare Commissioner, Allahabad.
143. Director General Mines Safety, Dhanbad.
144. Deputy Chief Labour Commissioner, Bangalore.

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

145. Department of Legal Affairs and Legislative Department, New Delhi.
146. Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Bangalore.
147. Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur.
148. Official Liquidator, High Court of Kerala, Kochi.

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

149. Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar.

Ministry of Parliamentary Affairs

150. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.

Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions

151. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

Ministry of Planning

152. National Sample Survey Organisation, New Delhi.
153. Planning Commission, New Delhi.
154. Computer Centre, New Delhi.
155. Industrial Statistical Wing (Central Statistical Organisation), Calcutta.
156. Regional Evaluation Office, Mumbai
157. Programme Evaluation Organisation, Shimla.

Ministry of Statistics and Programme Implementation

158. Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi.

Ministry of Power

159. Central Electricity Authority, New Delhi.

Ministry of Railways

160. Railway Board, New Delhi.
161. Integral Coach Factory, Chennai.

Ministry of Rural Areas and Employment

162. Directorate of Marketing and Inspection, Kochi.

Ministry of Science and Technology

163. Survey of India, Dehradun.

Ministry of Social Justice and Empowerment

164. National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Steel and Mines

165. Department of Coal, New Delhi.
166. Development Commissioner for Iron and Steel, Calcutta.

Ministry of Surface Transport

167. Ministry of Surface Transport, New Delhi.

Ministry of Textiles

168. Jute Commissioner, Calcutta.

Ministry of Water Resources

169. Ministry of Water Resources, New Delhi.
170. Brahmaputra Board, Guwahati.
171. Central Water and Power Research Station, Pune.

Ministry of Urban Development

172. Central Public Works Department (Pune Central Circle), Pune.

Department of Atomic Energy

173. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

174. Department of Ocean Development, New Delhi.

175. President's Secretariat, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE- V

List of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies Who Have Furnished Information on Implementation of The Public Records Act, 1993

Ministry of Agriculture

1. Coconut Development Board, Kochi.
2. The Cashew Export Promotion Council of India, Cochin.
3. Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar.

Department of Atomic Energy

4. The Atomic Energy Regulatory Board, Mumbai.
5. Indian Rare Earth Ltd., Mumbai.

Ministry of Chemicals & Fertilizers

6. Hindustan Fertilizers Corporation of India Ltd., New Delhi.
7. The Indian Drugs and Pharmaceutical Ltd., Gurgaon.
8. The Smith Stainistreet Pharmaceutical Ltd., Calcutta.
9. Madras Fertilizers Ltd., Chennai.
10. The Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd., Noida.
11. The National Fertilizers Ltd., Noida.

Ministry of Civil Aviation & Tourism

12. Airport Authority of India, New Delhi.
13. Hotel Corporation of India Ltd., Mumbai.

Department of Coal

14. Neyveli Lignite Corporation Ltd., Chennai.

Ministry of Defence

15. Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad.

Ministry of Environment & Forests

16. The Wild Life Institute of India, Dehradun.
17. Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bangalore.
18. Andaman and Nicobar Island Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair.
19. State Forest and Service College, Coimbatore.
20. Institute of Rain Moist Deciduous Forests Research, Jorhat.

Ministry of Food Processing & Industry

21. Central Ware Housing Corporation, New Delhi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Home Affairs

22. National Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi.

Ministry of Human Resource Development

23. Indian National Academy of Engineering, Hauz Khas, New Delhi.
24. Nehru Yuvak Kendra Sangathan, New Delhi.
25. Indira Gandhi National Open University, New Delhi.
26. Technical Teacher's Training Institute, Chandigarh.

Ministry of Industry

27. Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., Mumbai.
28. Tyre Corporation of India Ltd., Calcutta.
29. Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam, Kerala.
30. H.M.T. (International) Ltd., Bangalore.

Ministry of Information and Broadcasting

31. Prasar Bharati, Pondicherry, Panaji (Goa), Imphal, Chandigarh, Chennai, Bhopal, New Delhi.
32. National Film Archive, Pune.

Ministry of Information Technology

33. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.
34. North Eastern Electrical Power Corporation Ltd., Shillong.

Ministry of Labour

35. Directorate General of Employment and Training, Regional Vocational Training Institute for Women, Arimile Tura, Meghalaya.
36. Central Board for Workers Education, Nagpur.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

37. The Petroleum Conservation Research Association, New Delhi.
38. The Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai.

Ministry of Power

39. Central Research and Testing Laboratory, Bangalore.
40. Advanced Training Institute for Electronics and Process Instrumentation , Dehradun.

Ministry of Railway

41. The Metropolitan Transport Project (Railways), Mumbai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Department of Space

42. The Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur.

Ministry of Science & Technology

43. Indian Institute of Geomagnetism, Mumbai.
44. Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Science, Calcutta.
45. Bose Institute, Calcutta.
46. Indian Academy of Science, Bangalore.
47. Raman Research Institute, Bangalore.
48. Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
49. Indian Association for the Cultivation of Sciences, Jadavpur.
50. National Academy of Sciences, Allahabad.
51. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.
52. Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun.
53. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.

Ministry of Steel and Mines

54. The Ferrow Scrap Nigam Ltd., Bhilai.
55. Dredging Corporation of India Ltd., Visakhapatnam.
56. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam
57. Cochin Shipyard, Cochin.

Ministry of Social Justice and Empowerment

58. The National Institute for Visually Handicapped, Dehradun.

Ministry of Textile

59. National Textiles Corporation Ltd., New Delhi.
60. The British India Corporation Ltd., Kanpur.
61. Central Wool Development Board, Jodhpur.

Ministry of Urban and Employment

62. Hindustan PREFAB Ltd., New Delhi.
63. National Building Construction Corporation Ltd., New Delhi.

Ministry of Water Resources

64. Damodar Valley Corporation, Calcutta.
65. Ganga Flood Water Commission, Patna.
66. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.
67. National Institute of Hydrology, Roorkee.
68. Bhakra Beas Management Board, Talwara.
69. Bhakra Beas Management Board, Sundernagar.
70. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE - VI

List of Organisations Who Have Furnished Half-Yearly Returns on The Progress Made By Them in Recording, Reviewing And Indexing of Semi-Current Records

Sr. No.	Name of Organisations	No. of Half-Yearly Returns Received
	Ministry of Agriculture	
1.	Directorate of Extension, New Delhi	1
2.	Directorate of Jute Development, Calcutta.	1
3.	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut (Kerala)	1
4.	Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nashik Road	2
5.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore	2
6.	Fishery Survey of India, Bangalore.	1
7.	North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Biswanath Chariali, District Sonitpur	2
	Ministry of Food and Consumer Affairs	
8.	Department of Food and Civil Supplies, New Delhi	1
9.	Central Food Laboratory, Calcutta	2
10.	Save Grain Campaign Regional Office, Ahmedabad	1
11.	Save Grain Campaign Regional Office, Hyderabad	1
12.	Department of Sugar and Edible Oils, Kanpur	1
	Ministry of Commerce	
13.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Kanpur	1
14.	Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong	1
15.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati	1
	Ministry of Communications	
16.	Department of Telecommunications, New Delhi	2
17.	General Manager Telecommunication, District Ambala	1
	Ministry of Defence	
18.	Ministry of Defence New Delhi	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Environment and Forests	
19. Regional Office (Northern Region), Chandigarh	2
20. Regional Office, Allahabad	1
Ministry of External Affairs	
21. Regional Passport Office, Mumbai	1
Ministry of Finance	
22. Department of Economic Affairs, New Delhi	1
23. Department of Revenue, New Delhi	1
24. Income Tax Settlement Commission, New Delhi	1
25. Office of the Director General of Income Tax (Investigation), New Delhi	1
26. Office of the Commissioner Customs, Mumbai	2
27. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad	1
28. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore	1
29. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur	1
30. Commissioner, Central Excise, Chandigarh	2
31. Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Nagpur	1
32. The Regional Manager, India Security Press, Nashik Road	1
Ministry of Health and Family Welfare	
33. Lady Reading Health School, Delhi	1
34. National Institute of Communicable Diseases, New Delhi	1
35. Airport Health Organisation, New Delhi	1
36. Central Government Health Scheme, Mumbai	2
37. Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai	1
38. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai	2
39. Central Government Health Scheme, Allahabad	1
40. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla	1
Ministry of Home Affairs	
41. Ministry of Home Affairs, New Delhi	2
42. Zonal Council Secretariat, New Delhi	2
43. Central Reserve Police Force, New Delhi	1
44. Directorate General, I.T.B.P, New Delhi	1
45. National Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi	1
46. Office of the Commandant Mobile Civil Emergency Force, Calcutta	1
47. Raj Bhasha Vibhag Hindi Yojana, Jabalpur	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Human Resource Development	
48. Department of Education, New Delhi	2
49. Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi	1
Ministry of Industry	
50. Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi	1
Ministry of Information and Broadcasting	
51. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi	2
52. Directorate of Advertisement and Visual Publicity, New Delhi	1
53. Central Board of Film Certification, Mumbai	1
54. Films Division, Mumbai	1
55. National Film Archive of India, Pune	1
Ministry of Labour	
56. Office of the Regional Labour Commissioner, Calcutta	1
57. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai	1
58. Regional Vocational Training Institute for Woman, Hissar	1
59. Regional Vocational Training Institute for Women Aramile Tura, Meghalaya	2
60. Coaching-cum-Guidance Centre of SC/ST, Jaipur	1
61. Office of the Regional Labour Commissioner, Allahabad	1
62. Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Chandigarh	1
63. Foremen Training Institute, Bangalore	2
Ministry of Law Justice and Company Affairs	
64. Office of the Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Mizoram, Manipur and Arunachal Pradesh, Shillong	1
65. **Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi**	2
66. **Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi**	1
67. **Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi**	1
Ministry of Planning and Programme Implementation	
68. Ministry of Planning and Programme Implementation, New Delhi	1
69. Central Statistical Organisation, Calcutta	1
70. **Ministry of Railways, New Delhi**	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Rural Areas and Employment	
71. Ministry of Rural Areas and Employment, New Delhi	1
72. Directorate of Marketing and Inspection, New Delhi	1
73. Directorate of Marketing and Inspection, Kochi	1
74. Directorate of Marketing and Inspection, Nashik Road	1
Ministry of Science and Technology	
75. Department of Science and Technology, New Delhi	1
76. Department of Bio-Technology, New Delhi	1
77. National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Calcutta	2
Ministry of Surface Transport	
78. Ministry of Surface Transport, New Delhi	2
79. Office of the Light Houses and Lightships, New Delhi	2
80. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andamans Lakhshadweep Harbour Works, Port Blair	2
Ministry of Urban Affairs and Employment	
81. Department of Publications, New Delhi	1
82. Town and Country Planning Organisation, New Delhi	1
Ministry of Water Resources	
83. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh	1
84. Ganga Flood Control Commission, Patna	1
Department of Atomic Energy	
85. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad	2
86. Centre for Advance Technology, Indore	1
Department of Space	
87. Indian Space Research Organisation, Bangalore	1
88. Regional Remote Sensing Service Centre, Kharagpur	1
Department of Supply	
89. Falta Export Processing Zone, Calcutta	1
Planning Commission, New Delhi	
90. Planning Commission, New Delhi	1
91. Regional Evaluation Office, (Planning Commission) Mumbai	1
92. **President's Secretariat New Delhi**	1
93. **Prime Minister's Office, New Delhi**	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE- VII

List of Organisations Who Have Furnished Half-Yearly Returns on De-Classification of Classified Records.

Sr. No.	Name of Organisations	No. of Half-Yearly Returns Received
Ministry of Agriculture		
1.	Directorate of Extension, New Delhi	1
2.	Directorate of Cotton Development, Mumbai	1
3.	Directorate of Rice Development, Patna	1
Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution		
4.	Forward Markets Commission. Mumbai	1
5.	Save Grain Campaign Regional Office, Bhopal	1
Department of Atomic Energy		
6.	Centre for Advanced of Technology, Indore (M.P.)	2
7.	Nuclear Fuel Complex, Hyderabad	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
8.	Department of Fertilizers, New Delhi	2
9.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi	1
Ministry of Commerce		
10.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Cuttack	1
11.	Office of Salt Commissioner, Jaipur	1
Ministry of Communications		
12.	Office of the Chief General Manager Haryana Telecom Circle, Ambala	1
Department of Posts		
13.	Chief Post Master General, Calcutta	1
14.	Post Master General (T.N.), Coimbatore	1
15.	Chief Post Master General (A.P. Circle), Hyderabad	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Defence	
16. Ministry of Defence, New Delhi	2
17. Office of the J.S. (Trg.) and CAO, New Delhi.	2
18. Defence R&D Organisation, Centre for Environment and Explosive Safety (CEES) New Delhi	1
19. Army Purchase Organisation, New Delhi	1
20. School of Foreign Languages, New Delhi.	2
21. Electronics and Radar Development Establishment, Bangalore.	2
22. Defence Institute of Psychological Research, Naval Psychological Research Unit (NPRU), Naval Base, Kochi.	2
Ministry of Environment and Forests	
23. Ministry of Environment and Forests, North Eastern Regional Office, Shillong.	1
24. Ministry of Environment and Forests, (Northern Region), Chandigarh.	1
25. Conservator of Forests, Regional Office (Southern Region), Bangalore	1
26. Ministry of Environment and Forests, Regional Office (Southern Zone), Bangalore	1
Ministry of Health and Family Welfare	
27. Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi.	2
28. Directorate General of Health Services, New Delhi.	1
29. Lady Reading Health School, New Delhi	1
30. Assistant Drugs Controller (India), Navi Mumbai	1
31. Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai	2
32. B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai	1
33. Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur (M.P)	1
34. Regional Office (Health and FW) Shimla	1
35. Port Health Organisation, Mandapam Camp	1
36. Government Medical Store Depot, Karnal	1
37. Regional Office for H and W, Chandigarh	2
38. Central Drugs Control Organisation Ghaziabad (U.P.)	1
39. Additional Director, Central Government Health Scheme, Allahabad	1
Ministry of Home Affairs	
40. Inter State Council Secretariat, New Delhi	2
41. Central Bureau of Investigation New Delhi	2
42. National Institute of Criminology and Forensic Science, New Delhi	2
43. Zonal Council Secretariat, New Delhi	2
44. Commandant Mobile and Civil Emergency Force, Calcutta	2

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Information and Broadcasting	
45. Directorate of Advertisement and Visual Publicity, New Delhi	1
46. Film and Television, Institute of India, Pune	2
Ministry of Industry	
47. Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries, New Delhi	1
48. Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi	2
Ministry of Labour	
49. Regional Labour Commissioner (Central), Calcutta	2
50. Regional Labour Commissioner (C), Asansol	1
51. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur	1
52. Deputy Commissioner of Welfare, Allahabad (U.P.)	1
53. Regional Vocational Training Institute for Women, Aralimile Tura, (Meghalaya)	2
54. Sub-Regional Employment Officer Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ ST, Hissar	1 1
55. Directorate General and Employment Training, Kathgodam (Nainital)	1
Ministry of Law Justice and Company Affairs	
56. Office of the Official Liquidator, Kerala, Kochi	1
Ministry of Parliamentary Affairs	
57. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi	2
Ministry of Personnel. Public Grievances And Pensions	
58. Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi	1
Ministry of Planning And Programme Implementation	
59. Planning Commission, New Delhi	2
60. National Sample Survey Organisation, New Delhi	1
61. Central Statistics Organisation (Industrial Statistics Wing), Calcutta	2
62. Programme Evaluation Organisation, Shimla	1
63. Regional Evaluation Office, Hyderabad	2
Ministry of Railways	
64. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Ministry of Rural Areas and Employment	
65. Directorate of Marketing and Inspection, Kochi	1
Ministry of Surface Transport	
66. Ministry of Surface Transport, New Delhi	2
Ministry of Social Justice and Empowerment	
67. Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi	2
Ministry of Tourism & Civil Aviation	
68. Directorate General, Civil Aviation, New Delhi	2
69. Bureau of Civil Aviation Security, New Delhi	2
70. Government of India Tourism Office, Bangalore	1
71. Government of India Tourism Office, Jaipur	1
Department of Electronics, New Delhi	
72. Electronics Regional Testing Laboratory, Mumbai.	1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

SCAN COMPLETE
TOTAL PAGES - 228
18 SEP 2023

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 2001

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, 2001